त्रयोदश माला, खंड 34, अंक 35

बुधवार, 7 मई, 2003
17 वैशाख, 1925 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 34 में अंक 31 से 37 तक हैं)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 55
Date 2/11/04

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्या सागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

अजीत सिंह यादव
सहायक सम्पादक

परमजीत कौर
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 34, बारहवां सत्र, 2003/1925 (शक)]

अंक 35, बुधवार, 7 मई, 2003/17 वैशाख, 1925 (शक)

विषय	कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 643 और 645	1–23
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 644, 646 से 662	23–53
अतारांकित प्रश्न संख्या 6355 से 6544	53–258
सभा पटल पर रखे गये पत्र	258–268
गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति	
तैंसीसवां प्रतिवेदन	269
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	
तेरहवां प्रतिवेदन	269
लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति	269
छठा प्रतिवेदन	269
कार्य मंत्रणा समिति के इक्यावनवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	269
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
जापान लाइफ आफ इंडिया की कथित अवैध स्कीमों से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम	272–282
श्री एस. जयपाल रेड्डी	272,273–278, 282
श्री जसवन्त सिंह	272–273, 278–281
सदस्यों द्वारा निवेदन	
टेलीफोन टैरिफ में वृद्धि के बारे में	283–298
नियम 377 के अधीन मामले	303–309
(एक) पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए चक्रधरपुर और चाईबासा के होते हुए रांची और बडबिल के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री लक्ष्मण गिलुवा	303
(दो) झारखंड में चन्द्रपुर और बोकारो थर्मल पावर स्टेशनों द्वारा बिजली का उत्पादन बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	303
(तीन) आई.डी.पी.एल. की वीरभद्र इकाई के कर्मचारियों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता।	
श्री मानवेन्द्र शाह	303–304
(चार) सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए छत्तीसगढ़ में खुडिया जलाशय को नर्मदा नदी से जोड़े जाने की आवश्यकता	
श्री पुन्नू लाल मोहले	304–305

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
(पांच) उड़ीसा में बुरला स्थित मत्स्य अनुसंधान केन्द्र को वहीं रखे जाने की आवश्यकता	
श्री के.पी. सिंह देव	305
(छह) नागालैण्ड में इंजीनियरी और मेडिकल कालेज की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
श्री के.ए. सांगतम	305–306
(सात) त्रिवेन्द्रम में केरल उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
श्री वरकला राधाकृष्णन	306
(आठ) इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता	
श्री धर्मराज सिंह पटेल	306–307
(नौ) मध्य प्रदेश में नौगांव, छतरपुर में मद्यनिर्माणशाला के कारण होने वाले प्रदूषण को रोके जाने की आवश्यकता	
श्री अशोक कुमार सिंह चंदेल	307
(दस) तमिलनाडु और अन्य राज्यों को शहरी क्षेत्र में सुधार के लिए निधि जारी किए जाने की आवश्यकता	
श्री सी. श्रीनिवासन	308
(ग्यारह) बिहार में महेशखुन्ट और सहरसा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–107 और बीरपुर तथा मधेपुरा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–106 का समुचित रखरखाव किए जाने की आवश्यकता	
श्री दिनेश चन्द्र यादव	308–309
(बारह) क्षेत्र में कल्याण कार्यक्रमों को चलाने के लिए तमिलनाडु स्थित नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड को निदेश दिए जाने की आवश्यकता	
श्री ई. पोन्नुस्वामी	309
राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध विधेयक, 2000–*पारित*	310–337, 338–376
विचार करने के लिए प्रस्ताव	310
श्री जसवंत सिंह	310–312, 361–368
श्री शिवराज वि. पाटील	312–319
श्री खारबेल स्वाइं	320–325
श्री रूपचंद पाल	325–331
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति	331–333
श्री धर्मराज सिंह पटेल	333–334
श्री रतन लाल कटारिया	334–337
श्री मधुसूदन मिस्त्री	339–342
श्री टी.एम. सेल्वागनपति	342–346
श्री सुरेश रामराव जाधव	346–348
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन	348–350
श्री त्रिलोचन कानूनगो	350–354
श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा	354–361
खंड 2 से 12 और 1	368–376
पारित करने के लिए प्रस्ताव	376
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (संशोधन), विधेयक—*पुरःस्थापित*	337–338
आधे घंटे की चर्चा	
राष्ट्रीय पशुधन नीति के बारे में	376–392
श्री रामजीलाल सुमन	377–379
प्रो. रासासिंह रावत	379–380
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	380–384
श्री पी.एस. गढ़वी	384
श्री हुक्मदेव नारायण यादव	384–392
आवश्यक वस्तु (संशोधन), विधेयक—*विचाराधीन*	392–394
विचार करने के लिए प्रस्ताव	393
श्री शरद यादव	393

लोक सभा

बुधवार, 7 मई, 2003/17 वैशाख, 1925 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): अध्यक्ष जी, धान, गेहूं और गन्ना किसानों की समस्याओं पर मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है। एक बार नहीं बल्कि कई बार आपने गन्ना किसानों के सवाल पर यहां चर्चा कराई है, लकिन चर्चा के बाद भी, सरकार के द्वारा, सकारात्मक कदम न उठाये जाने के कारण, आज भी किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। आज भी किसानों के बकाया मूल्य की अदायगी नहीं हो रही है। ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर): अध्यक्ष जी, प्रतापगढ़ में एक किसान ने आत्महत्या कर ली है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जीरो-आवर में आप इस मुद्दे को उठाएं, मैं आपको इजाजत दूंगा।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): अध्यक्ष जी, मैंने गुजरात के सवाल पर क्वेश्चन-आवर सस्पेंशन के लिए नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने नोटिस एक्सैप्ट नहीं किया है। आपका विषय महत्वपूर्ण है, जीरो-आवर में आप इसे उठा सकते हैं। रामविलास जी, मैंने आपका नोटिस देख लिया है।

कुंवर अखिलेश सिंह: अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश की जनता को ही नहीं बल्कि न्यायालय को भी गुमराह करने का काम किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के 31.1.2001 के आदेश के मुताबिक ही समझौता मूल्य माना जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 95 रुपये और 100 रुपये क्विंटल गन्ने के भाव, उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को मिलने चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार मिल-मालिकों के दबाव में किसानों का शोषण करती आ रही है। ...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.05 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

महिलाओं और बच्चों का एच.आई.वी. से बचाव

*643. **श्री वी. वेत्रिसेवन:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का एच.आई.वी. संक्रमण से महिलाओं के बचाव के लिए कोई कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उच्च एच.आई.वी. संक्रमण वाले सभी राज्यों में एच.आई.वी. संक्रमित माता से बच्चे के बचाव कार्यक्रम का जिला स्तर तक विस्तार करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत यदि कोई प्रोत्साहन दिया जा रहे हैं, तो वे प्रोत्साहन किस प्रकार हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

एच.आई.वी./एड्स को फैलने से रोकने और नियंत्रण के वास्ते सरकार ने व्यापक राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है जिसे इस समय देश भर में एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। कुछ कार्यक्रम गतिविधियां इस प्रकार हैं जिनमें एच.आई.वी. संचरण विशेष रूप से महिलाओं के बचाव पर जोर दिया गया है: (1) माता-पिता से बच्चे में संचरण की रोकथाम; (2) अन्यों में महिला यौन कार्यकर्ताओं और प्रवासी महिलाओं के लिए लक्षित कार्यकलाप; (3) स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के बारे मे 15-49 आयु वर्ग की महिलाओं सहित लक्षित लोगों को जानकारी देने के लिए परिवार स्वास्थ्य जागरूकता अभियान, अत्यधिक जोखिम वाले आचरण से बचाना और प्रबंध परिचर्या तथा प्रजनन स्वास्थ्य उपचार; (4) एच.आई.वी./एड्स के बारे में किशोर बालिकाओं में जागरूकता बढ़ाने के वास्ते महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से एकीकृत बाल विकास योजना, और (5) युवक और युवतियों के वास्ते स्कूल एड्स शिक्षा और विश्वविद्यालय वार्ता एड्स शिक्षा कार्यक्रम।

एच.आई.वी. संक्रमित गर्भवती माता से उसके बच्चे में एच.आई.वी. संक्रमण के संचरण के खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने देश में माता-पिता से बच्चे में संचरण निवारक कार्यक्रम (पी.पी.टी.सी.टी.) शुरू किया है। एच.आई.वी. की उच्च व्याप्तता दर वाले पांच राज्यों अर्थात् महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मणिपुर में स्थित 11 संस्थाओं में मार्च, 2000 में माता से बच्चे में संचरण की रोकथाम के बारे में व्यवहार्यता

अध्ययन शुरू किया गया। इस अध्ययन के प्रथम चरण में 36 सप्ताह की गर्भावधि से प्रसवपूर्व क्लीनिकों में आने वाली और उपर्युक्त संस्थाओं में प्रसव के दौरान गर्भवती महिलाओं का जिडोवुडाईन (ए.जैड.टी.) का अल्पकालिक औषध कोर्स (रेजिमेन) दिया गया। इन संस्थाओं में व्यवहार्यता अध्ययन के दूसरे चरण (अक्तूबर, 2001 से सितम्बर, 2002 तक) में माता से बच्चे में संचरण के निवारण के लिए एच.आई.वी. संक्रमित माता और बच्चे के जोड़े को नेविरापाइन की एकल खुराक दी गई। इस औषध में ए.जैड़.टी. से एक अतिरिक्त है लाभ है क्योंकि जिडोवुडाइन (ए.जैड.टी.) के अल्पकालिक औषध कोर्स की तुलना में यह सस्ती है। इसके अतिरिक्त यह एकल खुराक में दिया जाता है।

व्यवहार्यता अध्ययनों के परिणामों से प्रोत्साहित होकर सरकार ने पी.पी.टी.सी.टी कार्यक्रम को चरणवार ढंग से सम्पूर्ण देश में करने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में उच्च व्याप्तता दर वाले छह राज्यों अर्थात् महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर और नागालैंड के चिकित्सा महाविद्यालयों और जिला अस्पतालों को शामिल किया जा रहा है। इस समय इन राज्यों में 74 चिकित्सा महाविद्यालय और 15 जिला अस्पताल पी.पी.टी.सी.टी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के दूसरे चरण में अन्य राज्यों के चिकित्सा महाविद्यालयों को शामिल किया जाएगा।

श्री वी. वेत्रिसेलवन: अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला अनुपूरक प्रश्न यह है। आज भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश है जहां कि एच आई वी मामले अधिक संख्या में पाए जा रहे हैं।

वर्ष 1986 में केवल एक मामला प्रकाश में आया था जिसका चेन्नई में पता चला था। आज, चार मिलियन से अधिक लोग एच आई वी और एड्स से प्रभाविन हैं जिनमें से 90 प्रतिशत महिलाएं हैं, 30-40 प्रतिशत उनके बच्चों में भी संक्रमण होने का खतरा रहता है। यू एन एड्स के सर्वेक्षण के अनुसार प्रभावित लोगों का यह आंकड़ा वर्ष 2007 तक 13 मिलियन तक जा सकता है। सरकार ने अनेक योजनाएं आरम्भ की हैं और इस बीमारी की रोकथाम के लिए बजटीय सहायता के रूप में काफी बड़ी राशि प्रदान की है लेकिन स्थिति अब तक नहीं बदली है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने योजनाओं के कार्यान्वयन में कोई कमी पाई है। यदि हां, इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है और इस संबंध में सरकार के अन्य कार्यक्रम क्या है।

श्री ए. राजा: महोदय, यह सच है कि भारत विश्व में दूसरा बड़ा देश है जो कि एड्स के खतरे का सामना कर रहा है। इस खतरे से लड़ने के लिए हमें विश्व बैंक तथा अन्य एजेंसियों से लगभग 1500 करोड़ रुपए की बाह्य सहायता प्राप्त हो रही है। इसके अलावा, हमें अपनी बजटीय सहायता के रूप में प्रति वर्ष 196 करोड़ रुपए प्राप्त हो रहे हैं।

इस बीमारी पर नियंत्रण रखने के लिए और आई ई सी कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए हमारे पास एक सामान्य तंत्र है। इसके अलावा, कुछ विशिष्ट मामलों के लिए हमने एस टी डी (यौन संक्रमित बीमारियां) क्लिनिकों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं। सभी जिलों में स्वैच्छिक रक्त जांच केन्द्र स्थापित करने के लिए हमारी वचनबद्धता है। हमने यह कदम उठाए हैं।

इसके अतिरिक्त, व्यापक रूप से, पहली बार ऐसा हुआ है जबकि भारत सरकार ने दो महत्वपूर्ण नीतियां बनाई हैं; एक है राष्ट्रीय एड्स रोकथाम और नियंत्रण नीति और दूसरी राष्ट्रीय रक्त संबंधी नीति। इन दोनों नीतियों के द्वारा हमारे पास इस बीमारी पर नियंत्रण के लिए एक अच्छा तरीका है और इस खतरे से लड़ने के लिए पर्याप्त धन है। हमारा लक्ष्य है 2025 तक इन मामलों में शून्य वृद्धि है और हम अपने इस लक्ष्य के प्रति वचनबद्ध हैं।

श्री वी. वेत्रिसेलवन: अध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु देश में सबसे अधिक एच.आई.वी. प्रभावित राज्य है। वर्ष 1998 में तमिलनाडु में एच आई वी प्रभावित लोगों की संख्या केवल 1092 थी। यह संख्या बढ़कर 1999 में 1881, 2000 में 5,231; 2001 में 9714; और 2002 में 16,677 हो गयी।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना प्रश्न करिये।

श्री वी. वेत्रिसेलवन: मैं जानना चाहूंगा कि क्या तमिलनाडु में एच आई वी प्रभावित लोगों के लिए कोई पुनर्वास कार्यक्रम आरम्भ किया गया है और क्या तमिलनाडु के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से कोई धनराशि प्राप्त हुई है।

श्री ए. राजा: विशेष रूप से तमिलनाडु के लिए कोई बाह्य सहायता प्राप्त नहीं हुई है। हमें यह पूर्ण रूप से राष्ट्र के लिए प्राप्त हो रही है।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम: माननीय मंत्री महोदय द्वारा सभापटल पर रखे गए वक्तव्य में एड्स के निवारण के लिए विभिन्न तरीकों का उल्लेख किया गया है। ये हैं—अन्य के साथ-साथ महिला यौन कर्मियों और प्रवासी महिलाओं के लिए लक्षित हस्तक्षेप तथा लक्षित जनसंख्या को प्रतिसंवेदित करने के लिए महिला स्वास्थ्य जागरूकता अभियान। यहां महिला यौन कर्मियों तथा अन्य लक्षित महिलाओं पर रोक लगाने की ओर जोर दिया गया है। हालांकि, मैं महिला यौन कर्मी शब्द का उपयोग नहीं करना चाहती हूं लेकिन हम उन व्यक्तियों की पहचान कैसे करें और उनको लक्षित कैसे करें जिनकी पहचान ही नहीं हैं, जो इन महिला यौन कर्मियों के पास आते रहते हैं? समाज के ऐसे व्यक्तियों का पता लगाने

के लिए क्या कार्य-पद्धति है, जो कि निरपवाद रूप से उच्च श्रेणी के हैं तथा प्रभावपूर्ण व्यक्ति हैं और इन महिला यौन कर्मियों के पास जाते हैं?

श्री ए. राजा: इनकी पहचान नहीं की जा सकती है। जब वे स्वेच्छा से आते हैं तो हम उन्हें कंडोम का उपयोग करने की सलाह देते हैं और स्वैच्छिक जांच सुविधाएं प्रदान करने की पेशकश भी करते हैं। यह सुविधा केवल यौन कर्मियों के लिए नहीं है बल्कि इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। हम ऐसी जांच करवाने के लिए किसी को मजबूर नहीं कर सकते हैं। हम उन्हें केवल जांच की पेशकश कर सकते हैं ताकि वह जान सके कि वह एड्स से प्रभावित है अथवा नहीं। यह स्वैच्छिक होना चाहिए। यदि वह स्वेच्छा से नहीं आते हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि उनका निजी जीवन और उनके निजी अधिकार इसमें शामिल हैं, हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते है।

डा. वी. सरोजा: अध्यक्ष महोदय, वक्तव्य में यह उल्लेख किया गया है कि अक्तूबर, 2001 से सितम्बर, 2002 तक अध्ययन के दूसरे चरण में यह पाया गया है कि माता से बच्चे में संचरण निवारण के लिए जिडोवुडाइन की एक खुराक अधिक सस्ती है। एच आई वी सेंटीनल के अनुसार देश में छह राज्य ऐसे हैं जहां 1 प्रतिशत से अधिक गर्भवती महिलाओं में एच आई वी संक्रमण पाया गया है। यह राज्य हैं: महाराष्ट्र-1.75 प्रतिशत; मणिपुर-1.75 प्रतिशत; आन्ध्र प्रदेश-1.5 प्रतिशत; नागालैंड-1.25 प्रतिशत; कर्नाटक-1.13 प्रतिशत और तमिलनाडु-1.13 प्रतिशत। यह बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। जिन मामलों में गर्भवती महिला में एच आई वी संक्रमण पाया जाता है वहां हमारे लिए प्रसूति करवाना बहुत कठिन हो जाता है। प्रसूति के समय हमें आप्रेशन करना पड़ता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि क्या इस प्रयोजन से लक्ष्योन्मुख बजट आवंटन किया जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि कई बार दवाएं उपलब्ध नहीं होती हैं जबकि हमारे पास एच आई वी संक्रमण से प्रभावित लोगों से संबंधित आंकड़े होते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय द्वारा इसका स्पष्ट, ठोस, सकारात्मक उत्तर चाहती हूं।

श्री ए. राजा: मां से बच्चे में संचरण के निवारण के लिए कोई पृथक और विशेष बजट नहीं है। मैं सभा के समक्ष यह कह सकता हूं, जैसा कि माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया है, कि छह अधिक प्रभावी राज्यों में हमने 15 जिलों और 74 मैडीकल कालेज अस्पतालों का चयन किया है जहां माता-पिता से बच्चे में संचरण निवारक केन्द्र हैं। संक्षेप में उन्हें पी पी टी सी टी एस कहा जा रहा है। यह केन्द्र 15 अधिक प्रभावित राज्यों में 74 मैडीकल कालिज अस्पतालों में स्थापित किए गए हैं। हम यह आश्वासन देते हैं कि इस वर्ष के अंत तक इन सभी अधिक प्रभावी राज्यों में सभी जिलों के अन्तर्गत स्थित सभी मैडीकल कालिज अस्पतालों में यह केन्द्र उपलब्ध करवा दिए जायेंगे। एक बार यह केन्द्र इन राज्यों में स्थापित हो जाएं, लोगों को नि:शुल्क दवाएं और इलाज उपलब्ध करवाया जाएगा।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न के उत्तर में थोड़ा एड करना चाहूंगी। माननीय सदस्य ने दो बातें पूछी हैं—एक यह कि जहां मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन होता है, उसका सर्विलियेंस नहीं होता है। उनकी यह बात सही नहीं है लेकिन हमारी जितनी टोटल साइट्स हैं, उनमें 220 केवल एंटी-नटाल क्लीनिक्स हैं जिनसे हम पता लगाते हैं कि मदर टू चाइल्ड ट्रांसमीशन से एड्स कितना फैल रहा है? इसलिये सब से ज्यादा सर्विलियेंस एंडी-नटाल क्लीनिक्स से हो रहा है।

दूसरे, मैं आपके माध्यम से सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि टी.बी., मलेरिया और एड्स के लिए जितना ग्लोबल फंड है, उसमें 500 करोड़ रुपया एक्सक्लूसिवली मदर टू चाइल्ड ट्रांसमीशन के लिये है जिससे हम पूरे लोगों को कवर कर सकेंगे।

[अनुवाद]

डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स डिसूजा: महोदय, महिलाओं का एक वर्ग जिन्हें एच आई वी एड्स से सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता है, वह वे महिलाएं हैं जिनका विवाह द्वि लैंगिक पुरुषों से हुआ है। इन महिलाओं में एड्स होने का खतरा उन महिलाओं से अधिक होता है जिनका विवाह इतरलिंगी पुरूषों से हुआ है। इन पुरुषों को सामने लाने का एक तरीका यह है कि सभी गर्भवती महिलाओं के लिए एच आई वी जांच अनिवार्य कर दी जाए। क्या सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करेगी?

श्री ए. राजा: अभी सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या उनके मंत्रालय या विभिन्न एक्सपर्ट्स ने औब्जर्व किया है कि सदर्न स्टेट्स में, पर्टिकुलर्ली नार्दर्न स्टेट्स, जिनमें उ.प्र. और बिहार के माइग्रेंट लेबर्स जाते हैं, वे जब अपनी फैमली में जाते हैं तो अपने साथ एड्स ले जाते हैं जिससे वहां एड्स

फैलाव होना प्रारम्भ हुआ है। इस बारे में सरकार की क्या औब्जर्वेशन है? इसके अलावा मुम्बई में यंग डैथ्स की संख्या इनक्रीज हो रही है, क्या मंत्री जी या आपके मंत्रालय ने कुछ प्रीकाशनरी मैजर्स लिये हैं या इस बारे में कोई विशेष स्टडी करायेंगे?

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष जी, जब हम ग्रुप्स को आइडैंटिफाई करते हैं जिनका हाइली रिस्क ग्रुप होता है, उसे हम एच.आर.जी. कहते हैं। जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि एड्स ग्रुप बहुत बड़ी मात्रा में माइग्रेट लेबर में पाया जाता है जो एक जगह से आता है और अगर वह अपनी वाइफ को ट्रांसमिट करता है, तो उसके माध्यम से एड्स फैलता है। उनका कहना बिलकुल सही है कि माइग्रेंट वर्कर्स अपने आप में काफी बड़ा ग्रुप है। इसलिये जब टारगेटेड ग्रुप की बात होती है तो सरकार माइग्रेंट वर्कर्स को टारगैट मानकर इंटरवीन कर रही है। जहां तक माननीय सदस्य ने यंग डैथ्स की बात कही है कि क्या इसकी स्टडी चल रही है, मेरा माननीय सदस्य से कहना है कि इसकी स्टडी तो है लेकिन अभी तक हमारे सामने कोई आंकड़े नहीं हैं।

[अनुवाद]

श्री के.एच. मुनियप्पा: अध्यक्ष महोदय, ट्रक ड्राइवर राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के किनारे बने ढाबों में अपनी रातें गुजारते हैं। वहां, वह लोग आस-पास के गांवों के लोगों के संपर्क में आते हैं और वहां अनुचित कार्य होते हैं। जिसके परिणामस्वरूप, एड्स न केवल ट्रक ड्राइवरों और उनके कर्मचारियों के बीच फैल रहा है बल्कि उनसे आस-पास के गांवों के लोगों में भी फैल रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि सरकार का इन एड्स फैलाने के केन्द्र बनते जा रहे ढाबों पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

श्री ए. राजा: मुख्य योजना के अंतर्गत ट्रक ड्राइवरों को पहले ही शामिल किया गया है। उन्हें राज्य सरकारों द्वारा पाठ्य सामग्री भी भेजी जा रही है ताकि उन्हें इस बुराई के प्रति जागरूक किया जा सके। उनके मस्तिष्क में विशेष रूप से यह बात डाली जा रही है कि कंडोम के उपयोग से वह न केवल संपर्क में आने से बचेंगे बल्कि एड्स भी नहीं फैलेगा।

[हिन्दी]

हैन्ड सेटों की खरीद

***645. डा. महेन्द्र सिंह पाल: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ बड़े लिमिटेड मोबाइल सर्विस आपरेटर अपने ग्राहकों को महंगे हैंडसेट खरीदने के लिए बाध्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या ग्राहकों के एक संगठन ने दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से इस मामले में जांच करने के लिए कहा है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है;

(ङ) सरकार द्वारा इस मामले के निपटान तक इस संबंध में क्या अंतरिम उपाय किये जाने का प्रस्ताव है; और

(च) क्या डब्ल्यूएलएल मोबाइल कंपनियों द्वारा अपनायी गयी विपणन नीति नियमेतर है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव है?

[अनुवाद]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (छ) विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) विभिन्न बुनियादी सेवा प्रचालकों से प्राप्त सूचना के अनुसार उपभोक्ताओं को बाजार से हैंडसेट खरीदने की छूट है; ग्राहकों को महंगे हैंटसेट खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाता।

(ग) से (छ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को तीन उपभोक्ता संगठनों अर्थात् टेलीकाम वाचडाग, कन्ज्यूमर कार्डिनेशन काउन्सिल और सेल्यूलर फोन यूजर्स एसोशिएशन से शिकायत प्राप्त हुई जिसमें आरोप लगाया गया था कि उपभोक्ता को सीमित मोबिलिटी के लिए महंगे हैंडसेट खरीदने को बाध्य किया जा रहा है। ट्राई ने संबंधित सेवा प्रदाताओं के साथ मामला उठाया और पता चला कि स्टैंडर्ड टैरिफ पैकेज में उपभोक्ताओं को सेवा प्रदाता से हैंडसैट लेने का विकल्प दिया गया है। अगर वह ऐसा करता है तो उसे 6000 रु. (अधिकतम राशि) वापसी योग्य प्रतिभूति के रूप में जमा कराने होंगे अथवा 50 रु. का मासिक किराया देना होगा अथवा वह अपनी पसंद के मुताबिक हैंडसेट की व्यवस्था खुद करे और संगत स्टैंडर्ड टैरिफ पैकेज का चयन करे। बुनियादी सेवा प्रदाताओं ने स्टैंडर्ड टैरिफ पैकेज के अलवा वैकल्पिक टैरिफ पैकेज की पेशकश भी की है। टैरिफ पैकेजों का यह सम्मिश्रिण विनियामक दिशानिर्देशों के भीतर है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए डब्ल्यूएलएल मोबाइल कंपनियों द्वारा अपनाई गई विपणन नीति को मनमानी नीति का नाम नहीं दिया जा सकता और तदनुसार सरकार द्वारा इस संबंध में किसी कार्रवाई की योजना नहीं है।

इसके अतिरिक्त, ट्राई अधिनियम के अनुसार किसी सेवा प्रदाता तथा उपभोक्ताओं के किसी समूह के बीच विवाद होने की स्थिति में दूरसंचार विवाद समाधान तथा अपील अधिकरण (टीडीएसएटी)

में अपील दायर की जाती है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, टीडीएसएटी में ऐसे किसी सेवा प्रदाता के खिलाफ इस बारे में कोई अपील दायर नहीं की गई है। इसके अलावा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जाती है तथा वे अपनी शिकायतों के समाधान के लिए जिला/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न उपभोक्ता मंचों से भी संपर्क कर सकते हैं।

[हिन्दी]

डा. महेन्द्र सिंह पाल: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि हिन्दुस्तान के सारे अखबारों में रोजाना इसकी चर्चा हो रही है और लोग बहुत परेशान हैं। विशेष रूप से दूरसंचार कंपनियों के बीच दरों को लेकर छिड़े नकली युद्ध का खामियाजा ग्राहकों को ही भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि रेफरी की भूमिका में ट्राई असहाय नजर आ रहा है और सरकार काफी दूर बैठकर तमाशा देख रही है।

1 मई से बहुप्रतीक्षित अंतर नैटवर्क उपयोग शुल्क (आई.यू.सी.) प्रणाली लागू हो जाने के बाद किसी भी नेटवर्क में आने वाली काल इनकमिंग तो फ्री हो गई हैं, लेकिन बेसिक फोन से सेल्युलर या सीमित दूरी वाले मोबाइल (डब्ल्यू.एल.एल.) पर लोकल काल करना छह गुना तक महंगा हो गया है। बेसिक फोन से डब्ल्यू.एल.एल. पर सेल्यूलर पर विभिन्न दूरियों के लिए अलग-अलग दरें रखी गई हैं जिन्हें आम उपभोक्ता के लिए समझना काफी कठिन होगा। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के उपभोक्ताओं को नई दरें काफी भारी पड़ेंगी। ये दोनों कंपनियां अपने ग्राहकों को समझा तो रही हैं कि उनका मासिक बिल मौजूदा बिल के बराबर ही रहेगा, लेकिन असलियत कुछ और है। पहले बेसिक फोन उपभोक्ता को किसी भी नेटवर्क डब्ल्यू.एल.एल. पर, सेल्यूलर पर लोकल काल के लिए तीन मिनट के 1.20 रुपये देने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मोटे तौर पर देखें तो बेसिक टू बेसिक फोन काल की लोकल दर पुरानी तीन मिमट के 1.20 रुपये ही रखी गई है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: महेन्द्र पाल सिंह जी, आप प्रश्न पूछिए। आप प्रश्न पढ़ नहीं सकते। ...*(व्यवधान)*

डा. महेन्द्र सिंह पाल: अध्यक्ष महोदय, मेरा सबमिशन यह है कि सरकार का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया है। ...*(व्यवधान)* मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर आज सरकार की छवि खराब हुई है, फोन का सारा नेटवर्क खराब हुआ है और यही नहीं पूर्व मंत्री पर इस संबंध में बहुत से चार्जेज भी हैं। लोग कहते हैं कि इसमें पैसा खा लिया गया है और खाने की वजह से इसे सेल्यूलर कंपनियों को दे दिया गया है, यह आम बात है, यह मेरे विचार नहीं हैं, यह जनता के विचार हैं, जिन्हें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, अब आप उत्तर दे सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: डा. महेन्द्र सिंह पाल, आप इस प्रकार सभा का समय नहीं ले सकते।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. महेन्द्र सिंह पाल: मैं उसी पर आ रहा हूं। इसमें पैसा खाया गया है और जो हमारे देश की कंपनियां थी, जो बेसिक फोन का नेटवर्क पूरे देश में था, वह आज फेल हो गया है। इसके कारण सारे गरीब लोग परेशान हैं। मैं कहना चाहता हूं कि...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री पाल, आप प्रश्न पूरा कीजिए, इसे जल्दी समाप्त कीजिए।

डा. महेन्द्र सिंह पाल: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने उत्तर दिया है, उसमें कहा है कि आप कंज्यूमर फोरम में जाइये, कंज्यूमर प्रोटैक्शन एक्ट तो पहले भी लागू था...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है कि आप सभा का काफी समय ले रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. महेन्द्र सिंह पाल: आपने सेल्यूलर फोन को परमीशन देने से पहले...*(व्यवधान)* सेल्यूलर फोन आने से पहले आपने कानून क्यों नहीं बनाया।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपका प्रश्न डिसअलाऊ करूंगा। आपको प्रश्न नहीं पूछना है तो मत पूछिये। ऐसा कैसे हो सकता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. महेन्द्र सिंह पाल: सेल्यूलर फोन आने से पहले, इसकी परमीशन देने से पहले, आपने कानून क्यों नहीं बनाया। आपका इन पर कोई कंट्रोल नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार इस पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगी।

अरुण शौरी: अध्यक्ष महोदय, मैम्बर साहब को सरकार की सभी चीजों की जानकारी है या ऐसे ही मनगढंत बातें कह रहे

हैं। इस तरह से इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश है कि ऐसे इल्जाम आप यहां से एक्सपंज कर दीजिए, क्योंकि उनका कोई प्रूफ नहीं दिया गया है।

दूसरी बात मैम्बर साहब कह रहे हैं कि सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया, मगर पार्लियामैन्ट ने कानून बनाया है, आपने बनाया है, आपने ट्राई का एक्ट बनाया है, उसमें टैरिफ के बारे में ट्राई को अथारिटी दी गई है।

[अनुवाद]

तीसरी चीज यह है कि यह प्रश्न टैरिफ के बारे में नहीं है, यह फ्री हैंडसैट्स के बारे में है।

अध्यक्ष महोदयः मुझे मालूम है कि प्रश्न क्या है।

[हिन्दी]

श्री अरुण शौरीः आप कहें, तो मैं इसका जवाब दे देता हूं। जहां तक बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. का सवाल है, बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. ने मंथली रेट्स ऊंचे नहीं किये हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कृपया मंत्री जी को अपना उत्तर पूरा करने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कृपया मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी को उत्तर देने दें। मंत्री उत्तर दे रहे हैं। पहले उनको उत्तर देने दें।

...(व्यवधान)

श्री रघुनाथ झाः इनका उत्तर तो हम सुनना चाहते हैं लेकिन मोबाइल कंपनी वाले पहले कहते थे कि उनका फोन लेने पर बहुत कम पैसा लगेगा, इसलिए लोगों ने उनसे खरीद लिये लेकिन अब वे मनमाने ढंग से दाम बढ़ा रहे हैं। वे जब चाहते हैं तब दाम बढ़ा देते हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मैं जब इजाजत दूंगा तभी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यह कोई तरीका नहीं है प्रश्न पूछने का। आप बैठ जाइए नहीं तो मैं अगला प्रश्न ले लूंगा। देखिये, आप लोगों का नुकसान होगा, मैं दूसरा प्रश्न ले लूंगा। यह कोई तरीका नहीं है। कृपया बैठिये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अरुण शौरीः बी एस एन एल और एम टी एन एल ने मासिक किरायों में वृद्धि नहीं की है। उन्होंने 'पल्स' दर भी नहीं घटाई है। टीआरएआई द्वारा जनवरी में जारी किये गए आदेश में अधिकतम सीमा दी गई है यह अनिवार्य आदेश नहीं है। हर कोई उस आदेश से कम दर वाला वैकल्पिक पैकेज दे रहा है। जिसमें उपभोक्ता को लाभ हो रहा है। क्या समस्या है? *...(व्यवधान)*

कुछ माननीय सदस्यः नहीं, बिल्कुल नहीं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मंत्री महोदय, आप प्रश्न नहीं पूछ सकते। श्री सुरेश कुरुप?

...(व्यवधान)

श्री आदि शंकरः महोदय, मंत्री जी सभा को गुमराह कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कृपया बैठ जाइए। श्री सुरेश कुरुप को प्रश्न पूछने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरुपः टेलीफोन शुल्क में की गई भारी वृद्धि का देशभर में भारी विरोध हुआ है। सरकार और मंत्री महोदय को इस पर विचार करना चाहिए। टेलीफोन उपभोक्ताओं को धोखा दिया गया है। यदि आप स्थायी टेलीफोन से मोबाइल फ़ोन पर काल करते हैं तो आपको तीन मिनट के लिए 7.20 रुपये देने पड़ेंगे। यदि आप स्थानीय काल करते हैं तो आपको पहले के तीन मिनट के बजाय दो मिनट के लिए 1.20 रुपये देने पड़ेंगे। टेलीफोन शुल्क में की गई यह वृद्धि मोबाइल फोन कम्पनियों को लाभ पहुंचा रही है। *...(व्यवधान)* इस देश में अधिकतर उपभोक्ता स्थाई टेलीफोन का उपयोग करते हैं। इसलिए इस देश में सर्वसाधारण की कीमत पर मोबाइल कम्पनियों को लाभ मिल रहा है। इसलिए, टेलीफोन शुल्क में की गई वृद्धि को वापस लिया जाए। यह इस देश के लोगों की मांग है। *...(व्यवधान)*

प्रो. ए.के. प्रेमाजमः महोदय, यह इस देश की जनता की मांग है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झाः असली बात यही है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कृपया बैठ जाइए। श्री सुरेश कुरुप ने सीधा प्रश्न पूछा है यह प्रश्न लोगों के हित में है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कृपया बैठ जाइए। इन्होंने सीधा प्रश्न पूछा है मंत्री जी उस प्रश्न का उत्तर देने को तैयार है। मैं चाहता हूं कि उत्तर ठीक प्रकार से कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल हो।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: उत्तर पूरा होने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया सहयोग कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं सभा में और अधिक सदस्यों को प्रश्न पूछने का अवसर देने को तैयार हूं बशर्ते कि अनुशासन बनाये रखा जाए। इसलिए पहले अनुशासन का पालन कीजिए। मंत्री जी आप उत्तर दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी: इसी आरोप की जांच इस ट्राई द्वारा की जा रही है।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: इस विषय पर आज शाम को ही चर्चा करा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: पहले उत्तर तो आने दें।

[अनुवाद]

प्रो. ए.के. प्रेमाजम: टैरिफ में वृद्धि को एक मई तक स्थगित कर दिया गया है। सरकार और ट्राई उस समय क्या कर रहे थे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। श्री शिवजी माने मैं आपको कुछ भी बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया बैठ जाइए।

श्री अरुण शौरी: नए टैरिफ में सेल्यूलर कम्पनियों को फायदा होता है अथवा स्थायी फोन कम्पनियों को फायदा होता है यह उन मुद्दों में से एक है जिनकी जांच ट्राई द्वारा इस समय की जा रही है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: अध्यक्ष महोदय, ट्राई इस इश्यू को कब तक एग्जामिन करती रहेगी? रोज-रोज टेलीफोन के रेट बढ़ा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी को पूरा अधिकार है कि वह उत्तर दें और वह प्रश्न का उत्तर दे भी रहे हैं। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप चर्चा के लिए कह सकते हैं। मंत्री जी विस्तृत उत्तर दे देंगे।

...*(व्यवधान)*

अरुण शौरी: ग्रामीण क्षेत्रों में लाइने पहुंचाने के लिए बी एस एन एल को अगले चार वर्षों में 29,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है और उनको इस योजना में आज चार करोड़ रुपये ही दिये गए हैं। उन्हें किसी न किसी तरह इसको जुटाना होगा। प्रतिस्पर्द्धा हर जगह दरों में गिरावट ला रही है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इस मुद्दे पर चर्चा करने की अनुमति दूंगा। कृपया बैठ जाइए। मैं इस पर आधे घंटे ही चर्चा की अनुमति दूंगा। आप वहां यह प्रश्न उठा सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: चूंकि यह प्रश्न महत्वपूर्ण है इसलिए इस पर मैं आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दूंगा। आप वहां यह प्रश्न पूछ सकते हैं?

प्रश्न सं. 646— श्री अधीर चौधरी। श्री अधीर चौधरी यहां उपस्थित नहीं हैं। श्रीमती श्यामा सिंह।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे: अध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। टेलीफोन के दाम बढ़ने के कारण पूरे हिन्दुस्तान में एन.डी.ए. सरकार के बारे में लोग बहुत गलत सोचने लगे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: खैरे जी, मैं भी जानता हूं कि यह विषय महत्वपूर्ण है। पहले आप बैठिए क्योंकि मैं खड़ा हू। मैं भी खड़ा हूं और आप भी खड़े रहें, ऐसा नहीं होगा।

[अनुवाद]

प्रत्येक सदस्य को बैठ जाना चाहिए। मैं इस सभा में इस प्रकार की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं करूंगा। कृपया बैठ जाइए। पहले आप बैठ जाइए क्योंकि मैं खड़ा हूं। आपको इतना भी पता नहीं है कि सभा में अनुशासन बनाए रखना चाहिए। कृपया आप पहले बैठ जाइए। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। श्री शिवाजी माने मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। कृपया अब आप बैठ जाइए। मैं समझ सकता हूं कि आप इस मुद्दे पर परेशान हैं। मैंने कहा कि मैं आपको और अधिक प्रश्न पूछने की अनुमति देने को तैयार हूं। लेकिन आप जिस तरह से बर्ताव कर रहे हैं इस प्रकार से तो मंत्री जी उत्तर नहीं दे पाएंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। मैं बोल रहा हूं। यदि आप मंत्री जी के उत्तर से सहमत नहीं हैं तो आप सभा में किसी अन्य तरीके से इस मुद्दे को निसन्देह उठा सकते हैं। आपके पास ऐसा करने के कई तरीके हैं। आप जिस तरीके से मंत्री जी से उत्तर देने को कह रहे हैं यह तरीका ठीक नहीं है। यह कोई

तरीका नहीं है। मैं इस प्रश्न पर और अधिक चर्चा नहीं करा सकता। मैं आधे घंटे की चर्चा करने के लिए तैयार हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे: अध्यक्ष महोदय, जनता हमसे पूछती है, हम क्या करें, हम कहां जाएं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी गलत अथवा सही उत्तर दे सकते हैं। यदि यह उत्तर असंतोषजनक है तो आप इस पर चर्चा के लिए कह सकते हैं। मैं इस पर चर्चा कराने के लिए तैयार हूं।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक ट्राई इस मामले को देख रही है, तब तक क्या मंत्री महोदय, पुराने रेट रखने पर विचार करेंगे और तब तक नया रेट नहीं लिया जाएगा, क्या ऐसी व्यवस्था करेंगे? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सब लोग यदि ऐसा ही बिहेव करेंगे तो प्रश्न का उत्तर नहीं आएगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इस पर आधे घंटे हम की चर्चा कराने की अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: आधे घंटे में इस पूरे मुद्दे पर चर्चा नहीं कर सकते। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती श्यामा सिंह, आप प्रश्न पूछ सकती हैं।

श्रीमती श्यामा सिंह: पिछली बार मेरे तारांकित प्रश्न में माननीय मंत्री जी ने बताया था *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह उठा है कि मोबाइल के दाम घट गए और टेलीफोन के बढ़ गए, जिससे पूंजीपतियों को फायदा हुआ और कंज्यूमर्स का शोषण हो रहा है। *...(व्यवधान)* महोदय, इसका निष्कर्ष क्या हुआ? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती श्यामा सिंह के भाषण के सिवाय कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्रीमती श्यामा सिंह: महोदय, मैं यह सारा शोर सुन रही हूं। माननीय मंत्री जी मेरा प्रश्न नहीं सुन सकेंगे। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि कोई सदस्य प्रश्न पूछना चाहता है मैं उसे अनुमति दे सकता हूं लेकिन सदस्यों को मेरे निर्देशों का पालन करना चाहिए और सभा में अनुशासन बनाए रखना चाहिए।

[हिन्दी]

मैं नाम बोलूंगा, केवल वही माननीय सदस्य खड़े होंगे। अगर सब लोग नहीं बैठेंगे तो मैं दूसरे प्रश्न पर चला जाऊंगा। कृपया आप सब लोग बैठ जाइए। अगर आप नहीं बैठेंगे तो आपका ही नुकसान होगा, मंत्री जी का नहीं होगा।

...(व्यवधान)

श्री शिवाजी माने: मंत्री जी का क्या नुकसान होगा, नुकसान तो जनता का होगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री शिवाजी काम्बले का नाम लिया है, केवल वही प्रश्न पूछेंगे। कृपया आपको बैठना पड़ेगा, अन्यथा मैं अगले प्रश्न पर चला जाऊंगा।

...(व्यवधान)

श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले: अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रश्न पूछने का समय दिया। मेरा प्रश्न डब्ल्यूएलएल के बारे में है। देश के जिन-जिन इलाकों में डब्ल्यूएलएल की 31 मार्च तक सेवा देने का प्रस्ताव था, वहां अभी तक यह सेवा नहीं मिली है। उसमें महाराष्ट्र में मेरी कांस्टीट्यूएंसी उस्मानाबाद भी सम्मिलित है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 31 मार्च तक डब्ल्यूएलएल की सेवा क्यों नहीं मिली और किन लोगों की वजह से यह सेवा देने में देरी हुई? उन लोगों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है और सरकार ने यह सेवा ऐसे इलाकों में कब तक देने का प्रावधान किया है? डब्ल्यूएलएल की सेवा देने का ऐलान जैसे डिपार्टमेंट की तरफ से होता है, हम अपनी कांस्टीट्यूएंसी में लोगों से बात करते हैं कि 31 मार्च तक यह सेवा आपको मिल जाएगी, लेकिन वह सेवा अभी तक नही मिली, जिसकी वजह से सब एमपीज का लोगों के सामने जाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हम यह सेवा कब तक मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी: आप जरा प्रश्न ठीक से पढ़ लीजिए, प्रश्न हैंड सेटों के बारे में है कि इतने हैंड सेट्स दिए जा रहे हैं या नहीं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, आपको उत्तर सुनना पड़ेगा। आप उनके साथ सहमत या असहमत हो सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: रघुनाथ झा जी, अगर आप बीच में कुछ नहीं बोलें तो मैं आपको प्रश्न पूछने की इजाजत देने वाला हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी: अध्यक्ष महोदय, जहां तक डब्ल्यूएल या फिक्स लाईन का सवाल है,

[अनुवाद]

निश्चित तौर पर बी एस एन एल काफी प्रयास कर रही है और जो बाकी दो-तीन को लाइसेंस मिले हैं, यह करना उनके वाणिज्यिक हित में है। यदि दर में वृद्धि की अनुमति नहीं देकर बी एस एन एल को दिवालिया कर देते हैं तो आप पाएंगे कि आप जहां तक इसे पहुंचाना चाहते हैं वहां तक नहीं पहुंचा पायेंगे। जो सभी लोग चाहते हैं। श्री पासवान यहां हैं। अगले चार वर्षों में बी एस एन एल को 29,000 करोड़ रु. की जरूरत है। योजना में उन्हें मात्र 4 करोड़ रु. दिया गया है। ...*(व्यवधान)* उन्हें कहां से धन मिलेगा? आप दर नहीं बढ़ने दे रहे हैं। आप दूरसंचार क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र बना रहे हैं। यह रेट इन्क्रीज आपकी कंडीशन है।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां हाउस में हम लोग इतने उत्तेजित हैं, उसका मुख्य कारण है कि लैंड फोन के रेट्स में व्यापक वृद्धि हुई है और यह वृद्धि हमारी समझ में रिलायंस के प्रैशर में हुई है। जैसा मंत्री जी ने कहा कि ट्राई में इसका परीक्षण हो रहा है, लेकिन यहां जनता से, उपभोक्ताओं से वसूली जारी है, उसका दोहन हो रहा है तो मैं सिर्फ एक बात आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से इतना ही जानना चाहता हूं कि जब तक ट्राई का फैसला नहीं होता, तब तक पुराने रेट पर लैंड टेलीफोन के रेट की वसूली की जाये, मंत्री जी को इसमें क्या आपत्ति है? ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी: मैं जवाब देता हूं। पहली चीज यह है कि ...*(व्यवधान)* सुनिये तो सही। फिक्स लाइंस के लिए मंथली रैंटल इन्क्रीज नहीं किया गया है, यह मैं तीन बार कह चुका हूं। दूसरे पल्स रेट डिक्रीज नहीं की गयी है, पता नहीं माननीय सदस्य कैसे कह रहे हैं। रिलायंस तो चाहेगा कि मंथली रैंटल इन्क्रीज किया जाये, लेकिन हमने नहीं किया। पल्स रेट डिक्रीज करने का फैसला भी हमने नहीं किया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: महोदय, क्या मंत्री जी जो उन्होंने कहा है उसकी पुष्टि कर रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: रघुवंश प्रसाद जी, आप प्रश्न पूछिये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रकाश अम्बेडकर जी, जब मैं आपको कहूंगा तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: शिवाजी माने जी, आज आपको क्या हुआ है?

श्री अनंत गुढे: लोगों का टेलीफोन के बिना रहना मुश्किल हो गया है और सरकार ने खुद रिलायंस को लाइसेंस दिया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: रघुवंश प्रसाद जी, क्या आप प्रश्न नहीं पूछना चाहते?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से स्पेसिफिक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि हाल ही में जो टेलीफोन टैरिफ बढ़ाने का काम सरकार ने किया है, इसका क्या औचित्य है? इसे बढ़ाने से पहले ट्राई से क्यों परामर्श नहीं किया गया? आपने टैरिफ बढ़ा दिया तो जब हम लोग जनता के समक्ष जाते हैं तो जनता सवाल उठा रही है कि यह कैसे बढ़ गया और दूसरी तरफ मोबाइल वालों ने अपना टैरिफ घटा दिया ताकि मोबाइल का बाजार चले। आज सरकार के टेलीफोन को दाम बढ़ जाने के कारण कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहता, इसलिए हमें गंभीर आशंका है। आप बतायें कि कितने टेलीफोन सरैण्डर हुए हैं और मोबाइल का कितना बाजार बढ़ा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उत्तर आने दीजिए।

श्री अरुण शौरी: महोदय, जैसा आप खुद जानते हैं कि आपके पास भी विकलांग आये थे, जिनके पास पी.सी.ओ. हैं,

उनकी शिकायत क्या थी, मुम्बई से ही वे आये थे, उनकी शिकायत आई थी कि रेट्स गिर रहे हैं, इसलिए लोग पी.सी.ओ. का इस्तेमाल नहीं कर रहे। रेट्स गिरने से भी लोगों को फायदा हो रहा है। अगर माइग्रेशन होगा, क्योंकि अगर फिक्स्ड लाइन के रेट ऊपर रखे जायेंगे तो नेचुरली माइग्रेशन सेलुलर की तरफ होगा और आप वह भी नहीं करना चाहते। अगर बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. बैंकरप्ट हो जाते हैं तो सर्विसेस कौन प्रोवाइड करेगा। ...*(व्यवधान)* एक हफ्ते में सरकार अपना डिसीजन देगी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री चन्द्रकांत खैरे: यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री के. येरननायडू को अपना प्रश्न पूछने दीजिए। कृपया अपनी सीट पर जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री के. येरननायडू अपना प्रश्न पूछेंगे।

श्री के. येरननायडू: अध्यक्ष महोदय ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे: ट्राई के पास उनकी रिप्रैजेंटेशन क्यों नहीं गयी? उन्होंने क्यों नहीं सुना? ...*(व्यवधान)* हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं और जन प्रतिनिधि होने के नाते लोग हमसे पूछते हैं कि एन.डी.ए. सरकार में रहकर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या इससे पीछे कोई साजिश है? क्या आप एम.टी.एन.एल. और बी.एस.एन.एल. का विनिवेश करने के लिए माहौल तैयार कर रहे हैं? ...*(व्यवधान)* बिल्कुल नहीं है। आप लोगों का नुकसान कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री के. येरननायडू अपना प्रश्न करेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: अभी, मंत्री जी ने स्वयं कहा कि ...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू: माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया मुझे अनुमति दी जाए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया। श्री के. येरननायडू।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया। श्री चन्द्रकांत खैरे, कृपया बैठ जाइये। श्री के. येरननायडू प्रश्न कर रहे हैं। आप एक जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार नेता है। कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू: महोदय, हमारा लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश में 4.5 करोड़ 'लैण्ड लाइन' हैं। औसतन, चार व्यक्ति एक 'लैण्ड फोन' का प्रयोग कर रहे हैं, जिसका अर्थ है 15 करोड़ लोग 'लैण्ड लाइन' का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे यहां बी एस एन एल और एम टी एन एल है। हमारे पास विनियामक प्राधिकरण भी है। अब, ये संगठन व्यापारिक संगठन की भांति व्यवहार कर रहे हैं। यहां तक कि भारत सरकार, दूर संचार मंत्रालय भी स्वतंत्र हैं और उन्हें संसद से अनुमति लेनी पड़ती है, अन्यथा इसका क्या उपयोग है? उसमें 15 करोड़ उपभोक्ता हैं। उन्होंने टैरिफ 2.40 रु. से बढ़ा कर 7.20 रु. कर दिया है। क्या हम लोकतंत्र में हैं या नहीं? ...*(व्यवधान)* इसलिए, यही कारण हैं कि हम देश की आर्थिक प्रगति के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे देश में 30 प्रतिशत जनता गरीबी रेखा के नीचे रह रही है। क्या यह संचार प्रणाली अमीर लोगों के लिए है, गरीब लोगों के लिए नहीं हैं? लोकतंत्र की स्थापना के 54 वर्ष बाद भी, इस देश में आम जनता टेलीफोन का प्रयोग नहीं कर सकती ...*(व्यवधान)*

हमने पहले भी कई बार मंत्रियों अर्थात् श्रीमती सुषमा स्वराज और श्री प्रमोद महाजन से टैरिफ कम करने का अनुरोध किया था। उन्होंने एस टी डी काल, इंटरनेशन काल और प्रत्येक चीज के लिए टैरिफ दो बार घटाया था एक बार हम सही दिशा में बढ़ने लगे और फिर अचानक पीछे चले गए हैं। इसलिए यह ट्राई का जल्दी में लिया गया निर्णय है। यथास्थिति बनाए रखनी चाहिए अन्यथा यह कठिन होगा। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे: इसके लिए रोल बैक होना चाहिए। हम लोग जब बाहर जाते हैं तब हमसे इस बारे में पूछा जाता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों से अनुरोध है वे कृपया बैठ जाएं। हमने कई सदस्यों के विचार सुने और माननीय मंत्री भी भलीभांति समझ सकते हैं कि सदस्य सरकार द्वारा की गई वृद्धि से अत्यधिक आंदोलित हैं। इस मामले में विस्तृत उत्तर अत्यन्त ही आवश्यक है, और इस विषय पर विस्तृत चर्चा करने के बाद ही विस्तृत उत्तर आ सकता है।

श्री चन्द्रकांत खैरे: महोदय, हम यह आज चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ी साजिश है, एम टी एन एल बेचने की साजिश है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि आप इस मुद्दे पर वाद-विवाद चाहते हैं तो आप इसे सत्र समाप्त होने से पहले कार्य मंत्रणा समिति में कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: किंतु जिस तरह से आप प्रश्न करना चाहते हैं, मैं नहीं समझता कि मंत्री उनका उत्तर दे सकेंगे। मुझे अन्य प्रश्नों को भी देखना है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे सीधे प्रश्न ही पूछें ताकि मंत्री जी भी सीधा उत्तर दे सकें।

...*(व्यवधान)*

श्री एन.एन. कृष्णदास: महोदय, सरकार की क्या स्थिति है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: पहले हम उत्तर सुनें।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वह एक प्रश्न पूछ रहे हैं?

[हिन्दी]

रूपचंद पाल जी, पहले उत्तर आने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: रघुवंश जी, मैंने आपको खड़े रहने की अनुमति नहीं दी है। आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: आप लोग प्रश्न ही नहीं पूछने दे रहे हैं, यह क्या बात है. ...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, लैंडलाइन टेलीफोन की दरों में बढ़ोत्तरी से जनता में बड़ा भारी रोष है। ...*(व्यवधान)* मंत्री महोदय ने कहा कि टेलीफोन्स के न तो मंथली किराए बढ़ाए गए हैं और नही पल्स रेट घटाई गई है। क्या मंत्री महोदय इस बारे में आश्वस्त करेंगे और स्पष्ट करेंगे कि अगर किराए नहीं बढ़ाए गए हैं तो बढ़ी दर चार्ज क्यों की जा रही है?

श्री अरुण शौरी: अध्यक्ष महोदय, आपने आदेश दिया है कि इस बारे में हाफ-एन-आवर डिस्कशन ऐलाऊ करेंगे। मैं उसमें सारी चीजें बताऊंगा। ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: अध्यक्ष महोदय, डिस्कशन अभी करवाएं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप मंत्री जी से क्या चाहते हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब श्री पलानीमनिक्कम अपना प्रश्न पूछेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: अध्यक्ष महोदय, सरकार के रवैए और जवाब से हम पूरी तरह असंतुष्ट हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं सदन की भावना को समझता हूं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप मंत्री जी से क्या चाहते हैं?

पूर्वाह्न 11.49 बजे

(इस समय, श्री एन.एन. कृष्णदास और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

अध्यक्ष महोदय: आप मंत्री जी से क्या चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अपना प्रश्न पूछिए, वह उत्तर देंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह तरीका नहीं है। इस तरह से आपको मंत्री से उत्तर नहीं मिलेगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्र.सं. 646–श्रीमती श्यामा सिंह

प्र.सं. 647–श्री रामदास आठवले

प्र.सं. 648–श्री राम शकल

प्र.सं. 649–कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी

प्र.सं. 650–श्रीमती निवेदिता माने

श्री सी.एन.सिंह

प्र. सं. 651–प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलू

प्र. सं. 652–श्री राधा मोहन सिंह

प्र. सं. 653–डा. जसवंत सिंह यादव

प्र. सं. 654–श्री सी. श्रीनिवासन

प्र. सं. 655–श्री अब्दुल रशीद शाहीन

श्री बीर सिंह महतो

प्र. सं. 656–श्री शिवाजी माने

डा. मदन प्रसाद जायसवाल

प्र. सं. 657–प्रो. दुखा भगत

श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह

प्र. सं. 658–श्री इकबाल अहमद सरडगी

प्र. सं. 659–श्री एन. वेंकटस्वामी

प्र. सं. 660–श्री अनन्त नायक

प्र. सं. 661–श्री वीरेन्द्र कुमार

श्री विलास मुत्तेमवार

प्र. सं. 662–श्री अशोक एन. मोहोल

श्री रामशेठ ठाकुर।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: टी.वी. रिले बंद कर दिया जाए।

...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

चिकित्सा पाठ्यक्रम शुरू किया जाना

*644. **श्री प्रहलाद सिंह पटेल:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोई राज्य सरकार भारतीय चिकित्सा परिषद/ अखिल भारतीय चिकित्सा शिक्षा (आल इण्डिया मेडिकल एजुकेशन) की स्वीकृति के बिना राज्य में चिकित्सा पाठ्यक्रम शुरू करने और चिकित्सा डिग्री प्रदान करने के लिए प्राधिकृत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा ऐसा करने वाले राज्यों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/ की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) जी, नहीं। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 के अनुसार केवल केन्द्रीय सरकार ही नए मेडिकल कालेज खोलने, नए अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम अथवा चिकित्सा में प्रशिक्षण (स्नातकोत्तर अध्ययन अथवा प्रशिक्षण सहित) आरम्भ करने की अनुमति दे सकती है। सरकार ऐसी अनुमति भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की सिफारिशों पर प्रदान करती है। इसी तरह भारत में चिकित्सा अर्हता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्था जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की प्रथम अनुसूची में शामिल नहीं है, उसे अर्हता को मान्यता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार को आवेदन करना होता है और केन्द्रीय सरकार भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद से परामर्श करने के बाद प्रथम अनुसूची में ऐसी अर्हता को शामिल करने के लिए आवश्यक अधिसूचना जारी करती है।

[अनुवाद]

प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या

*646. **श्री अधीर चौधरी:**
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली का विस्तार करने की आवश्यकता के संबंध में जानकारी है, जैसाकि 9 मार्च, 2003 के 'द स्टेट्समैन' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली का विस्तार करने और द्वितीयक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ बनाने पर भी विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस प्रयोजन हेतु गैर-सरकारी संगठनों और अन्य देशों से कोई सहायता मांगी जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) सरकार को उप-केन्द्रों, प्राथमिक केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के लिए निर्धारित मानदण्डों के मुकाबले अनेक राज्यों में प्राथमिक परिचर्या सुविधाओं की कमी होने की जानकारी है। मैदानी क्षेत्रों में प्रत्येक 5000 जनसंख्या और पहाड़ी, मरूस्थलीय तथा जनजातीय क्षेत्रों में 3000 जनसंख्या के लिए स्थापित एक उप-केन्द्र के लिए राज्यों को सहायक नर्सधात्री के वेतन, स्वैच्छिक कार्यकर्ता के मानदेय, भवन के किराये तथा नियत दरों पर आकस्मिक व्यय के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और अन्य स्कीमों के अधीन उप-केन्द्रों को दवाएं, फर्नीचर तथा उपकरण प्रदान किए जाते हैं। 1.4.2002 के बाद भारत सरकार देश में सभी 1,37,311 उप-केन्द्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर होने वाले खर्च को राज्यों द्वारा उन्हें योजना आयोग द्वारा राज्य क्षेत्र स्वास्थ्य परिव्यय के अधीन प्रदान की गई समग्र निधियों में से वहन किया जाता है। कमी को पूरा करने के लिए 10वीं योजना के लक्ष्यों को दर्शाते हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 1991 की जनसंख्या के अनुसार अपेक्षित तथा इस समय कार्य कर रहे उप-केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या की दर्शाने वाला एक विवरण-I संलग्न है।

(घ) और (ङ) प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति और द्वितीयक स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति के बीच संबंध (लिंकेज) रेफरल के रूप में स्थापित किया जाता है। देश में द्वितीयक स्वास्थ परिचर्या पद्धति में वृद्धि करने के लिए सरकार ने वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु अपने प्रयासों के अलावा विश्व बैंक जैसे बाह्य अभिकरणों से बातचीत की है। ब्यौरे विवरण-II और III में दिए गए हैं।

विवरण I

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उप-केन्द्र			प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र		
		अपेक्षित*	कार्यरत	10वीं योजना के लिए लक्ष्य	अपेक्षित*	कार्यरत	10वीं योजना के लिए लक्ष्य	अपेक्षित*	कार्यरत	10वीं योजना के लिए लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	10242	10568	—	1707	1386	321	426	219	208
2.	अरुणाचल प्रदेश	220	273	—	37	65	—	9	20	—
3.	असम	4356	5109	—	726	610	116	181	100	81
4.	बिहार	11547	10337	1210	1961	1642	319	490	87	403
5.	छत्तीसगढ़	4692	3818	874	704	545	159	176	150	26
6.	गोवा	138	172	—	23	19	4	6	5	1
7.	गुजरात	6168	7274	—	1028	1044	—	257	253	4
8.	हरियाणा	2482	2299	183	414	402	12	103	64	39
9.	हिमाचल प्रदेश	973	2069	—	162	302	—	40	65	—
10.	जम्मू व कश्मीर	1176	1700	—	196	337	—	49	53	—
11.	झारखंड	4278	4462	—	676	561	115	169	47	122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	कर्नाटक	6431	8143	—	1072	1676	—	268	249	19
13.	केरल	4325	5094	—	721	944	—	180	105	75
14.	मध्य प्रदेश	7430	8129	—	1316	1193	123	329	229	100
15.	महाराष्ट्र	10533	9725	808	1756	1768	—	439	351	88
16.	मणिपुर	344	420	—	57	69	—	14	15	—
17.	मेघालय	464	413	51	77	85	—	19	13	6
18.	मिजोरम	122	346	—	20	58	—	5	9	—
19.	नागालैंड	325	302	23	54	46	8	14	9	5
20.	उड़ीसा	6374	5927	447	1062	1352	—	265	157	108
21.	पंजाब	2858	2852	6	476	484	—	119	105	14
22.	राजस्थान	7484	9926	—	1247	1674	—	312	263	49
23.	सिक्किम	85	147	—	14	24	—	4	2	2
24.	तमिलनाडु	7424	8682	—	1237	1436	—	309	72	237
25.	त्रिपुरा	579	539	40	96	58	38	24	11	13
26.	उत्तरांचल	1764	1524	240	265	257	8	66	30	36
27.	उत्तर प्रदेश	20573	18629	1944	3458	3551	—	865	280	535
28.	पश्चिम बंगाल	10356	8126	2230	1726	1262	464	431	99	332
29.	अ. एवं नि. द्वीपसमूह	45	100	—	7	18	—	2	4	—
30.	चंडीगढ़	13	13	—	2	0	2	1	1	—
31.	दादरा और नगर हवेली	40	36	4	7	6	1	2	1	1
32.	दमन और दीव	12	21	—	2	3	—	1	1	_
33.	दिल्ली	190	42	148	32	8	24	8	—	8
34.	लक्षद्वीप	7	14	—	1	4	—	_	3	_
35.	पांडिचेरी	58	80	—	10	39	—	3	4	—
	कुल	134108	137311	8208	22349	22928	1714	5584	3073	2512

*1991 की जनगणना पर आधारित जनसंख्या के अनुसार अपेक्षित।

विवरण II

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए बाह्य सहायता

(करोड़ रुपये में)

अभिकरण	2000-01	2001-02	2002-03	कुल
विश्व बैंक	362.89	366.75	254.71	984.35
यूरोपियन आयोग	110.81	0.00	155.45	266.26
डी.एफ.आई.डी., यू.के.	143.96	136.76	148.75	429.47
के.एफ.डब्ल्यू., जर्मनी	0.00	0.00	50.00	50.00
यूनिसेफ	39.00	57.29	124.74	211.03
कुल	656.66	560.80	733.65	1951.11

विवरण III

विश्व बैंक सहायता के साथ राज्य स्वास्थ्य पद्धति विकास परियोजनाओं पर वस्तु स्थिति नोट

विश्व बैंक की सहायता के साथ राज्य स्वास्थ्य पद्धति विकास परियोजना, जिनका उद्देश्य द्वितीयक स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं का सुधार करना/उन्नयन करना है, निम्नलिखित राज्यों में कार्यान्वित की जा रही हैं:

राज्य	परियोजना अवधि	परियोजना परिव्यय (रुपए करोड़ में)	स्थिति
आंध्र प्रदेश	दिनांक 1.3.95 से $6^1/_2$ वर्ष के लिए	608.00	दिनांक 30.6.2002 को पूरी कर ली गई
पश्चिम बंगाल	दिनांक 26.6.96 से $5^1/_2$ वर्ष के लिए	698.00	दिनांक 31.3.2004 तक बढ़ायी गई
कर्नाटक	दिनांक 27.6.96 से $5^1/_2$ वर्ष के लिए	546.00	दिनांक 31.3.2004 तक बढ़ायी गई
पंजाब	दिनांक 27.6.96 से $5^1/_2$ वर्ष के लिए	425.00	दिनांक 31.3.2004 तक बढ़ायी गई
उड़ीसा	सितम्बर, 98 से 5 वर्ष के लिए	415.57	कार्यान्वयनाधीन
महाराष्ट्र	दिनांक 14.2.99 से $5^1/_2$ वर्ष के लिए	727.00	-तदैव-
उत्तर प्रदेश व उत्तरांचल	दिनांक 1.7.2000 से $5^1/_2$ वर्ष के लिए	495.00	(कुल परिव्यय 521 करोड़ रुपए)

विचाराधीन अन्य प्रस्तावों की स्थिति

असम, 382.16 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ

असम का परियोजना प्रस्ताव दिनांक 27.10.2000 को विश्व बैंक सहायता के लिए आर्थिक कार्य विभाग को प्रस्तुत किया गया था। विश्व बैंक ने अपने समीक्षा मिशन में सुरक्षा संबंधी कठिनाइयों के कारण इस परियोजना को शुरू करने में अपनी असमर्थता जताई है। तथापि, इस मामले को विश्व बैंक के साथ पुनर्विचार के लिए उठाने हेतु आर्थिक कार्य विभाग को दिनांक 4.1.2002 को दुबारा अनुरोध किया गया है।

राजस्थान, 338.22 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ

राजस्थान स्वास्थ्य पद्धति विकास परियोजना का प्रस्ताव दिनांक 28.11.2000 को विश्व बैंक को प्रस्तुत किया गया था। विश्व बैंक ने अपने समीक्षा दौरे में परियोजना प्रस्ताव को संशोधित करने की सलाह दी थी। राजस्थान सरकार ने 54.46 लाख रुपए की लागत से प्रजनक और बाल स्वास्थ्य परियोजना से बचतों का उपयोग करके किए जाने वाले कार्यकलापों को दशाने वाला टी.ओ.आर. प्रस्तुत किया था। परिवार कल्याण विभाग ने परियोजना प्रस्ताव का संशोधन करने के लिए प्रजनक और बाल स्वास्थ्य उप परियोजना के अधीन 54.06 लाख रुपए की बचतों का उपयोग करने के लिए दिनांक 16.5.2002 को अपना अनुमोदन राजस्थान सरकार को भेज दिया था।

तमिलनाडु, 650 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ

तमिलनाडु का प्रस्ताव विश्व बैंक सहायता के लिए दिनांक 10.11.2000 को आर्थिक कार्य विभाग को प्रस्तुत किया गया था। विश्व बैंक ने अपने समीक्षा मिशन में मुख्य प्रस्ताव अनुपूरक के रूप में परिकल्पना दस्तावेज भेजने की सलाह दी थी, जिसे दिनांक 10.1.2002 को आर्थिक कार्य विभाग को सौंप दिया गया है। तब से यह प्रस्ताव विश्व बैंक के विचाराधीन है।

मध्य प्रदेश, 629.62 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ

योजना आयोग के परामर्श से मध्य प्रदेश का प्रस्ताव विश्व बैंक सहायता के लिए दिनांक 28.10.2002 को आर्थिक कार्य विभाग को सौंपा गया था। इसके प्रत्युत्तर में आर्थिक कार्य विभाग ने बताया है कि प्रस्ताव में उल्लिखित उपाबंध उनको प्राप्त नहीं हुआ है। अब मध्य प्रदेश सरकार से संपूर्ण प्रस्ताव की अतिरिक्त प्रतियां भेजने का अनुरोध किया गया है।

केरल, 810.47 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ

केरल का प्रस्ताव विश्व बैंक को प्रस्तुत किया गया है।

[हिन्दी]

रबड़ीकृत सड़कें

***647. श्री रामदास आठवले:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रबड़ीकृत सड़कों का निर्माण करने हेतु परीक्षण किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राजधानी में रबड़ीकृत सड़कें बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी]: (क) और (ख) सड़कों के निष्पादन में सुधार के लिए रबड़ और पालीमर शोधित बिटुमन के प्रयोग के प्रभाव की जांच के लिए प्रयोगशाला और फील्ड दोनों में परीक्षण किए गए हैं।

(ग) जी हां।

(घ) राजधानी में नई परियोजनाओं के लिए ऊपरी सतह में पालीमर/रबड़ सोधित बिटुमन का प्रयोग किया जा रहा है।

छात्र संसद प्रतियोगिता/कार्यक्रम

***648. श्री रामशकल:** क्या **संसदीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में छात्र संसद प्रतियोगिता/कार्यक्रम के आयोजन हेतु अनेक विद्यालयों को धनराशि प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितनी छात्र संसद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं; और

(घ) ऐसे कार्यक्रमों/प्रतियोगिताओं से क्या लाभ हो रहा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) युवा संसद प्रतियोगिताएं निम्नलिखित चार योजनाओं के अंतर्गत पूरे देश में चलाई जाती है:

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अधीन विद्यालयों के लिए युवा संसद प्रतियोगिताएं;

2. केन्द्रीय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिताएं;

3. जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिताएं; और

4. विश्वविद्यालयों/कालेजों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिताएं।

ये प्रतियोगिताएं राज्य-वार आयोजित नहीं की जाती हैं तथा उपरोक्त क्रम सं. 3 और 4 पर उल्लिखित योजनाओं के अधीन भाग लेने वाले विद्यालयों/संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित युवा संसद प्रतियोगिताओं की योजनावार संख्या नीचे दी गई है:

क्र.सं.	योजना	युवा संसद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यालयों/ संस्थाओं की संख्या		
		2000-2001	2001-2002	2002-2003
1.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के अधीन विद्यालयों के लिए युवा संसद प्रतियोगिता	69	38	39
2.	केन्द्रीय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता	163	88	88
3.	जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता	55	88	78
4.	विश्वविद्यालयों/कालेजों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता	40	37	31

(घ) युवा संसद प्रतियोगिताओं का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना, अनुशासन, दूसरों के विचारों के प्रति सहिष्णुता की स्वस्थ आदतें हृदयंगम कराना तथा विद्यार्थी समुदाय को संसद के कार्यचालन के बारे में शिक्षा देना है।

[अनुवाद]

दूरसंचार स्टोर का कुप्रबंधन

***649. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कई वर्षों से विभिन्न स्टोर डिपुओं में पड़े करोड़ों रुपये के पुराने और अप्रयोज्य माल के निपटान में असावधानी और स्टोर में कुप्रबंधन पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इनके निपटान में अत्यधिक विलम्ब के कारण चोरी और नुकसान होता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(घ) क्या मार्च, 2000 के दौरान आपूर्तिकर्त्ताओं को दी गयी 357.65 करोड़ रु. की अग्रिम राशि मार्च, 2001 तक समायोजित नहीं हो पाई है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी/किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) सरकार ने दूरसंचार भंडारों के प्रबंधन में कुछ कमियां नोट की हैं। पुराने और अप्रयोज्य माल के निपटान के संबंध में सरकार ने भंडार के प्रबंधन में सुधार लाने के लिए समय-समय पर विस्तृत क्रियाविधि/दिशानिर्देश जारी किए हैं। आज की तारीख को कई वर्षों के दौरान संचित पुराने और अप्रयोज्य माल की मात्रा इस अवधि में अधिप्राप्त किए गए माल के कुल मूल्य के 0.5 प्रतिशत से कम है।

(ख) पुराने और अप्रयोज्य माल को अप्रयोज्य ठहराने और उसका निपटान करने के लिए प्रयुक्त विस्तृत क्रियाविधि के कारण देरी अवश्यंभावी होती है जिसके कारण कभी-कभी चोरी, उठाईगिरी और नुकसान का जोखिम होता है। गत तीन वर्षों के दौरान 105.8 करोड़ रु. मूल्य के पुराने और अप्रयोज्य माल का निपटान अनुमोदित सरकारी एजेंसी मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कार्पोरेशन (एमएसटीसी) के जरिए किया गया है। टेलीकाम स्टोर्स सर्किल इसी अनुमोदित एजेंसी के जरिए होलसेल डिपुओं में पड़े 25.41 करोड़ रु. मूल्य के पुराने और अप्रयोज्य माल के निपटान के लिए कार्रवाई शुरू कर चुका है।

(ग) फील्ड यूनिटों से प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि इन मामलों में प्राप्त राशि बेचे गए माल के कुल मूल्य की तुलना में काफी कम होती है।

(घ) जी, नहीं। ''ठेकेदारों को अग्रिम भुगतान (एपीसी)'' शब्दों का प्रयोग केवल लेखांकन के प्रयोजन से किया जाता है। क्रय आदेश की शर्तों के अनुसार आपूर्तिकर्ताओं को 90 प्रतिशत/95 प्रतिशत अनंतिम भुगतान माल प्रेषण/अनंतिम रसीद से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करने पर किया जा रहा था। एपीसी शीर्ष के तहत असमायोजित दर्शाई गई यह राशि (90 प्रतिशत/95 प्रतिशत अनंतिम भुगतान को निरूपित करने वाली) का समाशोधन बिल कापी पेयेबल चालान (बीसीपीसी) की प्राप्ति पर शेष 10 प्रतिशत/5 प्रतिशत राशि के निपटान के बाद ही किया जा रहा था। बीसीपीसी माल के सत्यापन के बाद माल के वास्तव में प्राप्त होने का प्रमाण है।

(ङ) चूंकि अनंतिम भुगतान केवल क्रय आदेश के निबंधन और शर्तों के अनुसार माल प्रेषण/अनंतिम रसीद से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही किया जा रहा था, इसलिए कोई अनुचित कार्य नहीं किया गया है। अतः उत्तरदायित्व निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता।

(च) प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं अर्थात मैसर्स आई टी आई, मैसर्स एचसीएल, मैसर्स एचटीएल (केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) की एपीसी शीर्ष के तहत असमायोजित राशि के समाशोधन के लिए वर्ष 2000 में एक व्यापक अभियान चलाया गया। इसके परिणामस्वरूप एपीसी शीर्ष के तहत संचित असमायोजित राशि 1 अप्रैल 2000 के 613 करोड़ रु. से घट कर मार्च, 2001 में 357.65 करोड़ रु. तथा आज की तारीख को और घट कर 228.09 करोड़ रु. हो गई। मामले पर सभी संबंधितों के साथ निरंतर कार्यवाही की जा रही है और एपीसी शीर्ष के तहत असमायोजित राशि में आगामी महीनों के दौरान और कमी होने की संभावना है। उक्त प्रक्रिया आशोधित कर दी गई है और अब ''एपीसी'' शीर्ष के तहत व्यय को दर्ज नहीं किया जा रहा है। अब केवल बीसीपीसी, जो माल के सत्यापन के बाद माल के वास्तव में प्राप्त होने का प्रमाण है, की प्राप्ति के बाद ही भुगतान किए जा रहे हैं, न कि माल के प्रेषण/अनंतिम रसीद से संबंधित प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर।

इसके अतिरिक्त होलसेल स्टोर डिपुओं में माल के भंडारण की प्रणाली समाप्त कर दी गई है।

लघु उद्योग क्षेत्र में रक्षा सामग्री का निर्माण

***650. श्रीमती निवेदिता माने:**
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार लघु उद्योगों को रक्षा सामग्री के निर्माण की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस उद्देश्य हेतु लघु उद्योगों को कोई विशेष रियायतें देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) और (ख) लघु उद्योग (एस.एस.आई.) लम्बे समय से अनेक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों तथा रक्षा मंत्रालय की आयुध फैक्टरियों को कच्चा माल, निर्मित/अर्ध-निर्मित उत्पाद, हिस्से-पुर्जे सप्लाई करते रहे हैं। आर्मी बेस वर्कशाप्स, एयर फोर्स रिपेयर्स डिपोज और नेवी के शिपयार्ड्स भी अपनी आवश्यकताओं को प्रत्यक्षतः इनके माध्यम से पूरी कर रहे हैं। लघु उद्योग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के प्रयासों में भी भाग लेते रहे हैं। रक्षा उद्योग क्षेत्र जो अब तक सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित

था, को भी मई, 2001 से लघु उद्योगों सहित निजी क्षेत्र के उपक्रमों की शतप्रतिशत भागीदारी के लिए खोल दिया गया है।

(ग) से (ङ) लघु उद्योग इकाइयां कुछ विशेष रियायतों का पहले से ही लाभ उठा रही हैं, जिसमें और अन्य बातों के साथ-साथ निम्नोक्त शामिल हैं:

(1) विक्रेता मूल्यांकन के लिए पंजीकरण के संबंध में 2000 रु. का नाममात्र शुल्क प्रभारित किया जाता है जबकि मध्यम और बड़ी इकाइयों से 5000 रु. शुल्क प्रभारित किया जाता है।

(2) विकास और लघु मदों के संबंध में रक्षा विशिष्टताएं तथा ड्राइंग्स लघु मदों की निविदा संबंधी पूछताछ के साथ निः शुल्क जारी की जाती हैं। कंपलीट सिस्टम्ज के लिए जहां ड्राइंग्स व्यापक होती हैं और ये सैंकड़ों पृष्ठों में होती है, वहां लघु उद्योग क्षेत्र को यह निर्णय लेने के लिए कि क्या यह उनकी रुचि का है, उनके अवलोकनार्थ निःशुल्क पहुंच की अनुमति दी जाती है।

(3) लघु उद्योग क्षेत्र को डी.जी.क्यू.ए. में पंजीकरण के लिए उन्हें तैयार करने में उनकी सहायता के लिए निःशुल्क परामर्श प्रदान किया जाता है। लघु उद्योगों को कुछ विशेष पैरामीटर्स के लिए भी प्रसिद्ध परीक्षण गृहों से परीक्षण सुविधाओं के उपयोग के लिए रियायत दी जाती है।

लाइनक्स प्रणाली

***651. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लाइनक्स प्रणाली का प्रसार करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसायियों की एक बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो इस विषय पर सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसायियों की प्रतिक्रिया सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लाइनक्स प्रणाली का प्रसार किस प्रकार से किए जाने का विचार है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, हां।

(ख) मुक्त स्रोत/निःशुल्क साफ्टवेयर, विशेष रूप से भारतीय संदर्भ में जीएनयू/लाइनक्स की प्रासंगिकता तथा अवसरों पर विचार-विमर्श करने के लिए 23 दिसम्बर, 2002 को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार में एक बैठक आयोजित की गई।

विशिष्ट उपायों जैसेकि संसाधन केन्द्र स्थापित करने, विशेष हित दलों का गठन करने, सरकार/सरकारी संस्थानों की क्रय नीतियों में उपयुक्त प्रावधान करने, अनुसंधान एवं विकास, इनको शैक्षिक संस्थानों, विशेष रूप से इंजीनियरी कालेजों के पाठ्यक्रम/प्रयोगशालाओं में शामिल करने पर विचार किया गया ताकि एक सहमति-जन्य कार्य योजना पर पहुंचा जा सके। उपर्युक्त के संदर्भ में लाइनक्स इंडिया उपाय शीर्षक के एक कार्यक्रम के अंतर्गत इन उपायों को शुरू करने में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की प्रासंगिकता पर भी विचार किया गया।

प्रतिभागियों में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग (भारतीय और बहुराष्ट्रीय कम्पनियां), शिक्षक समुदाय, अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं, केन्द्र और राज्य सरकारों, विकासकर्त्ता समुदाय/गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे। वे इस पहल को शुरू करने के इच्छुक थे।

(ग) बैठक में हुए विचार-विमर्श और प्रतिभागियों से प्राप्त अनुवर्ती जानकारी के आधार पर वर्ष 2003-2004 के दौरान बजटीय सहायता के लिए योजना आयोग के समक्ष लाइनक्स इंडिया पहल प्रस्ताव पेश किया गया और इसे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) की वर्ष 2003-2004 की वार्षिक योजना के एक भाग के रूप में पेश किया गया। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने कठोर प्रौद्योगिकीय तटस्थता, प्लेटफार्म तटस्थता तथा विक्रेता तटस्थता का रवैया कायम रखा हुआ है। अतः इसने एक के बजाय दूसरे को वरीयता नहीं दी है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का विश्वास है कि स्वामित्वाधीन तथा मुक्त स्रोत साफ्टवेयर के लिए बाजार में बृहत स्थान है तथा प्रत्येक प्रयोक्ता द्वारा विकल्प का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार

***652. श्री राधा मोहन सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या इस संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक और अन्य अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से कोई सहायता लेने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए औषध निर्माताओं, केमिस्टों और प्रयोगशालाओं से जुड़े गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से किसी नये निकाय का गठन करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) स्वास्थ्य राज्यों का विषय है। इसलिए, राज्य सरकारें मुख्य रूप से निवारक, उन्नायक और रोगहर स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं। तथापि, केन्द्र सरकार मलेरिया क्षय-रोग, दृष्टिहीनता, कुष्ठ रोग और एड्स जैसे प्रमुख रोगों के नियंत्रण के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न राज्यों को सहायता प्रदान करती है। सभी राज्यों में इन रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से देश में विभिन्न स्वास्थ्य संकेतकों में एक सामान्य सुधार आया है। स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने हेतु मार्च, 2001 तक एक वृहत ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या आधारभूत ढांचा स्थापित किया गया है जिसमें 1,37,211 उप-केन्द्र, 22842 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 3043 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शामिल हैं। ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाओं की कार्यात्मक स्थिति में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अधीन भी धन प्रदान किया जाता है।

(ख) जी, हां। सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की सहायता करने के लिए विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अभिकरणों से बाह्य सहायता जुटाकर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संसाधनों में वृद्धि करने का भरसक प्रयास करती आ रही है। द्वितीयक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं का सुधार और उन्नयन करने के उद्देश्य से इस समय सात राज्यों में विश्व बैंक सहायता से राज्य स्वास्थ्य पद्धति परियोजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही हैं।

सरकार की स्वास्थ्य नीति का मुख्य उद्देश्य विकेन्द्रीकृत जन-स्वास्थ्य पद्धति तक पहुंच बढ़ाने का दृष्टिकोण अपनाकर, कमी वाले क्षेत्रों में नए आधारभूत ढांचे की स्थापना करके और मौजूदा संस्थाओं में आधारभूत ढांचे का उन्नयन करके देश की आम जनता के बीच अच्छे स्वास्थ्य के स्वीकार्य मानक प्राप्त करना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2002 में जन-स्वास्थ्य निवेश को सकल घरेलू उत्पाद के मौजूदा 0.9 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2010 तक सकल घरेलू उत्पाद का 2 प्रतिशत करना प्रतिपादित है। उसमें यह भी प्रस्तावित है कि राज्य सरकारें स्वास्थ्य क्षेत्र पर अपने-अपने व्यय को वर्ष 2005 तक अपने कुल बजट के मौजूदा 5.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत तक वर्ष 2010 तक बजट का 8 प्रतिशत करेंगी। केन्द्रीय सरकार का अंशदान जन-स्वास्थ्य पर कुल व्यय के मौजूदा 15 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर वर्ष 2010 तक 25 प्रतिशत हो जाएगा। सरकार सम्पूर्ण वित्तीय दबावों के अध्यधीन स्वास्थ्य पर व्यय को बढ़ाने का हर संभव प्रयास कर रही है, जैसा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2002 में प्रतिपादित है।

(ग) और (घ) सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाएं

***653. डा. जसवंत सिंह यादव:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुल कितनी दुर्घटनाएं हुईं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन दुर्घटनाओं में कितने लोग मारे गए, कितने घायल हुए और कितने लोगों को मुआवजा दिया गया तथा कितने लोगों को अभी मुआवजा मिलना बाकी है; और

(ग) राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी]: (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1999 से 2001 तक गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं, मृतकों और घायल व्यक्तियों की कुल संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या	मृत व्यक्तियों की संख्या	घायल व्यक्तियों की संख्या
1999	6778	2313	7996
2000	6718	2312	8314
2001	7465	2455	9621

दिए गए/लंबित मुआवजे से संबंधित ब्यौरे मंत्रालय द्वारा संकलित नहीं किए जाते हैं।

(ग) दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किए गए उपाय मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में आते हैं अर्थात् इंजीनियरी, शिक्षा और प्रवर्तन। भारत सरकार, पूरे देश में जिसमें राजस्थान भी शामिल है, सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए अनेक इंजीनियरी और शैक्षिक उपाय करती रही है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राजमार्ग डिजाइन के अलावा सरकार द्वारा किए जा रहे कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं:

(1) राजस्थान सरकार को 3 क्रेन और 3 एंबुलेंस खरीदने के लिए धनराशि प्रदान की गई।

(2) सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के संचालन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता।

(3) दृश्य-श्रव्य पत्र-पत्रिका के माध्यम से सड़क सुरक्षा जागरूकता के संबंध में प्रचार अभियान।

(4) चालकों के प्रशिक्षण में सिमुलेटरों के उपयोग को प्रोत्साहन।

(5) सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए स्वैच्छिक संगठनों/व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना।

(6) स्कूली बच्चों में जागरूकता के लिए सड़क सुरक्षा विषय पर अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता का आयोजन।

(7) परिवहन वाहनों के लिए उपयुक्त मानकों को कठोर बनाना।

(8) सड़कों को चौड़ा करने/सुधारने आदि के लिए राजस्थान में गत तीन वर्षों अर्थात्, वर्ष 2000-01 से 2002-03 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों की लगभग 4666 लंबाई (इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत लगभग 1257 कि.मी. भी शामिल है) तथा केंद्र द्वारा प्रायोजित निर्माण कार्यों पर 550.43 करोड़ रु. खर्च किए गए।

बेहतर सड़क सुरक्षा के लिए मोटर यान अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के प्रावधानों का प्रवर्तन, पूर्णत: राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

[अनुवाद]

डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण/आधुनिकीकरण

*654. **श्री सी. श्रीनिवासन:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में सभी प्रमुख डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित डाकघरों के आधुनिकीकरण का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी धनराशि व्यय होगी; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) डाक विभाग ने 31 मार्च, 2003 तक कुल 845 प्रधान डाकघरों (एचपीओ) में से 550 प्रधान डाकघरों को कम्प्यूटरीकृत किया है। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2003 तक कुल 25,219 विभागीय उप डाकघरों में से 1877 प्रमुख विभागीय उप डाकघरों को भी कम्प्यूटरीकृत किया गया है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) दसवीं योजना अवधि में 335 एचपीओ (इनमें ऐसे 40 एचपीओ भी शामिल हैं जिनमें पहले सीमित संख्या में कम्प्यूटर उपलब्ध कराए गए थे) और 5010 प्रमुख विभागीय उप डाकघरों के संपूर्ण कम्प्यूटरीकरण और नेटवर्किंग का प्रस्ताव है बशर्ते कि आवश्यक मंजूरी प्राप्त हो और धन उपलब्ध रहे। बाकी डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण अनुवर्ती योजना अवधियों में किया जाएगा।

(घ) विभाग की यह योजना स्कीम है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित डाकघरों में (जिन्हें शाखा डाकघर कहा जाता है) बेहतर बुनियादी साजो-सामान उपलब्ध कराकर इनका आधुनिकीकरण करे। यह स्कीम आठवीं योजना के उत्तरार्ध में शुरू की गई थी। यह एक सतत स्कीम है। दसवीं योजना में भी ऐसे डाकघरों का आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव है।

(ङ) नौवीं योजना अवधि के अंत तक, कुल 1,29,231 शाखा डाकघरों में से 30,118 शाखा डाकघरों को आधुनिकीकृत किया गया है। दसवीं योजना के दौरान 5 करोड़ रु. के प्रस्तावित व्यय से 10,000 शाखा डाकघरों को आधुनिकीकृत करने का प्रस्ताव है।

(च) बाकी शाखा डाकघरों का आधुनिकीकरण अनुवर्ती योजना अवधियों के दौरान किया जाएगा।

विवरण

कम्प्यूटर युक्त प्रधान डाकघरों और उप डाकघरों की सर्किलवार संख्या

क्रम सं.	सर्किल का नाम	प्रधान डाकघरों की संख्या	अन्य विभागीय उप डाकघरों की संख्या	डाकघरों की कुल संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	71	73	144
2.	असम	20	53	73
3.	बिहार	23	10	33
4.	छत्तीसगढ़	10	70	80
5.	दिल्ली	12	72	84
6.	गुजरात	22	127	149
7.	हिमाचल प्रदेश	17	45	62
8.	हरियाणा	16	38	54
9.	जम्मू व कश्मीर	8	23	31
10.	झारखण्ड	9	4	13
11.	केरल	34	172	206
12.	कर्नाटक	25	183	208
13.	महाराष्ट्र	54	261	315
14.	मध्य प्रदेश	16	53	69
15.	उत्तर पूर्व	9	21	30
16.	उड़ीसा	33	31	64
17.	पंजाब	22	73	95
18.	राजस्थान	15	69	84
19.	तमिलनाडु	76	136	212
20.	उत्तर प्रदेश	35	135	170
21.	उत्तरांचल	8	25	33
22.	पश्चिम बंगाल	15	203	218
	कुल	550	1877	2427

निजी सेल फोन कंपनियों पर नियंत्रण के लिए विधान

***655. श्री अब्दुल रशीद शाहीन:**
श्री बीर सिंह महतो:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निजी सेल फोन कंपनियों को नियंत्रित करने के लिए विधान अधिनियमित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बड़ी संख्या में शुरू की जा रही निजी सेल फोन कंपनियों के कार्यकरण पर नियंत्रण रखने के लिए कोई निगरानी तंत्र है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) जी, नहीं। सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) क्षेत्र मौजूदा कानूनों अर्थात् भारतीय तार अधिनियम 1885 और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 द्वारा शासित होता है। तथापि, बढ़ती सामाजिक और वाणिज्यिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अभिसारित प्रौद्योगिकियों और भावी प्रौद्योगिकियों का पूरा-पूरा लाभ उठाने के लिए अगस्त, 2001 में "संचार अभिसरण विधेयक 2001" नामक, एक विधेयक लोक सभा में पेश किया गया।

(ग) से (ङ) सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) के लिए खुली निविदा प्रक्रिया के आधार पर निजी कंपनियों को लाइसेंस दिए गए हैं। वर्तमान में, सरकारी कंपनियों को प्रति सेवा क्षेत्र एक लाइसेंस के अलावा निजी कंपनियों को प्रत्येक सेवा क्षेत्र में तीन लाइसेंस देने का प्रावधान है। तदनुसार, 22 सेवा क्षेत्रों में निजी कंपनियों को कुल 55 लाइसेंस दिए गए हैं। सीएमटीएस प्रदाता अपने लाइसेंस करार की शर्तों से बंधे हुए हैं। सीएमटीएस प्रदाताओं का निष्पादन और सेवा की गुणवत्ता की निगरानी ट्राई द्वारा तिमाही रिपोर्टों के माध्यम से की जाती है, जैसा कि ट्राई ने ट्राई अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निर्धारित किया है।

वैश्विक आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई

***656. श्री शिवाजी माने:**
डा. मदन प्रसाद जायसवाल:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व में शांति के मुख्य प्रणेता होने के नाते भारत सरकार ने वैश्विक आतंकवाद की बुराई के विरुद्ध विश्व जनमत तैयार करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मुद्दे पर विश्व के शक्तिशाली देशों के साथ विचार-विमर्श किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) उन देशों का ब्यौरा क्या है जिनके साथ भारत ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिये समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (घ) भारत जो आतंकवाद, खास तौर से सीमा पार से आतंकवाद का शिकार है, ने अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद द्वारा शान्ति एवं सुरक्षा के सामने उपस्थित खतरे के बारे में लगातार सचेत किया और इसका प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की जरूरत पर भी बल दिया है। 11 सितम्बर की घटना और भारतीय संसद पर हमले के बाद प्रमुख शक्तिशाली देशों के साथ चर्चाएं तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रयास और भी बढ़ा दिए गए हैं।

2. आतंकवाद के खतरे और जोखिम के बारे में और सीमा पार आतंकवाद को रोकने की जरूरत सहित भारत के दृष्टिकोण के बारे में आज दुनियां में बेहतर समझ परिलक्षित हो रही है।

3. भारत ने ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस, चीन, कजाखिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इजराइल और जर्मनी सहित अनेक देशों के साथ "आतंकवाद के बारे में संयुक्त कार्य दल" संबंधी समझौते किए हैं।

[हिन्दी]

गांवों में स्वास्थ्य केन्द्र

***657. प्रो. दुखा भगत:**
श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूरे लाल समिति ने प्रत्येक गांव में एक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त सुझावों को लागू करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) भारत सरकार ने स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति की समीक्षा करने हेतु श्री भूरे लाल की अध्यक्षता में किसी समिति का गठन नहीं किया है।

[अनुवाद]

भारत-रूस वार्ता

***658. श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और रूस ने हाल ही में इराक युद्ध, इसका अफगानिस्तान की स्थिति पर प्रभाव तथा क्षेत्र में आतंक विरोधी अभियान के संबंध में चर्चा की है;

(ख) यदि हां, तो इन मुद्दों पर रूसी सरकार के साथ किन विषयों पर चर्चा हुई और उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या दोनों देशों के दृष्टिकोण में कोई समानता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) 28 मार्च, 2003 को मास्को में आयोजित अफगानिस्तान से संबद्ध भारत-रूस संयुक्त कार्यकारी दल की छठी बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने अन्य बातों के साथ-साथ अफगानिस्तान और इराक की स्थिति पर चर्चा की। विदेश मंत्री और रूसी परिसंघ के विदेश मंत्री श्री आयगोर इवानोव ने 23 मार्च और 24 अप्रैल, 2003 को दो बार एक-दूसरे से दूरभाष पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने इराक के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई के बारे में विचार-विमर्श किया और इराक की मानवीय स्थिति पर चिंता व्यक्त की। भारत और रूस मानते हैं कि इराक के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई से अफगानिस्तान और इस क्षेत्र में आंतकवाद से लड़ने का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का संकल्प कमजोर नहीं होना चाहिए।

(ग) जी हां।

(घ) भारत और रूस मानते हैं इराक समस्या जैसे मसलों का समाधान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। भारत और रूस यह भी मानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र को इराक को पश्च-युद्ध पुनर्निर्माण में मानवीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक रूपरेखा उपलब्ध करानी चाहिए। जहां तक अफगानिस्तान और इस क्षेत्र में आतंक-विरोधी अभियान का प्रश्न है, दोनों देश राजनैतिक, धार्मिक अथवा वैचारिक आधार पर और यह चाहे जहां भी हो, आतंकवाद के सभी स्वरूपों को अस्वीकार करते हैं और इनकी भर्त्सना करते हैं। वे इस बात पर सहमत होते हैं कि इस त्रासदी के विरुद्ध व्यापक और सतत् आधार पर उपाय किये जाने चाहिएं। ऐसी कार्रवाइयां उन राज्यों, इकाइयों और व्यक्तियों के विरुद्ध भी की जानी चाहिए जो आतंकवादियों को बढ़ावा देते हैं अथवा सीमा-पार आतंकवाद में लिप्त होने के लिए आश्रय प्रदान करते हैं। दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय तंत्रों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर भी सहमत होते हैं और इस संदर्भ में वे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबद्ध व्यापक अभिसमय के प्रारूप और नाभिकीय आतंकवाद के कृत्यों का दमन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के प्रारूप को शीघ्र अतिम रूप देने और पारित करने पर सहमत हुए हैं।

युद्ध के उपरांत इराक का पुनर्निर्माण

659. डा. एन. वेंकटस्वामी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) युद्धोपरांत इराक के पुनर्निर्माण हेतु सरकार का क्या कूटनीतिक पहल करने का विचार है;

(ख) इराक के पुनर्निर्माण में भारत द्वारा किस प्रकार की सहायता की जा सकती है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ में चर्चा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना): (क) से (घ) इराकी लोगों के साथ भारत की परम्परागत मैत्री को ध्यान में रखते हुए, भारत इराक के युद्धोत्तर पुनर्निर्माण में भागीदारी के लिए उत्सुक है। भारतीय कंपनियों को सिविल निर्माण, ढांचागत परियोजनाओं, औद्योगिक पुनर्वास तथा कुशल जनशक्ति की तैनाती जैसे क्षेत्रों में 1970 और 1980 में इराक में कार्य करने का व्यापक अनुभव है। इराक में स्थिति के विभिन्न पहलुओं जैसे मानवीय राहत, प्रतिबन्धों को ढीला करना या उठना तथा संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के बीच इस समय युद्धोत्तर राजनैतिक व्यवस्थाएं और पुनर्निर्माण सुसाध्य बनाने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर चर्चा चल रही है। भारत इन चर्चाओं के साथ जुड़ा हुआ है।

नार्वे के साथ द्विपक्षीय संबंध

*660. श्री अनन्त नायकः क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा 'नार्डिक' देशों के साथ बेहतर द्विपक्षीय संबंध स्थापित करने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ किन क्षेत्रों की पहचान की गई है; और

(ग) इसके लिए क्या कार्यक्रम तैयार किए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) भारत के सभी नार्डिक देशों के साथ सौहार्दपूर्ण और मैत्री संबंध हैं। इन्हें उच्च स्तरीय यात्राओं के आदान-प्रदान, वाणिज्यिक और प्रौद्योगिकीय संबंधों में वृद्धि तथा यथा उपयुक्त, संयुक्त आर्थिक आयोगों के गठन द्वारा प्रगाढ़ किया गया है।

(ख) और (ग) नार्डिक देशों के साथ सहयोग के क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि, ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और पैट्रोलियम सेक्टर, ध्रुवीय अनुसंधान तथा प्रर्यावरण से संबद्ध अध्ययनों में भावी सहयोग के प्रस्ताव शामिल हैं।

पोत भार कर (टनिज टैक्स)

*661. श्री वीरेन्द्र कुमारः
श्री विलास मुत्तेमवारः

क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार अपने मुनाफे पर वर्तमान निगमित कर (कार्पोरेट टैक्स) के स्थान पर पोत भार कर (टनिज टैक्स) लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पोत भार कर (टनिज टैक्स) ने रुग्ण भारतीय जहाजरानी कम्पनियों का बोझ किस तरह कम होने की संभावना है; और

(घ) किन-किन देशों में पोत भार कर प्रणाली (टनिज टैक्स सिस्टम) पहले से ही शुरू की जा चुकी है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री शत्रुघ्न सिन्हा): (क) और (ख) इस समय पोत परिवहन मंत्रालय, मंत्रिमंडल के निर्देश पर पोत भार कर लागू करने के प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श कर रहा है। प्रस्तावित वित्तीय प्रणाली की रूपात्मकताओं को अंतिम रूप देने के लिए उद्देश्य से एक दल का गठन किया गया है जिसमें पोत परिवहन मंत्रालय, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड तथा इंडियन नेशनल शिप-आनर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि शामिल हैं।

(ग) चूंकि प्रस्ताव विचाराधीन अवस्था में है, इसलिए इसका रुग्ण भारतीय नौवहन कंपनियों पर वास्तविक बोझ के कम होने की मात्रा को इस स्थिति में नहीं बताया जा सकता है।

(घ) विश्व नौवहन का 85.78 प्रतिशत भागीदारी वाले 42 समुद्र तटवर्ती देश या तो परम्परागत पोत भार कर प्रणाली अथवा वैकल्पिक पोत भार कर प्रणाली सहित निगर्मित कर की दोहरी कराधान प्रणाली का अनुपालन कर रहे हैं। जिन देशों में पोत भार कर है उनकी सूची तथा इसकी विसंगतियां संलग्न विवरण में दी गयी हैं।

विवरण

उन देशों की सूची जिन्होंने टनभार कर प्रणाली अपनाई तथा उनके संबंधित टनभार रूपरेखा

	31.12.2000 की स्थिति के अनुसार टनभार	
	जहाजों की संख्या	जी आर टी
1	2	4
क. सुविधाजन देशों के ध्वज सहित परंपरागत टनभार कर प्रणाली वाले देश		
अन्टीगुवा तथा बारमूडा	759	4,224,380
बहमास	1,295	31,445,118
बारबाडोस	76	733,319
विलेजी	1,660	2,251,422
बोलविया	87	177,736
कम्बोडिया	405	1,447,491
हांगकांग	560	10,242,199
साइप्रस	1,475	23,206,439
डेनमार्क (डिस)	524	6,357,439
डोमेनिका	7	2,233
होन्डुरास	1,407	1,110,987
जमैका	9	3,647

1	2	4
लिबिया	1,557	51,450,917
लक्समबर्ग	58	1,078,550
माल्टा	1,505	28,170,010
मार्सल आइसलैण्ड	302	9,745,233
मारीशस	40	91,178
नीदरलैण्ड एन्टीलाइस	177	1,235,471
नार्वे (निस तथा फोकस)	1,404	35,768,087
पनामा	6,184	114,382,270
पुर्तगाल (भार)	145	909,735
सैंट विसेन्ट	1,366	7,026,358
सिंगापुर	1,728	21,491,085
श्रीलंका	65	150,003
बारमूडा	129	5,751,816
साइमन आइसलैण्ड	133	1,796,353
जिब्राल्टर	55	604,008
इसेल आइसलैण्ड	223	5,430,510
वैंनू	288	1,378,832
उप जोड़	23,623	367,663,214 (70.38%)
ख. दोहरी कराधन प्रणालियां		
ग्रीस	1,529	26,401,716
डेनकमार्क	942	6,823,081
जर्मनी	994	6,552,202
इटली	1,457	9,048,652
नीदरलैंण्ड	1,317	5,167,722
नार्वे (नोर)	1,606	3,912,084
यू.के.	1,488	5,531,986
पुर्तगाल	326	281,757
स्पेन	1,503	1,552,626
फ्रान्स	700	1,502,535
फिनलैण्ड	280	1,620,353
टर्की	1,153	5,832,717
दक्षिण कोरिया	2,502	6,199,801
उप जोड़	15,757	80,427,232 (15.40%)
ग. अनुतट यात्रा व्यापार प्रणालियां		
यू एस ए	5,792	11,110,901
जापान	8,012	15,256,624
कनाडा	861	2,657,570
उप जोड़	14,665	29,025,095 (5.56%)
घ. विकासशील व्यापार/उदार कर प्रणालियां		
ब्रूने	57	361,726
मलेशिया	868	5,328,086
यू ए ई	350	978,781
सऊदी अरेबिया	276	1,259,627
ईरान	375	4,234,410
कतर	67	715,489
उप जोड़	1,993	12,878,119 (2.47%)
जोड़ (क + ख + ग + घ)		489,993,660 (93.81%)
विश्व टन भार		522,410,119*

*अज्ञात ध्वज तथा 35.64 मिलियन जी आर टी के मिश्रित टनभार सहित अज्ञात कराधान प्रणालियां शामिल नहीं हैं।

टिप्पण: कोष्ठक में दिये गये आंकड़े विश्व टन भार के लिए देशों के संबंधित समूहों के प्रतिशत शेयर को बताते हैं।

सड़कों के निर्माण के लिए वैकल्पिक सामग्री

***662. श्री अशोक ना. मोहोल:**
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण में सीमेंट का प्रयोग कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या विशेषज्ञों ने सड़कों के निर्माण में सीमेंट का प्रयोग किए जाने में अनेक खामियां बताई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार सड़कों के निर्माण में किसी वैकल्पिक सामग्री का प्रयोग करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी]: (क) जी हां।

(ख) और (ग) विशेषज्ञों की ऐसी कोई राय नहीं मिली है। तथापि, अपेक्षाकृत अधिक प्रारंभिक लागत, फिसलने की संभावना और अपेक्षाकृत अधिक शोर आदि सीमेंट कंक्रीट सड़कों की कुछ कमियां हैं।

(घ) और (ङ) सड़कों के निर्माण के लिए केवल प्रमाणित सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। ये प्रमाणित सामग्री डामर, सीमेंट और स्टोन एग्रीगेट हैं। अभी हाल में सड़क निर्माण में डामर के लिए शोधक, ज्योटेक्सटाइल और फ्लाई-ऐश की शुरूआत की गई है।

झारखण्ड में साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क

6355. श्री लक्ष्मण गिलुवा:
श्री राम टहल चौधरी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार झारखण्ड में इलेक्ट्रॉनिक साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्कों को स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसे पार्कों को किन स्थानों पर स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) इलेक्ट्रानिक पार्कों को स्थापित करने के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु तिरुनावुकरसर): (क) और (ख) रांची, झारखण्ड में एक भारतीय साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) केन्द्र की स्थापना के प्रस्ताव को पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है। रांची में एचएसडीसी सुविधा तथा उदभवन केन्द्र की स्थापना से संबंधित एक परियोजना का प्रस्ताव वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा उनकी निर्यात मूलसंरचना एवं सम्बद्ध कार्यकलाप के विकास के लिए राज्यों को सहायता (एएसआईडीई) योजना के अंतर्गत 3.5 करोड़ रुपए के वित्तपोषण के लिए अनुमोदित किया गया। इसके अतिरिक्त, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने भी 50 लाख रुपए का सहायता अनुदान जारी किया है। राज्य सरकार भी तीन एकड़ जमीन तथा तीन सौ वर्ग फुट का निर्मित स्थान उपलब्ध कराएगी।

(ग) नए केन्द्रों की स्थापना निर्यात की संभावना तथा भूमि, निर्मित स्थान और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर करती है।

डाक नेटवर्क में सुधार

6356. श्री रमेश चेन्नितला: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में डाकघरों की सेवा प्राप्त करने वाली जनसंख्या का औसत युनाइटेड किंगडम और श्रीलंका की तुलना में कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में डाक नेटवर्क में और सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर): (क) जी हां, भारत में प्रति डाकघर सेवित औसत जनसंख्या और क्षेत्रफल क्रमशः 6566 और 21.22 वर्ग कि.मी. है, इसकी तुलना में यह औसत श्रीलंका में 4192 और 14.40 वर्ग कि.मी. और युनाइटेड किंगडम में 3377 और 13.84 वर्ग कि.मी. है।

(ख) और (ग) भारत की तुलना में युनाइटेड किंगडम और श्रीलंका में इस नेटवर्क के अंतर्गत आने वाले भौगोलिक क्षेत्र और जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए ये आंकड़े तुलना का उचित आधार प्रस्तुत नहीं करते हैं। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है और मानदण्डों और संसाधनों की उपलब्धता के आधार

पर योजना स्कीमों के अंतर्गत सरकार इस नेटवर्क का विस्तार करके मौजूदा डाक सेवाओं की सुलभता में लगातार सुधार कर रही है। भारत की डाक प्रणाली देश भर में उपभोक्ताओं के द्वार तक डाक के दैनिक वितरण तथा संग्रहण और डाक-टिकटों की बिक्री की सुविधा भी उपलब्ध कराती है।

पत्तनों को गहरा करना

6357. **श्री परसुराम माझी:** क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नौवीं योजना के दौरान कुछ प्रमुख पत्तनों को गहरा करने के कार्य को शुरू किया था;

(ख) यदि हां, तो पत्तन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उस कार्य पर कितनी राशि खर्च की गई;

(ग) क्या सरकार द्वारा पारादीप पत्तन के सम्पर्क चैनल को गहरा करने के लिए कदम उठाए गए थे; और

(घ) यदि हां, तो उस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी): (क) और (ख) नौवीं योजना के दौरान पत्तनों द्वारा पत्तन-वार गहरे करने के कार्य का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	महापत्तन का नाम	गहरे करने के कार्य का विवरण	नौवीं योजना के दौरान व्यय राशि (करोड़ रु.)
1.	विशाखापत्तनम	बाहरी बंदरगाह प्रवेश चैनल सहित पत्तन जलमार्ग को (-) 20 मी. और टर्निंग सर्कल को (-) 19 मी., दो खनिज गोदी को (-) 18.2 मी., अपतटीय टैंकर टर्मिनल को (-) 19 मी., एल पी जी जेट्टी को (-) 16 मी., बाहरी बंदरगाह में सामान्य कार्गो गोदी को (-) 16.5 मी. और भीतरी बंदरगाह प्रवेश चैनल और टर्निंग सर्कल को (-) 11.6 मी. तक गहरा करना।	18.43
2.	कांडला	चैनल को (-) 11.20 मी. गहरा करना	52.2
3.	मुरगांव	दो सामान्य कार्गो गोदियों सं. 10 और 11 को क्रमशः (-) 12.00 मी. और (-) 13.10 मी. और टर्निंग सर्कल पर मूरिंग डालफिन क्षेत्र को (-) 13.1 मी. तक गहरा करना।	23.29
4.	नव मंगलूर	(-) 15.1 की गहराई तक ड्रेजिंग द्वारा आयल डाक का विस्तार	30.12
5.	तूतीकोरिन	10.7 मी. तक प्रवेश चैनल और हार्बर बेसिन को गहरा किया जाना	237.00
6.	इन्नौर	पत्तन बेसिन और प्रवेश चैनल को गहरा किया जाना	88.50

(ग) जी हां।

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) में पारादीप पत्तन के प्रवेश चैनल को 100 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर गहरे किए जाने की स्कीम को शामिल किया गया है। पत्तन न्यास में परियोजना प्रारंभिक स्तर पर है।

पत्तनों पर श्रम प्रणाली

6358. **श्री सुनील खां:** क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी पत्तनों पर श्रम की ठेका प्रणाली का प्रावधान है;

(ख) क्या विभाग में कुछ कार्य ठेके पर विदेशी श्रमिकों द्वारा किए जाते हैं;

(ग) क्या गुजरात पत्तनों पर पोत भंजन के कारण समुद्र का पानी प्रदूषित होकर पर्यावरणीय खतरे का कारण बन गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी): (क) महापत्तनों का मुख्य कार्य कार्गों हैंडलिंग है जो पत्तन तथा गोदी कामगारों द्वारा किया जाता है। तथापि, कुछ पत्तनों में, बाह्य कार्य ठेकेदारों को सौंपे गये हैं जो अपने स्वयं के श्रमिक लगाने के लिये स्वतन्त्र हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन गुजरात राज्य में स्थित, एकमात्र महापत्तन, काण्डला पत्तन में कोई जहाज विखण्डित नहीं किया जाता है।

लिंग परीक्षण जांच पर प्रतिबंध

6359. डा. वी. सरोजा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय महिला अधिकारिता समिति ने यह सिफारिश की है कि लिंग परीक्षण कराने वाली महिला को तीन वर्ष के कारावास और 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा दी जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति ने प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (दुरूपयोग का विनियमन और निवारण अधिनियम, 2003 का संशोधन करने का भी प्रस्ताव किया था;

(ग) क्या उक्त अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन प्रसव-पूर्व निदान प्रक्रिया से पुरुष को अलग रखते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी, हां। प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (दुरूपयोग का विनियमन व निवारण) अधिनियम, 1994 को संशोधित किया जा चुका है। इस अधिनियम, के अनुच्छेद 23 की संशोधित धाराओं के अंतर्गत, कोई व्यक्ति जो किसी क्लिनिक, केन्द्र या व्यक्ति की सहायता लिंग चुनाव के लिए लेता है या प्रसव-पूर्व निदान तकनीक का प्रयोग इस अधिनियम के अंतर्गत स्वीकार्य उद्देश्यों के अलावा किसी और उद्देश्य के वास्ते करता है, तो वह पहली बार यह अपराध करने पर तीन साल तक के कारावास तथा पचास हजार तक के जुर्माने के दण्ड पाने का पात्र है। उसके बाद दूसरी बार अपराध करने पर पांच साल तक के कारावास व एक लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा होगी। वह गर्भवती स्त्री इन सजाओं की हकदार नहीं है, जिसे ऐसे परीक्षण व निदान तकनीक के लिए विवश किया गया है। हालांकि, उसका पति या कोई अन्य व्यक्ति जो उसे इन परीक्षणों व तकनीकों के लिए विवश करता है, वह अधिनियम, के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत सजा पाने का हकदार है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। कोई भी व्यक्ति चाहे वह औरत हो या फिर पुरुष, इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल है।

फार्मासिस्टों की तैनाती

6360. श्री अमर रायप्रधान: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिनांक 28 फरवरी, 2003 की स्थिति के अनुसार दिल्ली/नई दिल्ली में आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक पद्धति के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों/इकाइयों में फार्मासिस्टों की मौजूदा स्वीकृत संख्या कितनी है;

(ख) क्या फार्मासिस्टों की तैनाती के मानदंड दोनों पद्धतियों में एक समान हैं;

(ग) यदि हां, तो दिल्ली/नई दिल्ली में ऐसे प्रत्येक औषधालय/इकाई में वास्तविक रूप में तैनात फार्मासिस्टों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो विभिन्न पद्धति के लिए भिन्न मानदंड रखने के क्या कारण हैं और प्रत्येक पद्धति के लिए तत्संबंधी अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अन्तर्गत आयुर्वेदिक और होमियोपैथिक औषधालयों/इकाईयों में फार्मेसिस्टों की स्वीकृत संख्या 28 फरवरी, 2003 की स्थिति के अनुसार इस प्रकार है:

फार्मासिस्ट (होमियोपैथिक)	–	18
फार्मासिस्ट (आयुर्वेदिक)	–	32

(ख) जी, हां।

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अन्तर्गत और होमियोपैथिक औषधालयों/इकाईयों में प्रत्येक में वास्तव में तैनात फार्मासिस्टों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

औषधालय का नाम	तैनात फार्मासिस्टों की संख्या
1	2
आयुर्वेदिक	
के.स.स्वा.यो. आयुर्वेदिक औषधालय, काली बाड़ी	2
के.स.स्वा.यो. आयुर्वेदिक औषधालय, नार्थ एवन्यू	2
के.स.स्वा.यो. आयुर्वेदिक औषधालय, आर के पुरम (सैक्टर-12)	3
के.स.स्वा.यो. आयुर्वेदिक औषधालय, किदवई नगर	3
के.स.स्वा.यो. आयुर्वेदिक औषधालय, जनकपुरी	2
के.स.स्वा.यो. आयुर्वेदिक यूनिट, दिल्ली केन्टोनमैन्ट	2
के.स.स्वा.यो. आयुर्वेदिक यूनिट, देव नगर	2
के.स.स्वा.यो. आयुर्वेदिक यूनिट, पश्चिम विहार	2
के.स.स्वा.यो. आयुर्वेदिक यूनिट, गुडगांव	1
के.स.स्वा.यो. आयुर्वेदिक यूनिट, एम बी रोड	1
के.स.स्वा.यो. आयुर्वेदिक यूनिट, जंगपुरा	1
के.स.स्वा.यो. आयुर्वेदिक यूनिट, लक्ष्मी नगर	1
के.स.स्वा.यो. आयुर्वेदिक यूनिट, किंग्सवे कैंप	2
होमियोपैथिक	
के.स.स्वा.यो. होमियोपैथिक औषधालय, काली बाड़ी	3
के.स.स्वा.यो. होमियोपैथिक औषधालय, देव नगर	2
के.स.स्वा.यो. होमियोपैथिक औषधालय, आर के पुरम (सैक्टर-12)	1
के.स.स्वा.यो. होमियोपैथिक यूनिट, साऊथ एवन्यू	1
के.स.स्वा.यो. होमियोपैथिक यूनिट, हरि नगर	1
के.स.स्वा.यो. होमियोपैथिक यूनिट, तिलक नगर	2
के.स.स्वा.यो. होमियोपैथिक यूनिट, आर के पुरम सैक्टर-3	1
के.स.स्वा.यो. होमियोपैथिक यूनिट, कस्तूरबा नगर	1
के.स.स्वा.यो. होमियोपैथिक यूनिट, कालका जी-1	1

1	2
के.स.स्वा.यो. होमियोपैथिक यूनिट, पुष्प बिहार	1
के.स.स्वा.यो. होमियोपैथिक यूनिट, लक्ष्मी नगर	1
के.स.स्वा.यो. होमियोपैथिक यूनिट, शाहदरा	1
के.स.स्वा.यो. होमियोपैथिक यूनिट, तिमारपुर	1

पूर्वोत्तर राज्यों में दूरसंचार नेटवर्क का विस्तार

6361. श्री गुनीपाटी रामैया:
श्री गंता श्रीनिवास राव:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के किसी भी भाग में अगरतला से किया गया फोन एस.टी.डी. के बदले आई.एस.डी. काल माना जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों के सभी महत्वपूर्ण शहरों में अपने दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार हेतु कोई कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां। पूर्वोत्तर राज्यों के सभी महत्वपूर्ण शहरों में पहले ही आधुनिक तथा विश्वसनीय संचार नेटवर्क प्रदान कर दिया गया है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षण पदों का परिवर्तन

6362. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चौथे वेतन आयोग के बाद, 1987 में टिक्कू समिति गठित की गई थी जिसने यह रिपोर्ट दी थी कि केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत शिक्षण संस्थाओं में सभी गैर-शिक्षण पदों को शिक्षण संस्थाओं के शिक्षण पदों में परिवर्तित कर दिया जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) टिक्कू समिति 1990 में गठित की गई थी। इस समिति ने शिक्षण संस्थाओं में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के गैर-शिक्षण विशेषज्ञ पदों को शिक्षण पदों में बदलने की संस्तुति नहीं की थी।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दूरभाष निर्देशिका के प्रकाशन न करने के कारण हानि

6363. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान टेस्ट-चेक्ड सर्कल्स में दूरभाष निर्देशिकाओं के प्रकाशन न करने के कारण सरकार को रायल्टी के रूप में कुल कितनी हानि हुई है;

(ख) किन मुद्रकों ने रायल्टी का भुगतान नहीं किया और इनमें से प्रत्येक के विरुद्ध कितनी राशि बकाया है; और

(ग) रायल्टी की राशि वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाये जाने का विचार है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ग) वर्तमान नीति के अनुसार, टेलीफोन निर्देशिकाओं का मुद्रण, प्राप्त प्रस्तावों पर निर्भर करते हुए सकारात्मक या नकारात्मक रायल्टी पर किया जाता है। ठेकेदारों द्वारा चूक करने ठेकेदारों के उपलब्ध न होने तथा कानूनी मामलों के कारण निर्देशिकाओं के मुद्रित न हो पाने संबंधी मामले भी रहे हैं। विभागीय नियमों के अनुसार चूककर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

बिहार में लघु उद्योग इकाइयां

6364. **श्री राजो सिंह:** क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा आज तक बिहार में स्थापित किए गए नए लघु उद्योगों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन इकाइयों में उत्पादित की जाने वाली मदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से प्रत्येक इकाई की उत्पादन क्षमता और इनका वास्तविक उत्पादन कितना है;

(घ) चालू वर्ष में बिहार में किन स्थानों पर लघु उद्योगों को स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इन उद्योगों के कब तक उत्पादन करना आरंभ करने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्री तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) बिहार राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार विगत तीन वर्षों अर्थात 1999-2000 से 2001-2002 के दौरान स्थापित लघु उद्योग (एस.एस.आई.) की संख्या 12,503 है तथा मार्च, 2002 के अंत तक (नवीनतम उपलब्ध) लघु उद्योग यूनिटों की क्यूमूलेटिव संख्या 93988 है। अवस्थिति-वार सूचना का अनुरक्षण केन्द्रीय तौर पर नहीं किया जाता है। तथापि, स्थापित की गई नई यूनिटों संबंधी जिले-वार ब्यौरा तथा मार्च, 2002 के अंत तक स्थापित की गई कुल यूनिटों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (ङ) लघु उद्योग यूनिटें निजी सेक्टर में स्थापित की जाती हैं तथा सरकार की भूमिका उनके सम्वर्धन और विकास के लिए सुविधा प्रदान करने की है। यहां तक कि लघु उद्योग यूनिटों का राज्य के उद्योग निदेशालय/जिला उद्योग केन्द्रों के पास पंजीकृत कराना भी स्वैच्छिक है क्योंकि इन यूनिटों की स्थापना हेतु लाइसेंस अपेक्षित नहीं है। विनिर्मित माल, उनकी उत्पादन क्षमता तथा इन उद्योगों के वास्तविक उत्पादन के संबंध में सूचना का केन्द्रीय तौर पर अनुरक्षण नहीं किया जाता है। नई यूनिटों की स्थापना के संबंध में स्थल निर्धारण तथा उत्पादन शुरू करने की तारीख के संबंध में निर्णय स्वयं उद्यमी द्वारा लिया जाता है।

विवरण

वर्ष 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान स्थायी रूप से पंजीकृत लघु उद्योग यूनिटों की जिले-वार संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	पंजीकृत ल.उ. यूनिटों की जिले-वार संख्या				
		1999-2000	2000-2001	2001-2002	विगत तीन वर्षों के के दौरान ·	मार्च, 2002 के अंत तक क्यूमूलेटिव
1	2	3	4	5	6	7
1.	पश्चिम चंपारण	54	20	84	158	1301
2.	पूर्वी चंपारण	281	223	255	759	4709
3.	सियोहर	80	40	80	200	333
4.	सीतामढ़ी	126	66	125	317	3594
5.	मधुबनी	100	107	68	275	1885
6.	सुपौल	53	48	39	140	439
7.	अररिया	239	289	201	729	825
8.	किशनगंज	190	229	124	543	638
9.	पूर्णिया	263	331	294	888	3288

1	2	3	4	5	6	7
10.	कटिहार	225	110	121	456	2417
11.	मधेपुरा	21	45	48	114	1028
12.	सहरसा	115	53	49	217	2098
13.	दरभंगा	73	135	122	330	1709
14.	मुजफ्फरपुर	184	170	228	582	5940
15.	गोपालगंज	50	82	43	175	2050
16.	सिवान	139	133	111	383	2659
17.	सारन	139	72	101	312	3523
18.	वैशाली	74	128	51	253	2925
19.	समस्तीपुर	103	74	55	232	3441
20.	बेगुसराय	103	84	157	344	3516
21.	खगड़िया	28	29	54	111	960
22.	भागलपुर	66	52	75	193	2465
23.	बांका	24	18	37	79	242
24.	मुंगेर	154	182	175	511	4181
25.	लखीसराय	0	0	17	17	17
26.	शेखपुरा	0	0	18	18	18
27.	नालंदा	120	156	172	448	3463
28.	पटना	463	433	320	1216	14498
29.	भोजपुर	46	166	101	313	1785
30.	बक्सर	85	108	94	287	668
31.	भाबुआ (कैमूर)	82	101	69	252	880
32.	रोहतास	104	86	91	281	3114
33.	जहानाबाद	142	78	93	313	2652
34.	औरंगाबाद	101	93	109	303	2420
35.	गया	162	202	82	446	5786
36.	नवादा	153	50	97	300	2513
37.	जमुई	0	0	8	8	8
	राज्य-जोड़	4342	4193	3968	12503	93988

[अनुवाद]

दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलना

6365. **श्री के. येरननायडू:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 3000 से अधिक सी.जी.एच.एस. लाभार्थी पुष्पांजलि और पश्चिम पीतमपुरा दिल्ली में रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उपर्युक्त क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलने का विचार है, और

(ग) यदि हां, तो कब तक?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी हां,। पुष्पांजली और पश्चिमी पीतमपुरा में रहने वाले केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को औषधालय की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित के.स.स्वा. योजना औषधालय, शकूर बस्ती के साथ सम्बद्ध किया गया है।

(ख) और (ग) संसाधनों और जनशक्ति की कमी के कारण इस समय उपर्युक्त क्षेत्रों में किसी नए के.स.स्वा.यो. के औषधालय को खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

मुम्बई और पणजी के बीच पोत परिवहन सेवाएं

6366. **श्री जे.एस. बराड़:** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई और पणजी के बीच नियमित पोत सेवा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह लाभ में चल रही है;

(ग) क्या इसे और अधिक लाभप्रद बनाने हेतु इस सेवा का मंगलौर तक विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण या अध्ययन कराया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) वाणिज्यिक उद्यम होने पर ही इस तरह के सर्वेक्षण अथवा अध्ययन किये जाते हैं और चूंकि सरकार वाणिज्यिक नौवहन सेवाएं संचालित नहीं करती है अतः सरकार द्वारा इस तरह का सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

प्रतीक्षा सूची

6367. **प्रो. ए.के. प्रेमाजम:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) के कालीकट-सैकन्डरी स्वीचिंग एरिया (एस.एस.ए.) में कुल कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) कालीकट-सैकन्डरी स्वीचिंग एरिया के अंतर्गत वर्ष 2001-2002, 2002-2003 और 2003-2004 के लिए कितने टेलीफोन कनेक्शनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या बी.एस.एन.एल. वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान टेलीफोन कनेक्शनों की लक्षित संख्या को प्राप्त करने में असमर्थ रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) कालीकट गौण स्विंचन क्षेत्र (एसएसए) में 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची में कुल 62615 आवेदक दर्ज हैं।

(ख) से (ङ) कालीकट एसएसए में टेलीफोन कनैक्शन प्रदान करने के लिए वर्ष 2001-02 2002-03 तथा 2003-04 के लक्ष्य तथा वर्ष 2001-02, 2002-03 की उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

वर्ष	फिक्स्ड लाइन		वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल)	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2001-02	50000	50025	शून्य	शून्य
2002-03	35500	37526	26000	1466
2003-04	14885	-	39378	-

वर्ष 2002-03 के दौरान डब्ल्यूएलएल के लक्ष्य प्राप्त करने में कमी विक्रेताओं से उपस्कर की आपूर्ति और डब्ल्यूएलएल उपस्कर के वैधीकरण में विलंब के कारण आई। वर्ष 2003-04 के दौरान सामग्री का प्रापण समय से करने के लिए कार्रवाई की गई है।

विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं का पंजीकरण

6368. **श्री हरीभाऊ शंकर महाले: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय औषध नियंत्रक (डी.सी.आई.) द्वारा विदेशी औषधि आपूर्तिकर्त्ताओं के पंजीकरण हेतु सरकारी नीति क्या है,

(ख) क्या सरकार ''इंटरमीडिएट्स' और रसायनों, जो थोक में औषधि निर्माण में प्रयुक्त होते हैं, के पंजीकरण पर भी जोर दे रही है;

(ग) यदि हां, तो इस नीति का औचित्य क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिनांक 24.8.2001 को एक राजपत्र अधिसूचना-जी एस आर संख्या 604 (ई) प्रकाशित की है जिसमें औषध एवं प्रसाधन संबंधी नियमों में संशोधन करते हुए विदेशी औषध विनिर्माताओं तथा विशिष्ट औषधों के लिए देश में उनके आयात से पूर्व उनके विनिर्माण परिसर को पंजीकृत कराने का एक नया प्रावधान बनाया गया है। इस अधिसूचना में कुछ अन्य प्रावधान भी बनाए गए हैं अर्थात् आयात लाइसेंस फीस को बढ़ाना, लाइसेंस की वैधता अवधि को बढ़ाना, वास्तविक प्रयोक्ताओं के लिए इक्ट्ठी (बल्क) औषधों हेतु आयात लाइसेंस की आवश्यकता में छूट को समाप्त करना, आयात की गई औषधों के लिए कम से कम 60 प्रतिशत शेल्फ लाइफ सुरक्षित रखना और अपने रोगियों का उपचार करने के लिए सरकारी अस्पतालों द्वारा नई औषधों को थोड़ी मात्रा में आयात करने के प्रावधान आदि।

(ख) और (ग) जी, नहीं। नियम-24-ए(8) के अंतर्गत भेपज संहिता सम्पुस्टि सहित अथवा इसके बिना औषध फारमूलेशन के लिए उपयोग किए जाने वाले इनएक्टिव बल्क सब्सटांस के संबंध में पंजीकरण प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होती है। तथापि, पेंसिलिन-जी, इरिथ्रोमाइसिन, ट्रेटासाइक्लिन, आक्सीट्रेटासाइक्लिन, एस्ट्राडियल, डेक्सामेथासोन, परेडीसोलोन आदि सरीखी कतिपय औषधें, जो औषध के रूप में तथा अन्य औषधें बनाने और उनके साल्ट बनाने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में भी उपयोग की जाती हैं, को उपरोक्त अधिसूचना के अंतर्गत पंजीकरण की आवश्यकता हो सकती है।

कैंसर की दवाओं का विकास

6369. **डा. रमेश चन्द तोमर: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** 19.02.2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 174 और 175 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सेन्ट्रल काउन्सिल आफ रिसर्च इन आयुर्वेद एंड सिद्ध (सी.सी.आर.ए.एस.) द्वारा डी.एस.रिसर्च सेन्टर, वाराणसी से किस प्रकार के ब्यौरों की मांग की गई है और ये ब्यौरे किस तिथि को मांगे गए;

(ख) क्या सरकार डी.एस. रिसर्च सेन्टर, रविन्दर पुरी कालोनी, 147-ए, लेन सं. 8, वाराणसी द्वारा प्रकाशित पुस्तक ''कैंसर इज क्यूरेबल नाउ'' की विषय वस्तु से अवगत है और उनके दावे के समर्थन में दस्तावेजी सबूत क्या हैं;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो कैंसर के हजारों मरीजों को बचाने के लिए उनके दावे की जांच करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार कैंसर के बढ़ते हुए रोगियों के हित में है और ऐसे रोगियों के विदेशों में करवाए जा रहे इलाज पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा को बचाने हेतु इस केंद्र के कार्यकलापों को बढ़ावा देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) इस केंद्र से औषधियों का संघटन, औषध निर्माण विधि, नैदानिक आंकड़ों आदि का ब्यौरा देने को कहा गया था।

(ख) सरकार इस पुस्तक से अवगत है जिसमें रोगियों के अलग-अलग मामलों का विवरण है।

(ग) और (घ) अपेक्षित आंकड़ों के अभाव में इस दावे का मूल्यांकन करना संभव नहीं है।

(ङ) और (च) ऐसा प्रस्ताव ही नहीं है क्योंकि इस दावे का मूल्यांकन नहीं किया गया है।

दमण गंगा पुल का निर्माण

6370. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नमी दमण और मोती दमण को जोड़ने वाले दमण गंगा पुल का निर्माण अभी तक शुरू न किए जाने के क्या कारण हैं जबकि सरकार द्वारा इस परियोजना हेतु तकनीकी स्वीकृति पहले दी जा चुकी है;

(ख) इस विलंब के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस पुल का निर्माण कब तक शुरू होने और इसे कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी]: (क) और (ख) गृह मंत्रालय के अनुरोध पर इस मंत्रालय ने संघ राज्य क्षेत्र दमन में 17.99 करोड़ रु. की लागत से दमण गंगा पुल के निर्माण के लिए अगस्त, 2002 में तकनीकी अनुमोदन प्रदान किया था। स्थायी वित्त समिति द्वारा स्वीकृति लिए जाने से पहले, संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा पर्यावरण संबंधी स्वीकृति अभी प्रस्तुत की जानी है जिसके लिए संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ कार्रवाई कर रहा है।

(ग) इस समय, इसके पूरे होने की तारीख बता पाना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

एस.ए.आई. केन्द्रों में रह रहे विद्यार्थियों को सुविधाएं

6371. श्री दिनेश चन्द्र यादव: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय खेल प्राधिकरण के होस्टलों (एस.ए.आई. होस्टलों) में रह रहे विद्यार्थियों में से प्रत्येक वर्ष-वार कितनी धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार विशेषकर पटना, किशनगंज और मुजफ्फरपुर स्थित एस.एस.आई. केन्द्रों में रह रहे विद्यार्थियों को सभी सुविधाएं मुहैया करा रही है; और

(ग) यदि हां, तो पिछले वर्ष सरकार द्वारा प्रति विद्यार्थी कितना व्यय किया गया है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा): (क) भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) की निम्नलिखित योजनाओं के छात्रावासों में आवासीय प्रशिक्षणार्थियों को प्रवेश दिया जाता है:

1. एस.ए.आई. प्रशिक्षण केन्द्र (एस.टी.सी.)

2. विशेष क्षेत्रीय खेल (एस.ए.जी.)

3. उत्कृष्टता केन्द्र (सी.ओ.एक्स.)

भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र/विशेष क्षेत्रीय खेल योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाती हैं:

(1)	भोजन और आवास, 300 दिनों के लिए प्रति प्रशिक्षणार्थी को 75/-रुपये की दर से	-	22,500/-प्रति वर्ष
(2)	खेल किट	-	3000/-प्रति वर्ष
(3)	प्रतियोगिता के अवसर	-	3000/-प्रति वर्ष
(4)	शिक्षा व्यय	-	1000/-प्रति वर्ष
(5)	चिकित्सा	-	300/-प्रति वर्ष
(6)	बीमा	-	100/-प्रति वर्ष
(7)	विविध	-	100/-प्रति वर्ष
	कुल:	-	30,000/-प्रति वर्ष

उत्कृष्टता केन्द्र योजना के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों को निम्नलिखित सुविधाएं दी जाती हैं:

(1)	भोजन और आवास, 200 दिनों के लिए प्रति प्रशिक्षणार्थी को 100/- रुपये की दर से	-	20,000/-प्रति वर्ष
(2)	खेल किट	-	3000/-प्रति वर्ष
(3)	प्रतियोगिता के अवसर	-	3000/-प्रति वर्ष

(ङ) चिकित्सा	-	500/-प्रति वर्ष
(च) बीमा	-	100/-प्रति वर्ष
कुल:	-	26,600/- प्रति वर्ष

इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक प्रशिक्षण के लिए आवश्यक खेल उपस्कर प्रदान किए जाते हैं।

(ख) जी, हां। पटना के एस.टी.सी., किशनगंज और मुजफ्फरपुर के एस.ए.जी. केन्द्रों के आवासीय प्रशिक्षणार्थियों को भोजन आवास, वैज्ञानिक प्रशिक्षण, प्रतियोगिता के अवसर, खेल किट, प्रशिक्षण के लिए उपस्कर, चिकित्सा सहायता, बीमा इत्यादि सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

(ग) एस.टी.सी., पटना, किशनगंज और मुजफ्फरपुर के एस.ए.जी. केन्द्रों के प्रशिक्षणार्थियों पर उपर्युक्त मानदण्डों के अनुसार व्यय किया गया है। इसके अलावा केन्द्रों में नियुक्त प्रशिक्षकों के वेतन के रूप में निम्नलिखित व्यय किया गया था:

(1)	एस.टी.सी., पटना	15,25,195/- रुपये
(2)	एस.ए.जी., किशनगंज	3,95,386/- रुपये
(3)	एस.ए.जी., मुजफ्फरपुर	6,20,210/- रुपये

महाराष्ट्र में मोबाइल सेवा

6372. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के भण्डारा, चन्द्रपुर, गोन्दिया और गढ़चिरोली जिलों के अंतर्गत तालुका स्तर के गांवों को मोबाइल सेवा के तहत शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उपरोक्त जिलों के तालुका स्तर के गांवों को मोबाइल सेवा के तहत कब तक शामिल किये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्र में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कंपनियों को लाइसेंस दिया गया है और ये कंपनियां सेवा चालू कर चुकी हैं।

1. मै. बीपीएल मोबाइल सेल्यूलर लि.
2. मै. आइडीया सेल्यूलर लि.
3. मै. भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल)
4. मै. भारती सेल्यूलर लि.

इन कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, भंडारा, गोंदिया और चंद्रपुर जिला मुख्यालयों तथा चंद्रपुर जिले के भद्रावती एवं वरोरा तालुकाओं में सीएमटीएस सुविधा उपलब्ध है। महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले में उक्त कोई भी कंपनी सीएमटीएस प्रदान नहीं कर रही है।

(ग) और (घ) सीएमटीएस के लिए लाइसेंस की शर्तों के अनुसार दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्र में प्रचालक को एक वर्ष के भीतर 10 प्रतिशत जिला मुख्यालयों तथा तीन वर्ष के भीतर 50 प्रतिशत जिला मुख्यालयों को कवर करना होता है। लाइसेंसधारक को यह भी अनुमति है कि वह जिला मुख्यालय के बदले जिले के अन्य किसी नगर को कवर कर सकता है। उक्त सुविधा प्रदान करने के लिए जिला मुख्यालयों/नगरों का चयन करना तथा 50 प्रतिशत से अधिक जिला मुख्यालयों/नगरों को यह सुविधा प्रदान करना लाइसेंसधारक के अपने व्यावसायिक निर्णय पर निर्भर करता है। ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करने की कोई बाध्यता नहीं है।

तथापि, सरकारी प्रचालक भारत संचार निगम लि. की महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल के अपने लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्र में सभी जिला मुख्यालयों को उक्त सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है।

जलापूर्ति बहाल करना

6373. डा. बलिराम: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली ने कालीबाड़ी मार्ग, नई दिल्ली स्थित विभागीय फ्लैटों के लिए एन.डी.एम.सी. से जलापूर्ति बहाल करने हेतु चालीस लाख रुपये की धनराशि जमा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह धनराशि किस तिथि को जमा की गयी है;

(ग) क्या जलापूर्ति बहाल हो गयी है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकारी फ्लैटों में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एन.डी.एम.सी.) की जलापूर्ति कब तक बहाल हो जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, हां। विभाग ने डाक-तार कालोनी, काली बाड़ी नई दिल्ली में जलापूर्ति बहाल कराने के लिए नई दिल्ली नगर परिषद् (एनडीएमसी) के पास 41,04684/-रु. (इकतालीस लाख चार हजार छह सौ चौरासी रुपए मात्र) जमा कराए हैं।

(ख) यह राशि 6.3.03 को एनडीएमसी के दिनांक 6.3.03 के चालान सं. सी-5 के तहत जमा कराई गई थी।

(ग) जलापूर्ति आज की तारीख तक बहाल नहीं की गई है।

(घ) एनडीएमसी के साथ मामला उठाया जा रहा है।

(ङ) एनडीएमसी की जलापूर्ति जल्द ही बहाल होने की संभावना है।

मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन

6374. श्री पी.आर. खूंटे:
श्री पुन्नू लाल मोहले:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** 9.04.2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3989 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फेडरेशन आफ मोटर्स स्पोर्ट्स आफ इंडिया को एफ.आई.ए. द्वारा इसकी ए.एस.एन. अधिकारियों और शक्तियों से वंचित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो अभी भी सरकार द्वारा इसे मान्यता प्रदान करने का क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा): (क) जी, हां। एफ.आई.ए. (अंतर्राष्ट्रीय मोटर स्पोर्ट्स परिसंघ) ने फेडरेशन आफ मोटर्स स्पोर्ट्स क्लब आफ इंडिया को भारत में मोटर स्पोर्टिंग की शक्ति से वंचित कर दिया है।

(ख) मामला माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है और निर्णयाधीन है।

[अनुवाद]

हिमाचल प्रदेश में अवसंरचना का विकास

6375. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य में अवसंरचना के विकास हेतु एक व्यापक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी प्रत्येक परियोजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की जाएगी; और

(घ) इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) राज्य में अवसंरचना विकास के लिए विशेष रूप में कोई व्यापक योजना तैयार नहीं की गई है। तथापि, विभिन्न अवसंरचना विकासात्मक क्रियाकलापों को दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के दौरान कार्यान्वित कराने का प्रस्ताव है जिसके लिए 10,300.00 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित कर दिया गया है। इसे योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजनाओं के माध्यम से वर्ष प्रति वर्ष के आधार पर कार्यान्वित किया जाएगा। अनुमोदित परिव्यय में योजना के अंतर्गत सभी क्रियाकलाप शामिल हैं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

सिक्योरिटी जमा वापस किया जाना

6376. डा. चरणदास महंत: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले छः महीनों के दौरान दक्षिणी दिल्ली खासकर हौज खास क्षेत्र में उपभोक्ताओं द्वारा कितने टेलीफोन कनेक्शन कटवा दिए गए और वापस किए गए हैं;

(ख) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा उक्त सभी मामलों का निपटान किया जा चुका है और उक्त उपभोक्ताओं के पास सिक्योरिटी जमा आदि की रकम वापस भेज दी गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा वापसी रकम का कब तक भुगतान किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) पिछले 6 महीनों (1.10.2002 से 31.3.2003 तक) के दौरान हौजखास एक्सचेंज के 1480 टेलीफोनों सहित दक्षिण दिल्ली के सभी एक्सचेंजों में कुल मिलाकर 11577 टेलीफोन सरेंडर किए गए हैं।

(ख) और (ग) 11,577 मामलों में से अब तक हौजखास एक्सचेंज के 1189 मामलों सहित 8626 मामलों का निपटान कर दिया गया है और हौजखास एक्सचेंज के 291 मामलों सहित कुल 2951 मामले लंबित हैं।

(घ) ये मामले उपभोक्ताओं द्वारा अपेक्षित दस्तावेज अर्थात् पंजीकरण की प्रति, हलफनामा इत्यादि जमा न कराने के कारण लंबित हैं।

(ङ) उपभोक्ताओं से दस्तावेज प्राप्त होने के बाद मामलों का निपटान शीघ्रता से किया जा रहा है।

माडर्न फूड इंडस्ट्रीज का विनिवेश

6377. **श्री सुरेश रामराव जाधव:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माडर्न फूड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड विनिवेश के पश्चात रुग्ण हो गई है और परिसमापन/बंद करने की औपचारिकताओं हेतु इसे बी.आई.एफ.आर. को सुपुर्द किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और निजी प्रबंधन द्वारा इसके क्या कारण बताए गए हैं;

(ग) क्या सरकार निजी प्रबंधन द्वारा दिये गये कारणों से संतुष्ट है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निजी प्रबंधन को हस्तांतरित किए जाने के समय माडर्न फूड लिमिटेड के स्वामित्व में कितनी भूमि और सम्पत्ति थी?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (घ) मार्डन फूड इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड को मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के पक्ष में 74 प्रतिशत सरकारी इक्विटी के हस्तांतरण के साथ 31.1.2000 को विनिवेशित किया गया था। चूंकि उस अवधि के दौरान जब माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड सरकार के नियंत्रणाधीन थी, वित्त वर्ष 1999-2000 के अन्त में एमएफआईएल के संचित घाटे में इसकी निवल सम्पत्ति के 50 प्रतिशत से भी अधिक का क्षार हो जाने के परिणामस्वरूप एमएफआईएल ने कम्पनी को एक रुग्ण औद्योगिक कम्पनी घोषित करने और अधिनियम के अधीन, कम्पनी की पुनर्स्थापना के उपाय निर्धारित करने के लिए रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 की धारा 15(1) के अनुसरण में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड के पास एक रिपोर्ट दायर की थी। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड ने कम्पनी को एमएफआईएल के पुनरुद्धार के लिए एक पुनर्स्थापना पैकेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड को प्रस्तुत की गई पुनरुद्धार योजना में हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड ने एमएफआईएल के पुनरुद्धार के लिए कोई राहत और रियायत नहीं मांगी बल्कि यह संकेत दिया कि हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के प्रबंधन और वित्त पोषण के साथ एमएफआईएल दिसम्बर, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष से लाभ अर्जित करना आरम्भ कर देगी और कम्पनी की निवल सम्पत्ति दिसम्बर, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में सकारात्मक हो जाएगी। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड ने अपने दिनांक 5.3.2002 के आदेश के तहत पुनरुद्धार योजना स्वीकार कर ली थी और सभी संबंधितों द्वारा कार्यान्वयन के लिए कम्पनी द्वारा प्रस्तुत की गई कार्य-योजना को अपने अभिलेखों में शामिल कर लिया।

(ङ) इसके विनिवेश के समय एमएफआईएल के स्वामित्व में भूमि और सम्पत्ति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

31.1.2000 की स्थिति के अनुसार विनिवेश के समय एमएफआईएल के स्वामित्व में भूमि और सम्पत्ति

क्र.सं.	सम्पत्ति/स्थिति	पट्टे पर/पूर्ण स्वामित्व
1	2	3
बेकरी इकाइयां		
1.	अहमदाबाद	पट्टे पर
2.	बंगलौर	पूर्ण स्वामित्व
3.	कोलकाता	पट्टे पर
4.	चण्डीगढ़	पूर्ण स्वामित्व
5.	चेन्नई	-वही-
6.	कोचीन	-वही-
7.	दिल्ली-1	पट्टे पर

1	2	3
8.	दिल्ली-2	पट्टे पर
9.	हैदराबाद	पूर्ण स्वामित्व
10.	इन्दौर	पट्टे पर
11.	जयपुर	-वही-
12.	कानपुर	-वही-
13.	मुम्बई	-वही-
14.	रांची	-वही-
	सप्लिमेन्टरी न्यूट्रिशनल फूड (एसएनएफ) और अन्य इकाइयां	
15.	भागलपुर-एसएनएफ इकाई	पट्टे पर
16.	दिल्ली (फ्रूट जूस बोटलिंग प्लाण्ट)-एसएनएफ इकाई	-वही-
17.	फरीदाबाद (बोटलिंग प्लाण्ट)-एसएनएफ इकाई	पूर्ण स्वामित्व
18.	फरीदाबाद (रालर आटा मिल)-एसएनएफ इकाई	-वही-
19.	पटना-एसएनएफ इकाई	पट्टे पर
20.	सिल्चर (अपूर्ण परियोजना)	-वही-
21.	उज्जैन (तेल मिल) (बन्द किया गया)	पूर्ण स्वामित्व
	आवासीय फ्लैट	
22.	बंगलौर (8 फ्लैट)	पट्टे पर
23.	कोलकाता (5 फ्लैट)	पूर्ण स्वामित्व
24.	चेन्नई (5 फ्लैट)	पूर्ण स्वामित्व
25.	नई दिल्ली (2 फ्लैट)	पट्टे पर
26.	मुम्बई (6 फ्लैट)	पूर्ण स्वामित्व
27.	फरीदाबाद (32 फ्लैट)	पूर्ण स्वामित्व
28.	उज्जैन (64 फ्लैट)	पूर्ण स्वामित्व

असुरक्षित खाद्य पदार्थ

6378. श्री चाडा सुरेश रेड्डी:
डा. (श्रीमती) राजेश्वरम्मा वुक्कला:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आयातित खाद्य वस्तुओं में नुकसानदेह मिलावट की दोषपूर्णता की जांच हेतु उपलब्ध सुविधाएं अपर्याप्त हैं; और

(ख) यदि हां, तो जैविक रूप से असुरक्षित खाद्य पदार्थों के आयात को कम करने हेतु क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) आयातित खाद्य वस्तुओं को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत बने नियमों में निर्धारित मानकों को उनमें सूचीबद्ध सभी उत्पादों के संबंध में पूरा करना होता है।

इस समय जैव प्रौद्योगिकी विभाग देश की पांच संस्थाओं में अनुसंधान और विकास प्रयासों के माध्यम से आनुवंशिकी रूप से संशोधित खाद्य पदार्थों और उनसे तैयार उत्पादों में क्रमशः न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन जैसे ट्रांसजेनिक ट्रेट्स का पता लगाने के लिए पी सी आर और ई एल आई एस ए विधियों का प्रयोग करके प्रोटोकोल तैयार करने में लगा है। ये संस्थाएं हैं—राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर, सेंटर फार डी.एन.ए. फिंगर प्रिंटिंग एण्ड डायग्नोस्टिक्स, हैदराबाद, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन, ब्यूरो, नई दिल्ली तथा औद्योगिक विशाक्तता अनुसंधान केन्द्र लखनऊ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आनुवंशिकी रूप से संशोधित खाद्य वस्तुओं की सुरक्षा का मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद में राष्ट्रीय सुविधा को भी सुदृढ़ कर रहा है। इस प्रस्ताव को देश में खाद्य प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने के लिए क्षमता निर्माण परियोजना में शामिल किया गया है।

(ख) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित हजार्डस माइक्रोआर्गनिज्म/जेनेटिकली इंजीनियर्ड आर्गनिज्म आर सेल, 1989 के विनिर्माण, उपयोग, आयात और भण्डारण के नियमों में जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी के अनुमोदन के बिना आनुवंशिक रूप से संशोधित सामग्री वाले किसी खाद्य वस्तु, आहार, कच्चा अथवा संसाधित अथवा खाद्य वस्तु के अवयव, खाद्य योगज अथवा किसी खाद्य उत्पाद के आयात, विनिर्माण, परिवहन, भण्डारण, वितरण या बिक्री पर प्रतिबंध है।

निजी कोचिंग केन्द्र

6379. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय को शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि एस.ए.आई. के कुछ कोच भारी लाभ प्राप्त करने हेतु अपने स्वयं के निजी कोचिंग केन्द्र चला रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे कोचों के विरुद्ध कोई कार्रवाई किए जाने पर विचार हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) ने क्रिकेट कोचों विशेषकर उन क्रिकेट कोचों को जो लापरवाह और अनियमित हैं, के कार्य-निष्पादन की निगरानी करने हेतु किसी तंत्र का विकास किया है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा): (क) से (घ) जी, हां। श्री रविकुमार, पत्रकार से एक शिकायत प्राप्त हुई है कि देहरादून के अधिकांश प्रशिक्षकों ने अपना निजी व्यवसाय शुरू किया हुआ है और शेष प्रशिक्षक, संस्थानों, स्कूलों और कालेजों से जुड़ गए हैं। इस संबंध में, भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय केन्द्र की टिप्पणियां प्राप्त कर ली गई हैं। यह पता चला है कि नि:संदेह कुछ प्रशिक्षक पिछले दस वर्षों से देहरादून में तैनात हैं लेकिन प्रशिक्षकों के प्रदर्शन न करने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है और उनमें से कुछ ने कई राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार किए हैं। मामले की जांच चल रही है। एक शिकायत श्री के.वी. शर्मा, पूर्व प्रशासक, डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी तरणताल परिसर (सेवा निवृत्त) के विरुद्ध भी प्राप्त हुई थी और मामले की जांच की जा रही है।

(ङ) क्रिकेट सहित सभी खेल विधाओं के प्रशिक्षकों की निगरानी संबंधित क्षेत्रीय प्रमुख के अधीन प्रत्येक क्षेत्र में गठित निगरानी प्रकोष्ठ द्वारा की जा रही है। जो प्रशिक्षक अपनी ड्यूटी करने में लापरवाह और अनियमित पाए गए हैं, ठनके विरुद्ध संबंधित क्षेत्रीय प्रमुखों द्वारा समय-समय पर आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाती है।

(च) ज्योंही किसी विशिष्ट घटना/घटनाओं को सरकार के ध्यान में लाया जाता है, नियमों के अनुसार दोषी अधिकारी/अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

हल्दिया से इलाहाबाद के लिए पोत सेवा

6380. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में हल्दिया से उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद तक वाया पटना माल ढुलाई हेतु पोत सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु अब तक कितना कार्य किया गया है;

(ग) इस संबंध में अब भी किए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस कार्य के कब तक पूर्ण होने की संभावना है और उक्त सेवा के कब तक शुरू होने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी) (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बीपीओ फर्में

6381. श्री सईदुज्जमा: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिजनेस प्रासेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) फर्में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी कार्य कर रही हैं जैसा कि 11 मार्च, 2003 के 'द इकानामिक टाइम्स' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) इस क्षेत्र में प्रतियोगिता से बचने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर): (क) से (ग) एसटीपी योजना के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी सेवा और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित क्षेत्र दोनों ही शामिल हैं। एक साफ्टवेयर निर्यातक इकाई बाजार की स्थिति और तकनीकी विशेषज्ञताओं के आधार पर किसी एक अथवा दोनों क्षेत्रों में कार्य कर सकती है। सूचना प्रौद्योगिकी सेवा और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित क्षेत्रों के मध्य प्रतिस्पर्धा उत्तरी अमरीका, यूरोपीय और विश्व के अन्य बाजारों में बाजार प्रेरित कारकों से निर्धारित होती है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा के कारण इन दोनों क्षेत्रों से निर्यात में वृद्धि हो रही है और इन इकाइयों के मध्य मुक्त प्रतिस्पर्धा पर कोई प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है।

पी.एफ.ए. में खाद्य की परिभाषा

6382. श्री बृजभूषण शरण सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पी.एफ.ए. में खाद्य की परिभाषा में विशेषत: दवाएं और पानी शामिल नहीं हैं;

(ख) पी.एफ.ए. में खाद्य की परिभाषा में विशेष रूप से पानी को शामिल नहीं किए जाने का विधिक प्रभाव क्या है;

(ग) क्या बोतल बंद पानी के संबंध में पी.एफ.ए. के अंतर्गत बने नियम बिना सांविधिक प्राधिकार के हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ङ) यह संसाधित या पैकेज्ड पीने का पानी या प्राकृतिक मिनरल पानी न होकर केवल सादा पानी है जिसे खाद्य की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाता है। कोडेक्स एलमैन्टेरियस कमीशन के द्वारा मिरनल पानी व पैकेज्ड पीने के पानी, दोनों को खाद्य के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है।

भारत के विरूपित मानचित्र

6383. श्री रामजीवन सिंह: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय तथा विदेशी दोनों पत्रिकाओं/प्रकाशनों में प्रकाशित और देश के क्षेत्र संबंधी मानचित्रों और इसकी प्रमाणिकता का पता करने अथवा अन्य कारण से देश में आयातित विभिन्न पुस्तकों में प्रकाशित इन पुस्तकों की जांच के लिए वर्तमान प्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितने मामलों में देश की सीमा को मानचित्र में गलत और अप्रमाणिक दिखाया गया है और उन देशों के नाम क्या हैं जहां से ये प्रकाशित हुए हैं; और

(ग) क्या इस विषय को सरकार द्वारा संबद्ध प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना): (क) भारत की बाह्य सीमाओं के गलत चित्रण के विशिष्ट मामले या तो विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केन्द्रों द्वारा अथवा सीमा शुल्क प्राधिकरणों द्वारा सरकार के ध्यान में लाए जाते हैं। सीमा-शुल्क प्राधिकरण को नक्शे में गलती का पता तब चलता है जब उनके समक्ष ऐसी पुस्तकों/प्रकाशनों/दस्तावेजों के आयात के लिए प्रस्ताव जाता है। गृह मंत्रालय/सीमा शुल्क प्राधिकरणों से संदर्भ प्राप्त होने पर विदेश मंत्रालय भारतीय सर्वेक्षण के साथ परामर्श करके मामले की जांच करता है। नक्शे का गलत चित्रण होने की दशा में, सीमा-शुल्क प्राधिकरण को प्रकाशन पर एक सांकेतिका "नक्शे में चित्रित भारत की बाह्य सीमाएं न तो सही हैं और न ही प्रमाणित हैं" सम्बद्ध करने के पश्चात् प्रकाशन को जारी करने के उपर्युक्त अनुदेश दिए जाते हैं। सीमा-शुल्क प्राधिकरण घोर उल्लंघन के मामले में प्रकाशनों के आयात पर प्रतिबन्ध भी लगा देता है।

(ख) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान यू.के., संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमरीका, स्विटजरलैण्ड, नीदरलैंड से प्रकाशनों से सम्बद्ध आठ ऐसे मामलों की खबर मिली है। ऐसे सभी मामलों में विदेश मंत्रालय, विदेश स्थित संबंधित मिशनों/केन्द्रों को संबंधित प्राधिकरण के साथ गलत चित्रण के मसले को उठाने और इन विकृतियों/गलतियों को भावी प्रकाशनों में पुनः न करने के लिए उन पर दबाव डालने को कहता है।

स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना

6384. डा. बी.बी. रमैया: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना बिहार में निर्धारित अवधि से पीछे चल रही है और अब इसे नक्सलियों के क्रोध का सामना करना पड़ रहा है जो तकनीकी कर्मचारियों को अपना काम करने नहीं दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्मियों ने कार्यस्थल को छोड़ दिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा कर्मियों को कार्यस्थल पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी]: (क) जी हां। बिहार में स्वर्णिम चतुर्भुज से संबंधित कुछ परियोजनाओं की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ख) कुछ श्रमिक कार्य स्थल से चले गए जिसके कारण कुछ समय तक कार्य रुक गया और कुछ खंडों में कार्य की गति धीमी हुई हो गई।

(ग) यह मामला बिहार सरकार के साथ उठाया गया था और इसके फलस्वरूप पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई। स्थानीय प्राधिकारियों से परियोजना स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाने का अनुरोध किया गया है ताकि कार्य बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सके।

कम्प्यूटर का उपयोग

6385. श्री जी.एस. बसवराज: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालयीय कार्यों में कम्प्यूटर के उपयोग से अधिकारिक गुप्तता के न बने रहने की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में बढ़ते साइबर अपराध को रोकने के लिए कोई ठोस नीति बनायी गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो मंत्रालय को कागजी कार्रवाई से मुक्त बनाने के निर्णय का औचित्य क्या है;

(ङ) क्या मंत्रालयीय कार्यों में कम्प्यूटरीकरण शुरू करने से बेरोजगारी और बढ़ने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर): (क) सरकारी कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण सरकारी गोपनीयता की आवश्यकता के अनुरूप किया जा रहा है।

(ख) साईबर अपराध को रोकने के लिए साईबर नियम बनाए गए हैं।

(ग) इनका विवरण सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में दिया गया है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) और (च) सरकार में कम्प्यूटरीकरण का उद्देश्य रोजगार में कमी करना न होकर सेवाओं को उपलब्ध कराने की गति और क्वालिटी में सुधार करना है।

केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन

6386. **श्री अजय सिंह चौटाला:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सर्वोच्च समिति द्वारा निर्धारित सुरक्षोपाय के बिना वैकल्पिक प्रौद्योगिकी की सुविधा देने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार परिवहन क्षेत्र में विदेशी प्रौद्योगिकी के एकाधिकरण को शुरू करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो एकाधिकार प्रौद्योगिकी को शुरू करने से राज्य सरकार को रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी]: (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर वाहनों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए साफ्टवेयर विनिर्देश तैयार किए हैं। सभी राज्यों द्वारा अपनाए जाने के लिए मानक साफ्टवेयर फार्मेट, सामान्य विनिर्देश, आई एस ओ-7816 मानकों पर आधारित प्रचालन व्यवस्था के लिए कार्य दस्तावेज तथा टर्मिनलों पर प्रचालित किए जाने के लिए अनुप्रयोग साफ्टवेयर का विकास और हस्तग्राह्य रीडर्स सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पहले ही निःशुल्क परिचालित कर दिए गए हैं। स्मार्ट कार्ड प्रचालन व्यवस्था मानक, खुले अधिकार क्षेत्र में रखे जाते हैं और ये स्वामित्व मानक नहीं हैं। यह प्रौद्योगिकी के एकाधिकार को रोकने के लिए है।

स्वच्छता कार्यक्रम हेतु ऋण

6387. **श्री प्रबोध पण्डा:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) ने हाल ही में पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम को सहायता देने हेतु भारत के लिए कोई ऋण स्वीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस ऋण को किस प्रकार उपयोग किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, नहीं। देश में पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत सरकार को कोई वित्तीय ऋण प्रदान नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

निर्धनों हेतु संयुक्त राष्ट्र सहायता

6388. **श्रीमती रेणूका चौधरी:**
श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र ने पूर्वी तथा पश्चिम अफ्रीका में गंभीर कुपोषण का सामना कर रहे लगभग 15 मिलियन लोगों की सहायता के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहायता की अपील की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और इन देशों के लिए प्रदान की जाने वाली प्रस्तावित सहायता का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) भारत ने सूखे से प्रभावित कुछ अफ्रीकी देशों को 31.74 करोड़ रुपए की लागत की खाद्य सहायता द्विपक्षीय माध्यम से देने का निर्णय लिया है।

नकली प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र

6389. **श्री सुबोध मोहिते:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक की नई रिपोर्ट में दिल्ली, मुंबई, बंगलौर और पुणे में प्रदूषण के बढ़ने के लिए नकली प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र को दोषी बताया गया है जैसा कि 5 फरवरी, 2003 के "इंडियन एक्सप्रेस" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निवारक उपाय किये गए हैं/किए जाने हैं;

(घ) क्या यूरो-2 मानदण्ड के अंतर्गत विनिर्मित वाहनों के लिए भी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र अपेक्षित हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी]: (क) और (ख) नकली प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र इन शहरों में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि का एक कारण हो सकते हैं।

(ग) निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं/किए जाने का प्रस्ताव है:

(1) दस्तावेज पर फोटोग्राफी द्वारा प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र के लिए जांच किए जा रहे वाहन की पंजीकरण संख्या की छपाई तथा प्रमाण पत्र में वाहन के उत्सर्जन के स्तर के मुद्रण के लिए कंप्यूटरों का प्रयोग।

(2) देश के लिए भावी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र सड़क नक्शा तैयार करना तथा गैसोलीन वाहनों के लिए वर्तमान उत्सर्जन मानकों को कठोर बनाना।

(3) CO की माप के अलावा हाइड्रोकार्बन की माप।

(4) देश में एक व्यवस्थित समयबद्ध रूप में 4 गैस विश्लेषकों की शुरूआत ताकि अंततः लेमडा की माप की जा सके जो भारत स्टेज-II का अनुपालन करने वाले मोटर वाहनों में लगे त्रिविधि क्लोज्ड लूप केटेलिक कंवर्टरों की कार्य क्षमता की माप करता है। 4 गैस विश्लेषक, CO के अलावा हाइड्रोकार्बन, CO_2 और O_2 के उत्सर्जन की माप करने में सक्षम होंगे। लेमडा की माप, CO_2 और O_2 उत्सर्जन के आधार पर की जाती है।

(घ) और (ङ) सभी मोटर वाहनों के लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसियों द्वारा जारी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र रखना आवश्यक है। यह सभी श्रेणी और किस्म के मोटर वाहनों के लिए अनिवार्य है।

यौगिक दवाओं (काम्बिनेशन ड्रग्स) की बिक्री

6390. **श्री विनय कुमार सोराके:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यौगिक दवाओं को अतर्कसंगत और खतरनाक माना जाता है;

(ख) क्या औषधि और प्रसाधन नियम के पैरा 122(ई) के अन्तर्गत जब भी दो या अधिक औषधियों को मिलाकर एक नयी औषधि बनायी जाती है तो इसके लिए भारत के औषध नियंत्रक से अनिवार्य अनुमोदन आवश्यक है;

(ग) क्या भारत के औषध नियंत्रक के अनुमोदन के बिना भारत में बड़ी संख्या में इस प्रकार की यौगिक औषधियां बेची जाती हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यौगिक औषधि बेचने वाली दोषी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, नहीं। औषधों के सम्मिश्रण वैध चिकित्सीय सिद्धांतों और रोगी अनुपालन इत्यादि पर आधारित हैं।

(ख) औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमों के नियम-122ई (ग) के अंतर्गत दो अथवा इससे अधिक औषधों के इस नियत खुराक वाले सम्मिश्रण को ही पहले कुछ निश्चित दावों के लिए अनुमोदित किया गया जिनका अब पहली बार एक नियत अनुपात में मिलाये जाने अथवा यदि पहले से ही बाजार में विपणन किए जाने वाले सम्मिश्रण में कतिपय दावों के साथ अवयवों के अनुपात में परिवर्तन

किए जाने का प्रस्ताव है, तो इसके वास्ते औषध नियंत्रण (भारत) से पूर्वानुमोदन अपेक्षित है।

(ग) और (घ) राज्य लाइसेंस प्राधिकारी औषध एवं प्रशाधन सामग्री नियमों के उपबंधों के अंतर्गत पेटेन्ट और स्वामित्व वाली औषधों समेत औषध निर्माण लाइसेंस प्रदान करते हैं। उक्त नियमों में राजपत्र अधिसूचना सं. सा.का.नि. 31(ई) दिनांक 1 मई, 2002 के माध्यम से संशोधन किया गया है जिसके तहत राज्य लाइसेंस प्राधिकारियों के वास्ते यह अनिवार्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि नई औषध की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले औषध योगों के लिए औषध नियंत्रक (भारत) से पूर्वानुमति प्राप्त करनी चाहिए।

(ङ) संबंधित राज्य लाइसेंस प्राधिकारियों को ऐसे औषध योगों के लिए दी गई अनुमति को वापिस लेने का निर्देश दिया गया है।

भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा चिकित्सा विश्वविद्यालयों को मान्यता

6391. **श्रीमती प्रभा राव:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विद्यार्थियों द्वारा विदेश में अपनी चिकित्सा की पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके पंजीयन के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा क्या प्रक्रिया अपनायी गयी है; और

(ख) भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त भारत तथा विदेश में चिकित्सा विश्वविद्यालयों की संख्या क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2001 और उसके अंतर्गत बनाए गए जांच परीक्षा विनियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार भारत से बाहर की किसी चिकित्सा संस्था द्वारा प्रदान की गई प्राथमिक चिकित्सा अर्हता रखने वाले भारतीय नागरिक को, जो 15 मार्च, 2002 को या उसके बाद भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अथवा किसी राज्य की आयुर्विज्ञान परिषद में अस्थाई अथवा स्थाई पंजीकरण कराने का इच्छुक हो, उसे इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्राधिकारी द्वारा आयोजित जांच परीक्षा पास करनी होगी। भारतीय छात्रों के पास प्राथमिक चिकित्सा अर्हता उस देश में चिकित्सक के रूप में दर्ज किए जाने के लिए मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता चाहिए, जिसमें उक्त अर्हता को प्रदान करने वाली संस्था स्थित है और जो भारत में एम.बी.बी.एस. के समकक्ष हो।

(ख) देश में पांच राज्यों ने स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं जो कि मान्यता प्राप्त चिकित्सा डिग्रियां प्रदान कर रहे हैं। इन्हें मिलाकर 117 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनकी चिकित्सा डिग्रियां केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2001 के अधिनियमित हो जाने से जिन देशों के साथ भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 12 के अंतर्गत आदान-प्रदान योजना है, उनमें स्थित संस्थाओं को छोड़कर, अन्य विदेशी चिकित्सा संस्थाओं को मान्यता की कोई संकल्पना नहीं है।

डाक घरों में पी.सी.ओ. सुविधा

6392. **श्री सवशीभाई मकवाना:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात के सभी डाक घरों में पी सी ओ (पब्लिक काल आफिस, एक रु. बाक्स) कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) राज्य में उन डाक घरों की संख्या कितनी है जहां पीसीओ उपलब्ध नहीं है; और

(ङ) सभी डाक घरों में कब पीसीओ सुविधा उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) जी, नहीं। गुजरात राज्य के 9270 डाकघरों में से 21 डाकघरों को क्वाइन कलेक्शन बाक्स (सीसीबी) लोकल पीसीओ प्रदान कर दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त, 1591 डाकघरों में अटेण्डेड टाइप पीसीओ उपलब्ध हैं।

(ग) डाकघरों में सीसीबी पीसीओ तभी प्रदान किये जाते हैं जब जनता और डाक प्राधिकारियों से न्यायोचित अनुरोध-पत्र प्राप्त होते हैं। अभी तक ऐसा कोई भी अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) गुजरात के 7658 डाकघरों में कोई पीसीओ बूथ नहीं है।

(ङ) सभी डाकघरों में पीसीओ प्रदान करने की कोई नीति नहीं है। अत: जनता और डाक प्राधिकारियों से न्यायोचित अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर ही पीसीओ प्रदान किये जा सकते हैं।

उड़ीसा में ओ एफ सी की लम्बाई

6393. **श्री भर्तृहरि महताब:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में अभी तक बिछाये गए अधिकृत फाइबर केबल की कुल लम्बाई क्या है;

(ख) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान और ओ एफ सी बिछाये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) उड़ीसा में अब तक 14,625 किमी आप्टिकल फाइबर केबल बिछाया जा चुका है।

(ख) जी, हां।

(ग) उड़ीसा में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 500 किमी आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का प्रस्ताव है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना

6394. श्री पुन्नू लाल मोहले: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिलासपुर-मुंगेली-पौड़ी को राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 12ए के साथ जोड़ने तथा इस खंड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव लंबित है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में इसके दर्जे को कब तक बढ़ाए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी]: (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति

6395. श्री चन्द्र विजय सिंह: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हापुड़ से रामपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 24 की खराब स्थिति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त पट्टी को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव लंबित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस पट्टी पर यातायात क्षमता बढ़ाने हेतु अपेक्षित निधियां स्वीकृत नहीं की हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का प्रस्ताव इस पट्टी की स्थिति को सुधारने हेतु और निधियां आबंटित करने का है; और

(च) यदि हां, तो 2003-2004 के दौरान कितनी निधियां आबंटित की गई?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी]: (क) से (ग) हापुड़ से रामपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 24 यातायात योग्य स्थिति में है। तथापि, सड़क के इस खंड को आगे विकास और अनुरक्षण के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा जा रहा है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) धनराशि का आबंटन राज्य वार किया जाता है न कि परियोजना-वार।

डाकघरों का खोला जाना

6396. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात के सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र में डाकघरों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त क्षेत्र में नए डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त डाकघरों के कब तक खोले जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) नए डाकघर खोलना ऐसे प्रस्तावों की उपलब्धता पर निर्भर है जो निर्धारित मानदण्डों को पूरा करते हों। फिलहाल, उक्त क्षेत्र में नया डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करना

6397. **कुंवर अखिलेश सिंह:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने राष्ट्रमंडल खेल, 2010 की मेजबानी करने का प्रबल दावा पेश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितनी निधियां खर्च होने की संभावना है;

(घ) निधियों को किन स्रोतों से प्राप्त किया जाएगा;

(ङ) खिलाड़ियों को किस प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रमंडल खेलों के लिए चुना जाएगा; और

(च) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा): (क) और (ख) भारतीय ओलंपिक संघ के अनुरोध पर सरकार ने भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल, 2010 की मेजबानी करने के लिए दावेदारी हेतु कोई आपत्ति न करने का संकेत दिया है।

(ग) और (घ) निधियों की आवश्यकता और इसके स्रोतों के ब्यौरों का पता केवल भारत को खेलों का आबंटन किये जाने पर ही हो सकता है।

(ङ) और (च) भारतीय खिलाड़ियों का चयन संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों द्वारा निर्मित चयन समिति द्वारा किया जाना होता है।

[अनुवाद]

नए डाकघर खोलना

6398. **श्री भान सिंह भौरा:**
श्री ए. नरेन्द्र:
श्री जी.एस. बसवराज:
श्री नागमणि:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड, पंजाब और कर्नाटक में जिलावार कितने नए डाकघर, शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) उन राज्यों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कितने डाकघर खोले गए;

(ग) चालू वित्त वर्ष में इस प्रयोजनार्थ कितनी निधियां आवंटित की गईं;

(घ) इन राज्यों में 2002-2003 की अवधि के दौरान क्या लक्ष्य निर्धारित और प्राप्त किया गया; और

(ङ) सरकार द्वारा इन राज्यों में डाक सेवाओं में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर): (क) से (ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड, पंजाब और कर्नाटक में नए विभागीय डाकघर और शाखा डाकघर खोलने के लिए लक्ष्य और धनराशि आवंटित करने की प्रक्रिया अभी जारी है। तत्पश्चात् इन डाकघरों के स्थान का सर्किलों द्वारा निर्धारण मानदंडों के आधार पर न्यायोचित प्रस्तावों की प्राथमिकता के अनुसार किया जाएगा।

(घ) 2002-2003 की अवधि के दौरान इन राज्यों में निर्धारित और प्राप्त लक्ष्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) मौजूदा डाक सेवाओं में दैनिक डाक वितरण तथा संग्रहण और ग्राहकों के द्वारा तक डाक-टिकटों की बिक्री शामिल है। अन्य डाक सुविधाओं की उपलब्धता में सुधार निर्धारित मानदण्डों के पूरा होने और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर नए डाकघर खोलकर और उन स्थानों पर पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलकर किया जाता है जहां दूरी और जनसंख्या संबंधी मानदण्डों के अनुसार डाकघर खोलने का औचित्य हो परन्तु आय संबंधी मानदण्डों के आधार पर नहीं।

मौजूदा डाक सेवाओं में सुधार के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं जिनमें डाकघरों में संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर काउंटर सेवाओं का चरणबद्ध रूप में कम्प्यूटरीकरण; क्षमता और मांग वाले चुनिंदा स्थानों तथा स्पीड पोस्ट सुविधाओं का विस्तार; डाक वितरण की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए आवश्यकतानुसार उपचारात्मक कदम उठाने के लिए नियमित रूप से मेल सर्वेक्षण करना शामिल है।

विवरण

2002-2003 की अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश, झारखण्ड, पंजाब और कर्नाटक में निर्धारित और प्राप्त लक्ष्यों का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य का नाम	नए डाकघर खोलने के लिए निर्धारित लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य
1.	आंध्र प्रदेश	3	3
2.	झारखण्ड	10	8
3.	पंजाब	6	6
4.	कर्नाटक	10	9

[हिन्दी]

खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता

6399. **श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद स्पर्धाओं में भाग लेने वाले महाराष्ट्र के खिलाडियों की संख्या कितनी है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा): सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

एम टी एन एल में भ्रष्टाचार

6400. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली में एम टी एन एल द्वारा चलाई जा रही गरूड़ मोबाइल/डब्ल्यूएलएल सेवा, डालफिन और अन्य मोबाइल सेवाओं में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में संसद सदस्यों और अन्यों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई अथवा की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, कतिपय अनियमितताएं देखने में आयी हैं।

(ख) और (ग) (1) माननीय संसद सदस्य श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डे की दिनांक 29.4.2003 की शिकायत संख्या 939/सीएमडी/एमटीएनएल प्राप्त हुई है।

(2) यह शिकायत प्राप्त हुई थी कि बिलों की प्राप्ति बुकिंग के बिना हो रही है। जांच करने पर यह पता चला कि कुछ उपभोक्ताओं ने झूठे दस्तावेजों पर कनैक्शन प्राप्त किए थे।

(घ) (1) ऊपर भाग (ग) के उत्तर के अनुसार, माननीय संसद सदस्य की शिकायत की जांच की गई थी और यह पाया गया कि डब्ल्यूएलएल फोन नं. 20061835 पर एसटीडी सुविधा देने में विलम्ब हुआ था। दोषी अधिकारी की सेवा अभिलेख में उपयुक्त प्रविष्टि करके उन्हें एक ज्ञापन जारी किया गया है।

(2) झूठे बिलों से संबंधित मामले की जांच की गई है जिसके आधार पर कतिपय सिफारिशें की गई जिन्हें अब ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कार्यान्वित किया गया है।

[अनुवाद]

धनादेशों की लागत में कमी

6401. **श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंकों के डिमांड ड्राफ्ट धनादेश से सस्ते पड़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने धनादेशों की लागत कम करने हेतु कोई प्रयास किये हैं;

(घ) यदि हां, तो धनादेशों को गुणकारी तथा उचित मूल्य वाली सेवा बनाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) धनादेशों की लोकप्रियता में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या अन्य उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर): (क) डिमांड ड्राफ्ट पर अलग-अलग बैंक अलग-अलग कमीशन दर वसूलते हैं। ग्राहक को कमीशन के अलावा रजिस्टर्ड डाक अथवा कुरियर के माध्यम से बैंक ड्राफ्ट के प्राप्तकर्ता तक पारेषण हेतु कुछ अतिरिक्त व्यय भी करना पड़ता है। मनीआर्डर का शुल्क ग्राहक से प्राप्तकर्ता के द्वार तक इसे पारेषित करने की सम्मिलित राशि है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) अब तक किए गए प्रयासों को मनीआर्डर पारेषण की गति बढ़ाने तथा इसे और कुशल बनाने पर केंद्रित किया गया है। तदनुसार, आधुनिकीकरण की नीति के एक भाग के रूप में विभाग ने अनुवर्ती योजनाओं के अंतर्गत वेरी स्माल अपर्चर टर्मिनल्स (वीएसएटी) के माध्यम से एक उपग्रह आधारित संचार नेटवर्क स्थापित किया है जिससे पारेषण समय में कमी आई है। यह प्रणाली टेलीफोन लाइनों के माध्यम से देश भर के लगभग 1500 डाकघरों से जुड़ी है। भविष्य में देश के समस्त मनीआर्डर परियात को चरणबद्ध रूप में वीएसएटी नेटवर्क पर लाने का प्रस्ताव है।

छोटे बंदरगाहों से सड़क संपर्क

6402. डा. मन्दा जगन्नाथः क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गंगावरम, कृष्णपट्टनम और वोदारेड की छोटी बंदरगाहों की क्षमता बढ़ाने और इन्हें सड़क से जोड़ने से संबंधित कार्य कराने हेतु निधियां आबंटित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को ऐसा अनुरोध कब प्राप्त हुआ था;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ निधियां आबंटित करने हेतु कोई निर्णय लिए हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार का प्रस्तावों पर कब तक कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी]: (क) जी हां।

(ख) यह अनुरोध अक्तूबर, 2002 में प्राप्त हुआ था।

(ग) से (ङ) आंध्र प्रदेश सरकार को सूचित किया गया था कि चूंकि उपर्युक्त पत्तनों को जोड़ने वाली सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं हैं, मंत्रालय द्वारा इन सड़कों के विकास के लिए कोई धनराशि आबंटित नहीं की जा सकती। यह भी सूचित किया गया कि राज्य सरकार केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत इन सड़कों के विकास के वित्त पोषण पर विचार कर सकती है।

सर्वाधिक पिछड़े जिलों की पहचान करना

6403. श्री नरेश पुगलियाः क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पच्चीस सर्वाधिक पिछड़े जिलों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो इन जिलों के राज्यवार नाम क्या हैं; और

(ग) महाराष्ट्र के गढ़चिरोली और भंडारा जिलों के विशेष उल्लेख सहित प्रत्येक जिलें में अभी तक क्या विकास कार्य कराये गये/कराये जाने हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए एक नयी पहल, नामतः राष्ट्रीय सम विकास योजना (विकास और सुधार सुविधा) प्रस्तावित है। अनंतिम रूप से 25 जिलों की पहचान की गई है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) स्कीम के ब्यौरों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

विवरण

राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत पिछड़े जिले पहल के लिए जिलों की अनंतिम सूची दर्शाती तालिका

क्र.स.	राज्य का नाम	जिले का नाम
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1. अदिलाबाद
		2. वारंगल
2.	छत्तीसगढ़	3. बस्तर
		4. दंतवाड़ा
3.	गुजरात	5. डांग्स
4.	झारखंड	6. लोहरदग्गा
		7. गुमला
		8. सिमदेगा

1	2	3
5.	कर्नाटक	9. गुलबर्गा
6.	केरल	10. पलक्कड़
7.	मध्य प्रदेश	11. बरवानी
		12. मंडला
		13. पश्चिम निमार (खरगोन)
8.	महाराष्ट्र	14. गड़चिरोली
		15. भंडारा
9.	राजस्थान	16. बांसवाड़ा
		17. डुंगरपुर
10.	तमिलनाडु	18. तिरुवन्नमलाई
11.	उत्तर प्रदेश	19. सोनभद्र
		20. राय बरेली
		21. उन्नाव
		22. सीतापुर
		23. हरदोई
12.	पश्चिम बंगाल	24. पुरुलिया
		25. जलपाईगुड़ी

औषधियों के लाइसेंस देने की शक्तियां

6404. श्री रामटहल चौधरी:
श्री मानसिंह पटेल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) औषधियों के लाइसेंस देने की शक्ति संबंधी विद्यमान नियम और विनियम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का प्रस्ताव वर्तमान में राज्यों के पास निहित औषधियों के लाइसेंस देने की शक्ति को समाप्त करने का हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सतर्कता प्रणाली के साथ औषधियों के विनिर्माण और व्यापार होने के लिए केन्द्रीयकृत लाइसेंस प्रणाली वाले इस प्रस्ताव से बहुत से विनियामक मुद्दों को हल करने में मदद मिलेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रस्ताव को लागू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) औषध विनिर्माण और बिक्री-प्रतिष्ठानों को लाइसेंस प्रदान करना समय-समय पर यथा संशोधित औषध और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के अन्तर्गत आता है। इन नियमों के अनुसार औषधियों के विनिर्माण और बिक्री के लिए लाइसेंस सम्बन्धित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। नई औषधि की स्वीकृति औषध महानियंत्रक (भारत) के कार्यालय द्वारा प्रदान की जाती है और उसके आधार पर राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा लाइसेंस प्रदान किए जा सकते हैं। वैक्सीन और सीरा, लार्ज वाल्यूम परेंटरल्स (एल वी पी) और रक्त बैंक/रक्त उत्पादों जैसे औषधों की कुछ श्रेणियों के लिए विनिर्माण लाइसेंसों का अनुमोदन केन्द्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकारी (सी एल ए ए) द्वारा किया जाता है।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) बहुत से राज्यों में औषध विनियामक ढांचे के कार्यान्वयन में असमानता एवं अपर्याप्तता होने के कारण विभिन्न मंचों पर यह विचार प्रकट किया गया है कि देश में औषधियों के विनिर्माण के लिए लाइसेंसिंग प्रणाली को केन्द्रीयकृत किया जाए ताकि अच्छी विनिर्माण पद्धतियों के समान स्तर बनाया जा सके तथा औषध मिश्रणों की जांच सुनिश्चित हो सके।

(ङ) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डा. आर.ए. मशेलकर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है जो अन्य बातों के साथ-साथ देश में औषध विनियामक प्रणाली के ढांचे तथा केन्द्र और राज्यों में औषध विनियामक ढांचे को सुदृढ़ करने पर विचार करेगी।

[हिन्दी]

खराब टेलीफोन एक्सचेंज/टेलीफोन

6405. श्री हरिभाई चौधरी:
श्री लक्ष्मण गिलुवा:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश टेलीफोन एक्सचेंज और टेलीफोन छः माह से अधिक समय से खराब हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे गांवों का राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप हुई हानि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अनेक अधिकारी इस संबंध में दोषी पाए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

झारखंड में "सेलवन" सेवा आरंभ किया जाना

6406. **श्री ब्रज मोहन राम:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड सर्किल के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में बी.एस.एन.एल. की पोस्ट पेड और प्री पेड "सेलवन" सेल्यूलर सेवा हेतु वितरकों की नियुक्ति हेतु आमंत्रित निविदाओं की तकनीकी बोलियों को खोलने में विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, नहीं। तकनीकी बोलियां एन आई टी में उल्लिखित तारीख और समय के अनुसार ही खोली गई थीं।

अब वित्तीय बोलियां खोली गई हैं तथा निविदा को अंतिम रूप देने हेतु निविदा मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर कार्यवाही चल रही है।

(ख) और (ग) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

गुर्दा रोग

6407. **श्री सुन्दर लाल तिवारी:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में प्रतिवर्ष 1.5 लाख लोग गुर्दा रोग के शिकार हो जाते हैं जैसाकि दिनांक 7 मार्च, 2003 के "राष्ट्रीय सहारा" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस रोग के कारणों की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इसे रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) देश में किडनी रोग से प्रभावित लोगों की संख्या का पता करने के लिए कोई राष्ट्रीय सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

गुर्दे के रोग के कारणों और उनकी रोकथाम की जांच विभिन्न केन्द्रीय अस्पतालों द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में निवारक शिक्षा कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं।

आप्टिकल फाइबर और दूरभाष केन्द्रों के नवीकरण हेतु ठेके

6408. **श्री सुकदेव पासवान:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन फर्मों/ठेकेदारों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें एक से अधिक मुख्य महाप्रबंधक सर्किल में आप्टिकर फाइबर कार्य तथा दूरभाष केन्द्रों के नवीकरण हेतु ठेके प्राप्त हुए हैं; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

नेशनल इलनेस एसोसिएशन फंड

6409. **डा. सुशील कुमार इन्दौरा:**
श्री रामजी लाल सुमन:
प्रो. ए.के. प्रेमाजम:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ए आई आई एम एस (एम्स) में अनेक मरीजों को "नेशनल इलनेस एसोसिएशन फंड" के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज तक "नेशनल इलनेस एसोसिएशन फंड" के अन्तर्गत सरकार द्वारा आबंटित और एम्स द्वारा उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और इससे कितने मरीज लाभान्वित हुए हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि "नेशनल इलनेस एसोसिएशन फंड" की कमी के कारण एम्स में इलाज हेतु प्रतीक्षारत मरीजों की लम्बी सूची है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां। जीवन के लिए सर्वाधिक खतरा पैदा करने वाले रोगों से पीड़ित गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले रोगियों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान समेत किसी भी सरकारी/अति विशिष्टता की सुविधा रखने वाले अस्पताल/संस्थान में चिकित्सीय उपचार के वास्ते राष्ट्रीय बीमारी सहायता निधि, जिसको अब राष्ट्रीय अरोग्य निधि के नाम से जाना जाता है, की प्रबन्ध समिति वित्तीय सहायता मंजूर करती है। चिकित्सा अधीक्षक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के विवेक पर 20 लाख रुपए की एक चल निधि भी रखी गई हैं ताकि वह इस संस्थान में उपचार के लिए रिपोर्ट करने वाले प्रत्येक उपयुक्त मामले में 50,000/- रुपए तक की तत्काल वित्तीय सहायता मंजूर कर सके।

(ख) वर्ष	राष्ट्रीय अरोग्य निधि के अन्तर्गत अ.भा.आयु.सं. को आबंटित किया गया धन (लाख रुपए में)	अ.भा.आयु.सं. द्वारा रोगियों/लाभार्थियों को संवितरित धनराशि (लाख रुपए में)	इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित रोगियों की संख्या
2000-01	35.82	37.43	109
2001-02	197.45	161.66	413
2002-03	56.00	84.77	254
कुल	289.27	283.86	776

(ग) से (ङ) इस समय सभी रोगियों जिनको राष्ट्रीय आरोग्य निधि की प्रबन्ध समिति द्वारा वित्तीय सहायता मंजूर की गई थी, को मंजूर की गई धनराशि में से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में चिकित्सीय उपचार प्राप्त हुआ है कर रहे हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार 77 रोगी, जिनको चिकित्सा अधीक्षक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के विवेक पर रखी गई चल निधि में से वित्तीय सहायता मंजूर की गई है, धन की कमी के कारण उपचार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चिकित्सा अधीक्षक, अखिल भारतीय आयु-विज्ञान संस्थान को जून, 2002 में चल निधि को जारी किए गए 20 लाख रुपए का समुपयोजन प्रमाण पत्र भेजने का अनुरोध किया गया है जैसाकि सामान्य वित्तीय नियम-19 के अन्तर्गत चल निधि को संपूरित करने के वास्ते यथापेक्षित है।

[अनुवाद]

बकाया धनराशि को जारी किए जाने में विलंब

6410. श्री के.ई. कृष्णमूर्तिः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उनके मंत्रालय के पास आंध्र प्रदेश हेतु परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2000-2001 से संबंधित बकाया धनराशि लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस धनराशि को जारी करने में असाधारण विलम्ब हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और बकाया राशि को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

कैंसर संस्थानों की स्थापना

6411. **श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान क्षेत्रीय कैंसर संस्थानों ने विदेशों से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार दसवीं योजना के दौरान देश में और कैंसर संस्थान खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

दूरसंचार नीति में परिवर्तन

6412. **श्री नवल किशोर राय:**
श्री रामजी लाल सुमन:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा अपनी वर्ष 1999 की दूरसंचार नीति में समय-समय पर क्या परिवर्तन किए गए हैं;

(ख) क्या इन परिवर्तनों में जनवरी, 2001 से डब्ल्यू.एल.एल. के प्रयोग की अनुमति भी शामिल है;

(ग) यदि हां, तो यह अनुमति किसे दी गई है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या डब्ल्यू.एल.एल. के प्रयोग हेतु अनुमति कुछ प्रतिबंधों के अध्यधीन रखी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके निर्बाध प्रयोग से क्या हानि होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) नई दूरसंचार नीति, 1999 (एनटीपी-99) में सरकार ने कोई परिवर्तन नहीं किया है।

(ख) से (ङ) वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जिसे भारत में 1995 के बाद से तरजीह दी जा रही है। एनटीपी-99 के अनुसार भी बुनियादी सेवा प्रदाताओं को डब्ल्यूएलएल की अनुमति प्राप्त है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशों पर विचार करने के बाद बुनियादी सेवा प्रचालकों को जनवरी, 2001 में अपने उपभोक्ताओं को वायरलैस एक्सेस प्रणाली के जरिए मोबिलिटी उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई थी, जो केवल स्थानीय क्षेत्र (अर्थात् वह अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र (एसडीसीए) जहां उपभोक्ता पंजीकृत है) तक सीमित है। ऐसी प्रणालियां लगाते समय प्रचालक को उस एसडीसीए की नंबरिंग योजना को अपनाना होगा तथा वह जिस एसडीसीए में पंजीकृत है उसके अलावा अन्य किसी उपभोक्ता टर्मिनल के साथ इसका अधिप्रमाणन अथवा कार्य संभव नहीं होना चाहिए। यह प्रणाली इस प्रकार से तैयार की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बातचीत के समय उपभोक्ता का एक एसडीसीए से दूसरे एसडीसीए में संपर्क न हो। एक सेवा क्षेत्र में डब्ल्यूएलएल का अप्रतिबंधित प्रयोग सेल्यूलर सेवा के समान होता है और इसकी परिकल्पना बुनियादी सेवा में नहीं की गई है।

[अनुवाद]

बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. द्वारा शुल्क की समीक्षा

6413. **श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी:**
श्री के.ए. सांगतम:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बी.एसएन.एल. और एम.टी.एन.एल. ने हाल में शुल्क दरों की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अस्वास्थ्यकर प्रतिस्पर्द्धा से बचने के लिए निजी कम्पनियों को विश्वास में लिया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या बी.एस.एन.एल. द्वारा घोषित शुल्क दरों की समीक्षा हेतु निजी संचालकों से कोई मांग प्राप्त हुई है; और

(च) यदि हां, तो सरकारी और निजी कंपनियों के लिए समान अवसर प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) भारत संचार निगम लिमिटेड

(बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) ने हाल ही में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अनुमोदन से फिक्सड टेलीफोन सेवाओं के संबंध में अपनी वैकल्पिक टैरिफ योजनाओं की घोषणा की है। बीएसएनएल तथा एमटीएनएल की इन वैकल्पिक टैरिफ योजनाओं का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है। ये आदेश 1.05.2003 से प्रभावी हुए हैं।

(ग) और (घ) जी नहीं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) अधिनियम, 1997 के अनुसार दूरसंचार टैरिफ निर्धारित करने का अधिकार केवल ट्राई को दिया गया है। ट्राई ने सभी सेवा प्रदाताओं के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे अपनी टैरिफ योजनायें कार्यान्वित करने के लिये उसका अनुमोदन प्राप्त करें। ट्राई द्वारा टैरिफ योजनाओं की जांच की जाती है ताकि मौजूदा विनियमन और ग्राहक हितों की सुरक्षा के अनुरूप उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। टैरिफ योजनाएं अनुमोदित करते समय, ट्राई, विनियामक मुद्दों का ध्यान रखता है और इस बात का भी ध्यान रखता है कि टैरिफ योजनाएं लागत आधारित, भेदभाव रहित और युक्तिसंगत हों।

(ङ) और (च) कुछ प्राइवेट आपरेटरों ने बीएसएनएल द्वारा घोषित टैरिफ दरों की पुनरीक्षा करने हेतु ट्राई को अभ्यावेदन दिया है। ट्राई से प्राप्त सूचना के अनुसार टैरिफ आदेश के 24वें संशोधन, आईयूसी व्यवस्था तथा अन्य विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार इन योजनाओं की सावधानपूर्वक जांच करने के बाद ही बीएसएनएल के टैरिफ पैकेजों को अनुमोदित किया गया था। यदि टैरिफ पैकेज विनियामक ढांचे के भीतर हैं तो प्राधिकरण के हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है।

विवरण I

बीएसएनएल: बुनियादी टेलीफोन सेवाओं के लिए टैरिफ

	ग्रामीण					शहरी					
	मौजूदा	ट्राई*	सामान्य	किफायती	विशेष	मौजूदा	ट्राई*	सामान्य	किफायती	विशेष	अति विशिष्ट
1000 लाइनों से कम एक्सचेंज क्षमता के लिए किराया	रु. 50	रु. 70	रु. 50	-	-	रु. 120	रु. 120	रु. 120	-	-	-
1000-29999 लाइनें	रु. 110	रु. 120	रु. 110	-	-	रु. 120	रु. 120	रु. 120	-	-	-
30000-99999 लाइनें	रु. 150	रु. 200	रु. 150	-	-	रु. 180	रु. 200	रु. 180	-	-	-
>100000 लाइनें	रु. 210	रु. 280	रु. 210	-	-	रु. 250	रु. 280	रु. 250	-	-	-
योजना परिवर्तन (किराए सहित)	-	-	-	रु. 150	रु. 650	-	-	-	रु. 350	रु. 750	रु. 1650
निःशुल्क कालें	125	50	50	150	700	75	30	30	150	600	1800
निःशुल्क कालों के बाद	0.60 रु.	0.80 रु.	0.80 रु.	1.20 रु.	1.10 रु.	0.80 रु.	1.00 रु.	1.00 रु.	1.20 रु.	1.10 रु.	1.00 रु.
काल परिवर्तन	से 1.20 रु.	से 1.20 रु.	से 1.20रु.			से 12.0	से 1.20 रु.	से 1.20 रु.			

* ट्राई के अंतर्गत अन्य विकल्पों के लिए 2 मिनट की पल्स दर फिक्स्ड लाइन से फिक्स्ड लाइन के लिए 3 मिनट की पल्स दर।

200 किमी. से अधिक अंतरा सर्किल लंबी दूरी की काल दरों को 4.80 रु. प्रति मिनट से घटाकर 2.40 रु. प्रति मिनट कर दिया गया-"95" डायल करके, सभी ग्राहकों को उपलब्ध (गैर एसटीडी ग्राहकों सहित)।

- 200 किमी. से अधिक दूरी के लिए फिक्स्ड से सेल्युलर टेलीफोन को की गई अंतः सर्किल लंबी दूरी की कालें 4.80 रु. प्रति मिनट से सस्ती करके 3.60 रु. प्रति मिनट कर दी गई।

- अव्यस्त घंटों अर्थात् रात्रि 10.30 से प्रात: 6.30 तक के दौरान इंटरनेट अभिगम्यता सस्ती कर दी गई है। यह 10 मिनट पल्स दर पर होगो, अर्थात लगभग 7.20 रुपए प्रति घंटा।

विवरण II

एमटीएनएल- बुनियादी टेलीफोन सेवाओं के लिए टैरिफ

सुविधा	मौजूदा	ट्राई मानक	एमटीएनएल किफायती (इकनामी)	एमटीएनएल ज्यादा किफायती (इनकनामी पल्स)	एमटीएनएल सुपर सेवर
बुनियादी किराया	250 रु. प्रतिमाह	280 रु. प्रतिमाह वरिष्ठ नागरिक 250 रु. प्रतिमाह	250 रु. प्रतिमाह	280 रु. प्रतिमाह	2000 रु. प्रतिमाह
नि:शुल्क कालें	75	30	30	30	2000
काल प्रभार	76-200: रु. 0.80 201-500: रु. 1.00 >500: रु. 1.20	31-300: रु. 1.00 >300: रु. 1.20	31-300: रु. 80 301-2000: रु. 1.20 >2000: रु. 1.00	31-300:रु. 0.80 301-2000: रु. 1.20 >2000: रु. 1.00	>2000: रु. 1.00
स्थानीय काल पल्स अवधि (एमटीएनएल/अन्य आपरेटरों के निटवर्क के भीतर)					
फिक्स्ड से फिक्सड	180 सेकेंड	120 सेकेंड	180 सेकेंड	180 सेकेंड	180 सेकेंड
फिक्स्ड से सेल्युलर	180 सेकेंड	60 सेकेंड	60 सेकेंड	60 सेकेंड	60 सेकेंड
फिक्स्ड से डब्ल्यूएलएल मोबाइल	180 सेकेंड	120 सेकेंड	90 सेकेंड	90 सेकेंड	90 सेकेंड
फोन पल्स सुविधाएं					
1. एबीबी डायलिंग	20 रु. प्रतिमाह	10 रु. प्रतिमाह	10 रु. प्रतिमाह	मूल किराए में शामिल	मूल किराए में शामिल
2. सैल अन्तरण	20 रु. प्रतिमाह	10 रु. प्रतिमाह	10 रु. प्रतिमाह		
3. हाट लाइन	20 रु. प्रतिमाह	10 रु. प्रतिमाह	10 रु. प्रतिमाह		
4. त्रिपक्षीय कान्फ्रैसिंग	20 रु. प्रतिमाह	10 रु. प्रतिमाह	10 रु. प्रतिमाह		
5. ई-मेल निर्धारित किराया	9 रु. प्रतिमाह	9 रु. प्रतिमाह	9 रु. प्रतिमाह		
6. सीएलआईपी	पंजीकरण पर 50 रु. और 20 रु. प्रतिमाह				
7. काल हंटिंग/काल एलर्ट अलार्म/डायनमिक एसटीडी लाक	बुनियादी किराए में शामिल	बुनियादी किराए में शामिल	बुनियादी किराए में शामिल		

* पीएसटीएन के माध्यम से ई-मेल भेजना और प्राप्त करना 0.20 रु. प्रति संदेश, लैंड लाइन फोन के माध्यम से मोबाइल में एसएमएस भेजना 0.50 रुपए प्रति संदेश।

स्थानीय फोन पर ई-मेल प्राप्त करना

फैक्स 0.50 रु. प्रति फैक्स।

पोताश्रयों के विकास हेतु योजनाएं

6414. श्री पी.सी. थामस: क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में नए पोताश्रयों के विकास हेतु योजनाएं हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी): (क) और (ख) भारत सरकार केवल मुख्य पत्तनों के विकास के लिए उत्तरदायी है। इस समय किसी भी नए पत्तन की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

मुख्य पत्तनों के अतिरिक्त अन्य पत्तनों के विकास का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है।

भूमि विस्थापितों को मुआवजा

6415. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा कैगा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु कुल कितनी भूमि अधिगृहीत की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि भूमि विस्थापितों को न तो मुआवजा दिया गया है और न ही उनका पुनर्वास किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) मुआवजे की पर्याप्त राशि के भुगतान तथा इन लोगों के उपर्युक्त पुनर्वास हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) सरकार द्वारा कैगा में परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए अधिग्रहित की गई कुल निजी भूमि 172 हैक्टैयर है।

(ख) जी, नहीं भूमि के अधिग्रहण, और पुनर्वास पैकेज के क्रियान्वयन का काम राज्य सरकार ने वर्ष 1993-94 तक पूरा कर लिया था जिसके लिए धनराशि, परमाणु ऊर्जा विभाग के एक सरकारी क्षेत्र के उद्यम, न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा दी गई थी। कैगा परमाणु बिजलीघर (यूनिट 1 तथा 2 2×220 मेगावाट) सन् 2000 से वाणिज्यिक स्तर पर काम कर रहा।

(ग) और (घ) ऊपर (ख) मद्देनजर यह लागू नहीं होता।

एम.टी.एन.एल. और बी.एस.एन.एल. की बकाया धनराशि

6416. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2003 के अनुसार एम.टी.एन.एल. और बी.एस.एन.एल. की वर्तमान संसद सदस्यों और भूतपूर्व संसद सदस्यों और पूर्व केन्द्रीय मंत्रियों पर कुल कितनी राशि बकाया है; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा बकाया राशि की वसूली हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड की वर्तमान संसद सदस्यों और भूतपूर्व संसद सदस्यों पर कुल 12.34 करोड़ रुपए की राशि बकाया है। केन्द्रीय मंत्रियों और भूतपूर्व मंत्रियों की ओर देय बकाया राशि की सूचना अलग से नहीं रखी जाती है क्योंकि इस प्रकार के टेलीफोन संबंधित मंत्रालयों/विभागों के नाम से प्रदान किए जाते हैं।

(ख) सरकार के प्रचालन अंग का 1.10.2000 से निगमितीकरण हो जाने के बाद से सरकार बकाया देय राशि की वसूली सहित अब कोई प्रचालन कार्य नहीं कर रही है। इन बकाया देय राशियों की वसूली की जिम्मेदारी अब भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की है। बकाया राशि की वसूली के लिए एमटीएनएल और बीएसएनएल द्वारा निम्नानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई की जाती है:

1. जब लगातार देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तब भुगतान नहीं करने वाले टेलीफोनों को काट दिया जाता है।
2. देय राशियों के परिसमापन को सरल बनाने के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समितियों तथा परिसमापन बोर्डो का गठन किया गया है।
3. बकाया राशियों के परिसमापन के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और प्रत्येक वर्ष इन लक्ष्यों के कार्य निष्पादन की मानीटरिंग की जाती है।
4. प्रतिमाह वसूली संबंधी दक्षता की मानीटरिंग की जाती है।
5. मुख्यालय तथा सर्किल स्तर पर भी बकाया राशि वसूली प्रकोष्ठ कार्यरत हैं।
6. जहां आवश्यक हो टेलीफोन कनेक्शन काटने के बाद देय राशि की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई भी की जाती है।
7. विवादित मामले भारतीय तार अधिनियम, 1885 के तहत मध्यस्थों को भेज दिए जाते हैं।

विशेषज्ञों की कार्यावधि

6417. श्री के.ए. सांगतम: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के विचाराधीन डब्ल्यू.एल.एल. जैसे नवीनतम तकनीकी उपकरणों को चलाने में सक्षम तकनीकी योग्यता प्राप्त विशेषज्ञों को एक वर्ष के बजाय दो वर्षों की न्यूनतम अवधि तक तैनात रखने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में और पूर्वोत्तर में बेहतर टेलीफोन सेवाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) सभी स्थानों पर पहले से ही आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपस्करों के प्रचालन हेतु तकनीकी योग्यता प्राप्त और सक्षम कर्मचारियों की तैनाती की जा रही है। अन्य राज्यों से सभी सावधिक स्थानों पर तैनात किए गए अधिकारियों का कार्यकाल दो वर्ष का है जबकि नागालैंड, मणिपुर और जम्मू एवं कश्मीर (जम्मू गौण स्विचन क्षेत्र को छोड़कर) में कार्य की कठिन परिस्थितियों के कारण इन स्थानों का कार्यकाल एक वर्ष का है।

(ख) (1) कार्यकाल को एक वर्ष से दो वर्ष तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(2) पूर्वोत्तर में बेहतर टेलीफोन सेवाएं प्रदान करने के लिए किए गए महत्वपूर्ण उपाय निम्नानुसार हैं:

(i) पूर्वोत्तर में डब्ल्यूएलएल प्रौद्योगिकी का समावेस किया जा चुका है।

(ii) एमएआरआर आधारित वीपीटी को उत्तरोत्तर रूप से बदला जा रहा है।

(iii) ग्रामीण संचार सेवक (जीएसएस) स्कीम शुरू कर दी गई है।

(iv) ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा एसबीएम एक्सचेंजों को आरएसयू में परिवर्तित किया जा रहा है।

(v) मोबाइल सेवाओं के उपस्कर प्राप्त करने हेतु निविदा प्रक्रिया चल रही है।

(vi) इस वर्ष शिलांग और इम्फाल में हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रणाली चालू करने की योजना बनाई गई है।

[हिन्दी]

भारतीय पोत परिवहन निगम की विनिवेश प्रक्रिया

6418. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पोत परिवहन निगम की विनिवेश प्रक्रिया को आरम्भ करने का निर्णय लिया गया है और नई बोलियां आमंत्रित की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय पोत परिवहन निगम की 51 प्रतिशत इक्विटी के अधिग्रहण के लिए विदेशी भागीदारिता संबंधी अधिकतम सीमा को हटा दिया गया है और पोत परिवहन क्षेत्र के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति (एफडीआई) के अनुरूप विदेशी भागीदारिता की अनुमति प्रदान करते हुए नए सिरे से रुचि की अभिव्यक्तियां आमंत्रित की जा रही हैं।

[अनुवाद]

आरक्षित पद

6419. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जहां एक राजपत्रित नौकरियों अथवा श्रेणी-एक और श्रेणी-दो में रोजगार का संबंध है उनके मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सरकारी विभागों, स्वायत्त संस्थाओं और संबद्ध कार्यालयों में नौकरियां प्रदान करने हेतु आरक्षण नीति का कड़ाई से पालन किया है;

(ख) यदि हां, तो विभागवार स्वायत्त संस्थानवार/संबद्ध कार्यालय-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकारी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्रों में रिक्त पदों को भरने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार तथा राज्यों को अ.जा./अ.ज.जा. तथा अ.पि.व. से संबंधित लोगों के लिए निर्धारित आरक्षित पदों (सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में श्रेणी-एक और श्रेणी-दो) को भरने में कठिनाई हो रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा ऐसे रिक्त पदों को भरने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी) (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

सफदरजंग अस्पताल में जल संकट

6420. श्री एन. जनार्दन रेड्डी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जल की अनुपलब्धता के कारण सफदरजंग अस्पताल की आपातकालीन सेवा बुरी तरह प्रभावित हुई है जैसा कि दिनांक 21 अप्रैल, 2003 के "दि टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जल और डिस्पोजेबल दस्तानों की अनुपलब्धता के कारण चिकित्सक/नर्स अस्पाल में अस्वच्छ दस्तानों को बार-बार उपयोग करने के लिए बाध्य हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) एन डी एम सी से पानी की कम आपूर्ति तथा ट्यूबवैल के एक खराब पम्प के कारण प्रसूति और स्त्री रोग विभाग में तीन दिन के लिए सेवाएं कुछ हद तक प्रभावित रही हैं। यह पम्प बदल दिया गया है तथा पानी की सामान्य आपूर्ति पुन: शुरू कर दी है।

(ग) जी नहीं।

(घ) ऊपर (ग) को देखते हुए इसका प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) पानी की कम आपूर्ति से उबरने के लिए पीने के पानी की पर्याप्त तथा स्वच्छ जल आपूर्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा 29.4.2003 को गठित उच्चाधिकार प्राप्त ईदगाह अबेटोयर समिति द्वारा इस स्थिति की समीक्षा की गई है। निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

1. दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सफदरजंग हास्पिटल को पानी की आपूर्ति के लिए सीधी लाइन।
2. एन डी एम सी द्वारा पानी की आपूर्ति को बढ़ाना
3. सूखे हुए ट्यूबवैल की रि-बोरिंग करना।

उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा

6421. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में वर्ष 2003-2004 में कुछ राज्य सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित करने के उड़ीसा राज्य सरकार के प्रस्तावों का अनुमोदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी राज्य सड़कों का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी]: (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नामीबिया के राष्ट्रपति का दौरा

6422. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नामीबिया के राष्ट्रपति ने अपने हाल के भारत दौरे के दौरान भारतीय उद्यमियों एवं निवेशकों से नामीबिया में संयुक्त उद्यम कारोबार की संभावनाओं का पता लगाने का आह्वान किया;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में दोनों सरकारों द्वारा किसी ठोस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो किन क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम लगाने पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) दोनों देशों के निजी क्षेत्रों को आपसी लाभकारी हितों के क्षेत्रों में संयुक्त उपक्रम लगाने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण

6423. श्री राजो सिंह:
श्री शिवाजी माने:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बिहार और महाराष्ट्र के उन डाकघरों का स्थानवार ब्यौरा क्या है जिनमें कम्प्यूटर लगाए गए हैं और जहां रजिस्ट्रेशन कार्य कम्प्यूटर के माध्यम से किया जा रहा है; और

(ख) चालू वर्ष में कितने डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर): (क) ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) महाराष्ट्र सर्किल में नौ प्रधान डाकघरों और बिहार सर्किल में चार प्रधान डाकघरों का आवश्यक मंजूरी तथा चालू वर्ष के लिए निधियों की उपलब्धता के आधार पर कम्प्यूटरीकरण करने का प्रस्ताव है।

विवरण

महाराष्ट्र और बिहार के ऐसे डाकघरों का ब्यौरा जिनमें पिछले तीन वर्षों के दौरान कम्प्यूटर लगाए गए हैं और रजिस्ट्रेशन का काम किया जा रहा है

वर्ष	क्रम सं.	डाकघर का नाम
1	2	3
महाराष्ट्र		
2000-2001	1.	भुसावल प्रधान डाकघर
	2.	कालबादेवी प्रधान डाकघर
	3.	अलीबाग प्रधान डाकघर
	4.	मुम्बई सेंट्रल प्रधान डाकघर
	5.	सतारा प्रधान डाकघर
	6.	पुणे शहर प्रधान डाकघर
	7.	औरंगाबाद प्रधान डाकघर
2001-2002	8.	अभयंकामगर
	9.	अहमदनगर शहर
	10.	एयर पोर्ट नागपुर
	11.	अकालकोट
	12.	अकोला उपडाकघर
	13.	आनंदी बाजार, एएनआर
	14.	औरंगाबाद कैंट
	15.	बारामती
	16.	बरसी
	17.	बीपीओ नागपुर
	18.	चकन
	19.	चन्द्रपुर
	20.	टीए मार्ग नागपुर
	21.	दाजीपेट
	22.	देवल्लाल
	23.	हदपसर आई ई
	24.	हिंगोली
	25.	इच्छलकरंजी प्रधान डाकघर
	26.	जरीपटका
	27.	केसी पार्क
	28.	कल्याण शहर प्रधान डाकघर
	29.	खमगांव
	30.	लोनावाला
	31.	मलकापुर
	32.	मोहोल
	33.	नांदेड प्रधान डाकघर
	34.	नासिक रोड प्रधान डाकघर
	35.	उस्मानाबाद प्रधान डाकघर
	36.	पलवेट शहर
	37.	परली वैजनाथ
	38.	राणाप्रताप नगर
	39.	रत्नागिरि प्रधान डाकघर
	40.	सीप्ज

1	2	3
	41. सोमिनार हिल	
	42. शिरपुर	
	43. शिवाजी नगर	
	44. सिन्नार	
	45. एसपीसी नागपुर	
	46. उल्हासनगर-5	
	47. वैराग	
2002-03	48. अहमदपुर	
	49. हवाई अड्डा डाकघर पुणे	
	50. अकोला	
	51. अमलनेर	
	52. अम्बेजोगाई	
	53. बगुडगंज	
	54. बजाजनगर	
	55. बीड़	
	56. भूम	
	57. चिंचबुदेर प्रधान डाकघर	
	58. कुंबाला सी फेस	
	59. देगलूर	
	60. डी.डी. मार्ग डाकघर	
	61. धनतोली	
	62. गोखले रोड	
	63. ग्रांड रोड डाकघर	
	64. जलगांव	
	65. कल्याण रेलवे स्टेशन	
	66. कावले रोड़	
	67. महाद	

1	2	3
	68. एमबीपी महापे	
	69. मनमाड़	
	70. एमआईडीसी शोलापुर	
	71. नन्दुरबार	
	72. नवापुर	
	73. नेहरू रोड	
	74. नालंगा	
	75. ओमेरगांव	
	76. पलघर प्रधान डाकघर	
	77. पंचगनी	
	78. पनवेल प्रधान डाकघर	
	79. परभनी	
	80. परोला	
	81. पिंपलगांव	
	82. राजारामपुरी	
	83. शहादा	
	84. सिल्लोद	
	85. सीताबल्डी	
	86. तलोडा	
	87. तुजापुर	
	88. उदगीर	
	89. वरानगांव	
	90. विहांद	
	91. विष्णुनगर	
	92. विवेकानंद नगर	
	93. वानारी	
	94. जेडएनपीओ शोलापुर	

1	2	3
बिहार		
1999-2000		1 पटना जीपीओ
		2. बांकीपुर प्रधान डाकघर (पटना डिवीजन के अंतर्गत)
		3. लोहिया नगर उप डाकघर (पटना डिवीजन के अंतर्गत)
		4. पटना सचिवालय उप डाकघर (पटना डिवीजन के अंतर्गत)
		5. मुजफ्फरपुर प्रधान डाकघर
		6. एमआईटी उप डाकघर मुजफ्फरपुर प्रधान डाकघर के अंतर्गत)
		7. रमना उप डाकघर (मुजफ्फरपुर प्रधान डाकघर के अंतर्गत)
		8. बिहार विश्वविद्यालय (मुजफ्फरपुर प्रधान डाकघर के अंतर्गत)
		9. मुंगेर प्रधान डाकघर
		10. गया प्रधान डाकघर
		11. सीतामढ़ी बाजार (सीतामढ़ी के अंतर्गत)
		12. शिवहर उप डाकघर (सीतामढ़ी के अंतर्गत)
		13. कटिहार उप डाकघर
		14. किशनगंज उप डाकघर (पूर्णिया प्रधान डाकघर के अंतर्गत)
		15. अरारिया उप डाकघर (पूर्णिया प्रधान डाकघर के अंतर्गत)
		16. समस्तीपुर प्रधान डाकघर
		17. रेल डाक सेवा "यू" डिवीजन मुजफ्फरपुर
		18. सीवान प्रधान डाकघर
		19. पूर्णिया
		20. लहरिया सराय प्रधान डाकघर
		21. बेगूसराय प्रधान डाकघर
		22. दरभंगा
		23. सीतामढ़ी प्रधान डाकघर
2000-01		24. आरा प्रधान डाकघर
		25. मधुबनी प्रधान डाकघर
		26. भागलपुर प्रधान डाकघर
		27. बांका प्रधान डाकघर
		28. छपरा प्रधान डाकघर
		29. हाजीपुर प्रधान डाकघर
		30. मोतीहारी प्रधान डाकघर
2001-02		31. गोपालगंज प्रधान डाकघर
		32. सासाराम प्रधान डाकघर
		33. पाटलीपुत्र उप डाकघर
2002-2003		लगाए जाने के लिए प्रस्तावित कम्प्यूटरों को 2003-2004 के चालू वर्ष में पूरा किया जाएगा।

[अनुवाद]

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड की बकाया राशि

6424. श्री सी. श्रीनिवासन: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 अप्रैल, 2003 की स्थिति के अनुसार एम.टी.एन.एल. और बी.एस.एन.एल. की बकाया राशि की स्थिति क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि बड़े कारपोरेट घरानों और कंपनियों पर भी एम.टी.एन.एल. और बी.एस.एन.एल. की भारी धनराशि बकाया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त कंपनियों/निगमों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में इन चूककर्ताओं और अन्य चूककर्ताओं के विरुद्ध केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) इस संबंध में रिपोर्टें मांगी गई हैं तथा सभा पटल पर रख दी जाएंगी।

(ख) और (ग) दो सार्वजनिक क्षेत्र टेलीफोन प्रदाता (एमटीएनएल तथा बीएसएनएल), टेलीफोन संख्या-वार टेलीफोन की देय राशियों से संबंधित बकायों की सूचना रखते हैं न कि कम्पनी-वार।

(घ) भारत संचार निगम लि. के गठन के बाद सरकार अब दूरसंचार सेवाएं प्रदान नहीं करती है। बकाया देय राशियों की वसूली एक सतत् प्रक्रिया है तथा बकाया राशियों की वसूली के लिए बीएसएनएल तथा एमटीएनएल द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

1. देय राशियों के भुगतान न किए जाने पर चूककर्ता टेलीफोनों के कनैक्शन काट दिए जाते हैं।
2. जहां आवश्यक हो, टेलीफोन कनैक्शन काटने के बाद देय राशियों की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई भी की जाती है।
3. विवादित मामले भारतीय तार अधिनियम, 1885 के तहत मध्यस्थों को भेज दिए जाते हैं।
4. देय राशियों का परिसमापन सरल बनाने के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समितियों तथा परिसमापन बोर्डों का गठन किया गया है।
5. बकाया राशियों के परिसमापन के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं तथा प्रत्येक वर्ष उन लक्ष्यों के कार्य-निष्पादन की मानीटरिंग की जाती है।
6. प्रतिमाह वसूली संबंधी दक्षता की मानीटरिंग की जाती है।
7. मुख्यालय तथा सर्किल स्तर पर भी बकाया राशि वसूली प्रकोष्ठ कार्यरत हैं।

[हिन्दी]

व्यय में कमी

6425. श्री रामदास आठवले: क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विभागों और उपक्रमों द्वारा प्रचार, विज्ञापन, स्वागत, खान-पान, उदघाटन समारोहों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों, देशी-विदेशी दौरों, एस.टी.डी. और आई.एस.डी. टेलीफोन बिलों, बिजली बिलों (विशेपकर एयरकंडीशनर्स और कूलरों) और अन्य कार्यालयीय व्ययों पर शोर्प-वार कितनी राशि व्यय की गई;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त शीर्षों पर होने वाले व्यय को कम करने हेतु कोई अभियान शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रचार यात्रा व्यय तथा लघु उद्योग मंत्रालय का कार्यालय व्यय तथा इसके उपक्रम, नामशः लघु उद्योग निगम लि. के संबंध में किया गया वर्ष-वार व्यय निम्न प्रकार से है:

(लाख रुपये में)

		2000-01	2001-02	2002-03 अनन्तिम
1.	प्रचार (प्रकाशन सहित)	171.01	190.01	234.43
2.	यात्रा व्यय (घरेलू और विदेशी)	240.28	264.83	291.25
3.	कार्यालय व्यय*	1643.97	1618.73	1617.61

*आतिथ्य-सत्कार, दूरभाष-बिलों, विद्युत बिलों, स्टेशनरी, फर्नीचर, पोस्टेज इत्यादि जैसी मदों संबंधी व्यय की पूर्ति आफिस व्यय से की गई है।

(ख) से (घ) फिजुलखर्ची को रोकने के लिए, सरकार के व्यय में सादगी लाने के संबंध में समय-समय पर अनुदेश वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों को जारी किए जाते हैं। सादगी उपायों में पदों के सृजन पर प्रतिबंध, स्वीकृत पदों की संख्या में कमी करना, खाली पदों के भरने पर प्रतिबंध, कार्यालय व्यय में कमी करना, गाड़ियां खरीदने पर प्रतिबंध, विदेश यात्रा तथा मनोरंजन/आतिथ्य व्यय पर प्रतिबंध, विदेश यात्रा इत्यादि के लिए दैनिक भत्ते में कमी करना, शामिल हैं, तथा इन अनुदेशों का अनुसरण लघु उद्योग मंत्रालय में किया जा रहा है।

इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज को बंद करना

6426. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रीनगर स्थित इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज बंद पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस बंदी के कारण सरकार को कितना नुकसान हुआ है; और

(घ) इसे फिर से शुरू करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

निधियों की कमी

6427. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक के न्यू मंगलोर पोर्ट ट्रस्ट हेतु आवंटन में भारी कमी की गई है;

(ख) यदि हां, तो आवंटन में कमी के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) इससे मंगलोर पोर्ट ट्रस्ट के विकास पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा।

(घ) क्या राज्य सरकार इन आवंटनों में कमी न करने का अनुरोध करती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी) (क) से (ग) संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए वर्ष विशेष के दौरान कार्यान्वयन हेतु अभिज्ञात विशेष योजना स्कीमों/परियोजनाओं पर खर्च किए जाने वाले अनुमानित व्यय के आधार पर महापत्तनों के लिए वार्षिक योजना आबंटन को अंतिम रूप दिया जाता है। वर्ष 2003-04 के लिए नव मंगलूर पत्तन न्यास (एन एम पी टी) द्वारा दर्शाए गए 25.00 करोड़ रु. के योजनागत परिव्यय को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। अत: निधि में कटौती अथवा पत्तन का विकास के प्रभावित होने का प्रश्न नहीं उठता

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

केबल की कमी

6428. **प्रो. ए.के. प्रेमाजम:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड के केरल दूरसंचार में केबल की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न राज्यों को केबल की आपूर्ति करने के संबंध में विभाग द्वारा अपनाए गए मानदण्ड क्या हैं; और

(घ) टेलीफोन एक्सचेंजों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी हां।

(ख) वर्ष 2002-2003 के लिए 29.686 लाख कंडक्टर किलोमीटर (एलसीकेएम) केबल की आवश्यकता थी। 15.08 एलसीकेएम के लिए ही खरीद आदेश दिया गया था क्योंकि बोलीदाताओं ने केबल की निविदागत पूर्ण मात्रा को स्वीकार नहीं किया था।

(ग) केबल का आबंटन सीधी एक्सचेंज लाइनों के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपेक्षित निवल स्विचन क्षमता के अनुसार किया जाता है।

(घ) पिछले वर्ष 2002-03 की कमी सहित चालू वर्ष के लिए केबल के प्रापण हेतु निविदा जारी करने की योजना है, बशर्ते निधियां उपलब्ध हों।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अतिरिक्त धनराशि

6429. **श्री एम.के. सुब्बा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों से विकास परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने और प्रदेश के कृषि एवं औद्योगिक उत्पादों को उत्पाद शुल्क से छूट देने हेतु अनेक अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, हां। विकासात्मक क्रियाकलापों का वित्त पोषण राज्यों की वार्षिक योजनाओं के माध्यम से किया जाता है, जो संबंधित राज्यों द्वारा तैयार की जाती है तथा जिन्हें योजना आयोग के साथ विचार-विमर्श करके असम व पूर्वोत्तर राज्यों सहित सभी राज्यों के लिए आपसी सहमति से अंतिम रूप प्रदान किया जाता है। विकास परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त निधियों के अनुदान संबंधी अनुरोध पर मैरिट के आधार पर व राज्य योजनाओं के ढांचे के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता के अनुसार विचार किया जाता है।

तथापि, असम तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों से इस क्षेत्र के उत्पादों पर लगे उत्पाद शुल्क से छूट संबंधी कुछ विशिष्ट अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ख) निम्नलिखित अनुरोध प्राप्त हुए हैं:

(1) अशोक पेपर मिल्स के लिए उत्पाद शुल्क की छूट।

(2) नुमलीगढ़ रिफाइनरी को पूर्ण छूट बहाल करना।

(3) पूर्वोत्तर छूट अधिसूचना के अंतर्गत चाय पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से छूट।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के (1) और (2) पर विचार किया गया था तथा इन्हें स्वीकार कर पाना संभव नहीं पाया गया। जहां तक (3) का संबंध है अनुरोध की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड का विनिवेश

6430. **श्री परसुराम माझी:** क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड (एम.ओ.आई.एल.) के विनिवेश का प्रस्ताव है;.

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या कंपनी के कर्मचारियों के लिए इसके हिस्से का कुछ प्रतिशत आरक्षित है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) सरकार ने, मैंगनीज ओर (इण्डिया) लि. में प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ अनुकूल साझीदार के पक्ष में 51 प्रतिशत इक्विटी की अनुकूल बिक्री करने का निर्णय लिया है। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि किसी उद्यम पूंजीपति अथवा वित्तीय संस्थानों अथवा बैंक के साथ साझेदारी/सहयोग से कंपनी के प्रबंधन और कर्मचारियों द्वारा लागाई जाने वाली बोली पर उपर्युक्त चरण पर उस समय विचार किया जाएगा जब इस प्रकार गठित विधिक हस्ती, बोली लगाने और प्रतिस्पर्द्धात्मक कीमत की पेशकश करने के लिए अहर्ता प्राप्त हो।

(ग) और (घ) सरकार ने मैंगनीज अयस्क इण्डिया लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए 4.57 प्रतिशत इक्विटी को आरक्षित रखने का निर्णय लिया है।

रक्त बैंक की अनुज्ञप्ति को रद्द करना

6431. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ रक्त बैंकों को जारी की गई अनुज्ञप्ति वर्ष 2002-2003 में रद्द की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश के सभी रक्त बैंकों के ऊपर उच्चस्तरीय निगरानी रखने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकारी रक्त बैंकों का नियमित रूप से निरीक्षण कर रहे हैं ताकि रक्त बैंक औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमों के उपबंधों के अंतर्गत यथा निर्धारित लाइसेंस की शर्तों का कड़ाई से अनुपालन कर सकें।

विवरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	रक्त बैंक का नाम	रद्द करने का कारण
1.	आंध्र प्रदेश	मैसर्स ए एस राजा ब्लड बैंक विशाखापट्टनम	लाइसेंस की शर्त का उल्लंघन करना
2.		मैसर्स शेयर मेडिकेयर ब्लड बैंक धानापुर, डिस्ट्रिक्ट रंगारेड्डी	तदैव
3.	गुजरात	मैसर्स अवकार वालुन्टेरी ब्लड बैंक, दाहोड	तदैव
4.	हरियाणा	मैसर्स लखानी ब्लड बैंक, फरीदाबाद	तदैव
5.		मैसर्स हरियाणा ब्लड बैंक, हिसार	तदैव
6.	कर्नाटक	मैसर्स चिगातरी जनरल हास्पिटल, देवानगिरी	तदैव
7.		मैसर्स बालाजी वालुन्टेरी ब्लड बैंक, बैंगलोर	तदैव
8.	केरल	मैसर्स डा. नायरस हास्पिटल, कोल्लम	तदैव
9.	महाराष्ट्र	मैसर्स जनसेवा मंडल ब्लड बैंक, सतारा	तदैव
10.	राजस्थान	मैसर्स ई एस आई हास्पिटल, जयपुर	तदैव

पत्तन अधिकारियों के लिए दिशानिर्देश

6432. श्री हरीभाऊ शंकर महाले: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) थोक दवाओं और मध्यवर्तियों की निकासी हेतु भारत के औपध नियंत्रक द्वारा पत्तन अधिकारियों को परिचालित किए गए दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दिल्ली स्थित पत्तन अधिकारी दिशानिर्देशों के विपरीत आपत्तियां उठाकर थोक दवाओं की निर्यात खेप में विलम्ब कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) औषधियों के आयात और निर्यात की जांच के लिए दिशानिर्देशों संबंधी एक मैनुअल 29-7-1994 को सभी पत्तन अधिकारियों को जारी किया गया था। निर्यात पारेषणों के लिए निम्नलिखित जांच की जानी होती है; लेबल, निर्माण/बिक्री लाइसेंस, व्यापारी निर्यातक की स्थिति में खरीद बिल, नारकोटिक/साइकोट्रोपिक पदार्थों के निर्यात के लिए नारकोटिक कमिश्नर से अनापत्ति प्रमाणपत्र, दस्तावेजों/शिपिंग बिल की बीजक प्रति, बैच टेस्ट/जारी करने का प्रमाणपत्र आदि।

(ख) इस निदेशालय को दिशानिर्देशों के विपरीत आवश्यक आपत्तियां उठाकर थोक औषधियों की निर्यात खेप में अनावश्यक विलम्ब के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

सी.जी.एच.एस. डिस्पेंसरी, साउथ एवेन्यू

6433. श्री अधीर चौधरी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एलोपैथिक डिस्पेंसरी, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली के सी जी एच एस लाभार्थियों को समय पर दवाईयां नहीं मिल रही हैं और इस डिस्पेंसरी का फार्मेसिस्ट आमतौर पर कम मात्रा में दवाईयां देता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को डिस्पेंसरी प्रभारी, फार्मेसिस्ट और स्थानीय प्राधिकृत केमिस्ट के बीच सांठगांठ होने की जानकारी है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(च) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

प्रौद्योगिकी उन्नयन

6434. डा. एन. वेंकटस्वामी: क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु पूंजी राजसहायता देने की एक योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 2003 तक लघु उद्योग इकाइयों को कुल कितनी राशि की और कितने प्रतिशत पूंजी राजसहायता दी गई है; और

(ग) पूंजी राजसहयता देने हेतु कितने क्षेत्रों की पहचान की गई है?

लघु उद्योग मंत्री तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) जी, हां। इस योजना को "लघु उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयनीकरण के लिए क्रेडिट लिंकड कैपिटल सब्सिडी योजना (सी एल सी एस एस)" कहा जाता है।

(ख) योजना के अंतर्गत 31 मार्च, 2003 तक संवितरित की गई सब्सिडी की कुल राशि 1,16,96,260 रु. है, जो ऋण की राशि के 12 प्रतिशत अथवा उसके भाग, जो योजना के मार्गनिर्देशों के अंतर्गत सब्सिडी की मंजूरी के लिए पात्र हैं, के बराबर है।

(ग) कैपिटल सब्सिडी प्रदान करने के लिए विवरण में सूचीबद्ध किए गए 21 सैक्टरों की पहचान की गई है।

विवरण

लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट लिंकड कैपिटल सब्सिडी योजना के अंतर्गत कैपिटल सब्सिडी प्रदान करने के लिए पहचान किए गए सैक्टरों का ब्यौरा

(1) फुटवीयर एवं गारमैण्टस सहित लैदर एवं लैदर उत्पाद

(2) खाद्य संसाधन (आईस क्रीम मैन्यूफैक्चरिंग सहित)

(3) सूचना प्रौद्योगिकी (हार्डवेयर)

(4) ड्रग्ज एवं फार्मास्यूटिकल्ज

(5) आटो पार्टस एवं काम्पोनेंटस

(6) इलैक्ट्रानिक इन्डस्ट्री, विशेषत: डिजाईन एवं मापन से संबंधित

(7) टाईल्ज सहित ग्लास एवं सिरेमिक मदें

(8) डाईज एवं इन्टरमिडीएट्स

(9) खिलौने

(10) साईकिल/रिक्शा टायरों सहित रबड़ संसाधन

(11) हस्त औजार

(12) बाइसिक्ल पार्टस

(13) फाण्डड्रीज-फेरिअस एवं कास्ट आयरन

(14) स्टोन इन्डस्ट्री (मार्बल माइनिंग इन्डस्ट्री सहित)

(15) सुगन्धित एवं चिकित्सकीय पौधे

(16) ज्वलनशील उपकरण/एपलाइन्सिस

(17) गोल्ड प्लेटिंग एवं ज्वैलरी

(18) कामन एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लाण्ट

(19) बायो-टैक इन्डस्ट्री

(20) प्लास्टिक मोयूल्डिड/एक्सट्रूडिड पाडक्ट्स एवं पार्टस/काम्पोनेट्स; और

(21) कारूगेटिड़ बाक्सिस

पंजाब में मोबाइल फोन सेवा

6435. श्री जे.एस. बराड़: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीएसएनएल को गत चार महीनों के दौरान पंजाब में मुक्तसर, फाजिल्का और जलालाबाद में अपनी मोबाइल फोन सेवा हेतु प्रयोक्ताओं से आवेदन प्राप्त हुए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कंपनी ने आवेदकों से असंतोषजनक सेवा के संबंध में शिकायत करने के उनके अधिकार को छीनते हुए उनसे शपथपत्र भी लिए थे;

(घ) यदि हां, तो क्या इन शहरों में बीएसएनएल की मोबाइल सेवा शुरू नहीं हुई है जबकि निजी प्रचालकों ने अपनी सेवाएं शुरू कर दी है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, हां।

(ख) पंजाब के मुक्तसर, फाजिल्का और जलालाबाद शहरों के संभावित प्रयोक्ताओं से अनेक आवेदन प्राप्त हुए थे जहां बीएसएनएल को अपनी सेल्यूलर सेवाएं अभी शुरू करनी हैं। उनमें से कुछ प्रयोक्ताओं को उनके अनुरोध पर अपने पैतृक नगर से बाहर उन क्षेत्रों में बीएसएनएल की मोबाइल सेवाओं का इस्तेमाल करने हेतु मोबाइल कनैक्शन दिए गए थे जहां बीएसएनएल का सेल्यूलर नेटवर्क प्रचालन में है।

(ग) जी, नहीं। इन शहरों के प्रयोक्ताओं से केवल सादे कागज पर इस आशय का घोषणा-पत्र लिया गया था कि वे वहां सेवाओं की अनुपलब्धता के बारे में कोई शिकायत नहीं करेंगे।

(घ) से (च) मुक्तसर, फाजिल्का और जलालाबाद में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने की योजना बनाई गई है और इन सेवाओं को अगस्त, 2003 तक मुहैया कराए जाने की संभावना है।

हिमाचल प्रदेश में स्पीड पोस्ट सुविधाएं

6436. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिमाचल प्रदेश के किन-किन जिलों में डाकघरों में अभी तक स्पीड पोस्ट सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य के कुछ और जिलों और उप-मंडलों में स्पीड पोस्ट सुविधाएं बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) हिमाचल प्रदेश राज्य के 12 जिलों में एक जिले अर्थात्, लाहौल व स्पिति में स्पीड पोस्ट सुविधा उपलब्ध नहीं है। लाहौल व स्पिति का जिला मुख्यालय कैलांग है जो भारी हिमपात के कारण रोहतांग पास के बंद हो जाने के कारण सर्दियों में लगभग 6 महीनों के लिए यातायात के लिए बंद रहता है।

(ख) और (ग) स्पीड पोस्ट एक प्रीमियम उत्पाद है और इसे वाणिज्यिक आधार पर चलाया जाता है। स्पीड पोस्ट नेटवर्क का विस्तार एक अनुवरत प्रक्रिया है। किसी स्थान विशेष तक इस सेवा का विस्तार बाजार की आवश्यकताओं, ग्राहकों की जरूरतों, संभावित व्यवसाय और सेवा मानकों को बनाए रखने के लिए अपेक्षित कनेक्टिविटी पर निर्भर करेगा।

सी.जी.एच.एस. डिस्पेंसरी खोलना

6437. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का वैशाली/इंदिरापुरम में एक सी जी एच एस डिस्पेंसरी खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो डिस्पेंसरी कब तक खोले जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या वैकल्पिक प्रबंध किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत वैशाली/इन्दिरापुरम का क्षेत्र शामिल नहीं किया गया है, अत: यहां रहने वाले केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाओं के लिए केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचय) नियम, 1944 के अंतर्गत शामिल किया गया है।

एच आई वी/एड्स पीड़ितों के अधिकार

6438. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन से एच आई वी/एड्स संक्रमित व्यक्तियों के मानवाधिकारों की सुरक्षा हेतु एक विधान लाने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है अथवा क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस विधान को चर्चा हेतु कब तक लाए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार अपने पतियों से एच आई वी/एड्स के संपर्क में आई महिलाओं के संपदा अधिकारों को संरक्षण देने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में ऐसी महिलाओं के कोई आंकड़े इकट्ठे किए हैं और ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो पहले ही न्यायालयों में अपने मामले लड़ रही हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसे आंकड़े कब तक इकट्ठे कर लिए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। महिला के सम्पत्ति अधिकार व्यक्तिगत कानूनों द्वारा लागू होते हैं, जो उसके धर्म पर निर्भर करता है जिससे वह संबंध रखती है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

मांगपत्र वाली दवाओं की देरी से आपूर्ति

6439. डा. बलिराम: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोल मार्किट, नई दिल्ली स्थित औषधालय सं.-76 मरीजों को स्थानीय खरीद की दवाओं की आपूर्ति करने में एक सप्ताह का समय लेता है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त औषधालय के डाक्टर औषधालय में आवश्यक दवाएं उपलब्ध न होने की स्थिति में मरीजों को बाजार से दवाएं खरीदने की अनुमति नहीं देते हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर टेक्नोलाजी पार्क्स की स्थापना

6440. श्री सवशी भाई मकवाना: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में कुछ और इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर टेक्नोलाजी पार्क (ईएचटीपी) स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से ईएचटीपी स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान देश में स्थानवार स्थापित किए गए ईएचटीपी का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर): (क) से (घ) भारत सरकार को देश में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी) स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के पदनामित अधिकारियों से पंजीकृत 79 निर्यातक इलेक्ट्रानिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी) इकाइयां हैं। इनका केन्द्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

एसटीपीआई के अंतर्गत ईएचटीपी इकाइयों का तुलनात्मक विवरण-पत्र

(करोड़ रुपए में)

एसटीपीआई केन्द्र	ईएचटीपी निर्यातक इकाइयां	निर्यात से आय (2000-01)	निर्यात से आय (2001-02)	निर्यात से आय (2002-03)
1	2	3	4	5
नोएडा	18	202.53	63.42	64.27

1	2	3	4	5
चेन्नै	8	27.62	461.07	717.53
तिरुवनंतपुरम	3	13.54	12.59	14.45
पुणे	4	42	50.65	48.95
बंगलौर	31	367.14	828.53	1403.85
मुम्बई	1	29.57	39.76	64.28
गांधीनगर	7	3.45	10.01	13
हैदराबाद	7	17	12.35	50
योग	79	702.85	1478.38	2376.33

कंधार में वाणिज्य दूतावास पुनः खोलना

6441. श्रीमती निवेदिता माने: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कंधार, अफगानिस्तान में वाणिज्य दूतावास पुनः खोल दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) जी, हां। कंधार में भारत के कौंसलावास को 15 दिसम्बर, 2002 को पुनः खोल दिया गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

एचपीसीएल और बीपीसीएल का विनिवेश

6442. श्रीमती श्यामा सिंह: क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा 'ऐस्सो' (एंड बर्मा शैल) उपक्रमों के अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन किए बिना एचपीसीएल और बीपीसीएल का निजीकरण करने संबंधी निर्णय की विशेषज्ञों द्वारा आलोचना की गई है जैसा कि दिनांक 12 मार्च 2003 के 'द इंडियन एक्सप्रेस' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार विशेषज्ञों द्वारा की गई आलोचना के मद्देनजर इस मुद्दे की पुनः जांच करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) सरकार को 12 मार्च, 2003 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित इस खबर की जानकारी है कि कुछ व्यक्तियों ने एचपीसीएल के विनिवेश की आलोचना की है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) चूंकि इस मसले पर 13.03.2003 को सैंटर फार पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द्वारा 2003 की एक रिट याचिका संख्या 171 दायर की गई है, अतः अब यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष है और सरकार को नोटिस जारी किया गया है। सरकार एक निश्चित समयावधि के भीतर इसका उत्तर प्रस्तुत करेगी।

स्वास्थ्य प्रबंधन में व्यावसायिकता

6443. श्री प्रबोध पण्डा: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार स्वास्थ्य प्रबंधन में व्यावसायिकता लाने के लिए भारतीय चिकित्सा सेवा में परिवर्तन लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य सरकारों के इस संबंध में क्या विचार हैं; और

(घ) इन परिवर्तनों को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) सरकार के अधीन भारतीय चिकित्सा

सेवा नाम की कोई सेवा नहीं है। अत: भारतीय चिकित्सा सेवा में परिवर्तन करने का प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य पदार्थों के लिए सहायता सीमा

6444. **श्री बृज भूषण शरण सिंह:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पी एफ ए नियमावली के भाग चौदह में विनिर्दिष्ट विभिन्न खाद्य पदार्थों हेतु विशिष्ट कीटनाशी और पेस्टनाशी सहायता सीमा यूरोपीय संघ/एफ डी ए द्वारा अमरीका/विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि में विनिर्दिष्ट वर्तमान सहायता सीमा के अनुरूप है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों की सहायता सीमा को यूरोपीय संघ द्वारा विनिर्दिष्ट वर्तमान सहायता सीमा के बराबर कब तक लाए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) विभिन्न खाद्य वस्तुओं के लिए विभिन्न कीटनाशियों हेतु सहनशीलता की अधिकतम सीमाएं विभिन्न फसलों पर उनके उपयोग की किस्म के आधार पर निर्धारित की जाती हैं जिसमें उनकी विषक्तता, स्वीकार्य दैनिक सेवन, फसल के बाद अन्तराल (पी.एच.आई.), खाद्य उपभोग पैटर्न और जनसंख्या का औसत शारीरिक वजन, जो कि देश-विशिष्ट होता है, को ध्यान में रखा जाता है। इसलिए, विभिन्न देशों द्वारा विभिन्न कीटनाशियों के लिए निर्धारित सहनशीलता सीमाएं एक जैसी होना आवश्यक नहीं है।

खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों के भाग 14 के अंतर्गत विभिन्न खाद्य फसलों के लिए विभिन्न कीटनाशियों हेतु निर्धारित सहनशीलता की सीमाओं को कोडक्स, जहां कहीं यह लागू है, द्वारा अधिसूचित अधिकतम अवशेष सीमाओं के साथ समन्वित करने पर कार्रवाई चल रही है।

ग्रामीण गरीबी उपशमन कार्यक्रम के लिए धनराशि

6445. **श्री ए. नरेन्द्र:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रमुख ग्रामीण गरीबी उपशमन कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि के आबंटन के मानदंड के संबंध में दिनांक 31 मार्च, 1999 को एक एन.डी.सी. की समिति गठित की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो इसकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कतिपय राज्य सरकारों ने वर्ष 1987-88 की (प्राक्लकड़ावाला) कार्यविधि वापिस लाने का अनुरोध किया है ताकि जिन राज्य सरकारों के पास गरीबों हेतु कतिपय सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाएं हैं उन पर आर्थिक दंड न लगे; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, हां। प्रमुख ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियों के आबंटन के मानदंड के संबंध में दिनांक 31.3.1999 को राष्ट्रीय विकास परिषद् (एनडीसी) की एक समिति गठित की गयी थी।

(ख) एनडीसी समिति की सिफारिशें नीचे दी गई हैं:

एनडीसी समिति ने प्रमुख ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियों के आबंटन के विभिन्न मानदंडों पर चर्चा की। वर्तमान में प्रयोग में लाए जा रहे मानदण्ड, अर्थात् प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में पूर्ण योजना आयोग द्वारा यथा-अनुमोदित 15 प्रतिशत समायोजित हिस्से को जारी रखने पर सर्व सम्मति बनी थी और समझौता हुआ था। यह आबंटन मानदंड एक समायोजन फार्मूले पर आधारित है जो कार्यदल रीतिविधान 1993-94 के आधार पर उनकी प्रत्याशित पात्रता के 15 प्रतिशत तक विशेषज्ञ दल अनुमानों के अंतर्गत घाटे को नियंत्रित करने के लिए है। उन राज्यों में जहां घाटा 15 प्रतिशत से कम था, विशेषज्ञ दल अनुमान बनाए रखे गए थे। शेष राज्यों के लिए यह सुनिश्चित किया गया था कि वे 1993-94 के संबंध में कार्यदल अनुमानों और 1993-94 के संबंध में विशेषज्ञ दल अनुमानों पर परिकलित दो हिस्सों से कम प्राप्त नहीं करेंगे। तथापि, कुछ राज्यों ने यह टिप्पणी की थी कि जिन राज्यों ने गरीबी कम करने के अर्थ में अच्छा कार्य किया है, उन्हें कुछ प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। यह भी नोट किया गया था कि कुछ राज्यों की विशेष आवश्यकताएं हैं और वहां पर गम्भीर निराशा है। इन मुद्दों का भी समाधान किए जाने की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष, योजना आयोग ने उनके इस सरोकार की सराहना की और इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऐसे मामलों पर दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रतिपादन के समय विचार किया जा सकता था।

(ग) और (घ) चूंकि, योजना आयोग को कुछ राज्यों की ओर से 1987-88 कार्यदल पूर्व-लाकड़ावाला रीतिविधान फिर से अपनाने के अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, मुद्दे को 19.2.1999 को आयोजित राष्ट्रीय विकास परिषद् (एनडीसी) की बैठक के सम्मुख प्रस्तुत किया गया था और परिणामस्वरूप उपर्युक्त एनडीसी समिति का गठन किया गया था। एनडीसी समिति की रिपोर्ट 1.9.2001

को आयोजित एनडीसी की बैठक के समक्ष रखी गई थी जिसमें एनडीसी ने रिपोर्ट को नोट किया था।

राजस्थान में परिवार कल्याणकारी योजनाएं

6446. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राजस्थान सरकार से परिवार कल्याणकारी और ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी योजनाओं से संबधित कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 30 अप्रैल, 2003 की स्थिति के अनुसार इन प्रस्तावों की स्थिति क्या है;

(घ) क्या इनमें से कोई प्रस्ताव विदेशी सहायता के लिए है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) राजस्थान सरकार ने दिनांक 29.8.2002 को हुए ई.ए.जी. के तीसरे व्यावसायिक सत्र के दौरान भारत सरकार से वित्तपोषण हेतु अपनी वार्षिक कार्य-योजना (2002-2003) प्रस्तुत की। 30.4.2003 की स्थिति के अनुसार, कार्य-योजना के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के तहत संस्तुत की गई तथा निर्मुक्त की गई धनराशि के योजनावार ब्यौरे विवरण-I और II के रूप में संलग्न है।

राज्य सरकार ने मरुभूमि वाले क्षेत्रों में उपकेन्द्रों की मंजूरी हेतु जनसंख्या संबंधी मानक में छूट भी मांगी है। राजस्थान में 461 उपकेन्द्रों की मंजूरी हेतु प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

राज्य सरकार से एक परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें 10.5 मिलियन अमेरिकी डालर की कुल लागत पर, यू.एन.एफ.पी.ए. द्वारा वित्तपोषित किए जाने हेतु आई.पी.डी. परियोजना (2003-07) के कंट्री प्रोग्राम-6 के अंतर्गत राजस्थान के छह जिलों को शामिल किया गया है।

(घ) जी, हां। आई.पी.डी. परियोजना, यू.एन.एफ.पी.ए. द्वारा वित्तपोषित की जाती है।

(ङ) सी.पी.-6 आई.पी.डी. परियोजना हेतु प्रक्रिया संबंधी अनुमोदन इस विभाग द्वारा प्राप्त किया जा रहा है।

विवरण I

राजस्थान हेतु प्रस्तावित धनराशि का योजनावार ब्यौरा (2002-03)

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	योजना का नाम	राजस्थान		राज्य के पास धनराशि	निर्मुक्त की जाने वाली धनराशि	धन की निर्मुक्ति की स्थिति
		प्रस्तावित	संस्तुत			
1	2	3	4	5	6	7
I.	**आर.सी.एच. योजनाएं**					
1.	अतिरिक्त ए.एन.एम.	1509.30	477.20	19.44	457.76	457.76 लाख रुपए निर्मुक्त किए गए
2.	पीएचएन	0.00	138.84	52.85	85.99	41.02 लाख रुपए निर्मुक्त किए गए
3.	लैब तकनीशियन	0.00	30.72	9.63	21.09	13.91 लाख रुपए निर्मुक्त किए गए
4.	पीपीआई	-	365.97	0.00	365.97	कोई निर्मुक्त नहीं की गई
5.	गृह प्रसव परिचर्या (दाई प्रशिक्षण)	636.24	190.00	5.24	184.75	184.75 लाख रुपए निर्मुक्त किए गए
6.	सांस्थानिक प्रसव को बढ़ावा देना (24 घंटे डिलिवरी)	66.00	0.00	280.30	0.00	आवश्यकता नहीं

1	2	3	4	5	6	7
7.	रेफरल परिवहन	59.50	81.57	67.57	14.00	यूसी लंबित रहने के कारण कोई निर्मुक्ति नहीं की गई
8.	आऊटरीच सेवाएं	150.64	150.50	63.36	87.14	यूसी लंबित रहने के कारण कोई निर्मुक्ति नहीं की गई
9.	आर.सी.एच. कैम्प	242.00	242.00	125.85	116.15	यूसी लंबित रहने के कारण कोई निर्मुक्ति नहीं की गई
10.	एम.आई.एस.	200.00	100.00	-	100.00	15.35 लाख रुपए निर्मुक्त किए गए। वर्ष 2002-03 के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम में ए.एन.एम. द्वारा प्रयोग में लाए जाने हेतु विभिन्न रजिस्टरों के मुद्रण हेतु कोई धनराशि निर्मुक्त नहीं की गई है क्योंकि संशोधित फार्मेट ई.ए.जी. राज्यों को आपूर्ति हेतु भारत सरकार मुद्रणालय में केन्द्रीय तौर पर मुद्रित पर मुद्रित की जा रही।
11.	सीएचसी/पीएचसी को सुदृढ़ करना	960.00	960.00	660.00	300.00	राज्यों से ब्यौरों की प्रतीक्षा है।
12.	सूचना शिक्षा व संचार	511.10	500.00	184.72	315.28	राज्यों से ब्यौरों की प्रतीक्षा है।
II.	**एरिया परियोजनाएं**					
1.	जिला परियोजनाएं/आरसीएच उप परियोजना	200.00	400.00	0.00	400.00	कोई निर्मुक्तियां नहीं
2.	एरिया परियोजनाएं (आई.पी.पी. परियोजना)	100.00	100.00	-	100.00	कोई निर्मुक्तियां नहीं
III.	**राष्ट्रीय मातृ लाभ योजना**	-	107.84	50.30	57.54	89.44 लाख रुपए निर्मुक्त किए गए। इस धनराशि के रूप में निर्मुक्त की गई 50.30 लाख रुपए की राशि।
	कुल	4634.78	3844.64	1519.26	2605.67	

विवरण II

क्र. सं.	योजना का नाम	राजस्थान		राज्य के पास धनराशि	निर्मुक्त की जाने वाली धनराशि	धन की निर्मुक्ति की स्थिति
		प्रस्तावित	संस्तुत			
1	2	3	4	5	6	7
	ईसी सहायता प्राप्त एस.आई.पी. परियोजना					
1.	उपकेन्द्रों का निर्माण तथा मरम्मत	2000.00	500.00	0.00	500.00	कोई निर्मुक्ति नहीं की गई
2.	आधारभूत प्रशिक्षण स्कूल का सुदृढ़ीकरण	30.00	30.00	0.00	30.00	कोई निर्मुक्ति नहीं की गई

1	2	3	4	5	6	7
3.	शहरी स्लम परियोजनाएं (शहरी स्वास्थ्य)	-	20.00	0.00	20.00	राज्यों से ब्यौरे की प्रतीक्षा है।
4.	जनमंगल कार्यक्रम का सुदृढ़ीकरण	1040.00	380.00	0.00	380.00	275 लाख रुपए निर्मुक्त किए गए।
5.	ए.एन.एम. को मोपेड की आपूर्ति	150.00	90.00	-	90.00	पहले निर्मुक्त किए गए धन हेतु यूसी प्रस्तुत करने के अध्यधीन।
6.	एस.ए.पी/डी.ए.पी.	0.00	227.28	120.00	107.00	कोई निर्मुक्ति नहीं की गई।
7.	लेप्रोस्कोप की मरम्मत	225.00	146.00	0.00	146.00	145.00 लाख रुपये निर्मुक्त किए गए
8.	आपात प्रसूति तथा नवजात परिचर्या के लिए एफआरयू को आपरेशनल बनाना	340.00	160.00	0.00	160.00	कोई निर्मुक्ति नहीं की गई।
9.	एफ पी के शिविर	402.00	192.00	0.00	192.00	कोई निर्मुक्ति नहीं की गई।
	कुल	4187.00	1745.28	120.00	1625.28	

[हिन्दी]

झारखंड के लिए धनराशि

6447. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत झारखंड के लिए आबंटित की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान झारखंड ने इसमें से वास्तव में कितनी धनराशि का उपयोग किया है; और

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान यह सुनिश्चित करने के लिए कि झारखंड अपने हिस्से से वंचित न हो क्या कार्यवाही की गयी है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) झारखंड राज्य नवम्बर, 2000 में अस्तित्व में आया था। सृजन के पश्चात् राज्य को नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के लिए इसकी वार्षिक योजना 2001-02 (नौवीं पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष) के लिए 269.69 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए थे।

पीएमजीवाई (सड़कों से भिन्न)	-	रुपये 75.92 करोड़
पीएमजीएसवाई	-	रुपये 110.00 करोड़
सड़कें और पुल	-	रुपये 9.84 करोड़
गंदी बस्ती विकास	-	रुपये 8.93 करोड़
एआईबीपी	-	रुपये 50.00 करोड़
रांची की आधारिक संरचना को सुदृढ़ करने के लिए	-	रुपये 15.00 करोड़

(ख) उपयोगिता के संबंध में झारखंड सरकार से सूचना की प्रतीक्षा है।

(ग) केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के लिए झारखंड का अनुमानित (अंतरिम) दसवीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय 1444.09 करोड़ रुपये हैं। राज्य को वार्षिक योजना 2002-03 (दसवीं योजना का प्रथम वर्ष) के दौरान 428.74 करोड़ रुपये पहले ही आबंटित किए जा चुके हैं।

[अनुवाद]

नई प्रौद्योगिकियों का अपनाया जाना

6448. श्री जी.एस. बसवराज: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दूरसंचार ट्रांसमीशन नेटवर्क में नई प्रौद्योगिकी और डिजीटल माइक्रोवेव प्रणाली स्थापित करने के

लिए भारत आधारित बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सेवाओं का उपयोग करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नई प्रौद्योगिकियों और डिजीटल माइक्रोवेव प्रणाली की पहचान करने के लिए क्या मानदंड अपनाये गये हैं;

(घ) इन नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने से प्रस्तावित दूरसंचार कवरेज क्या होगा और इनसे कौन-कौन से लाभ प्राप्त होने की संभावना है; और

(ङ) इसके कार्यान्वयन के लिए तैयार किये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) जी, नहीं। सरकारी दूरसंचार प्रचालक ट्रांसमिशन नेटवर्क में डिजिटल माइक्रोवेव प्रणालियों को संस्थापित करने का कार्य अपनी टीमों के द्वारा करते हैं। तथापि, उपभोक्ताओं के परिसरों तक बैंडविड्थ उपलब्ध कराने हेतु दूरसंचार ट्रांसमिशन नेटवर्क में ब्रोड बैंड वायरलेस एक्सेस प्रणालियों जैसी नई प्रौद्योगिकियों का भारत में पंजीकृत कंपनियों द्वारा प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से शुरू किया जाना प्रस्तावित है।

(ग) नई प्रौद्योगिकियों की पहचान करने के लिए अपनाए गए मानदंड उन्नत विशेषताओं और तकनीकी आर्थिक पहलुओं पर आधारित हैं।

(घ) इन प्रौद्योगिकियों के होने से ब्रोड बैंड डेटा और वीडियो अनुप्रयोगों के लिए बैंडविड्थ हेतु मांग को अधिक तेजी से पूरा किया जा सकता है।

(ङ) भारत संचार निगम लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष के दौरान देश के 10 शहरों में ब्रोड बैंड वायरलेस प्रणालियां शुरू करने की योजना बनाई है।

मोटर यान अधिनियम

6449. श्री अमर राय प्रधान: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मोटर यान अधिनियम के अनुसार मोटर यान निरीक्षक ही दक्षता मूल्यांकन संबंधी परीक्षण कर सकता है और वह भी ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से पहले;

(ख) क्या इसके बावजूद केंद्र सरकार राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालय वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारकों तथा अपने कार्यालयों में संबंधित पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का पुनः मूल्यांकन संबंधी परीक्षण कराने हेतु अपनी स्वयं की व्यवस्था करते हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन कार्यालयों को वैध लाइसेंस धारक अभ्यर्थियों का पुनः ड्राइविंग मूल्यांकन संबंधी परीक्षण कराने का अधिकार प्राप्त है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) यदि नहीं, तो मोटर यान अधिनियम के इस प्रकार के उल्लंघन के क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी]: (क) मोटर यान अधिनियम में ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाने से पहले सक्षमता परीक्षण का ही प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी लाइसेंसदाता अधिकारी द्वारा यह परीक्षण किया जा सकता है।

(ख) से (च) ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करना और भर्ती दो अलग-अलग मामले हैं। मोटर यान अधिनियम में नियोक्ता द्वारा किसी व्यक्ति की वाहन चालन कुशलता की जांच वर्जित नहीं है।

विलंबित बिलों का भुगतान

6450. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी.एस.एन.एल ने विलंबित बिलों के भुगतान के लिए एक नयी बिल प्रणाली आरंभ की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) विलम्बित बिलों के लिए भारत संचार निगम लि. में बिल भुगतान संबंधी कोई नई प्रणाली शुरू नहीं की गई है। जहां तक विलम्बित बिलों के भुगतान का संबंध है। ये बिल केवल विनिर्दिष्ट संग्रहण केन्द्रों पर स्वीकार किए जाते हैं ताकि टेलीफोनों के गलत काटे जाने संबंधी मामलों को कम किया जा सके।

कर्नाटक में इंडोर स्टेडियम का निर्माण

6451. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक, हासन में एक इंडोर स्टेडियम बनाये जाने की प्रबल मांग है;

(ख) क्या सरकार को कर्नाटक राज्य सरकार से इस सबंध में अनुरोध/प्रस्ताव प्राप्त हुए है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में राज्य को अब तक यदि कोई धनराशि जारी की गयी है तो वह कितनी है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा): (क) से (घ) कर्नाटक सरकार से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर हासन, कर्नाटक में इंडोर स्टेडियम के निर्माण के लिए दिनांक 21.12.2000 को, सिद्धांत रुप में 60.00 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता अनुमोदित की गई थी। पहले राज्य के हिस्से का न्यूनतम 50 प्रतिशत खर्च करने के बाद अभी तक कोई अनुदान जारी नहीं किया गया है क्योंकि अनुमोदित सहायता जारी करने के लिए अपेक्षित दस्तावेज अभी भी राज्य सरकार से अपेक्षित है।

[हिन्दी]

कोर्निया प्रत्यारोपण

6452. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने रोगी कोर्निया प्रत्यारोपण के लिए प्रतीक्षारत हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत नेत्रदान के माध्यम से कितने रोगी ठीक हुए हैं और;

(ग) सरकार द्वारा लोगों को नेत्रदान करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) केन्द्रीय स्तर पर ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, कोर्निया के प्रत्यारोपण के जरिए 21,608 व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं। वर्षवार ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

वर्ष	कोर्निया प्रत्यारोपण की संख्या
2000	6051
2001	7821
2002	7736*

*अनन्तिम

(ग) देश में नेत्रदान को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:

(1) प्रत्येक वर्ष 25 अगस्त से 7 सितम्बर तक नेत्रदान पर राष्ट्रीय पखवाड़ा आयोजित करना।

(2) टेलीविजन, रेडियो, प्रेस तथा मुद्रित सामग्री पर संदेशों के जरिए जन-जागरुकता बढ़ाना।

(3) मरणासन्न रोगियों के नेत्रों को दान में देने हेतु उसके संबंधियों को राजी करने के लिए ग्रीफ काउन्सेलिंग (दुख के समय सलाह देने) के बारे में अस्पताल के स्टाफ को प्रशिक्षण देना।

(4) सरकारी तथा स्वैच्छिक क्षेत्र में नेत्र बैंकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(5) कोर्निया विकार के कारण दृष्टिहीन हुए लोगों की दृष्टि को पुनः बहाल करने हेतु कोर्निया प्रत्यारोपण में नेत्र सर्जनों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

(6) देश के प्रमुख अस्पतालों, सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में चिकित्सा कालेजों, सेना, ई.एस.आई., रेलवे अस्पतालों के सहयोग से हास्पिटल कार्निया रिट्राइवल कार्यक्रम प्रारंभ करना।

(7) "नेत्रदान का प्रण करने" से ध्यान हटाकर नेत्रों के वास्तविक एकत्रण पर ध्यान केन्द्रित करना।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र के लिए धनराशि का जारी किया जाना

6453. श्री नरेश पुगलिया: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मुंबई और औरंगाबाद स्थित खाद्य एवं औषध नियंत्रण मुख्यालयों, औषध नियंत्रण प्रयोगशाला के उन्नयन हेतु महाराष्ट्र के लिए कतिपय धनराशि निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार के लिए यह धनराशि जारी की जा चुकी है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इसे कब तक जारी कर दिया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां।

(ख) विश्व बैंक क्षमता सृजन परियोजना के अंतर्गत औरंगाबाद और मुम्बई की प्रयोगशालाओं को प्रदान की जाने वाली सहायता की कुल राशि 4.16 करोड़ रुपए मूल्यांकित की गई है। विश्व बैंक के साथ बातचीत पूरी हो चुकी है और इस परियोजना पर अंतिम अनुमोदन हेतु कार्रवाई चल रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) परियोजना को अभी अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाना है।

(ङ) इस परियोजना के अक्टूबर, 2003 से प्रभावी होने की संभावना है।

सूचना प्रौद्योगिकी स्नातकों की मांग में कमी

6454. श्री राम टहल चौधरी:
प्रो. दुखा भगत:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी स्नातकों को रोजगार प्रदान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय की दूरदर्शिता के अभाव में सूचना प्रौद्योगिकी स्नातकों का भविष्य समाप्त हो गया है और इसके परिणामस्वरूप सूचना प्रौद्योगिकी स्नातकों की मांग दिन-प्रतिदिन घटती ही जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस संबध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) और (ख) जी, हां। नेस्काम के सर्वेक्षण के अनुसार पिछले दो वर्षों के दौरान लगभग 1,30,000 सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नियोजित किए गए थे।

(ग) जी, नहीं। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की परिकल्पना भारत को वर्ष 2008 तक सूचना प्रौद्योगिकी महाशक्ति बनाना है, इस परिकल्पना के उद्देश्यों में से एक सूचना प्रौद्योगिकी प्रेरित आर्थिक विकास के जरिए रोजगार सृजन है। नैस्काम के सर्वेक्षण के अनुसार नियोजित सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर और सेवा विशेषज्ञों की संख्या जो वर्ष 1998-99 में 280,000 थी, वर्ष 2002 में बढ़कर 650,000 हो गई।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

इंडियन काउन्सिल आफ वर्ल्ड अफेयर्स

6455. श्री बीर सिंह महतो: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इंडियन काउन्सिल आफ वर्ल्ड अफेयर्स के कार्यकरण और संचालन से संबंधित कोई शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इन खामियों को सुधारने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किये हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना): (क) से (ग) जी हां। पिछले दो वर्षों के दौरान तीन शिकायतें मिलीं। ये मुख्यत: आई सी डब्ल्यू ए परिषद और आई सी डब्ल्यू ए के दैनिक क्रियाकलापों के संबंध में थीं। सरकार ने शिकायतों की जांच करवायी। शिकायतें निराधार पायी गयीं।

[हिन्दी]

दूरभाष केन्द्रों के पुनरूद्धार के लिए निविदाएं

6456. श्री सुकदेव पासवान: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बी.एस.एन.एल. के संबंधित कार्यालयों द्वारा अप्रैल, 2002 से आज की तिथि तक कुल कितने दूरभाष केन्द्रों के लिए पुनरूद्धार निविदाएं आमन्त्रित की गयी हैं;

(ख) इनमें से कितनी निविदाओं के लिए विभिन्न ठेकेदारों/फर्मों को कार्य करने की मंजूरी मिली है;

(ग) कितनी निविदाओं का कार्य पूरा कर लिया गया है;

(घ) उन निविदाओं का ब्यौरा क्या है जिनके विरूद्ध सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मैसर्स हिन्दुस्तान केबल्स के लिए आरक्षण आदेश

6457. श्री प्रियरंजन दासमुंशी:
श्री माणिकराव होडल्या गावित:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी.एस.एन.एल., पी.आई.जे.एफ. केबल्स के लिए मैसर्स हिन्दुस्तान केबल्स हेतु आदेशों को आरक्षित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्कालीन संचार और सूचना प्रौद्योगिकी तथा उद्योग और लोक उद्यम मंत्री के बीच हुई बैठक में लिये नये निर्णयों का पालन न करने के क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) जी, हां। मै. हिन्दुस्तान केबल्स के लिए पीआईजेएफ केबलों के 60 एलसीकेएम आरक्षित रखे गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अध्ययन दल की सिफारिशें

6458. श्रीमती रेणूका चौधरी:
श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया:

क्या **पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास सम्बन्धी धनराशि को सक्रिय आतंकवादियों के हाथों में जाने से रोकने के लिए बनाये गये अध्ययन दल ने अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं।

(ख) यदि हां, तो इनके मुख्य निष्कर्ष, टिप्पणियां और सुझाव क्या हैं; और

(ग) सरकार की इन पर क्या प्रतिक्रिया है?

लघु उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी हां। अध्ययन दल ने अपनी सिफारिशों पर पहला सेट प्रस्तुत कर दिया है।

(ख) अध्ययन दल की सिफारिशों में, शासन में सुधार करने, विकास की गति को तेज करने, और देश के बाकी क्षेत्रों के साथ उत्तर पूर्व के सांस्कृतिक एकीकरण के लिए उपाय करना सम्मिलित हैं।

(ग) यह अध्ययन दल सम्बन्धित पूर्वोत्तर राज्यों के साथ उन सिफारिशों पर विचार-विमर्श कर रहा है और असम सरकार के साथ एक बैठक पहले ही हो चुकी है।

तुमकुर हवेरी राष्ट्रीय राजमार्ग का उन्नयन

6459. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4 के तुमकुर हवेरी सेक्शन का उन्नयन कर उसे चार लेनों में बदलने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या एशियाई विकास बैंक (एडीबी) इस उन्नयन संबंधी परियोजना का वित्त पोषण कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ एशियाई विकास बैंक से कितनी राशि मुहैया कराई गई है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी]: (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4 के तुमकुर-हवेरी खंड की लगभग 259 कि.मी. लंबाई में चार लेन बनाने के लिए

एशियाई विकास बैंक से 240 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता प्राप्त की गई है। इसमें से एशियाई विकास बैंक द्वारा 29.63 मिलियन अमरीकी डालर पहले ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रदान कर दिए गए हैं।

एनटीपी की समीक्षा

6460. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या जिस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय दूरसंचार नीति बनाई गई थी उसमें सफलता मिली है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार वर्तमान राष्ट्रीय दूरसंचार नीति में फेरबदल करने का है;

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित फेर-बदल की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ङ) नई राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की कब तक घोषणा किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ग) सरकार आवधिक तौर पर नई दूरसंचार नीति, 1999 (एनटीपी-99) के कार्यान्वयन की मानीटरिंग कर रही है और समग्र उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में संतोषजनक प्रगति हुई है। फिलहाल सरकार का एनटीपी-99 में फेरबदल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) से (ङ) उपर्युक्त भाग (क) से (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठते।

मध्य प्रदेश में मेडिकल कालेजों को खोला जाना

6461. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में कुछ नए मेडिकल कालेजों को खोले जाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में स्थानवार कितने नए मेडिकल कालेजों को खोले जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आई.टी. स्नातकों की गुणवत्ता

6462. श्री वी. वेत्रिसेलवन: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.टी. विशेषज्ञों ने आई.टी. स्नातकों की गुणवत्ता और आई.टी उद्योग में इनकी कम ग्राह्यता पर चिंता जताई है;

(ख) यदि हां, तो क्या विशेषज्ञों ने यह भी आगाह किया है कि इससे बेरोजगारी और अन्य गंभीर परिणाम हो सकते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गुणवत्ता वाले संकायों (फेकल्टियों) की भारी कमी है;

(ङ) यदि हां, तो क्या आने वाले वर्षों में आई.टी. प्रोफेशनलों की कमी होने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय किए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) से (ग) सूचना प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन विकास पर गठित कार्यदल ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में सूचना प्रौद्योगिकी जनशक्ति की गुणवत्ता तथा उद्योग द्वारा उनकी कम स्वीकार्यता पर चिंता व्यक्त की है, जिसके बेरोजगारी तथा अन्य गंभीर परिणाम होते हैं।

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन विकास पर गठित कार्यदल ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में यह भी बताया है कि गुणवत्ता से संबंधित मामला मुख्यत: अच्छी क्वालिटी के शिक्षक वर्ग की भारी कमी से उत्पन्न होता है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लगभग सभी शैक्षिक संस्थान अच्छे शिक्षकों को जारी रख पाने में कठिनाई महसूस करते हैं, क्योंकि उद्योग द्वारा उनकी मांग रहती है और उन्हें बेहतर वेतन तथा अन्य परिलब्धियां दी जाती हैं।

(ङ) नैस्काम के अनुसार, भारत से प्रत्येक वर्ष भारी मात्रा में सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ तैयार होते हैं और देश में कुशलताओं की कोई कमी नहीं है।

(च) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) शिक्षकों की गुणवत्ता तथा उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती हैं।

* आरम्भिक शिक्षक भर्ती कार्यक्रम (ईएफआईपी) के अंतर्गत तकनीकी पाठ्यक्रमों के मेधावी विद्यार्थियों को शिक्षण का कार्य एक पेशे के रूप में चुनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

* गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (क्यूआईपी) तकनीकी शिक्षकों को उच्चतर अर्हता प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध कराता है।

* एआईसीटीई ने अधिक व्यक्तियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति की राशि में बढ़ोत्तरी की है।

* एआईसीटीई ने शिक्षक वर्ग की कमी का समाधान ढूंढने के लिए एक शिक्षक वर्ग विकास सलाहकार बोर्ड का गठन किया है।

[हिन्दी]

सफदरजंग अस्पताल का बर्न डिपार्टमेंट

6463. श्री राधा मोहन सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल के बर्न डिपार्टमेंट में इलाज कराने वाले रोगियों को वहां ड्रेसिंग बैंडेजों के न होने से परेशानी होती है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी, नहीं। सफदरजंग अस्पताल में बर्न्स विभाग में पट्टियों और मरहम पट्टी सामग्री की कोई कमी नहीं है।

कर्मचारियों की कमी

6464. श्री सईदुज्जमा: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कालीबाड़ी, दिल्ली स्थित भारत संचार निगम लिमिटेड कालोनी के सिविल विंग के पूछताछ कार्यालय में कर्मचारियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कर्मचारियों की श्रेणीवार कितनी कमी है; और

(घ) उक्त कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी कब तक दूर किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, हां।

(ख) मार्च, 2003 से केवल एक बढ़ई की ही कमी है, जो कालीबाड़ी पूछताछ कार्यालय में तैनात बढ़ई की मृत्यु हो जाने के कारण हुई है।

(ग) बढ़ई-एक पद।

(घ) बढ़ई के खाली पद को भरने की आवश्यक कार्रवाई शुरू की जा रही है और इसे 30 जून, 2003 तक भर लिया जाएगा।

[अनुवाद]

कुष्ठ रोग का उन्मूलन

6465. श्री अनन्त नायक: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार कुष्ठ रोगियों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या कुछ गैर-सरकारी संगठन कुष्ठ रोगियों की पहचान करने, उनके इलाज और पुनर्वास के लिए कार्य कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार इन गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) आज की स्थिति के अनुसार कुष्ठ रोगियों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (ङ) जी, हां। देश में कुष्ठ के क्षेत्र में 290 गैर-सरकारी संगठन कार्यरत हैं। इसके अलावा, 36 गैर-सरकारी संगठनों को कुष्ठ रोग के कारण विकलांग रोगियों के लिए पुनः सृजन (रिकंसट्रक्टिव) शल्य चिकित्सा करने हेतु मान्यता प्रदान की गई है। इन गैर-सरकारी संगठनों को शल्य चिकित्सा करने हेतु संबंधित जिला कुष्ठ रोग सोसाइटियों द्वारा प्रति सर्जरी 2500/-रुपए की दर

से और कुष्ठ रोगियों को बचाव हेतु दिए जाने वाले जूतों के लिए 160/-रुपए प्रति जोड़ा की प्रतिपूर्ति की जाती है।

भारत सरकार सर्वेक्षण, शिक्षा और उपचार योजना के अंतर्गत कुष्ठ संबंधी कार्य करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता देती है। इस योजना के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को उनके सोसायटीज अधिनियम 1860 के अधीन पंजीकृत होने और संबंधित राज्य सरकारों की सिफारिश तथा गैर-सरकारी संगठनों द्वारा अंकेक्षित लेखों/उपयोग प्रमाण पत्र की उपलब्धता के अध्यधीन अनुदान दिया जाता है।

लोगों में सर्वेक्षण, शिक्षा और उपचार गतिविधियां चलाने हेतु गैर-सरकारी संगठनों को विगत तीन वर्षों के दौरान संबंधित राज्य सरकारों द्वारा आबंटित अनुदान के रूप में दी गई वित्तीय सहायता निम्न प्रकार है:

वर्ष	सर्वेक्षण, शिक्षा और उपचार योजना के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों हेतु कुल वित्तीय सहायता
2000-01	1,19,71,590 रुपए
2001-02	92,48,709 रुपए
2002-03	99,38756 रुपए

विवरण

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम फरवरी, 2003 मास हेतु प्राप्त की गई रिपोर्टों के अनुसार रिकार्ड किए गए कुष्ठ रोगियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रिकार्ड किए गए रोगी
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	19667
2.	अरूणाचल प्रदेश	99
3.	असम	1768
4.	बिहार	47107
5.	छत्तीसगढ़	13431
6.	गोवा	415
7.	गुजरात	7392
8.	हरियाणा	550
9.	हिमाचल प्रदेश	256
10.	झारखंड	24488
11.	जम्मू और कश्मीर	724
12.	कर्नाटक	10195
13.	केरल	2246
14.	मध्य प्रदेश	12420
15.	महाराष्ट्र	29680
16.	मणिपुर	92
17.	मेघालय	84
18.	मिजोरम	12
19.	नागालैंड	49
20.	उड़ीसा	19152
21.	पंजाब	1196
22.	राजस्थान	4378
23.	सिक्किम	35
24.	तमिलनाडु	15572
25.	त्रिपुरा	103
26.	उत्तर प्रदेश	74219
27.	उत्तरांचल	1657
28.	पश्चिम बंगाल	22865
29.	अ. और नि. द्वीपसमूह	50
30.	चंडीगढ़	238
31.	दादर और नगर हवेली	155
32.	दिल्ली	20
33.	लक्षद्वीप	6339
34.	दमन दीव	29
35.	पांडिचेरी	132
	कुल	316815

*सभी ज्ञात रोगियों का एम.डी.टी. से उपचार शुरू किया गया है।

**निकट भविष्य में सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से मार्च, 03 की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात अंतिम वार्षिक आंकड़ों को संकलित किया जाएगा।

[हिन्दी]

एस.टी.डी./आई.एस.डी. लाइनों का अंतरण

6466. **श्री राजो सिंह:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में एस.टी.डी./आई.एस.डी. लाइनों के अंतरण संबंधी शिकायतों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार की जानकारी में कितने मामले आये हैं;

(ग) क्या सरकार ने इसकी जांच करायी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) ऐसे टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या कितनी है जहां उपभोक्ताओं के डायनामिक लाकिंग प्रणाली की सुविधा दी गई है; और

(च) बिहार में सभी एक्सचेंजों में एस.टी.डी./आई.एस.डी. लाइनों के अंतरण को रोकने की सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, नहीं। बिहार सर्किल में एसटीडी/आईएसडी लाइनों के अन्तरण के बारे में कोई शिकायत नहीं है।

(ख) से (घ) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) बिहार में सर्किल के सभी 1072 एक्सचेंजों में डायनामिक लाकिंग सुविधा दी गई है।

(च) उपरोक्त भाग (ङ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

फार्मा और बायो इनफार्मेटिक कम्पनियों के लिए भारत एक लक्ष्य

6467. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एसोसिएटिड चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (एसोचेम) ने भारत से उन प्रमुख फार्मा और बायोटेक कम्पनियों को पूर्ण डाटाबेस सौल्युशन्स मुहैया कराने का अनुरोध किया है जो मुख्य रूप से पूंजी के अभाव और अनुसंधान और विकास संबंधी फार्मों पर कम खर्च करने के कारण प्रगति करने में सक्षम नहीं है;

(ख) क्या देश में क्लिनिकल ट्रायल हेतु व्यापक संभावनाओं को पेश करने के लिए जानकारी, संसाधन, प्रौद्योगिकी के कुशल जानकार हैं;

(ग) क्या एसोचेम ने यह सुझाव दिया है कि भारत फार्मा और बायोइनफार्मेटिक कम्पनियों के लिए बेहतर लक्ष्य हो सकता है; और

(घ) यदि हां, तो एसोचेम के सुझाव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। भारत में नैदानिक परीक्षणों के लिए संभावनाएं पेश करने के लिए पर्याप्त संसाधन, कुशल जनशक्ति, ठोस प्रौद्योगिकीय आधार है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में कुछ अस्पताल नैदानिक परीक्षण कर रहे हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने हाल ही में मानव नैदानिक परीक्षण के लिए संस्थानों और अस्पतालों का एक नेटवर्क स्थापित किया है।

(ग) और (घ) एसोचेम ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी/)जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) से फार्मा जैव प्रौद्योगिकी पर किसी डेटाबेस समाधान के लिए अनुरोध नहीं किया है। लेकिन, एसोचेम द्वारा मार्च, 2003 के दौरान आयोजित "ज्ञ न सहस्त्राब्दि 3" नामक एक सम्मेलन में जैव प्रौद्योगिकी में व्यवस्था प्रणाली की लागत कम करने की दृष्टि से जैव सूचना-विज्ञान के क्षेत्र में अनुबंध के आधार पर अनुसंधान सेवाओं पर कुछ टिप्पणियां की गई। सरकार को अनुबंध के आधार पर अनुसंधान की संभावनाओं की जानकारी है। जैव प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी में जनशक्ति की दृष्टि से देश की क्षमता के मद्देनजर देश फार्मा जैव-प्रौद्योगिकी कम्पनियों को ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार है।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्ग

6468. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय जम्मू और कश्मीर में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और इनमें से कितने की मरम्मत कराए जाने की आवश्यकता है;

(ख) राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और पुराने राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के लिए राज्य सरकार से मिले प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पर केंद्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी]: (क) जम्मू और कश्मीर में 3 राष्ट्रीय राजमार्ग है अर्थात् रा रा 1 ए, 1 बी और 1 सी। राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण और मरम्मत एक सतत् प्रक्रिया है।

(ख) और (ग) वर्ष 2002-03 के दौरान नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए राज्य सरकार से 4 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और ये प्रस्ताव अनुमोदन के बगैर राज्य सरकार को वापस कर दिए गए हैं क्योंकि इस समय नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा (निर्माण) पर प्रतिबंध है। राज्य में पुराने राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के लिए वर्ष 2002-03 के दौरान 4 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिनमें से दो प्रस्ताव स्वीकृत कर दिए गए। शेष दो प्रस्ताव राज्य सरकार को वापस कर दिए गए।

[अनुवाद]

मेडिकल कालेज की स्थापना

6469. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बापूजी एजुकेशनल एसोसिएशन, दवानगेरे, कर्नाटक से एक मेडिकल कालेज खोले जाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 2002-2003 के दौरान उनके मंत्रालय को कर्नाटक से पांच प्रस्ताव मिले हैं; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा कब तक इन प्रस्तावों के निपटाए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कर्नाटक राज्य से प्राप्त हुए पांच आवेदनों में से, बापूजी एज्युकेशनल एसोसिएशन, दावनगेरे से प्राप्त हुए आवेदन को छोड़कर, चार प्रस्ताव आवेदक को लौटा दिए गए थे क्योंकि वे नए मेडिकल कालेजों की स्थापना करने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद के विनियमों में निर्धारित अर्हक मानदण्डों को पूरा नहीं कर रहे थे। बापूजी एज्युकेशनल एसोसिएशन से प्राप्त हुए प्रस्ताव को स्वीकृत करना आधारभूत ढांचा सुविधाओं की उपलब्धता और उन पर भारतीय चिकित्सा परिषद की सिफारिशों पर निर्भर करता है। इसलिए, इस प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए कोई समय-सीमा नहीं दी जा सकती है।

व्यपगत न होने वाली राशि के अन्तर्गत असम में सड़क का निर्माण

6470. **श्री एम.के. सुब्बा:** क्या **पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम सरकार ने ननलैप्सबल सेंट्रल पूल आफ रिसार्सिज से वित्तपोषण हेतु लगभग 373 करोड़ रुपये की लागत वाली सड़क नेटवर्क निर्माण परियोजना प्रस्ताव मार्च, 2002 में सौंपा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) नहीं, श्रीमान। असम सरकार द्वारा मार्च, 2002 में सड़क निर्माण की कोई परियोजना पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग को प्रस्तुत नहीं की गई थी। तथापि, फरवरी, 2003 में असम सरकार ने 390.60 करोड़ रुपये की राशि से अपनी सड़क संरचना में लकड़ी के पुलों को आर.सी.सी. पुलों में बदलने के लिए एक संकल्पना पेपर प्रस्तुत किया है। इसमें से, वर्ष 2003-04 के लिए अव्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल (एन.एल.सी.पी.आर.) के अन्तर्गत विचार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजनाओं की प्राथमिकता सूची में 104.14 करोड़ रुपये की लागत की 35 परियोजना सम्मिलित हैं।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है।

(ग) अव्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल प्रशासित करने वाली समिति द्वारा अपनी 4 मार्च, 2003 को हुई बैठक में इस प्राथमिकता सूची पर विचार किया गया। विस्तृत प्रौद्योगिक-आर्थिक मूल्यांकन के लिए इन 35 परियोजनाओं को रखा गया है और राज्य सरकार को विस्तृत अनुमान और परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है।

विवरण

वर्ष 2003-2004 के लिए असम सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई प्राथमिकता सूची से रखी गई सड़क परियोजनाओं के ब्यौरे

क्र.सं.	लकड़ी के पुलों को आर.सी.सी. पुलों में परिवर्तित करने की परियोजनाएं	लागत (करोड़ रुपयों में)
1	2	3
1.	भवानीपुर बारपेटा रोड़ (5 पुल)	5.30
2.	डा. जिना राम दाम रोड़ (3 पुल)	3.93
3.	सरूपेटा भूयापारा रोड़ (2 पुल)	2.08
4.	ढोडर अली (8 पुल)	4.21
5.	सेपान सूफ्री रोड़ (7 पुल)	4.34
6.	नामटी अली (3 पुल)	1.18
7.	मोरन नाहारकटिया (2 पुल)	1.67
8.	गोगामुख घिलामारा रोड़ (1 पुल)	1.87
9.	जोनाई सिलापत्थर लिंक रोड़ (3 पुल)	1.58
10.	पुकिया सिलापत्थर लिंक रोड़ (1 पुल)	1.12
11.	एयरपोर्ट सड़क के लिए अतिरिक्त सम्पर्क मार्ग (2 पुल)	1.00
12.	उत्तर गुवाहाटी मंडकाटा रोड़ (2 पुल)	1.00
13.	बेगल्स रोड़ (1 पुल)	1.78
14.	हटिगांव भेटापारा रोड़ (चार लेन वाला 1 पुल)	1.95
15.	बोर्डर रोड़ (गर अली) (10 पुल)	5.44
16.	मेट.ना.अली (टीटाबोर बोरहोला) (8 पुल)	4.78
17.	नाकाचारी रोड़ (1 पुल)	1.07
18.	मेट.यू./एम.जे.बी. रोड़ (2 पुल)	2.97
19.	मेट.ना-अली जोरहाट टीटाबोर (4 पुल)	1.93
20.	मंगलाल दोई भूटियाचांग (8 पुल)	9.22
21.	उडालगुरी बोरबेंग्रा सड़क (2 पुल)	1.57
22.	नालबारी पल्ला रोड़ (1 पुल)	1.02
23.	वागल्स रोड़ (3 पुल)	2.44
24.	वेनगांव जगरा रोड़ (2 पुल)	2.16

1	2	3
25.	हरिपुर संसार घाट रोड़ (1 पुल)	2.44
26.	थिंगहोकर नागांव भूरागांव रोड़ (2 पुल)	4.58
27.	सिल्चर कुंभीग्राम रोड़ (8 पुल)	5.37
28.	पेनेजेरी फिलोबारी रोड़ (3 पुल)	3.28
29.	कोकराझार मोनाकोसा सड़क पर 2 कि.मी. पर गौरांग नदी के ऊपर आर.सी.सी. पुल का निर्माण (1 पुल)	9.65
30.	डी.एल.एच.एस. रोड़ (2 पुल)	1.30
31.	नागाजान, सभराली, दासगांव सड़क पर जमुना नदी के ऊपर 26/3 आर.सी.सी. पुल का निर्माण (लम्बाई 62.00 आर.एम.)	2.80
32.	मांजा से हिडिन टेरोन गांग तक सड़क पर दिफू नदी के ऊपर आर.सी.सी. पुल सं. 1/2 का निर्माण (एल. 60.00 आर.एम.)	2.73
33.	वकुलियां राजा-पत्थर सड़क पर जमुना नदी के ऊपर आर.सी.सी. पुल सं. 12/3 का निर्माण	3.24
34.	बारपत्थर-वोकाजान डाईथोर चौकीहोला रोड़ पर आर.सी.सी. पुल सं. 24/1 का निर्माण (एल. 20.00 आर.एम.)	1.17
35.	चौकीहोला-पंजा-डिथोर-भलासी-पाथर-डिहोरी-कोहोरा (सी.पी.डी.एम.डी.के.) रोड़ पर रोंगसोली नदी पर आर.सी.सी. पुल सं. 40/2 का निर्माण (एल. 40.00 आर.एम.)	1.97
	कुल:	104.14

इन्सैट-3-ए के कैमरे

6471. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में इनसेट 3-ए में लगाये गये कैमरे सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितना वित्तीय घाटा हुआ है; और

(घ) इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम प्रस्तावित हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, नहीं। इनसैट-3ए उपग्रह एक 3-चैनल का अत्यन्त उच्च विभेदन रेडियोमीटर और एक 3-चैनल का प्रतिबिम्बिक ले गया है। यह उपग्रह अप्रैल 25, 2003 को अपने कक्षीय स्थान 93.5 डिग्री पूर्व पर पहुंच गया है। दोनों कैमरे विनिर्देशनों के अनुसार कार्य कर रहे हैं। तथापि, इन कैमरों का विस्तृत अभिलक्षण सामान्यतया दीर्घावधि तक अर्थात् सितम्बर, 2003 में अगले ग्रहण ऋतु तक किया जाता है।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

शहरी और ग्रामीण टेलीफोन घनत्व में असमानता

6472. **डा. एन. वेंकटस्वामी:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजीटल विभाजन बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व संबंधी असमानता को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम प्रस्तावित हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार ग्रामीण लोगों को फिक्स्ड स्थानीय टेलीफोन के किराये और कालों में राज सहायता देने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) जी, हां। टेलीघनत्व के संबंध में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच डिजिटल अंतराल है। 31.03.2003 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औसत टेलीघनत्व क्रमश: 1.51 और 14.71 है। टेलीघनत्व मांग पर निर्भर करता है और मांग निम्नलिखित घटकों पर निर्भर करती है:

(1) प्रति व्यक्ति आय

(2) विकासपरक कार्यकलाप

(3) कारोबार तथा व्यापार के अवसर

(4) साक्षरता दर

इसके अतिरिक्त, शहरी क्षेत्रों में मांग के संकेद्रित स्वरूप और कारोबार तथा व्यापार के उच्चतर स्तरों के कारण शहरी क्षेत्रों में सामान्यतया टेलीघनत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार हेतु विगत कुछ वर्षों के दौरान अनेक नीतिगत उपाय किए गए हैं। नई दूरसंचार नीति-99 में टेलीघनत्व और ग्रामीण टेलीफोनी के लिए विभिन्न विशिष्ट उद्देश्य और समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ वर्ष 2010 तक ग्रामीण टेलीघनत्व को मौजूदा स्तर से 4 प्रतिशत तक बढ़ाना और देश में सभी ग्रामों को दूरसंचार सुविधाओं द्वारा कवरेज का लक्ष्य प्राप्त करना और साथ ही सभी टेलीफोन एक्सचेंजों को विश्वसनीय माध्यम प्रदान करना है।

(घ) ग्रामीण और शहरी टेलीफोन के लिए प्रशुल्कों का निर्धारण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) करता है और प्रचालक अपने कारोबार के माडलों के अनुसार प्रशुल्कों का निर्णय करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ङ) और (च) उपर्युक्त के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय राजनयिक का पाकिस्तान में उत्पीड़न

6473. श्री सवशीभाई मकवाना: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस्लामाबाद के भारतीय उच्च आयोग ने फरवरी 2003 में पाकिस्तान में भारतीय राजनयिकों के उत्पीड़न की घटनाओं का विरोध करते हुए उसके विरुद्ध दो नोट्स वरबल भेजे है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) इस्लामाबाद स्थित भारत के हाई कमीशन ने फरवरी, 2003 में पाकिस्तान के विदेश कार्यालय को कई अधिकृत टिप्पणियां भेजीं जिनमें 19 फरवरी, 2003 में भेजी गई दो अधिकृत टिप्पणियां भी शामिल हैं जो पाकिस्तान में भारतीय राजनयिकों को तंग करने की घटनाओं के विरुद्ध विरोध व्यक्त करने के संबंध में थी। उसने पाकिस्तान की सरकार को 1961 के वियना अभिसमय की उनकी बाध्यताओं तक 1992 में दोनों देशों के बीच संपन्न भारत तथा पाकिस्तान के राजनयिक/कोंसली कार्मिकों के व्यवहार के लिए द्विपक्षीय आचार संहिता का अनुस्मरण कराया और उसे आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा ताकि इस प्रकार उत्पीड़न की घटना की पुनरावृत्ति न हो।

(ग) पाकिस्तान सरकार से उपर्युक्त अधिकृत टिप्पणियों का कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

[हिन्दी]

डाकघरों/तारघर कार्यालयों की स्थापना

6474. श्री रामदास आठवले: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य में निजी भवनों और किराये के भवनों में चल रहे डाकघरों और तारघरों की संख्या क्षेत्रवार और श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत वर्ष के दौरान खोले गये नये डाकघरों, उप-डाकघरों और तारघरों की संख्या का राज्यवार और क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के प्रत्येक गांव में डाक सेवाएं प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) डाक और तारघर कर्मचारियों की आवासीय कालोनियों की संख्या का राज्यवार और क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या यह पर्याप्त है; और

(छ) यदि नहीं, तो इस संबंध में कौन से कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) से (छ) महोदय, जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

बोतल बन्द पानी की रिपोर्ट

6475. **श्री बृज भूषण शरण सिंह:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र, नयी दिल्ली (सी.एस.ई.) पी.एफ.ए. के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला है;

(ख) विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र (सी.एस.ई.) द्वारा पानी की बोतलों। संबंधी ताजा रिपोर्ट के संबंध में प्रयोग किए गए प्रत्येक जांच विधि/प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र द्वारा मुम्बई में लिए गए कुछ ब्रान्डों के नमूनों की जांचों के परिणाम प्रकाशित नहीं किये गये हैं;

(घ) पानी की बोतलों की जांच के लिए विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र द्वारा प्रायोगिक जांच विधियां निर्धारित नवीनतम यूरो मापदण्डों के अनुरूप भी है यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित कदम क्या हैं; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, नहीं।

(ख) उनकी रिपोर्ट के अनुसार विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र, नई दिल्ली ने निष्कर्षण के लिए यूनाइटिड स्ट्टेस एन्वायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी (यू.एस.ई.पी.ए.) द्वारा अनुमोदित एक कार्यविधि का इस्तेमाल किया है। इसका विश्लेषण गैस क्रोमेटोग्राफ द्वारा के पिलरी कालम का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रान-कैप्चर डिटेक्टर के साथ किया गया था।

(ग) विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र द्वारा मुम्बई में लिए गए कुछ ब्रांडों के पैकेज बन्द पेय जल और खनिज जल के नमूनों के जांच निष्कर्ष उनकी रिपोर्ट में प्रकाशित किए गए हैं।

(घ) और (ङ) ई.ई.सी. द्वारा पेय जल पर जारी किए गए निर्देश में इस्तेमाल की जाने वाली विश्लेषण की विधि नहीं दी गई है। तथापि, अध्ययनों में विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र द्वारा प्रयुक्त विश्लेषण की विधि यू.एस.ई.पी.ए. द्वारा निर्धारित विधि है, जो अन्तरराष्ट्रीय तौर पर विश्लेषण की एक मान्यता प्राप्त विधि है।

[हिन्दी]

सड़कों की प्रगति

6476. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्रीय सड़क फंड के तहत झारखंड और बिहार के लिए स्वीकृत सड़कों की प्रगति संतोषजनक है;

(ख) यदि हां, तो क्या वास्तविक लक्ष्य योजनानुसार प्राप्त कर पाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी]: (क) से (घ) झारखंड और बिहार में गत तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत क्रमशः 48.98 करोड़ रु. और 129.38 करोड़ रु. की परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। झारखंड और बिहार द्वारा अब तक क्रमशः 5.39 करोड़ रु. और 28.19 करोड़ रु. का उपयोग किया गया है। केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं के लिए धनराशि का उपयोग, प्रगति और समय से पूरा करना संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

[अनुवाद]

एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ की संख्या

6477. **श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के तहत संचालित एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या गत दो वर्षों के दौरान एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ की संख्या में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के तहत एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) 28.2.2003 की स्थिति के अनुसार देश में भारत संचार निगम लिमिटेड के अंतर्गत 11,58,991 पीसीओ प्रचालन में हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

केबल बिछाया जाना

6478. **डा. बलिराम:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी, 2000 से फरवरी, 2003 तक की अवधि के दौरान दिल्ली और मुम्बई में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के विभिन्न क्षेत्रीय महाप्रबंधकों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न एक्सचेंजों में कितने लागत वाले नए केबल बिछाए गए और इस पर कितना व्यय हुआ;

(ख) क्या इस संबंध में कोई भ्रष्टाचार का मामला पाया गया;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार मामले में जांच करवाने के बाद उचित कार्रवाई करने का है;

(ङ) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कब तक कार्रवाई किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) दिल्ली और मुंबई इकाइयों के विकासपरक कार्यों हेतु नए केबल बिछाने के लिए 1 जनवरी, 2000 से 28 फरवरी, 2003 के दौरान हुआ व्यय इस प्रकार है:

मद	दिल्ली इकाई	मुंबई इकाई
केबल का मूल्य	211,44,49,665 रु.	1,41,11,93,271 रु.
नकद व्यय	143,17,95,152 रु.	39,30,80,171 रु.
कुल	354,62,44,817 रु.	180,42,73,442 रु.

एमटीएनएल, दिल्ली व मुंबई के क्षेत्र-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) नए केबल बिछाने में भ्रष्टाचार का कोई मामला हमारे ध्यान में नहीं आया है। तथापि, पश्चिम-1 क्षेत्र द्वारा पुनः स्थापना/रख-रखाव हेतु केबल बिछाने का एक मामला बताया गया था जिसकी एमटीएनएल दिल्ली के सतर्कता एकक में जांच चल रही है।

(घ) और (ङ) जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी।

(च) उपर्युक्त भाग (घ) तथा (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता

विवरण

एमटीएनएल, मुंबई में बिछाए गए नए केबल की क्षेत्र-वार लागत

1.1.2000 से 28.2.2003 तक *(हजार रु. में)*

क्र.सं.	क्षेत्र	1.1.2000 से 31.3.2000	1.4.2000 से 31.3.2001	1.4.2001 से 31.3.2002	1.4.2002 से 28.2.2003	कुल 1.1.2000 से 28.2.2003
1	2	3	4	5	6	7
1.	पूर्व-I	37386.891	85412.121	81142.777	26842.163	230783.952
2.	पूर्व-II	35186.4	89377.933	69060.44	43474.979	237099.752

1	2	3	4	5	6	7
3.	उत्तर	29521.336	74040.814	40610.252	17488.615	161661.017
4.	उ. मुंबई	22141	53850.839	72796.815	49841.281	198629.935
5.	केन्द्रीय	9840.445	25732.216	7478.155	13750.409	56801.225
6.	दक्षिण	3690.167	7060.189	4966.128	3407.424	19123.908
7.	पश्चिम-I	19680.891	47647.559	107919.508	28996.524	204244.482
8.	पश्चिम-II	36901.671	90985.063	86037.035	49393.293	263317.062
9.	पश्चिम-III	51662.339	126314.141	178933.001	75702.628	432612.109
	कुल	246011.14	600420.875	648944.111	308897.316	1804273.442

केबल की लागत - 141,11,93,271 रु.

व्यय लागत - 39,30,80,171 रु.

कुल - 180,42,73,442 रु.

एमटीएनएल, दिल्ली में बिछाए गए नए केबल की क्षेत्र-वार लागत

1.1.2000 से 28.2.2003 तक (करोड़ रु. में)

क्षेत्र	केबल की लागत	नकद व्यय
केन्द्रीय	9	7
पूर्व	9	8
यमुना पार	40	32
उत्तर-I	12	11
उत्तर-II	21	11
दक्षिण-I	16	12
दक्षिण-II	30	23
पश्चिम-I	38	15
पश्चिम-II	27	18
पश्चिम-III	9	6
कुल	211	143

[अनुवाद]

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अपने समकक्षों से परामर्श

6479. **श्री सुरेश रामराव जाधव:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा ब्रिटेन, कनाडा, रूस और यूरोपीय राष्ट्रों में स्थित उनके समकक्ष विभागों द्वारा गहन कोहरे में मोटरचालकों को कम दिखने की समस्या से निपटने के उनके तरीकों का पता लगाने हेतु उनके संपर्क किया गया है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अत्यंत कम दिखने की स्थितियों में मोटरचालकों की मदद के लिए सभी राजमार्गों पर विशेष पेंट्स साइन बोर्डों पर विभिन्न तरह के संदेश लगाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी]: (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राजस्थान में रा.रा. 8 के कोटपुतली-जयपुर खंड पर उचित स्थानों पर 2 परिवर्तनशील संदेश संकेत लगाए गए हैं जो आगे राजमार्ग की दृश्यता स्थिति के संबंध में प्रयोक्ताओं का मार्गदर्शन करते हैं। परिवर्तनशील संदेश संकेतों (वी एम एस) में किसी पेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है।

तम्बाकू प्रयोग पर प्रतिबन्ध

6480. **श्री नरेश पुगलिया:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) के सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) के लगभग 170 सदस्य देशों ने विज्ञापन पर प्रतिबन्ध सहित धूमपान के विरुद्ध कड़े अनुबन्ध का समर्थन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों की संख्या 192 है।

(ख) से (घ) भारत सहित विश्व स्वास्थ्य संगठन के 171 सदस्य देश तम्बाकू आपूर्ति और उपयोग नियंत्रण के लिए तम्बाकू नियंत्रण संबंधी कार्य-ढांचा सम्मेलन नामक एक संधि तैयार करने में भागीदार है। इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते में लाखों जीवनों को बचाने और जनस्वास्थ्य में सुधार करने हेतु तम्बाकू नियंत्रण के लिए सहयोग करने तथा अपेक्षाकृत कड़ी घरेलू नीतियां बनाने और विज्ञापन तथा व्यापार जैसे सीमापार के मुद्दों से जूझने के लिए विश्व के देशों के लिए आवश्यक साधन, सहायता, लक्ष्य तथा समय-सीमा प्रदान की जाएगी। केन्द्र सरकार द्वारा संसद में पुरः स्थापित किए गए "सिग्रेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पाद, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) विधेयक, 2003" को राज्य सभा द्वारा 9 अप्रैल, 2003 तथा लोक सभा द्वारा 30 अप्रैल, 2003 को पारित किया गया था। यह विधेयक, अन्य बातों के साथ-साथ, सिग्रेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन का प्रतिषेध करता है और इसमें सिग्रेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों के उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण में व्यापार और वाणिज्य का विनियमन करने की व्यवस्था है।

राष्ट्रीय जलमार्गों और पोत निर्माण के लिए आबंटित धनराशि

6481. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में राष्ट्रीय जलमार्ग-1, 2 और 3 परियोजनाएं और पोत निर्माण (जैट निर्माण सहित) के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) क्या आबंटित/जारी धनराशि का पूर्ण उपयोग किया जा चुका है और परियोजनाएं योजना के अनुसार पूर्ण हो गयी हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त परियोजनाओं से असम, प. बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्रों को क्या लाभ हुआ है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी) (क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में आबंटित/दी गई कुल राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	दी गई राशि (करोड़ रु. में)
2000-01	18.12
2001-02	27.93
2002-03	41.48

(ख) और (ग) दी गई राशि का पूरी तरह से उपयोग कर लिया गया है। हालांकि, भूमि अधिग्रहण में विलंब, संविदागत समस्याओं आदि के कारण योजना के अनुरूप सभी परियोजनाओं को पूरा नहीं किया जा सका।

(घ) राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 एवं 2 पर अंतर्देशीय जल क्षेत्र में फेयरवे, नौचालन संबंधी सहायता आदि जैसी सुविधाओं में समग्र सुधार होने से असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को इस क्षेत्र में परिवहन का एक वैकल्पिक साधन उपलब्ध होने का लाभ मिला है।

एस्कॉर्ट सेवाएं

6482. श्री रामशेठ ठाकुर:
श्रीमती रेणुका चौधरी:
श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया:
श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी:
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय साफ्टवेयर व्यावसायिकों को विनियमों के संबंध में मार्गदर्शन करने और सूचना प्रौद्योगिकी में रोजगार सुनिश्चित करने में उनकी मदद करने तथा विदेशों में अवसरों के लिए उन्हें जानकारी देने के लिए "एस्कार्ट सेवाएं" प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जर्मनी और नीदरलैण्ड जैसे देश इसके प्रमुख लक्ष्य हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) और (ख) सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों को विभिन्न देशों में समुचित वीजा/कार्य सुविधा-केन्द्र के प्रस्ताव पर नैस्काम और ईएससी के साथ मिलकर कार्य कर रहा है।

(ग) उत्तर अमरीका के बाद यूरोप एक अन्य संभावित बाजार के रूप में उभर रहा है। जर्मनी और नीदरलैण्ड पहले ही भारत से होने वाले साफ्टवेयर और सेवा निर्यात के शीर्ष दस (10) स्थलों में शामिल हैं।

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और साफ्टवेयर उद्योग ने नैस्काम और ईएससी जैसे अपने संघों के जरिए प्रतिनिधित्व किया, ये बाजार विकास के अभियान के लिए मिलकर कार्य कर रहे हैं जिसमें नुक्कड़, प्रदर्शनियां, विज्ञापन, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों एवं सम्मेलनों में भाग लेना, बाजार की संभावनाओं का मूल्यांकन अध्ययन, एक-दूसरे के साथ बैठकें आदि शामिल हैं। इसमें सृजनात्मक एवं सुविचारित धारणाओं के प्रदर्शन, भारत की ब्रांड छवि के निर्माण और गठबंधन करने का महत्व दिया जाए।

सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों की मांग

6483. **श्रीमती रेणूका चौधरी:**
श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैण्ड, यूरोपीय यूनियन और अन्य विकसित देशों में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों की वार्षिक मांग की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो कितने सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ इस रोजगार बाजार में शामिल हो रहे हैं और देश के भीतर ऐसे विशेषज्ञों की वार्षिक मांग कितनी है और ऐसे कितने विशेषज्ञ बेरोजगार हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे विशेषज्ञों की सेवाओं के निर्यात हेतु कोई कार्यनीति विकसित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कार्मिक शक्ति के आवागमन और आपूर्ति के तरीकों के संबंध में व्यापार सेवाओं संबंधी सामान्य समझौते के अंतर्गत विश्व-व्यापार संगठन के विनियमन विदेशों में ऐसी कार्मिक राशि के आवागमन और आपूर्ति में कोई बाधाएं प्रस्तुत करते हैं; और

(च) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसी समस्याओं का निराकरण करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास का कार्यदल ने अपनी अनंतिम रिपोर्ट में सूचित किया है कि सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों की अंतर्राष्ट्रीय मांग देश में कुल जनशक्ति आवश्यकता का 20 प्रतिशत है।

(ख) नैसकाम के सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2001-02 के अंत तक नियोजित सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर और सेवा विशेषज्ञों की संख्या 5,22,250 थी और यह संख्या वर्ष 2002 के अंत तक बढ़कर 650,000 हो गई। वर्ष 2008 के अंत में विशेषज्ञों की मांग लगभग 1.1 मिलियन होगी।

(ग) और (घ) सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों को विभिन्न देशों में समुचित वीजा/कार्य परमिट की अपेक्षाओं से संबंधित दिशा-निर्देश देने में सहायता करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एक कार्य सुविधा-केन्द्र के प्रस्ताव पर नैस्काम और ईएससी के साथ मिलकर कार्य कर रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और साफ्टवेयर उद्योग ने नैस्काम और ईएससी जैसे अपने संघों के जरिए प्रतिनिधित्व किया, ये बाजार विकास के अभियान के लिए मिलकर कार्य कर रहे हैं जिसमें नुक्कड़ प्रदर्शनियां, विज्ञापन अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों एवं सम्मेलनों में भाग लेना, बाजार की संभावनाओं का मूल्यांकन अध्ययन, एक-दूसरे के साथ बैठकें आदि शामिल हैं। इसमें सृजनात्मक एवं सुविचारित धारणाओं के प्रदर्शन, भारत की ब्रांड छवि के निर्माण और गठबंधन करने का महत्व दिया गया है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। व्यापार सेवाओं संबंधी सामान्य समझौता (गेटस) उदारीकरण और सेवाओं के सभी चारों तरीकों से संबंधित नियमों व उपनियमों में पारदर्शिता को प्रोत्साहन देता है जिसमें जनशक्ति की आपूर्ति शामिल है।

व्यापार नीति समीक्षाओं की प्रक्रिया के जरिए गेटस उद्योग के समक्ष आ रही किसी भी प्रकार की बाधा को व्यापारिक भागीदारों के साथ बातचीत द्वारा तय करने का अवसर देता है।

अंतरिक्ष कार्यक्रम

6484. **श्री परसुराम माझी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न अंतरिक्ष कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) ऐसे प्रत्येक अंतरिक्ष कार्यक्रम पर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) इस संबंध में विवरण संलग्न है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों (2000-2003) के दौरान शुरू किए गए अन्तरिक्ष कार्यक्रमों और उन पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

क्रम संख्या	पिछले तीन वर्षों के दौरान शुरू किए गए अन्तरिक्ष कार्यक्रम	खर्च की गई धनराशि
1.	**राकेट विकास:** इसमें भू-तुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक राकेट (जी.एस.एल.वी. परियोजना, ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी.एस.एल.वी.) सातत्य परियोजना, श्रीहरिकोटा में द्वितीय प्रमोचन पैड और अन्य अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम शामिल हैं।	2185.26 करोड़ रुपये
2.	**उपग्रह विकास:** इसमें कल्पना (मेटसैट-1), प्रौद्योगिकी परीक्षण उपग्रह, भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई.आर.एस.-पी5 (कार्टोसैट), आई.आर.एस. पी6 (रिसोर्ससैट), आई.आर.एस.-2ए (कार्टोसैट-2), जीसैट-1, जीसैट-2 और अन्य अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम शामिल हैं।	634.28 करोड़ रुपये
3.	**इन्सैट (प्रचालनात्मक):** इसमें इन्सैट-3 श्रृंखला के उपग्रह, इन्सैट-4 श्रृंखला के उपग्रह और मुख्य नियंत्रण सुविधा शामिल है।	2334.30 करोड़ रुपये
4.	**अन्तरिक्ष विज्ञान, उपयोग और अन्य कार्यक्रम:** इनमें राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंध प्रणाली (एन.एन.आर.एम.एस.), सुदूर संवदेन उपयोग कार्यक्रम, ग्रामसैट कार्यक्रम, दूर चिकित्सा, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पी.आर.एल.) में अन्तरिक्ष विज्ञान संबंधी अनुसंधान, प्रायोजित अनुसंधान और अन्य उपयोग तथा अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम शामिल हैं।	817.96 करोड़ रुपये

इन्सैट-3ए

6485. **श्री जे.एस. बराड़:**
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत का बहुद्देश्यीय उपग्रह इन्सैट-3ए 9 अप्रैल 2003 को दक्षिण अमेरिका में कौरू के फ्रेंच गुयाना अंतरिक्ष पत्तन से सफलतापूर्वक छोड़ा गया है;

(ख) यदि हां, तो इन्सैट-3ए की लागत क्या है और दक्षिण अमेरिका में इसे छोड़ने की लागत क्या है और इसके अंतरिक्ष मिशन की अवधि क्या है और इसका प्रयोजन क्या है; और

(ग) इन श्रृंखलाओं में पहले छोड़े गए उपग्रहों से क्या लाभ प्राप्त हुए?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) इन्सैट-3ए उपग्रह की लागत 250 करोड़ रुपये है तथा दक्षिणी अमेरिका से इसके छोड़ने की लागत 350 करोड़ रुपये है। इन्सैट-3ए उपग्रह की अनुमानित कक्षीय कालावधि 12 वर्ष है। इन्सैट-3ए उपग्रह सी-बैण्ड, विस्तृत सी-बैण्ड और के.यू. बैण्डों में दूरसंचार और दूरदर्शन प्रसारण के लिए इन्सैट प्रणाली की क्षमता का विस्तार करता है। यह उपग्रह अत्यन्त उच्च विभेदन रेडियोमीटर (वी.एच.आर.आर.), चार्ज युग्मित घटक (सी.सी.डी.) और मौसमविज्ञानीय सेवाओं के लिए आंकड़ा रिले प्रेषानुकर तथा उपग्रह आधारित खोज और बचाव प्रेषानुकर भी ले गया है।

(ग) इन्सैट श्रृंखलाओं में पहले छोड़े गए उपग्रहों से प्राप्त लाभों में दूरसंचार, दूरदर्शन और आकाशवाणी की सेवाएं, मौसमविज्ञानीय सेवाएं, आंकड़ा संकलन तथा खोज और बचाव सेवाओं के लिए मूलभूत उपग्रह संचार अवसंरचना शामिल है।

प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पेंशन

6486. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पेंशन प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में कितने खिलाड़ियों ने अब तक ऐसी पेंशन प्राप्त की है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्यवार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा): (क) जी, हां।

(ख) जुलाई, 1994 से भारत सरकार प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को जीवन पेंशन प्रदान कर रही है।

(ग) अभी तक जिन खिलाड़ियों को यह पेशन स्वीकृत की गई है, फिलहाल उनमें दो मध्य प्रदेश से है और 248 खिलाड़ी अन्य राज्यों/संघ शासित राज्यों से हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पेंशन स्वीकृत की गई है, उनका राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा निम्नलिखित है:.

वर्ष	राज्य/संघ शासित राज्य का नाम	प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की संख्या
2000-2001	उत्तर प्रदेश	1
	मणिपुर	1
	पश्चिम बंगाल	1
	महाराष्ट्र	3
	दिल्ली	3
	हरियाणा	1
	कर्नाटक	3
	आंध्र प्रदेश	1
2001-2002	पश्चिम बंगाल	1
	तमिलनाडु	1
2002-2003	कर्नाटक	6
	पंजाब	1
	हरियाणा	1
	तमिलनाडु	2

सरकारी अस्पतालों में हृदयरोग विज्ञान/वृक्क विज्ञान संबंधी सुविधाओं को उन्नत बनाना

6487. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली पर दबाव को कम करने के उद्देश्य से सफदरजंग अस्पताल और राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली में हृदयरोग विज्ञान/वृक्क विज्ञान और कैंसर उपचार सुविधाओं को उन्नत बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रत्येक राज्य में स्पेशियलीटी अस्पतालों की स्थापना करने पर भी विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ कितना वित्तीय आबंटन किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) सफदरजंग अस्पताल तथा डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं का उन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है। वैसे, सफदरजंग अस्पताल तथा डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हृदय रोग विज्ञान, वृक्क विज्ञान तथा कैंसर विभागों के उन्नयन के ब्यौरे निम्नलिखित है:

सफदरजंग अस्पताल:

हृदय विज्ञान विभाग:

इस अस्पताल में कैथ-लैब का संस्थापन पहले ही किया जा चुका है और इसके अतिरिक्त दो टी.एम.टी. मशीनें तथा 2 हाल्टर मानिटरों की अधिप्राप्ति की गयी है।

वृक्क विज्ञान:

4 हेमोडायलिसिस पहले से ही हैं और एक नई डायलिसिस मशीन तथा रिवर्स आस्मोसिस प्लान्ट की अधिप्राप्ति की कार्रवाई चल रही है।

कैंसर उपचार की सुविधाएं:

दो रोटेशनल कोबाल्ट मशीनों की अधिप्राप्ति संबंधी कार्रवाई चल रही है।

डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल:

हृदय रोग विज्ञान:

थैलियम स्क्रिनिंग की सुविधाओं वाले न्युक्लियर मेडिसिन विभाग की स्थापना का अनुमोदन पहले ही किया जा चुका है। गहन उपचार एकक में नए केन्द्रीय मानिटरिंग स्टेशन तथा बेड साइड स्टेशन की अधिप्राप्ति की कार्रवाई चल रही है।

वृक्क विज्ञान:

वृक्क विज्ञान विभाग के उन्नयन/सुदृढ़ीकरण का अनुमोदन भी किया जा चुका है। एक सतत् रेनल रिप्लेस्मेंट थिरेपी (सी.आर.आर.टी.) मशीन तथा दो हेमोडायलिसिस मशीनों की अधिप्राप्ति की गई है।

(ग) से (घ) यह मुद्दा विचाराधीन है।

लंबित योजनाएं

6488. श्री एम.के. सुब्बा: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार के पास लंबित कितनी योजनाओं को अव्यपगतनीय केन्द्रीय संसाधन पूल (एनएलसीपीआर) से धनराशि दिये जाने का प्रस्ताव है और उनकी लागत क्या है और ये योजनाएं कब से लंबित है;

(ख) राज्य सरकार द्वारा तत्संबंधी प्राथमिकता तय किए जाने के बावजूद उनमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं और उनके विलंबन अथवा स्वीकृति की अद्यतन स्थिति क्या है;

(ग) क्या असम सरकार ने हाल में जोर दिया है कि 2001-2002 हेतु एनएलसीपीआर से कम से कम 300 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को तत्काल स्वीकृति दी जाए और चल रही परियोजनाओं के लिए धनराशि के प्रवाह में तेजी लाई जाए; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) गैर-व्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल (एनएलसीपीआर) के प्रयोग के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, पूर्वोत्तर राज्य आगामी वित्तीय वर्ष के लिए एनएलसीपीआर के अंतर्गत अधिकतम फरवरी महीने तक सहायता हासिल करने के लिए प्रस्तावों की एक प्राथमिकता वाली सूची प्रस्तुत करते हैं। सूची में शामिल प्रस्तावों की मैरिट, राज्य सरकार द्वारा दी गयी प्राथमिकता और एनएलसीपीआर मार्गदर्शी सिद्धांतों पर विचार करते हुए एनएलसीपीआर के प्रयोग संबंधी समिति तदुपरान्त चयनित प्रस्तावों को विस्तृत जांच हेतु रखती/पहचान करती है। तदुपरान्त राज्य सरकारों से ऐसे पहचान किए गए/रखे गए प्रस्तावों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) भेजने का अनुरोध किया जाता है जिसे तत्पश्चात् भारत सरकार के संबंधित विभाग/मंत्रालय द्वारा विस्तृत तकनीकी-आर्थिक जांच के लिए भेजा जाता है। ऐसी जांच की सिफारिशों के आधार पर समिति परियोजनाओं की अंतिम संस्वीकृति के संबंध में उपयुक्त निर्णय लेती है। रखे गए/पहचान किए गए परंतु अंतिम स्वीकृति के लिए लंबित प्रस्तावों का एक विवरण संलग्न है।

(ख) जैसा कि विवरण में दिया गया है, रखे गए और स्वीकृति के बीच समय के अंतराल का कारण अलग-अलग परियोजनाओं में भिन्न-भिन्न है। कुछ मामलों में, राज्य सरकार ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत नहीं किया है जबकि कुछ मामलों में राज्यों को जांच एजेंसी द्वारा उठाए गए प्रश्नों को स्पष्ट करना है तथा कुछ मामलों में प्रस्ताव जांच के लिए संबंधित सरकारी विभागों के पास है।

(ग) वित्तीय वर्ष (2002-03) के दौरान असम के मुख्यमंत्री ने कम से कम 300 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु दिसम्बर, 2002 में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था। प्रस्तुत की गई गैर-व्यपगत केन्द्रीय संसाधन के प्रयोग संबंधी पूल समिति ने असम सरकार द्वारा प्राथमिकता सूची, एनएलसीपीआर के अंतर्गत उपलब्ध निधियों, चालू परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्धता तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की प्रतिस्पर्धी मांग को ध्यान में रखते हुए अंत में 141.92 करोड़ रुपये की लागत वाली 9 नई परियोजनाओं की स्वीकृति दी थी।

एनएलसीपीआर के अंतर्गत चालू परियोजनाओं के लिए निधियों का प्रवाह विशिष्ट परियोजनाओं के कार्यान्वयन में राज्य के निष्पादन तथा इस संबध में उपयोगिता प्रमाणपत्र, तिमाही प्रगति रिपोर्ट, माइल स्टोन व समय-सीमा सहित अधिगृहीत राशि के लिए कार्य योजना, पूर्व में जारी की गई राशि से पूरे किए गए कार्यों के फोटोग्राफ जैसे आवश्यक प्रलेखीकरण का समयानुसार प्रस्तुत करने पर निर्भर करता है। एनएलसीपीआर के अंतर्गत असम में विभिन्न परियोजनाओं के लिए वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 में क्रमशः 90.63 करोड़ एवं 140.07 करोड़ रुपये जारी किए गए थे।

(घ) वर्ष 2002-03 के दौरान स्वीकृत की गई नई परियोजनाओं सहित प्रत्येक परियोजनाओं के संदर्भ में जारी की गई निधियों के ब्यौरे वेबसाइट www.northeast.nic.in पर उपलब्ध है।

विवरण

राज्य	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)	परियोजना को रोके रखने की तारीख	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
अरुणाचल प्रदेश	एलोंग से पासीघाट तक ट्रांसमिशन लाइन	27.00	4.12.2002	एनएलसीपीआर समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से तकनीकी टिप्पणियां 11.3.2003 को प्राप्त हुई हैं।
	थिंगकियोंग से पासीघाट तक ट्रांसमिशन लाइन की पुनर्स्थापना करना	1.37	4.12.2002	राज्य सरकार ने डीपीआर को प्रस्तुत नहीं किया है
असम	माइबोंग अस्पताल	10.31	23.7.2002	केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की टिप्पणियों की दृष्टि से डीपीआर में संशोधन करने की सलाह राज्य सरकार को दी गयी है।
	मालीगांव (36 सं.) के ऊपर आरओबी सहित टिम्बर पुलों आरसीसी पुलों में परिवर्तन	118.74	4.3.2003	राज्य सरकार को डीपीआर प्रस्तुत करने को कहा गया।
	हाफलोंग जलापूर्ति स्कीम	1.63	4.3.2003	राज्य सरकार को डीपीआर प्रस्तुत करने को कहा गया है।

1	2	3	4	5
	बलीपाड़ा में औद्योगिक विकास केन्द्र तक पहुंच के लिए सड़क निर्माण	1.75	4.3.2003	राज्य सरकार को डीपीआर प्रस्तुत करने को कहा गया है।
	बलीपाड़ा औद्योगिक विकास केन्द्र तक पावर लाइन	10.47	4.3.2003	राज्य सरकार को डीपीआर प्रस्तुत करने को कहा गया है।
मणिपुर	थाऊबल अस्पताल को 100 बिस्तरों तक बढ़ाना	25.00	4.12.2002	राज्य सरकार को केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की टिप्पणी को देखते हुए डीपीआर में संशोधन करने का सुझाव दिया गया है।
	सरकारी प्रौद्योगिकी कालेज काम्प्लैक्स का निर्माण	34.54	4.3.2003	राज्य सरकार को डीपीआर प्रस्तुत करने को कहा गया है।
	सिंगजमाई सेतु का निर्माण	3.70	4.3.2003	राज्य सरकार को डीपीआर प्रस्तुत करने को कहा गया है।
मिजोरम	मिजोरम में बांस रोपण के लिए दो लिंक मार्गों का निर्माण	12.30	4.3.2003	राज्य सरकार को डीपीआर प्रस्तुत करने को कहा गया है।
	ग्रेटर मामिट पंप जल आपूर्ति स्कीम	6.29	4.3.2003	राज्य सरकार को डीपीआर प्रस्तुत करने को कहा गया है।
	चोंगते से बोरापनसूरी मार्ग को मोमताला तक बढ़ाना	22.75	4.3.2003	राज्य सरकार को डीपीआर प्रस्तुत करने को कहा गया है।
	लंगशियन-मामटे मार्ग बरास्ता वरटेकाई (61 कि.मी.)	36.43	4.3.2003	राज्य सरकार को डीपीआर प्रस्तुत करने को कहा गया है।
	आइजोल-दारलुंग मार्ग स्थित तलाऊंग नदी के ऊपर एकल लेन गिरडर सेतु	1.86	4.3.2003	राज्य सरकार को डीपीआर प्रस्तुत करने को कहा गया है।
	लाई और चकमा स्वायत्त जिला परिषद् के अंतर्गत चोंगते स्थित चोंगते नदी के ऊपर सेतु का निर्माण (चोंगते "पी" से चोंगते "सी")	3.00	4.3.2003	राज्य सरकार को डीपीआर प्रस्तुत करने को कहा गया है।
	लोंगतलाई-डिल्टलांग-चोंगते मार्ग स्थित चोंगते नदी के ऊपर एकल लेन गिरडर सेतु	1.94	4.3.2003	राज्य सरकार को डीपीआर प्रस्तुत करने को कहा गया है।

1	2	3	4	5
	हावलांग-बुअलपुई छिप्पिर रोड़ स्थित वन्वा नदी के ऊपर एक लेन गिर्डर सेतु	1.67	4.3.2003	राज्य सरकार को डीपीआर प्रस्तुत करने को कहा गया है।
	टुईपैंग, ज्वांगलिंग, छिहलू, मोहरे रोड़ स्थित तुईसिह नदी के ऊपर एकल लेन गिर्डर सेतु	1.29	4.3.2003	राज्य सरकार को डीपीआर प्रस्तुत करने को कहा गया है।
	फैरुंग बुंगहम रोड़ स्थित सैर्लुगरेक नदी, डे नदी, तुईपौल नदी, जौलपुई नदी और तुईसैन नदी के ऊपर एकल लेन गिर्डर सेतु	7.69	4.3.2003	राज्य सरकार को डीपीआर प्रस्तुत करने को कहा गया है।
नागालैण्ड	मान और चुई गांवो के लिए पेय जलापूर्ति	4.00	19.8.2002	यह प्रस्ताव विस्तृत जांच हेतु पेय जलापूर्ति विभाग को भेजा गया है।
	मान टाऊन में आऊटडोर स्टेडियम	1.25	19.8.2002	यह प्रस्ताव विस्तृत जांच हेतु युवा मामले और खेलकूद विभाग को भेजा गया है।
	मान सिविल अस्पताल का उन्नयन	1.00	19.8.2002	यह प्रस्ताव विस्तृत जांच हेतु स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा शहरी विकास मंत्रालयों को भेजा गया है।

टिप्पणी: अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, त्रिपुरा और मेघालय सरकारों के संबंध में वर्ष 2003-04 हेतु अग्रता सूचियों पर अभी एनएलसीपीआर समिति द्वारा विचार किया जाना है।

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का आकलन

6489. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग और अन्य व्यावसायिक एजेंसियां उन केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के प्रभाव का आकलन शुरू करेंगी जिनका मूल्यांकन अभी नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने का उद्देश्य क्या है;

(ग) ऐसी एजेंसियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें इस कार्य के लिए चुना गया है;

(घ) ऐसे कार्य के लिए एजेंसियां चुनने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किया गया है; और

(ङ) भुगतान का ढंग और शुल्क की राशि क्या होगी जिसका भुगतान ऐसे कार्य के लिए इन एजेंसियों को किया जाएगा?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) मूल्यांकन का उद्देश्य स्कीम के वास्तविक और वित्तीय निष्पादन और प्रभाव का निर्धारण करना तथा आयोजना और कार्यान्वयन में सुधारात्मक उपायों का सुझाव देना है, यदि कोई हों।

(ग) और (घ) मूल्यांकन हेतु एजेंसियों का चयन करने के लिए कोई निश्चित मानदण्ड नहीं है। तथापि, मूल्यांकन अध्ययन केवल उन्हीं एजेंसियों को सौंपे जाते हैं जो स्कीम की प्रकृति के अनुसार अनुभव और व्यावसायिक क्षमता रखती हैं।

(ङ) फीस के भुगतान में सामान्य वित्तीय प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जाता है और फीस की राशि प्रत्येक स्कीम की प्रकृति, उद्देश्यों और कवरेज के आधार पर भिन्न-भिन्न होती है।

रुग्णता सहायता कोष

6490. डा. एन. वेंकटस्वामी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एक राष्ट्रीय रूग्णता सहायता कोष की स्थापना की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके अंतर्गत सहायता हेतु पात्र विभिन्न प्रकार के रोगों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) राष्ट्रीय बीमारी सहायता निधि 1997 में स्थापित की गई थी। सरकार के दिनांक 8.4.2003 के संकल्प संख्या डब्ल्यू. 11011/2/2003-एन.आई.ए.एफ. के द्वारा राष्ट्रीय बीमारी सहायता निधि का नाम बदलकर "राष्ट्रीय आरोग्य निधि" कर दिया गया है।

(ख) राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अन्तर्गत सहायता हेतु पात्र रोगों की एक निदर्शी सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

निधि के अन्तर्गत उपचार के लिए शामिल रोगों की श्रेणियों की एक निदर्शी सूची* नीचे दी गई है:

1. कार्डियोलाजी और कार्डियक शल्य चिकित्सा

टी.एम.टी., इकोकार्डियोग्राफी कोरोनरी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, अहेयरटामी, सी.ए.बी.जी. सहित जन्मजात प्राप्त की गई स्थितियों के लिए हृदय शल्य चिकित्सा, वास्कुलर सर्जरी स्टेंट्स और कार्डियक प्रतिरोपण आदि सहित इंटरनेशनल प्रक्रिया हेतु डिस्पोजेवल पेसमेकर।

2. कैंसर

सभी प्रकार का विकिरण उपचार।

कैंसर रोधी केमोथिरेपी।

3. मूत्रविज्ञान/नेफ्रोलाजी

उपभोज्य वस्तुओं (क्वायल्स और डायलिसिस घोल आदि) के साथ डायलिसिस, डायलिसस के लिए वास्कुल शन्ट्स, पी.सी.एन. और पी.सी.एन.एल. किटें, लियोट्रिप्सी (पत्थरी के लिए)-मूत्रविज्ञान और जठरान्त्र रोग विज्ञान में एंजोस्कोपिक शल्यक प्रक्रिया के लिए डिस्पोजेबल्स और स्टेन्ट्स, रीनल और हेपाटी प्रतिरोपण।

4. विकलांग चिकित्सा

अंगों के लिए कृत्रिम पोस्थासिस, प्रतिरोपण, पूर्ण कूल्हा (पूरा हिप) और घुटना बदलने के वाह्य फिक्सेचर, अस्थि रोग और फैक्चर्स के इलाज में प्रयुक्त ए.ओ. प्रतिरोपण।

5. विविध

इन्ट्रा-आकुलर लेंस प्रतिरोपण, श्रवण सहायता यंत्र और हाइड्रोसिफेलस के लिए शन्ट्स।

6. जांचें

अल्ट्रासाउंड, डोप्लर शिडर्स, रेडियो ओन्यूकोलाइड स्कैन्स, सी.टी. स्कैन, मैम्मोग्राफी, सभी अंगों के लिए एंजियोग्राफी, एम.आर.एल., ई.ई.जी., यूरोडायनामिक अध्ययन।

7. औषधें

इम्युना-सुप्रोसिव औषधें, क्षयरोगी औषधें, डी रोधी, हेमोफिली ग्लोबुलिन रोधी, इरिथ्रोपोइटेन, रक्त और रक्त उत्पाद/जले हुए रोगियों के लिए प्लासमा।

8. चिकित्सा अधीक्षक/चिकित्सकों की समिति द्वारा सहायता के लिए उपयुक्त समझी गई अन्य प्रमुख बीमारियों को सूची में जोड़ा जा सकता है।

*इस सूची को तकनीकी समिति द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

विनिवेश से प्राप्त धनराशि

6491. श्री रामदास आठवले: क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/उद्योगों आदि से आज तक विनिवेश से वर्ष-वार कुल कितनी धनराशि प्राप्त की गई;

(ख) क्या सरकार ने उक्तावधि के दौरान विनिवेश प्राप्तियों में से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/औद्योगिक इकाइयों आदि को वित्तीय सहायता दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) पिछले तीन वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के माध्यम से जुटाई गई धनराशि इस प्रकार है:

वर्ष	करोड़ रुपए में
2000-2001	1,868.73
2001-2002	5,632.25*
2002-2003	3,348.14

*लाभांश, विशेष लाभांश, लाभांश कर, अधिशेष नकदी रिजर्व से अन्तरण और पट्टा किराया आदि सहित।

(ख) विनिवेश से प्राप्त अर्थागम को भारत के संचित कोष में जमा कराया जाता है। तथापि, सरकार का चालू वर्ष के दौरान विनिवेश अर्थागम कोष को स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस कोष का उपयोग नए-नए रोजगार के अवसरों का वित्त-पोषण तथा निवेश और सार्वजनिक ऋण के बोझ से मुक्ति पाने के लिए किया जाएगा।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दी गई वित्तीय सहायता इस प्रकार है:

वर्ष –	योजना (करोड़ रुपए में)	गैर-योजना (करोड़ रुपए में)	कुल (करोड़ रुपए में)	वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले के.सा.क्षे. के उपक्रमों की संख्या
1999-00	4528.66	1816.56	6345.22	142
2000-01	4472.09	1625.47	6097.56	139
2001-02	4909.70	1684.93	6594.63	123

[हिन्दी]

झारखंड और बिहार में लघु उद्योगों का बंद होना

6492. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड और बिहार में बड़ी संख्या में लघु उद्योग बंद कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ग) इन उद्योगों के पुनरूद्धार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) और (ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान पंजीकृत लघु उद्योग (एसएसआई) इकाइयों के संबंध में किया गया नमूना सर्वेक्षण जो कि 31.3.1998 तक पंजीकृत इकाइयां के बारे में था, के अनुसार यह अनुमान लगाया गया था कि देश में 29 प्रतिशत लघु उद्योग इकाइयां बंद थीं। भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) जो कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वित्तपोषित रूग्ण लघु उद्योग इकाइयों के संबंध में आकंड़ों का संकलन करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार मार्च, 2002 के अंत तक झारखंड और बिहार राज्यों में क्रमश: 2105 और 15,181 रूग्ण लघु उद्योग इकाइयां थीं। बंद हो जाने के मुख्य कारण कार्यशील पूंजी की अपर्याप्तता/कमी, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, कच्ची सामग्री की कमी, विपणन समस्याएं, प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि, प्रबंधकीय कमियां आदि हैं।

(ग) सरकार, लघु उद्योग इकाइयों के बीच औद्योगिक रूग्णता के प्रति पूर्णतया सजग है इसने संभाव्य जीवनक्षम रूग्ण इकाइयों की समय पर पहचान तथा पुर्नवास के लिए अनेक उपाय किए हैं। रूग्णता से निपटने के लिए किए गए कुछेक विशिष्ट उपाय निम्न प्रकार है:

- भारतीय रिजर्व बैंक ने 16 जनवरी, 2002 को रूग्णता की प्रारंभिक चरणों में पहचान करने तथा ऐसी रूग्ण इकाइयों जिनकी पहचान संभाव्य जीवनक्षम के रूप में की गई है उनके पुनर्वास के लिए उपचारात्मक उपाय करने के लिए बैंकों को विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं। संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधित परिभाषा के अनुसार रूग्ण इकाइयों की पहचान हेतु मानदंड शामिल हैं।
- संभाव्य जीवनक्षम रूग्ण इकाइयों की समय पर पहचान करने तथा पुनर्वास के लिए राज्य स्तरीय अन्तर संस्थागत समितियों (एस.एल.आई.आई.सी.) के रूप में संस्थागत तंत्र स्थापित करना।
- बैंकों तथा राज्य वित्त संस्थानों में विशेष पुनर्वास एकक (सैल्ज) बनाना।
- पात्र इकाइयों को पुनर्वास सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किया जाना।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने देनदारियों के एक मुश्त बंदोबस्त के लिए 27 जुलाई, 2000 को 5 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए एक मुश्त बंदोबस्त सूत्र (समाधान योजना) की घोषणा की है।

– भारतीय रिजर्व बैंक ने 29 जनवरी, 2003 को 10 करोड़ रुपये तक के लिए एकमुश्त स्कीम की घोषणा की है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो

6493. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अन्तर्गत केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो के उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2002-2003 में इस ब्यूरो को कितनी धनराशि दी गई थी;

(ग) वर्ष 2003-2004 में ब्यूरो को कितनी धनराशि दिए जाने की प्रस्ताव है;

(घ) क्या इस ब्यूरो के कार्य के संबंध में कोई लागत/लाभ संबंधी अध्ययन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो का मुख्य उद्देश्य मुद्रित तथा इलैक्ट्रानिक दोनों प्रचार माध्यमों हेतु स्वास्थ्य शिक्षा सामग्री का विकास करना तथा आम जनता में स्वास्थ्य सूचना का प्रचार करना है। अन्य उद्देश्यों में स्वास्थ्य व्यवहार के साथ-साथ स्वास्थ्य शिक्षा में प्रशिक्षण और अनुसंधान, स्वास्थ्य शिक्षा में जूटी सरकारी और गैर-सरकारी एजेन्सियों को तकनीकी सहायता देना, ऐसे प्रयोजनों हेतु अंतरराष्ट्रीय एजेन्सियों के साथ सहयोग करना और स्वास्थ्य से संबंधित व्यावसायिक अध्ययनों के लिए एक केन्द्र के रूप में कार्य करना सम्मिलित है।

(ख) वर्ष 2002-03 हेतु बजट:

-प्लान	-	2.20 करोड़ रुपए
-नान प्लान	-	1.35 करोड़ रुपए
-कुल	-	3.55 करोड़ रुपए

(ग) वर्ष 2003-04 हेतु बजट अनुमानों में 2.85 करोड़ रुपए का निम्नवत प्रावधान किया गया है:

-प्लान	-	1.50 करोड़ रुपए
-नान प्लान	-	1.35 करोड़ रुपए
-कुल	-	2.85 करोड़ रुपए

(घ) कोई लागत/उपयोगिता अध्ययन नहीं किया गया है।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

मलेशिया के साथ संयुक्त-उद्यम

6494. श्री नरेश पुगलिया: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के संबंध में तीन परियोजनाओं के लिए मलेशिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी]: (क) और (ख) जी हां। भारत सरकार ने दिनांक 19.12.2000 को मलेशिया सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसे बाद में निम्नलिखित तीन परियोजनाओं के लिए दिनांक 27.3.2001 को हस्ताक्षरित एक रियायत करार द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है:

(1) रा.रा. 5 के 52.8 से 163.6 कि.मी. तक टाडा नेल्लोर खंड को चार लेन का बनाना।

(2) रा.रा. 9 के 217 से 252 कि.मी. तक नंदीगाम-इब्राहिमपट्टनम खंड को चार लेन का बनाना।

(3) विजयवाड़ा से इब्राहिमपट्टनम के बीच. रा.रा. 9 के चार लेन वाले खंड का प्रचालन और अनुरक्षण।

यह परियोजना मलेशिया सरकार के एक संगठन सी आई डी बी इन्वेंचर्स मलेशिया द्वारा प्रवर्तित संघ द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना की 760 करोड़ रु. की कुल सहमत लागत संघ द्वारा निवेश की जाएगी सिवाए 167.5 करोड़ रु. के अनुदान के जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया जाएगा। रियायतग्राही अर्थात् सी आई डी बी इन्वेंचर्स मलेशिया को निर्माण अवधि सहित 30 वर्ष की रियायत अवधि प्रदान की गई है।

अमेरिका को भेजे जाने वाले कार्गो का आस्थगन

6495. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी प्रमुख पोत परिवहन कंपनियों ने हाल में भारत से अमेरिका जाने वाले कार्गो को आस्थगित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इससे भारतीय निर्यात किस हद तक प्रभावित हुआ है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस मुद्दे को अमेरिकी सरकार के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त मामले का क्या परिणाम निकला?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं/इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्यात

6496. श्रीमती रेणूका चौधरी:
श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001, 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर सेवाओं और इलेक्ट्रानिक उपकरणों का वर्षवार अलग-अलग कितना निर्यात किया गया;

(ख) क्या आगामी वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं और साफ्टवेयर के निर्यात में गिरावट आने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) वर्ष 2000-2001 से 2002-2003 तक कम्प्यूटर साफ्टवेयर/सेवाओं तथा इलेक्ट्रानिक संघटक पुर्जों का निर्यात नीचे दिया गया है:

मूल्य (करोड़ रुपए)

वर्ष	साफ्टवेयर	संघटक पुर्जे
2000-2001	28350	1828
2001-2002	36500	2200
2002-2003 (अंनतिम)	46500	2400

(ख) और (ग) कई नकारात्मक गतिविधियों के कारण भारत से सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर एवं निर्यात में वृद्धि की दर में कमी होने की प्रवृति चल रही है। इनमें अमेरिका की आर्थिक मंदी, वैश्विक मंदी, वर्ल्ड ट्रेड टावर दुर्घटना तथा हाल का इराक युद्ध शामिल हैं।

सरकार ने कम्प्यूटर साफ्टवेयर तथा सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(1) उद्योग के सहयोग से जागरुकता कार्यक्रम तथा नुक्कड़ प्रदर्शनियों का आयोजन समय-समय पर संभावित बाजारों में किया जाता है।

(2) इस क्षेत्र में भारतीय क्षमता का विपणन करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय मेलों, प्रदर्शनियों तथा सम्मेलनों का आयोजन करने एवं उनमें भाग लेने के लिए उद्योग को वित्तीय सहायता।

(3) अन्य देशों के साथ समझौता-पत्रों पर हस्ताक्षर करने के जरिए द्विपक्षीय सहयोग। इन समझौता-पत्रों का प्रयोग उद्योग को इन देशों में अपने प्रतिपक्षों के साथ सम्पर्क स्थापित करने और निर्यात की संभावना का पता लगाने एवं उनमें वृद्धि करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराने के रूप में किया गया है।

(4) राष्ट्रीय साफ्टवेयर एवं सेवा कम्पनी संघ (नैस्काम), भारत सरकार के सक्रिय सहयोग से आउटसोर्सिंग के लाभों को उजागर करने, रोजगार का सृजन करने तथा विभिन्न उद्योगों में प्रतिस्पर्धात्मकता लाने के लिए अमेरिका नीति निर्धारकों, मीडिया, विधायकों, ग्राहकों तथा अमेरिकी उद्योग संघों के साथ मिलकर घनिष्ठ रूप से कार्य कर रहा है। इसने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की ओर से संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ग्रेट ब्रिटेन में समर्थन जुटाने के लिए एक प्रतिष्ठित जनसम्पर्क फर्म की सेवाएं भी ली हैं।

सुपर कम्प्यूटर "परम पद्म" की विशेषताएं

6497. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने हाल ही में बंगलौर स्थित सेन्टर फार डेवलपमेंट फार एडवासंड कम्पुटिंग की "टेरास्केल" सुपर संगणना सुविधा का उद्घाटन किया है और अत्यधिक शक्तिशाली "देशी" सुपर कम्प्यूटर "द टेराफ्लाप" "परम पद्म" को राष्ट्र को समर्पित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सुपर कम्प्यूटर परम पद्म की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) टेराफ्लाप (टीईआरएएफएलओपी) रखने वाले उन सभी देशों के नाम क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): (क) जी, हां।

(ख) परम पद्म की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

* 1 टेराफ्लाप (ट्रिलियन फ्लेटिंग पावर प्रचलन प्रति सेकेण्ड) चरम अभिकलन क्षमता।
* सहायक के रूप में गीगा बिट ईथरनेट सहित प्राथमिक नेटवर्क के रूप में 2.5 गीगा बिट्स/सैकेण्ड की डेटा दर से प्रणाली क्षेत्र नेटवर्क परम-II
* साफ्टवेयर प्रोग्रामन परिवेश जो सी-डैक संदेश प्रेषण इंटरफेस (एमपीआई), समानांतर फाइल प्रणाली और समानांतर कम्पाइलरों से निर्मित है।
* 12 टेराबाइट की गौण भंडारण क्षमता सहित 5 टेराबाइट की प्राथमिक भंडारण क्षमता।

(ग) आमतौर पर ऐसी क्षमताओं के बारे में सूचना की घोषणा नहीं की जाती है। जिन देशों में टेराफ्लाप सुपर कम्प्यूटरों की प्रौद्योगिकी है उनमें संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान शामिल हैं, जिन्होंने कई देशों को ऐसे उपस्करों आपूर्ति की है। यूरोपीय देशों (जैसेकि ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, नार्वे), चीन, इस्राइल के पास भी ऐसी क्षमता है।

[हिन्दी]

दिल्ली में सी.जी.एच.एस. औषधालय

6498. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राजधानी में 116 सी.जी.एच.एस. औषधालयों का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे औषधालयों की संख्या कितनी हैं जिनका विस्तार करने का सरकार का प्रस्ताव है; और

(ग) सरकार द्वारा विस्तार योजना के क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) जी, नहीं। इस समय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन मौजूदा 118 केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों/यूनिटों का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

जन स्वास्थ्य प्रणाली का विकेन्द्रीकरण

6499. श्री परसुराम माझी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में जन स्वास्थ्य प्रणाली के विकेन्द्रीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए या उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) स्वास्थ्य परिचर्या का विकेन्द्रीकरण 10वीं पंचवर्षीय योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2002 में सम्मिलित ऐसे क्षेत्रों में से एक है जिन पर ध्यान केन्द्रित किया जाना है। इस नीति में स्थानीय स्वाशासी संस्थाओं के विभिन्न स्तरों के माध्यम से जन-स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर बहुत जोर दिया गया है और राज्य सरकारों से आग्रह किया गया है कि 2005 तक रोग नियंत्रक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन ऐसी संस्थाओं तक विकेन्द्रित करने पर विचार करें। विकेन्द्रीकरण की नीति का उद्देश्य है-संसाधनों का आवश्यकता पर आधारित आवंटन करना, क्षेत्र विशिष्ट नियोजन और मानिटरिंग सुनिश्चित करना, जन-स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायकों की जिम्मेवारी को बेहतर बनाना और अन्तरक्षेत्रीय समन्वय हासिल करना।

(ग) सरकार द्वारा गठित दो कृतक बलों ने पंचायती राज संस्थाओं को कार्य सौंपने के लिए विशिष्ट संचालनात्मक तंत्र सुझाया है और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं कार्यान्वयन को पंचायती राज संस्थाओं के कार्यक्षेत्र में लाने की विधियां तैयार की हैं। पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न स्तरों को कार्य, कर्मचारी और धन हस्तांतरित करने के मामले पर राज्य सरकारों के साथ कार्रवाई की जा रही है। विभिन्न राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के दिशा-निर्देशों की लगातार समीक्षा की जाती है ताकि उनके कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका बढ़ायी जा सके।

सार्स के उपचार हेतु दवा

6500. श्री जे.एस. बराड़: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एलोपैथी दवा के अभाव में सार्स के उपचार के लिए प्रभावी दवा बनाने हेतु आयुर्वेदिक,

यूनानी, होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली के विशेषज्ञों से सम्पर्क करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) विशेषज्ञों ने आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी की अनेक औषधियां चिह्नित की हैं जिन्हें सार्स मामलों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस्तेमाल की जाने वाली औषधियों पर अंतिम निर्णय शीघ्र ही लिया जाएगा।

पोतों की खरीद

6501. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम (एस सी आई) ने दक्षिण कोरिया से दो नए पोत खरीदे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन पोतों की सुपुर्दगी कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी लागत क्या है;

(घ) ये पोत एस सी आई की टनभार क्षमता किस तरह से बढ़ाएंगे;

(ङ) क्या एस सी आई का विचार और अधिक पोत खरीदने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और लागत क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी) (क) भा.नौ.नि. ने जनवरी, 2002 में मै. देबू शिपबिल्डिंग एंड मैरीन इंजीनियरिंग कंपनी, दक्षिण कोरिया को एलआर-2 आकार के 02 क्रूड आयल टैंकर के निर्माण का आदेश दिया है।

(ख) इन पोतों की सुपुर्दगी फरवरी और मई, 2004 में होनी है।

(ग) इन पोतों की कीमत प्रति पोत 48.70 मिलियन अमरीकी डालर है।

(घ) प्रत्येक पोत 146,860 कुलभार टन (डी डब्ल्यू टी) का है और इस पोतों के सम्मिलित होने से भा.नौ.नि. के बेड़े में लगभग 2.93 लाख डी डब्ल्यू टी की बढ़ोत्तरी हो जाएगी।

(ङ) जी हां। वर्ष 2003-04 के दौरान भा.नौ.नि. की कुछ और जहाज खरीदने की योजना है।

(च) इस समय, भा.नौ.नि. ने कोचीन शिपयार्ड लि. कोच्ची के साथ 34.70 मिलियन अमरीकी डालर की कीमत पर 10,000 कुलभार टन के एफ्रामैक्स क्रूड आयल टैंकर के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अतिरिक्त कंपनी का दक्षिण कोरिया 65.20 मिलियन अमरीकी डालर की कीमत पर दो बहुत बड़े आकार के क्रूड कैरियर (वी एल सी सी) खरीदने का भी प्रस्ताव है।

प्रोटो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर

6502 **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलापाक्कम स्थित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र में "प्रोटो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर" का डिजाइन तैयार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र द्वारा "प्रोटो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर" का डिजाइन कब तक पूरा किए जाने की और औद्योगिकीकरण की संभावना है;

(ग) क्या "न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया" ने "प्रोटो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर" तैयार करने पर सहमति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा "प्रोटो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर" डिजाइन और औद्योगिकीकरण पूरा करने हेतु कौन-सी लक्ष्य तिथि निर्धारित की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ङ) कलपाक्कम में 500 मेगावाट क्षमता वाले प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जिसके बारे में प्रशासनिक और वित्तीय संस्वीकृति प्राप्त करने के प्रस्ताव पर कार्रवाई चल रही है, को स्थापित करने की योजना है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, इस परियोजना को संस्वीकृति मिलने की तारीख से लेकर सात वर्ष की अवधि के भीतर निर्मित किया जाना है।

सरकार द्वारा इस परियोजना को अनुमोदित किए जाने के बाद इसके कार्यान्वयन की कार्य-पद्धतियों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

[हिन्दी]

विशेष श्रेणी का दर्जा

6503. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेयः क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जो विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के लिए सरकार के पास विचाराधीन है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): वर्तमान में, विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा निम्नलिखित राज्यों को प्राप्त है: -अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तरांचल। विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा प्रदान किए जाने के लिए फिलहाल सरकार के पास कोई अन्य राज्य विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

प्रसूति और स्त्रीरोग पर सम्मेलन

6504. श्री इकबाल अहमद सरडगीः क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 46वां वार्षिक अखिल भारतीय प्रसूति और स्त्रीरोग सम्मेलन हाल ही में बंगलौर में आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसमें किए गए विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है और उसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) उसमें कितने देशों ने भाग लिया; और

(घ) सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) 46वां वार्षिक अखिल भारतीय प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान सम्मेलन बंगलौर शहर में 6 जनवरी से 9 जनवरी, 2003 तक आयोजित किया गया था।

इस सम्मेलन का मुख्य विषय 'समुदाय प्रसूति, किशोरों की समस्याएं, अप्रजननता के संबंध में विकास' था। इसके अलावा, मातृ मृत्यु और अपंगता को रोकने पर एक विचार-गोष्ठी, जनसंख्या स्थिरीकरण पर एक लोक मंच तथा पी.एन.डी.टी. अधिनियम पर एक सार्वजनिक बहस हुई।

(ग) इस सम्मेलन में भारत सहित तेरह देशों ने भाग लिया। संयुक्त राज्य अमरीका, यूके, कनाडा, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बंगलादेश, इजराइल, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, आस्ट्रेलिया और सिंगापुर से प्रतिनिधियों और अन्तरराष्ट्रीय संकायों ने भाग लिया।

(घ) भारतीय प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान सोसायटी फेडरेशन ने इस मंत्रालय को सूचित किया है कि देश में इस अखिल भारतीय प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान सम्मेलन का आयोजन हर वर्ष किया जाता है।

अतः 46वां अखिल भारतीय सम्मेलन, वार्षिक सम्मेलन आयोजित करने के इस कार्यक्रम के क्रम में आयोजित किया गया था। इन सम्मेलनों में विचार-विमर्श पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है और इस प्रकार कोई विशिष्ट निर्णय नहीं लिया जाता है। इसलिए, पारस्परिक कार्यान्वयन के लिए ठोस प्रस्ताव नहीं किए गए।

वैसे, इन सम्मेलनों में आमंत्रित राष्ट्रीय और अन्तरर्राष्ट्रीय संकाय, प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान के क्षेत्र में हाल की उन्नति के बारे में प्रतिनिधियों को अद्यतन जानकारी देते हैं। विचारों का बहुत ही उपयोग आदान-प्रदान होता है और ज्ञान को अद्यतन किया जाता है जिसका बाद में नीतियों पर प्रभाव होता है।

भारतीय प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान सोसायटी फेडरेशन से व्यवसायिकों का एक प्रतिनिधि निकाय होने के नाते प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जिस का उद्देश्य प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य है, के अधीन स्कीमें/कार्यकलाप तैयार करने में नेमी तौर पर परामर्श किया जाता है और इसकी अनेक योजनाएं हैं जिनका उद्देश्य मातृ, नवजात एवं बाल मृत्यु दर को कम करना तथा देश में स्वास्थ्य पद्धति में सुधार लाना है तथा इसके ऐसे कार्यकलाप हैं जिनमें अनिवार्य प्रसूति परिचर्या जैसे मातृ स्वास्थ्य, आपाती प्रसूति परिचर्या, पंचायतों के जरिए रेफरल वाहन प्रदान करने तथा प्रथम रेफरल एककों पर औषधें तथा उपकरण प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है।

[हिन्दी]

भारतीय चिकित्सा परिषद को अधिकार दिया जाना

6505. श्री रामदास आठवलेः क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में चिकित्सा शिक्षा की निगरानी करने और इसके स्तर को बनाए रखने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद को और अधिकार देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) जी, हां। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 के अधीन देश में चिकित्सा शिक्षा मानिटरिंग करने और इसके मानकों को बनाए रखने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के पास अपर्याप्त शक्तियां हैं।

[अनुवाद]

निचले स्तर से योजना बनाना

6506. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) योजना आयोग ने अपने निचले स्तर की योजना के उद्देश्य को किस हद तक क्रियान्वित किया है;

(ख) कितने राज्यों ने इससे संबंधित आवश्यक समेकित आंकड़े योजना आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए हैं; और

(ग) बेहतर योजना तैयार करने में इससे किस हद तक मदद मिलेगी?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) आनुक्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं में प्रारंभिक स्तर की आयोजना की आवश्यकता पर बल दिया गया है। 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम जिसमें "जिलों में पंचायतों और नगर निगमों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने के लिए और समग्र रूप से जिले के लिए प्रारूप विकास योजना तैयार करने के लिए" जिला योजना समितियां (डीपीसीज) स्थापित करने की व्यवस्था है, के अधिनियम के साथ इस प्रक्रिया को बड़े रूप में तीव्र किया गया था। नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-02) और दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) में भी योजना आयोग ने स्पष्ट रूप से प्रारंभिक स्तर की आयोजना को प्रोन्नत करने की आवश्यकता को उच्चरित किया है। राष्ट्रीय विकास परिषद् (एनडीसी) की 21 दिसम्बर, 2002 को आयोजित बैठक में दिए गए निर्णय के अनुसरण में योजना आयोग ने ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारिता संबंधी एनडीसी की अधिकार प्राप्त उपसमिति का गठन किया है। समिति द्वारा स्थानीय योजनाएं जो लोगों की अनुभूत आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को परिलक्षित करती हों, तैयार करने और उन्हें प्रक्षेपित करने के लिए एक ढांचा विकसित करने के संबंध में निदेश मुहैया कराने की प्रत्याशा है ताकि विकास प्रक्रिया जन आंदोलन बन सके।

(ख) वर्तमान में, 14 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों ने डीपीसीज का गठन कर लिया है। कुछेक राज्य डीपीसीज का गठन करने के अनिच्छुक हैं क्योंकि संवैधानिक संशोधन लागू होने से पहले इन राज्यों में जिला योजना निकाय/बोर्ड मौजूद थे। राज्यों से संविधान द्वारा यथा-अधिदेशित डीपीसीज के गठन की प्रक्रिया को तीव्र करने का अनुरोध किया गया है।

(ग) जिला स्तर की सफल आयोजना के लिए योजना प्रक्रिया शुरू करने हेतु लोगों का तैयार होना आवश्यक है। लोगों को दी गई समय सीमा में उनकी आवश्यकताओं और उन्हें उपलब्ध कराए जाने वाले संसाधनों का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। अतः प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो ग्रामीण समुदायों को योजना प्रक्रिया के प्रारंभिक कौशलों से सज्जित करते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को ग्रामीण जनसंख्या के आयोजना के बुनियादी कौशल प्रदान करने के लिए सुदृढ़ किया जाएगा। यह आशा की जाती है कि ये प्रयास बेहतर योजना प्रतिपादन के रूप में फलीभूत होंगे।

ठोस लाइसेंसीकरण तंत्र

6507. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ऐसे अनेक उदाहरणों की जानकारी है जहां चालक, जिनके लाइसेंस जब्त कर लिए गए, वे अन्य राज्यों से लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात पुनः सड़क पर गाड़ी चलाने लगते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार एक ठोस लाइसेंसीकरण तंत्र शुरू करने का है ताकि देश में किसी व्यक्ति विशेष को एक से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस जारी न किया जा सके; और

(ग) उपरोक्त संकट को रोकने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर वाहनों और ड्राइविंग लाइसेंसों के पंजीकरण को कंप्यूटरीकृत करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी]: (क) मोटरयान विनियमन के तहत संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के परिवहन प्राधिकारियों द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाते हैं। कई राज्यों

में यह कार्य हाथ से किया जाता है, इसलिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनेक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना सैद्धांतिक रूप से संभव है।

(ख) जी हां।

(ग) इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय आसूचना केंद्र के साथ विचार विमर्श करके मोटर वाहनों के लिए स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए मानकीकृत साफ्टवेयर और साझा न्यूनतम विनिर्देश तैयार किए हैं। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ये विर्निदेश निःशुल्क प्रदान किए गए हैं। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों की कंप्यूटरीकरण स्कीम का कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कार्यक्षेत्र में आता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत करने का कार्य पूरा हो जाने और इलेक्ट्रानिक विधि जुड़ जाने के बाद किसी भी व्यक्ति के लिए एक से अधिक लाइसेंस जारी करवाना कठिन होगा।

रोजगार अवसरों संबंधी कृतक बल

6508. **डा. एन. वेंकटस्वामी:**
श्री सवशीभाई मकवाना:
श्रीमती जयश्री बैनर्जी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग द्वारा गठित ''रोजगार अवसरों संबंधी कृतक बल'' ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या कृतक बल की सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो कृतक बल की सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, हां। रोजगार अवसरों संबंधी कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट उपाध्यक्ष, योजना आयोग को दिनांक 2 जुलाई, 2001 को प्रस्तुत कर दी थी।

(ख) कार्यदल ने रोजगार सृजन में सहायता के लिए वृहद आर्थिक (मैक्रो इकानामिक) व क्षेत्रकीय नीतियों की सिफारिश की थी।

(ग) और (घ) योजना आयोग ने सदस्य (श्रम, रोजगार व जनशक्ति) योजना आयोग की अध्यक्षता में ''प्रतिवर्ष दस मिलियन रोजगार अवसरों का लक्ष्य निर्धारण करने संबंधी एक विशेष दल'' का गठन किया था, जिसने रोजगार अवसरों संबंधी कार्यदल की सिफारिशों की विस्तृत रूप से जांच करके अपनी सिफारिशें दी थी। इन सिफारिशों के आधार पर दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के लिए रोजगार संभाव्यता को तैयार किया गया था।

एच.पी.सी.एल. और बी.पी.सी.एल. का विनिवेश

6509. **श्री सनत कुमार मंडल:**
श्री जे.एस. बराड़:
श्री विनय कुमार सोराके:

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एच.पी.सी.एल. और बी.पी.सी.एल. के कर्मचारी संघों ने संबंधित तेल कंपनियों के निजीकरण का विरोध करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इरादा निजीकरण करने से पूर्व कर्मचारी संघों से बातचीत करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) एचपीसीएल और बी.पी.सी.एल. जैसे विनिवेशाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी विनिवेश के बाद अपनी स्थिति के बारे में चिन्तित हैं। अतः सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधन/कर्मचारियों के परस्पर वर्गों के साथ निरन्तर विचार-विमर्श में लगी रहती है और इन चिन्ताओं को दूर करने के गम्भीर प्रयास किए जाते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

संचार क्षेत्र में गैर-सरकारी कंपनियां

6510. **डा. चरणदास महंत:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संचार क्षेत्र (टेलीफोन और मोबाइल सेवा) में गैर-सरकारी कंपनियों को प्रवेश की अनुमति देने वाले नियम और शर्तें/नियम तैयार किए गए हैं और इस संबंध में जारी किए गए आदेशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 15 अक्तूबर, 2002 तक उसमें किए गए परिवर्तनों/संशोधनों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में जारी किए गए आदेशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 2000-2001, 2001-2002 और 30 सितम्बर, 2002 तक उपर्युक्त परिवर्तनों/संशोधनों के परिणामस्वरूप संचार मंत्रालय द्वारा शीर्ष-वार और सेवा-वार कितना राजस्व अर्जित किया गया?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल कॉरिडोर विकास परियोजना हेतु ऋण

6511. श्री अकबर अली खांदोकर: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में पश्चिम बंगाल कारिडोर विकास परियोजना हेतु 210 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की कुल लागत कितनी है और उसमें केंद्र की भागीदारी का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी]: (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग घटक के लिए कुल परियोजना लागत प्राक्कलन 1085.7 करोड़ रु. है, जिसमें से 1027.89 करोड़ रु. केंद्र सरकार वहन करेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग घटक के लिए ऋण घटक 698.89 करोड़ रु. (148.7 मिलियन अमरीकी डालर) होगा और शेष 329 करोड़ रु. पूरक वित्तपोषण होगा।

(ग) इस परियोजना के सन् 2007 तक पूरा हो जाने की आशा है।

[हिन्दी]

बिलासपुर-मुंगली-पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग

6512. श्री पुन्नू लाल मोहले: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिलासपुर मुंगली पौड़ी को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी]: (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पेट्रोल पम्पों का स्थानांतरण

6513. श्री के. येरननायडू: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम जिले में पेट्रोल पम्प स्थानांतरण के संबंध में अनापत्ति हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान वर्ष-वार ऐसे कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) उनमें से कितने आवेदनों को मंजूर किया गया; और

(घ) शेष आवेदनों को कब तक मंजूर किया जाएगा?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी]: (क) जी हां।

(ख) और (ग) गत दो वर्षों में प्राप्त ऐसे आवेदनों की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	प्राप्त आवेदनों की सं.	स्वीकृत आवेदनों की सं.
2001-02	शून्य	शून्य
2002-03	06	01

(घ) पांच लंबित प्रस्तावों के संबंध में कुछ अतिरिक्त सूचना इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. से अभी जानी है और उन्होंने अनुमति देने का अनुरोध किया है। आगे की कार्रवाई अतिरिक्त सूचना प्राप्त होने के बाद की जाएगी।

दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएं

6514. श्री सी. श्रीनिवासन:
श्री जी पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री राम मोहन गाडडे:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में सड़कें विश्व की अन्य राजधानियों की तुलना में सबसे अधिक असुरक्षित और दुर्घटना संभावित हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में वर्षवार कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई; और

(ग) सरकार ने दिल्ली की सड़कों को दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी]: (क) योजना आयोग द्वारा मई, 2000 में गठित सड़क दुर्घटना, चोट निवारण और नियंत्रण संबंधी कार्यदल ने यह निष्कर्ष निकाला कि 'दूसरे देशों के साथ तुलना करना मुश्किल है क्योंकि यातायात और यात्रा परिस्थितियों में अंतर के संबंध मे सूचना अक्सर उपलब्ध नहीं होती है।'

(ख) दिल्ली पुलिस से प्राप्त सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में हुई दुर्घटनाओं की कुल संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	सड़क दुर्घटनाएं
1999	9909
2000	10245
2001	9344

(ग) बेहतर सड़क सुरक्षा के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के प्रावधानों के प्रवर्तन, पूर्णत: राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। पूरे देश में जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली भी शामिल है, सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए भारत सरकार अनेक इंजीनियरी और शैक्षाणिक उपाय करती रही है। देश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए राजमार्ग डिजाइन के अलावा सरकार द्वारा किए जा रहे कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं:

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकार/गैर सरकारी संगठनों के लिए क्रेन और एंबुलेंस की व्यवस्था।

(2) ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना के लिए सहायता।

(3) भारी मोटर वाहनों के चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण का प्रावधान।

(4) श्रव्य-दृश्य-पत्र-पत्रिका के माध्यम से सड़क जागरूकता संबंधी प्रचार उपाय।

(5) सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के संचालन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता।

(6) चालक प्रशिक्षण में सिमुलेटरों के प्रयोग को प्रोत्साहन।

(7) सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए स्वैच्छिक संगठनों और व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना।

(8) स्कूली बच्चों में जागरूकता के लिए सड़क सुरक्षा विषय पर अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता का आयोजन।

(9) परिवहन वाहनों के लिए उपयुक्तता मानकों को कठोर बनाना।

(10) सड़कों को चौड़ा करना/सुधारना आदि।

शार्ट डिस्टेंस चार्जिंग एरिया सर्विस की सीमा

6515. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शार्ट डिस्टेंस चार्जिंग एरिया सर्विस (एस.डी.सी.ए.) की सीमा तथा रोमिंग की अनुपलब्धता को दूरसंचार विभाग द्वारा टी.डी.एस.ए.टी. के सामने एक शपथ पत्र में और उच्चतम न्यायालय में एक लिखित स्वीकारोक्ति में स्वीकार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी डब्ल्यू.एल.एल. (मोबाइल) संचालक दूरसंचार विभाग की उपर्युक्त बात का उल्लंघन करते हुए भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसा करने वाले निजी संचालकों के नाम क्या हैं तथा विज्ञापन की तारीख क्या है;

(ङ) क्या सरकार का प्रस्ताव संचालकों के विरूद्ध कार्यवाही करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, हां।

(ख) यह उल्लेख किया गया है कि बुनियादी सेवा प्रचालक को वायरलैस एक्सेस प्रणालियों के जरिए अपने उपभोक्ताओं को मोबिलिटी प्रदान करने की अनुमति होगी, जो केवल स्थानीय क्षेत्र (अर्थात् वह अल्प दूरी प्रभारग क्षेत्र (एसडीसीए) जिसमें उपभोक्ता पंजीकृत है) तक सीमित है। ऐसी प्रणालियां लगाते समय प्रचालक को उस एसडीसीए की नंबरिंग योजना को अपनाना होगा और जिस अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र में कोई उपभोक्ता टर्मिनल उपस्कर पंजीकृत है उसे छोड़कर अन्य अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों में उस उपभोक्ता टर्मिनल उपस्कर के साथ अधिप्रमाणन अथवा कार्य संभव नहीं होना चाहिए। यह प्रणाली इस प्रकार तैयार की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बातचीत के समय उपभोक्ता का एक एसडीसीए से दूसरे एसडीसीए में संपर्क न हो।

(ग) और (घ) मै. रिलायंस इन्फोकाम लिमिटेड द्वारा फरवरी, 2003 के दूसरे सप्ताह में विभिन्न समाचार पत्रों में कतिपय विज्ञापन छपवाए गए थे जिनमें रोमिंग की उपलब्धता के बारे में बताया गया था।

(ङ) और (च) दूरसंचार विभाग में 14 फरवरी 2003 को विभिन्न बुनियादी सेवा प्रचालकों और सेल्यूलर प्रचालकों के साथ हुई एक बैठक में मामले को उठाया गया था। बैठक के दौरान, मै. रिलायंस इन्फोकाम लिमिटेड ने सूचना दी कि वे लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं तथा मोबिलिटी केवल उसी अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र तक सीमित रखी गई है, जहां उपभोक्ता पंजीकृत है। इसके अलावा उन्होंने यह भी सूचित किया कि रोमिंग सुविधा के बारे में बताने वाले विज्ञापनों को तत्काल हटा लिया जाएगा। उसके बाद से ऐसा कोई विज्ञापन ध्यान में नहीं आया है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम के अनुसार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करना है कि लाइसेंस की शर्तों का पालन किया जा रहा है। यह मामला भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के ध्यान में भी आया था जिन्होंने मै. रिलायंस इन्फोकाम लिमिटेड से एक रिपोर्ट मंगाई थी। मै. रिलायंस इन्फोकाम लिमिटेड ने टीआरएआई को सूचित किया था कि उन्होंने जिन सेवाओं को देने का प्रस्ताव किया है वे सेल्यूलर प्रचालकों द्वारा दी जा रही रोमिंग सेवा के समान नहीं है और ग्राहकों को कोई भ्रम न हो सके इसके लिए उन्होंने अपने विज्ञापनों से रोमिंग शब्द को हटा लेने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

एम.टी.एन.एल. के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ

6516. श्री सईदुज्जमा: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मई 2000 और नवम्बर, 2000 के बीच सेवानिवृत्त होने वाले दिल्ली और मुंबई में कार्यरत एम.टी.एन.एल. कर्मचारियों को सी.डी.ए. वेतनमान के आधार पर और दिसंबर 2000 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को निगम द्वारा आई.डी.ए. वेतन के आधार पर पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य का भुगतान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मई, 2000 और दिसम्बर, 2000 के बीच सेवानिवृत्त होने वाले समूह "ग" और "घ" के कर्मचारियों को आई.डी.ए. वेतनमान के अनुसार पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य का भुगतान कब तक किया जायेगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, हां।

(ख) कर्मचारियों का एमटीएनएल में आमेलन किए जाने से पूर्व सरकार द्वारा उन्हें उनके द्वारा सीडीए पैटर्न पर लिए गए वेतन के आधार पर पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों की मंजूरी दी गई थी। आमेलन की तारीख 1/11/98 निर्धारित की गई है। तथापि, राष्ट्रपति के आदेश जारी किए जाने की प्रक्रिया के चलते अधिकांश मामलों में आईडीए पैटर्न में उनके वेतन निर्धारण का कार्य मई से नवंबर, 2000 के दौरान ही क्रियान्वित किया जा सका परंतु यह पूर्वव्यापी प्रभाव सहित अर्थात् 1/11/98 से प्रभावी था। जो कर्मचारी आईडीए वेतनमानों में उनका वेतन निर्धारित किए जाने के बाद (दिसम्बर, 2000) से सेवानिवृत्त हुए थे। उन्हें एमटीएनएल द्वारा आईडीए वेतनमानों के आधार पर पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति के देय लाभों की मंजूरी दी गई थी।

(ग) जो कर्मचारी उक्त अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए परंतु जिन्हें सीडीए वेतनमानों के आधार पर पेंशन की मंजूरी दी गई थी उन्हें आईडीए वेतनमानों के आधार पर पेशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति के देय लाभ प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इस प्रक्रिया में सरकार द्वारा जारी मौजूदा पेंशन भुगतान आदेशों को निरस्त करना, संवितरण करने वाले बैंकों/डाकघरों से कागजातों को वापस लेना और तब नए पेंशन भुगतान आदेश जारी करना शामिल है जिसमें कुछ और समय लग जाएगा।

अवैध डब्ल्यू.एल.एल. सुविधा

6517. श्रीमती शीला गौतम: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में प्रबंधन और अन्य अधिकारियों को सलाह टिप्पण जारी किये बिना ही अवैध तौर पर डब्ल्यू.एल.एल. सुविधा प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तथ्य क्या हैं और प्रबंधन के दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) भगांव, मैनपुरी और अन्य जिलों के उन उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है जिन्हें सलाह टिप्पण के बिना ही टेलीफोन/डब्ल्यू.एल.एल. कनेक्शन दिये गए हैं;

(घ) जिलेवार और प्राथमिकतावार फोन नंबरों का ब्यौरा क्या है तथा किस तिथि को अंशदान राशि जमा की गई थीं; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, नहीं।

(ख) उपभोक्ता भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) शून्य।

(घ) और (ङ) उपरोक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात, केरल और तमिलनाडु में मोबाइल कनेक्शन

6518. श्री चन्द्रेश पटेल:
श्री आदिशंकर:
श्री जी.जे. जावीया:
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार गुजरात, केरल और तमिलनाडु में विभिन्न कंपनियों के मोबाइल फोनों की जिलेवार संख्या कितनी है; और

(ख) उक्त राज्यों में 1 जनवरी, 2000 और आज की तिथि तक कम्पनीवार कितने नये मोबाइल कनेक्शन दिये गये हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) के लाइसेंसों के लिए देश को 23 सेवा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जिसमें 4 महानगर सेवा क्षेत्र अर्थात् (दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई) और 19 दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्र शामिल हैं। सीएमटीएस के उपभोक्ता को सेवा क्षेत्र के किसी विशिष्ट जिले का उपभोक्ता न मानकर पूरे सेवा क्षेत्र का उपभोक्ता माना जाता है।

31.3.2003 को गुजरात, केरल और तमिलनाडु दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्रों में कंपनीवार और सेवा क्षेत्रवार सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोनों और 1 जनवरी, 2000 से उक्त राज्यों में प्रदान किए गए नए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र.सं.	दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्र	सेवा क्षेत्र में प्रचालकों की संख्या	लाइसेंसधारक कंपनियों के नाम	31.3.2003 को सीएमटीएस उपभोक्ताओं की संख्या	1.1.2000 को सीएमटीएस उपभोक्ताओं की संख्या	1.1.2000 से 31.3.2003 की अवधि में जुड़े नए उपभोक्ताओं की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	गुजरात	4	फास्सेल लिमिटेड	457196	79752	377444
			आइडिया सेल्यूलर लिमिटेड	240029	27776	212253
			भारत संचार निगम लिमिटेड	275691	—	275691

1	2	3	4	5	6	7
			भारती सेल्यूलर लिमिटेड	72310	—	72310
2.	केरल	4	बीपीएल सेल्यूलर लिमिटेड	148206	39552	108654
			एस्कोटल मोबाइल कम्यूनिकेशंस लिमिटेड	250632	441229	209403
			भारत संचार निगम लिमिटेड	203931	—	203931
			भारती सेल्यूलर लिमिटेड	57625	—	57625
3.	तमिलनाडु	4	बीपीएल मोबाइल सेल्यूलर लिमिटेड	161305	42292	119013
			एअरसेल लिमिटेड	229779	28861	200918
			भारत संचार निगम लिमिटेड	160089	—	160089
			भारती सेल्युलर लिमिटेड	63860	—	63860

टिप्पणी: उपभोक्ता से संबंधित ऊपर उल्लिखित आंकड़े सेल्यूलर प्रचालकों की ओर से भारत के सेल्यूलर प्रचालक संघ (सीओएआई) द्वारा सूचित किए गए हैं।

मोबाइल फोन कनैक्शन

6519. श्री जी.जे. जावीया:
श्री चन्द्रेश पटेल:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिनांक 1 जनवरी, 2000 से आज की तिथि तक गुजरात, केरल और तमिलनाडु में मोबाइल, एसटीडी, पीसीओ, आईएसडी और सामान्य टेलीफोन कनैक्शनों की मांग के वर्षवार कितने आवेदन दर्ज किये गये हैं;

(ख) अब तक कितने कनैक्शन जारी किये जा चुके हैं;

(ग) कितने कनैक्शन अब भी विचाराधीन है;

(घ) आज की स्थिति के अनुसार कितने एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ कनैक्शन मौजूद हैं; और

(ङ) वर्ष 2003-2004 में मोबाइल, एसटीडी, पीसीओ, आईएसडी और सामान्य टेलीफोन के कितने नये कनैक्शन जारी किये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियमित किया जाना

6520. श्री विष्णु पद राय: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.डी.ए. स्थायी समिति ने दिनांक 27 अक्तूबर, 2001 को हुई अपनी बैठक में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करने के बाद विशेषज्ञ के पदों पर कार्यरत स्थानीय चिकित्सकों को नियमित करने को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो अंडमान और निकोबार प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग में तदर्थ विशेषज्ञों के रूप में कितने चिकित्सक कार्यरत हैं;

(ग) सरकार ने इन चिकित्सकों को इन पदों पर नियमित करने के उद्देश्य से क्या कदम उठाये हैं;

(घ) यदि नहीं, तो आई.डी.ए. स्थायी समिति के उक्त निर्णय को कब तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) आई.डी.ए. स्थायी समिति की दिनांक 17.10.01 (दिनांक 27.10.01 को नहीं) को हुई बैठक ने इस मंत्रालय को संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके उचित कार्रवाई करने का निदेश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तदर्थ रूप से पदधारण किए हुए स्थानीय तौर पर उपलब्ध डाक्टरों को नियमित किया जा सके।

(ख) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तदर्थ विशेषज्ञों के रूप में कार्यरत आठ डाक्टर हैं।

(ग) और (घ) विशेषज्ञों की नियमित आधार पर नियुक्ति केवल संघ लोक सेवा में आयोग के माध्यम से ही की जाती है और जब भी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा रिक्तियों संबधी विज्ञापन दिया जाता है तब तदर्थ डाक्टरों को आवेदन प्रस्तुत करना पड़ता है। इस मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति/स्थायी आमेलन के आधार पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सेवा हेतु इच्छा रखने वाले आवेदकों से आवेदन पत्र आमन्त्रित किए थे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तदर्थ आधार पर कार्यरत 8 डाक्टरों में से 6 डाक्टरों ने इन विज्ञापनों के प्रत्युत्तर में प्रतिनियुक्ति आमेलन हेतु आवेदन किया। संघ लोक सेवा आयोग ने प्रतिनियुक्ति के लिए इन आवेदकों में से 3 की सिफारिश की है। संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशें विचाराधीन हैं।

कश्मीर के संबंध में अमेरिकी संकल्प

6521. **श्री वाई.वी. राव:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यू हैम्पशायर विधानमंडल ने कश्मीर के संबंध में एक संकल्प पारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस मामले को अमेरिकी प्रशासन के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर उसकी क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी, हां।

(ख) फरवरी, 2003 में अमरीका में न्यू हेम्पशायर के राज्य विधानमंडल ने गैर बाध्यकारी समवर्ती संकल्प पारित किया जिसमें अमरीकी कांग्रेस से अनुरोध किया गया है कि वह "कश्मीर संघर्ष के सहवर्ती सभी संगत तथ्यों एवं परिस्थितियों को पहचानने के लिए सुनवाई शुरू करें ताकि उसके उचित, शांतिपूर्ण एवं त्वरित संकल्प को सुविधाजनक बनाया जा सके।

(ग) अमरीका में विधानमंडल अमरीकी प्रशासन से अलग स्वतंत्र रूप में कार्य करते हैं। तथापि, सरकार ने अमरीका में अपने राजनयिक मिशनों और भारत-अमरीकी समुदाय के माध्यम से न्यू हेम्पशायर विधानमंडल के सदस्यों तथा अमरीकी कांग्रेस के विधि निर्माताओं एवं अन्य राज्य विधानमंडलों को जम्मू और कश्मीर तथा पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से आतंकवाद के प्रायोजन से संबंधित सही तथ्यों से अवगत कराने के उपाय किए हैं। अन्य विधानमंडलों एवं अमरीकी कांग्रेस को इस बारे में कोई सूचना नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

स्वास्थ्य परिचर्या कार्यकलाप

6522. **श्री रामशेठ ठाकुर:**
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष की तुलना में दिनांक 31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार सभी के लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रत्येक राज्य और संघ शासित प्रदेश में स्वास्थ्य परिचर्या कार्यकलाप पर प्रति व्यक्ति खर्च की गई धनराशि कितनी है; और

(ख) प्रत्येक राज्य एवं संघ शासित प्रदेश में स्वास्थ्य परिचर्या कार्यकलाप हेतु वर्ष 2003-2004 में दसवीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों के दौरान भी व्यय की गई अथवा की जाने वाली धनराशि कितनी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) वर्ष 1999-2000 और 2000-01 के लिए प्रत्येक राज्य में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति सरकारी खर्च दशाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ख) विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए राज्यवार आबंटन वार्षिक आधार पर किए जाते हैं न कि योजना-वार। मलेरिया, कुष्ठ, क्षयरोग और दृष्टिहीनता नियंत्रण के लिए 2003-04 हेतु मुख्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए राज्यवार आबंटन विवरण-II में दिए गए हैं। एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए वित्तीय वर्ष 2003-04 हेतु 225 करोड़ रुपए का एक बजट प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान में से 138.27 करोड़ रुपए की एक धनराशि विश्व बैंक की सहायता प्राप्त राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण परियोजना के अंतर्गत राज्य/संघ शासित प्रदेशों में राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों को धन जारी करने के लिए नियत है और इसके अतिरिक्त 28 करोड़ रुपए की एक धनराशि आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल और उड़ीसा में यौन स्वास्थ्य परियोजना के लिए डी.एफ.आई.डी. की सहायता प्राप्त भागीदारी के अंतर्गत प्रदान की जाती है। इसके अलावा कर्नाटक और राजस्थान के लिए सी.आई.डी.ए. (सीडा) से सहायता प्राप्त परियोजना के अधीन 2 करोड़ रुपए रखे गए हैं। राज्यवार आबंटनों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

विवरण I

राज्यवार स्वास्थ्य पर प्रतिव्यक्ति सरकारी खर्च
1999-2000 और 2000-01

(रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति सरकारी खर्च	
		1999-2000	2000-01
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	128.00	146.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	544.00	575.00
3.	असम	93.00	70.00
4.	बिहार	64.00	60.00
5.	छत्तीसगढ़	—	41.00
6.	दिल्ली	364.00	300.00
7.	गोवा	1021.00	1081.00
8.	गुजरात	188.00	171.00
9.	हरियाणा	164.00	164.00
10.	हिमाचल प्रदेश	468.00	478.00
11.	जम्मू व कश्मीर	379.00	363.00
12.	झारखण्ड	—	—
13.	कर्नाटक	151.00	154.00
14.	केरल	238.00	206.00
15.	मध्य प्रदेश	149.00	147.00
16.	महाराष्ट्र	120.00	170.00
17.	मणिपुर	381.00	322.00
18.	मेघालय	335.00	370.00
19.	मिजोरम	733.00	762.00
20.	नागालैंड	400.00	447.00
21.	उड़ीसा	108.00	129.00
22.	पांडिचेरी	752.00	782.00
23.	पंजाब	253.00	276.00
24.	राजस्थान	160.00	159.00
25.	सिक्किम	616.00	666.00
26.	तमिलनाडु	190.00	170.00
27.	त्रिपुरा	218.00	250.00
28.	उत्तर प्रदेश	83.00	83.00
29.	उत्तरांचल	—	35.00
30.	पश्चिम बंगाल	175.00	206.00
	अखिल भारत	156.00	167.00

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय।

विवरण II

वर्ष 2003-04 के दौरान विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए राज्यवार आबंटन

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एनएएमपी*	एनएलईपी**	एनटीसीपी	एनपीसीबी***
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	137.96	11.25	600.00	400.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	314.44	4.88	30.19	15.00
3.	असम	2010.17	14.39	411.91	100.00

1	2	3	4	5	6
4.	बिहार	2963.59	341.27	608.38	250.00
5.	छत्तीसगढ़	669.73	17.58	333.00	150.00
6.	गोवा	8.55	0.76	13.01	20.00
7.	गुजरात	112.69	63.88	506.28	250.00
8.	हरियाणा	48.01	12.63	619.00	100.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	5.75	61.03	70.00
10.	जम्मू व कश्मीर	40.23	11.12	86.71	70.00
11.	झारखण्ड	844.63	285.53	431.00	150.00
12.	कर्नाटक	217.75	37.75	497.42	300.00
13.	केरल	4.10	38.67	318.17	150.00
14.	मध्य प्रदेश	281.21	50.16	545.77	325.00
15.	महाराष्ट्र	170.18	60.79	968.53	325.00
16.	मणिपुर	101.44	4.01	65.88	20.00
17.	मेघालय	263.01	3.78	45.92	20.00
18.	मिजोरम	158.01	1.26	22.56	20.00
19.	नागालैंड	291.04	3.22	54.90	15.00
20.	उड़ीसा	882.91	63.68	515.00	250.00
21.	पंजाब	34.89	22.43	206.68	100.00
22.	राजस्थान	745.95	29.57	565.31	300.00
23.	सिक्किम	3.30	1.63	13.72	10.00
24.	तमिलनाडु	132.92	56.94	621.34	1000.00
25.	त्रिपुरा	390.05	2.19	68.49	50.00
26.	उत्तरांचल	1.60	22.55	136.00	100.00
27.	उत्तर प्रदेश	569.88	248.10	1449.76	700.00
28.	पश्चिम बंगाल	694.76	83.82	802.44	275.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	236.75	0.89	1.84	8.00
30.	चण्डीगढ़	34.25	0.91	9.00	13.00
31.	दादरा और नगर हवेली	40.92	5.07	1.23	7.00

1	2	3	4	5	6
32.	दमन और दीव	15.15	2.34	1.23	7.00
33.	दिल्ली	88.88	35.06	138.08	45.00
34.	लक्षद्वीप	6.47	0.51	1.00	7.00
35.	पांडिचेरी	22.12	1.95	9.23	13.00
	कुल	12537.54	1646.33	10760.01	5635.00

*मलेरिया/फाइलेरिया/काला आजार शामिल हैं और ई.ए.सी. घटक शामिल नहीं हैं।

**अनंतिम: वे निर्मुक्तियां शामिल नहीं हैं जो जिला सोसायटियों को की जाएंगी।

***वस्तुगत सहायता शामिल नहीं है।

[हिन्दी]

केबलों की कमी

6523. **श्री विजय कुमार खण्डेलवाल:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केबलों की पर्याप्त आपूर्ति न होने के कारण मध्य प्रदेश के ग्रामीण लोगों को टेलीफोन सेवा का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो केबलों की आपूर्ति कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

टाइफाइड टीके का उत्पादन

6524. **श्री मोहन रावले:**
श्री प्रकाश वी. पाटिल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास हाफकिन बायो-फार्मा कारपोरेशन मुम्बई द्वारा टाइफाइड टीके का उत्पादन करने हेतु अनुमति से संबंधित प्रस्ताव काफी समय से लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) टायफायड वैक्सीन का निर्माण पुनः शुरू करने के लिए हाफकीन बायो फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड (एच.बी.पी.सी.एल.) को अनुमति प्रदान करने के लिए सरकार को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। सशस्त्र बलों के लिए टायफायड वैक्सीन की आवश्यकता पूरी करने के लिए एच.बी.पी.सी.एल., मुम्बई द्वारा एसीटोन किल्ड टायफाइड (ए.के.डी.) वैक्सीन के विनिर्माण की अनुमति देने के लिए सरकार सिद्धांत रूप से सहमत हो गई है। ए.के.डी. वैक्सीन के विनिर्माण के लिए लाइसेंस लेने हेतु एच.बी.पी.सी.एल. को अपना आवेदन भारत के औषध नियंत्रक को भेजने का अनुरोध किया गया है। एच.बी.पी.सी.एल. से यह आवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

दोष सुधार

6525. **श्री ए.सी. जोस:**
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल:
श्री बीर सिंह महतो:
श्री मानसिंह पटेल:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में लैंडलाइन टेलीफोन में त्रुटियों से संबंधित शिकायतों को निपटाने के लिए कोई समय सीमा निश्चित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे भी मामले हैं जिनमें बार-बार शिकायतें करने के बावजूद टेलीफोन संबंधी दोषों में सुधार नहीं किया गया है और दोष में सुधार किए बिना शिकायतकर्ताओं के नाम कंप्यूटरीकृत सूची से हटाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) गलती करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) गत तीन महीनों में दक्षिणी दिल्ली स्थित दूरभाष केंद्रों में कितनी टेलीफोन शिकायतें की गई और कितनी शिकायतों के दोष में सुधार करके निपटाया गया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) एमटीएनएल द्वारा दोष संबंधी शिकायतों के निपटान के लिए निर्धारित लक्ष्य निम्नानुसार हैं:

	दिल्ली	मुम्बई
उसी दिन निपटाया जाता है	62%	65%
अगले दिन निपटाया जाता है	87%	91%

एमटीएनएल दिल्ली का दोष दर और दोष निपटान एमटीएनएल, मुंबई की तुलना में निम्नलिखित कारणों से थोड़ा कम है:

(1) दिल्ली टेलीफोन्स का भूमिगत केबल नेटवर्क अत्यंत पुराना है जो मुख्यत: पेपर कोर केबल से बना है।

(2) दिल्ली नगर निगम, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली विद्युत बोर्ड, निजी दूरसंचार सेवा प्रदाता, दिल्ली मेट्रो रेल निगम जैसी विभिन्न एजेंसियों द्वारा खुदाई संबंधी काफी कार्य किए गए हैं जिससे भूमिगत केबलों पेयरों को क्षति पहुंची है।

(ग) दस ऐसे माले केवल 2002-2003 के दौरान एमटीएनएल, दिल्ली के ध्यान में आए।

(घ) ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	शिकायतों का ब्यौरा
1	2
1.	टेलीफोन नं. 5825783 की दोषपूर्ण मरम्मत।
2.	टेलीफोन नं. 2415629 के लिए झूठे निपटान का पता लगा।
3.	टेलीफोन नं. 2373279 के लिए के लिए झूठे निपटान का पता लगा।
4.	टेलीफोन नं. 2384829 के लिए के लिए झूठे निपटान का पता लगा।
5.	टेलीफोन नं. 2183381 के लिए के लिए झूठे निपटान का पता लगा।
6.	टेलीफोन नं. 2045473 के लिए के लिए झूठे निपटान का पता लगा।
7.	टेलीफोन नं. 2175123 के लिए के लिए झूठे निपटान का पता लगा।
8.	टेलीफोन नं. 27137820 की दोषपूर्ण मरम्मत।
9.	टेलीफोन नं. 7043876 7057078 के लिए झूठे निपटान का पता लगा।
10.	टेलीफोन नं. 5010874 की दोषपूर्ण मरम्मत।

(ङ) तीन अधिकारियों को प्रशासनिक चेतावनी दी गई है और दस अधिकारियों को लघु शास्तियां जारी की गयी हैं।

(च) दक्षिण दिल्ली (दक्षिण-1 और दक्षिण-2 क्षेत्र) में अवस्थित सभी टेलीफोन एक्सचेंजों में 4,23,441 शिकायतें दर्ज की गयीं। आज की तिथि के अनुसार इन सभी शिकायतों का निपटान कर दिया गया है।

पाकिस्तान के साथ रेल, सड़क संपर्क तोड़ना

6526. श्री के. येरननायडू: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने भारतीय संसद पर आतंकवादी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच बंद की गई रेल माल ढुलाई को पुन: आरंभ करने के लिए पाकिस्तान को मनाने का असफल प्रयास किया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों के बीच अनाधिकारिक स्तर पर व्यापार चल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस व्यापार की मात्रा कितनी है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (घ) 21 दिसम्बर, 2001 को सरकार ने 1 जनवरी, 2002 से समझौता एक्सप्रैस और दिल्ली-लाहौर बस सेवा को बंद करने की

घोषणा की थी। यह निर्णय 13 दिसम्बर को भारत की संसद पर हुए हमले और पाकिस्तान द्वारा सीमापार आतंकवाद को लगातार प्रायोजित करने के आधार पर लिया गया था। यह प्रतिबंध रेल माल ढुलाई के कार्य के लिए लागू नहीं था। तथापि, पाकिस्तान ने तब से रेल माल ढुलाई के कार्य के लिए भारतीय और पाकिस्तानी रेलवे के बीच अपेक्षित अदला-बदली की अनुमति नहीं दी है। सरकार ने माल ढुलाई के विषय में पाकिस्तान से उसके इरादों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। यद्यपि पाकिस्तान ने यह बताया है कि सक्षम प्राधिकारियों ने रेल माल ढुलाई को अनुमोदित कर दिया है परंतु वास्तव में दिसम्बर, 2001 के अंतिम सप्ताह से उसने माल के आवागमन के लिए कोई अनुमति नहीं दी है।

[हिन्दी]

आई ड्राप का विकास

6527. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अ.भा.आ.सं. द्वारा "लार्ज डायामीटर लेम्लर कारोटोप्लास्टी' नामक नेत्र की दवाई का विकास किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) डा. राजेन्द्र प्रसाद नेत्र चिकित्सा विज्ञान केन्द्र, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा "लार्ज डायमीटर लेमेल्लर केराटोप्लास्टी" स्टेम सेल प्रतिरोपण की एक नई शल्यक तकनीक विकसित की गई है। इस शल्य चिकित्सा तकनीक का विकास आकुलर एल्कली बर्न्स, जो आमतौर पर भारत में होता है, के गंभीर रोगियों का उपचार करने के लिए किया गया है। इन रोगियों में कार्निया ग्राफ्टिंग शल्य चिकित्सा की एक नेमी तकनीक कामयाब नहीं है और लार्ज डायमीटर लेमेल्लर केराटोप्लास्टी लिम्बल स्टेम सेल प्रतिरोपण के इस्तेमाल और कार्निया ग्राफ्टिंग शल्य चिकित्सा को सम्मिश्रित करती है। इस तकनीक में नए दाता की आंखों से ली गई डायमीटर लेमेल्लर कार्निया लैंटिक्यूल में 12 से 13 मि.मी. का प्रतिरोपण करना शामिल है।

[अनुवाद]

दवाओं की शुद्धता की जांच

6528. श्री पी.आर. खूंटे: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निकोलस पिरामल इंडिया लिमिटेड (एन.पी.आई.एल.) ने डा. रेड्डी की दवा की शुद्धता की जांच करने हेतु सरकार से अनुरोध किया है जैसा कि 10 अगस्त, 2002 के 'इकानामिक टाइम्स' में खबर छपी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं, और;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) जी, हां।

मैसर्स निकोलस पीरामल इंडिया लिमिटेड, मुम्बई सितम्बर, 1993 से, आर-मानव कणिका कोशिका (ह्यूमन ग्रन्यूलोसाइट) कालोनी-उद्दीपक कारक (आर-एचयू-जी.सी.एस.एफ.)/फिलग्रास्टिम इंजैक्शन,. जिसका ब्रांड नाम न्यूपोजेन है, आयात और विपणन कर रही है।

देश में कैंशर रोधी औषधि, आर-एचयू-जी.सी.एस.एफ. इंजैक्शन, पर सृजित किए गए प्रभावोत्पाकता और सुरक्षा संबंधी डाटा के आधार पर और जी.ई.ए.सी. से स्वीकृति मिलने के बाद डा. रेड्डीज लेबोरेट्री, हैदराबाद को भी दिनांक 27.6.2001 और आर-एचयू-जी.सी.एस.एफ. इंजैक्शन के विनिर्माण और विपणन की अनुमति प्रदान कर दी गई। डा. रेड्डीज लेबोरेट्री द्वारा पैकेट इंसर्ट में आर-एचयू-जी.सी.एस.एफ./फिलग्रास्टिम के लिए दिए गए संदर्भों का निकोलस पीरामल ने विरोध किया क्योंकि वास्तविक संदर्भ साहित्य न्यूपोजेन (फिलग्रास्टिम) के बारे में हैं। डा. रेड्डीज लेबोरेट्री को ऐसे संदर्भों को हटाने के लिए अनुदेश दिए गए। फिलहाल, यह मामला महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा और अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में गठित की गई एक समिति के जांचाधीन है।

विनिवेश का रोजगार पर प्रभाव

6529. श्री राम विलास पासवान: क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सरकारी क्षेत्र में विनिवेश के परिणामस्वरूप अनुसचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा वंचित समुदायों के लिए रोजगार के अवसरों पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या जनसंख्या के उपर्युक्त वर्ग की सरकारी क्षेत्र में नौकरी की संभावनाओं पर विनिवेश के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का जनसंख्या के प्रभावित वर्ग को रोजगार के वैकल्पित स्रोत प्रदान करने के लिए कौन से कदम उठाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा उपेक्षित समुदाय के व्यक्तियों के रोजगार के अवसरों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की फिलहाल कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ख) और (ग) सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों सहित सभी कर्मचारियों के हित संरक्षण के प्रति वचनबद्ध है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, अनुकूल बिक्री का रास्ता अपनाने के माध्यम से, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी शेयरधारिता 51 प्रतिशत से कम हो जाती है, सरकार द्वारा विनिवेश करने के मामले में सरकार और अनुकूल साझीदार के बीच सम्पन्न करार में विशेष रूप से इस प्रकार का खण्ड-वाक्य सम्मिलित किया जाता है कि अनुकूल साझीदार इस बात को मान्यता देता है कि सरकार अपनी रोजगार नीतियों के संबंध में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और समाज के अन्य सामाजिक रूप से उपेक्षित वर्गों के सदस्यों के हितों के लिए कतिपय सिद्धान्तों का अनुकरण करती है और यह कि अनुकूल साझीदार ऐसे व्यक्तियों के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए कंपनी को प्रेरित करने में अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगा। इसके अलावा इसमें विशेष रूप से यह भी शामिल किया जाता है कि कंपनी के कर्मचारियों की संख्या में कमी करने की दशा में, अनुकूल साझीदार यह सुनिश्चित करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगा कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की छंटनी अन्त में हो।

नवी मुम्बई जवाहरलाल नेहरू पत्तन

6530. डा. वी. सरोजा: क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नवी मुम्बई जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकारियों द्वारा उनकी सुविधाओं का विकास और विस्तार करने हेतु धन की मांग करने संबंधी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसा कोई तटीय विनियमन क्षेत्र नियम है जो उच्च ज्वारभाटा मार्ग से 500 मीटर तक के क्षेत्रों के विकास को प्रतिबंधित करता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधक प्राधिकरण ने तटीय क्षेत्र प्रबंधक सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में निर्देशित उचित समय सीमा वाली योजना की मांग की है; और

(च) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(1) तथा धारा 3(2)(5) तथा पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5(3)(घ) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई दिनांक 19 फरवरी, 1991 की अधिसूचना सा.आ. 114 (अ.) के अनुसार समुद्र के तटीय खंड, खाड़ी ज्वारनदमुखों, संकरी खाड़ी, नदियों तथा पश्च जल जो ज्वार लाइन (एच टी एल) से 500 मीटर तक ज्वार कार्यवाही (लैंडवार्ड साइड में) द्वारा प्रभावित होते हैं तथा कम भाटा लाइन (एल टी एल) तथा एच टी एल के बीच की भूमि को तटीय विनियमन क्षेत्र (सी आर जैड) घोषित किया गया है तथा उक्त सी आर जैड में उद्योग स्थापित करने, परिचालन अथवा प्रसंस्करण आदि पर रोक लगाई गई है। अधिसूचना के अंतर्गत पत्तनों तथा बंदरगाहों तथा दीपस्तंभों के लिए परिचालनात्मक निर्माण तथा जेट्टी घाट, जहाज-घाट तथा स्लिपवेज, पाइपलाइनों, पारेक्षणलाइनों सहित सूचना प्रणालियों जैसे क्रिया-कलापों हेतु निर्माण के लिए पर्यावरण तथा वन मंत्रालय, भारत सरकार से पर्यावरणीय अनुमोदन लेना अपेक्षित होगा।

(ङ) और (च) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास द्वारा वर्ष 1984 में पत्तन के विकास के लिए अधिग्रहीत 2584 एकड़ भूमि में से लगभग 1224 एकड़ भूमि तटीय विनियमन क्षेत्र (सी आर जैड) में आती है। जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास ने पत्तन संबंधी/संबद्ध गतिविधियों के लिए सी आर जैड-I (i), (ii) और सी आर जैड-II के अधीन आने वाली भूमि को उपयोग में लाने के लिए विद्यमान सी आर जैड विनियमन में छूट के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय से अनुरोध किया है। जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास प्राधिकरण ने 6.1.2003 को आयोजित बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट आथोरिटी (एन सी जैड एम ए) को बताया था कि पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 1991 में अधिसूचना जारी करने से पूर्व पत्तन ने 1984 में इस भूमि का अधिग्रहण किया था। पत्तन की दीर्घकालिक विकास योजना को देखते हुए एन सी जैड एम ए को सी आर जैड विनियमन में छूट देने का अनुरोध किया गया था। तथापि, एन सी जैड एम ए ने अन्य बातों के साथ-साथ पत्तन न्यास को यह सलाह दी है कि वह एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करे जिसमें आगामी 10 वर्षों के दौरान पत्तन के विकास को ध्यान में रखते हुए विशेष परियोजनाओं के लिए अपेक्षित भू-क्षेत्र का उल्लेख किया जाए।

[हिन्दी]

ग्रामोदय योजना के अंतर्गत धनराशि का दुरुपयोग

6531. **श्री अखिलेश यादव:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामोदय योजना के अंतर्गत दी गई धनराशि के दुरुपयोग और दुर्विनियोजन की निगरानी और जांच हेतु किसी तंत्र की व्यवस्था है;

(ख) क्या उक्त तंत्र के अंतर्गत की गई कार्यवाही के वांछित परिणाम निकले हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में ग्रामोदय योजना हेतु दी गई धनराशि के दुर्विनियोजन की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों को दंडित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई) के कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धांतों में, अन्य बातों के साथ-साथ यह अनुबंधित है कि इस कार्यक्रम की वास्तविक और वित्तीय दोनों ही प्रकार की आवधिक मानीटरिंग राज्य सरकारों द्वारा की जाएगी और मानीटरिंग रिपोर्ट निर्धारित प्रोफार्मा में योजना आयोग को प्रस्तुत की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, पीएमजीवाई हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का जारी करना इस बात पर निर्भर है कि राज्य सरकारें इस संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र सहित इस कार्यक्रम हेतु उपलब्ध निधियों का कम से कम 60 प्रतिशत उपयोग करने की रिपोर्ट करें।

(ख) अब तक इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन संतोषजनक रहा है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। अभी तक इस तरह की कोई भी शिकायत सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई है।

संसद सदस्यों के पत्रों का उत्तर

6532. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा:**
प्रो. दुखा भगत:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम मिलमिटेड संसद सदस्यों के पत्रों का उत्तर निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप नहीं देता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले छः महीनों के दौरान एम.टी.एन.एल. को संसद सदस्यों के कितने पत्र प्राप्त हुए हैं और उक्त अवधि के दौरान कितने पत्रों पर निर्धारित मानदंडों के अनुसार कार्रवाई नहीं की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है जो निर्धारित मानदंडों के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों के उत्तर पूरी जांच के बाद दिए जाते हैं जिसमें कभी-कभी विलंब हो जाता है।

(ग) गत छः महीनों में एमटीएनएल में प्राप्त पत्रों की तथा उत्तर दिए गए पत्रों की संख्या निम्नानुसार है:

एमटीएनएल इकाई	प्राप्त हुए पत्रों की सं.	उत्तर दिए गए पत्रों की सं.
दिल्ली	324	319
मुंबई	06	05
मोबाइल सेवा	03	02

(1) एमटीएनएल दिल्ली में, 5 पत्रों हेतु कार्रवाई चल रही है।

(2) एमटीएनएल मुंबई में, एक मामले में विलंब हुआ क्योंकि मामला न्यायाधीन था।

(3) मोबाइल सेवा इकाई में हाल ही में प्राप्त एक मामले की, उत्तर देने हेतु जांच की जा रही है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के मद्देनजर लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

कॉलों हेतु अधिक प्रभार लिया जाना

6533. **श्री जी.एस. बसवराज:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई तारा होटल ग्राहकों द्वारा उनके होटलों से किए गए टेलीफोन कॉलों हेतु अधिक प्रभार लेते हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले को होटल एसोशिएसन के साथ उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) पर्यटन विभाग के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी जिन्होंने होटल ग्राहकों द्वारा किए गए टेलीफोन कालों के लिए अधिक प्रभारों पर कोई भी नियंत्रण लगाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है क्योंकि उनके पास कोई विनियामक अधिकार नहीं है।

एड्स पर अंकुश लगाने के लिए वीजा पर रोक

6534. श्री सवशीभाई मकवाना:
श्रीमती जया बहन बी. ठक्कर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अपने देश से बहिष्कृत अनेक एड्स संक्रमित विदेशी यौन संतुष्टि के लिए भारत आते हैं जिसका परिणाम होता है कि सैक्स वर्कर उनके सम्पर्क में आने से एच आई वी एड्स सहित संचारी रोगों का शिकार हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को भारतीय पतिता उद्धार सभा नई दिल्ली में ऐसा कोई प्रस्ताव मिला है जिसमें कहा गया है कि देश में आने वाले किसी भी विदेशी को वीजा देने में इस बात का प्रावधान होना चाहिए कि उनके पास ''फ्री फ्राम एड्स वायरस'' संबंधी प्रमाण पत्र हो; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संब्रंध में क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) इन्टरनेशनल ट्रैवल एड हैल्थ, 1999 पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशानिर्देशों में विशिष्ट रूप से यह उल्लेख है कि एच.आई.वी. एण्टीबाडी जांच प्रमाणपत्र (''एड्स मुक्त प्रमाणपत्र'') की कोई भी अपेक्षा अन्तरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों के विरूद्ध है। तद्नुसार, सरकार ने 23.9.2002 से विदेशी छात्रों सहित विदेशियों की अनिवार्य एच.आई.वी. जांच की अपेक्षा को समाप्त करने के लिए विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, भारतीय सांस्कृतिक अनुसंधान परिषद, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, भारतीय राष्ट्रीय विधि स्कूल, बंगलौर आदि जैसे अन्य पणधारियों से परामर्श करने के पश्चात् संशोधित नीति/दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है।

[हिन्दी]

बाई-पासों का निर्माण

6535. प्रो. दुखा भगत:
श्री राम टहल चौधरी:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बाई-पासों के निर्माण हेतु क्या नियम बनाये गये हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान किन शहरों में बाई-पासों के निर्माण संबधी प्रस्ताव संसद सदस्यों से प्राप्त हुये हैं;

(ग) सरकार ने कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी है;

(घ) रांची में बाई-पास का निर्माण न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) गत दो वर्षों के दौरान रांची में बाई-पास के निर्माण के लिए सरकार ने क्या प्रयास किये हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी]: (क) बाईपास के निर्माण का निर्णय, प्रस्ताव के तकनीकी-आर्थिक महत्व के आधार पर किया जाता है।

(ख) गत दो वर्षों के दौरान माननीय संसद सदस्यों से निम्नलिखित शहरों/कस्बों के लिए बाईपास के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए:

1. अक्कमपेट, 2. अंबुर, 3. अंगमाली, 4. अंजार, 5 बलरामपुरम, 6 बरेली, 7 भीमावरम, 8. बिनलौर 9. चन्नारायपटना, 10. चित्तौड़गढ़, 11. चौबेपुर, 12. धरमपुरी, 13. दुबाद नगर

पंचायत, 14. इरोड, 15. गंगाजल घाट, 16. गाजीपुर, 17. गोधरा, 18. गोरखपुर, 19. गोविनपुर और मकरामपुर, 20. गुना, 21. हौसपेट, 22. इस्लामपुर, 23. कानपुर, 24. कटनी, 25. क्योंझारगढ़ कस्बा, 26. कीनी गांव, 27. कोदाद, 28. कोटा, 29. कोटामंगलम, 30. मदनपल्ली, 31. मंगली के बाहरी हिस्से से भानगुर सीमा, 32. मिम्बाहेड़ा, 33. मोदीनगर, 34. मूदाबिदरी, 35. मुवातपुजा, 36. नागौन, 37. नागपुर, 38. नजीबीबाद, 39. नवरंगपुर कस्बा, 40. नीड़मंगलम, 41. उरई, 42. पानागढ़ 43. रांची, 44. राशिपुरम, 45. रीवा, 46. रोहतक (उत्तरी बाईपास), 47. सकलेशपुर, 48 संकगिरि, 49. संकेश्वर कस्बा, 50. शाजापुर, 51 शिवराजपुर, 52. सिल्चर, 53. सुमेरपुर, 54. टाडेपल्लीगुडेम, 55. तिपुनीतुरा, 56. तिपतूर, 57. उत्तरीपुरा।

(ग) यातायात की आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर उपर्युक्त में से 24 शहरों के लिए बाईपासों पर विचार किया गया है।

(घ) और (ङ) इस मंत्रालय ने रांची बाइपास के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु 45.00 लाख रु का प्राक्कलन मार्च, 2001 में स्वीकृत कर दिया गया है। सर्वेक्षण और जांच कार्य चल रहा है।

[अनुवाद]

भारतीय कलाकारों पर प्रतिबंध

6536. श्री वी. वेत्रिसेलवन:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री चन्द्र नाथ सिंह:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने वहां की यात्रा करने और अपनी कला का प्रदर्शन करने वाले भारतीय कलाकारों पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या हमारे देश के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने भारत आने वाले और यहां अपनी कला का प्रदर्शन करने वाले पाकिस्तानी कलाकारों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) पाकिस्तान की सरकार भारतीय कलाकारों के पाकिस्तान में प्रदर्शन की अनुमति के संबंध में एक अत्यधिक रूप से प्रतिबन्धित नीति का अनुसरण करती है।

(ग) कई भारतीय कलाकारों ने शिकायत की है कि पाकिस्तानी कलाकारों के लिए भारत की यात्रा और प्रदर्शन के लिए वीजा के संबंध में भारत सरकार द्वारा अनुपालित अपेक्षाकृत अधिक उदार नीति से उन्हें हानि हुई है।

(घ) सरकार का मानना है कि अपेक्षाकृत अधिक पारस्परिक लोगों से लोगों के बीच संपर्क द्विपक्षीय संबंधों को आने बढ़ाने के बहुत उपायों में से एक हो सकते हैं।

प्रतिबंधित औषधियों का सेवन

6537. श्री रामविलास पासवान:
श्री रामजीवन सिंह:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अभी हाल में भारतीय एथलीट अपना प्रदर्शन सुधारने के लिये प्रतिबंधित औषधियों के सेवन के दोषी पाये गये है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत लगभग तीन वर्षों के दौरान कितने मामलों में भारतीय एथलीट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में प्रतिबंधित औषधियों के सेवन के दोषी पाये गये हैं और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा): (क) कुछ भारतीय एथलीटों का देर से प्रतिबन्धित पदार्थों के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया है।

(ख) और (ग) सरकार औषधियों के जोखिम को रोकने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है, अभी तक राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के दौरान, हाल ही में प्रतिबन्धित पदार्थों के लिए सकारात्मक परीक्षण करते हुए कुछ भारतीय एथलीटों के मामले प्रकाश में आये हैं, जिनके ब्यौरे नीचे दिये गये है:

(1) कुल 5 खिलाड़ियों का अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में प्रतिबन्धित पदार्थों के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया है।

(2) राष्ट्रीय चैम्पियनशीपों के दौरान, कुल 108 खिलाड़ी प्रतिबन्धित पदार्थों के लिए सकारात्मक पाये गये थे, जो निम्नानुसार है:

वर्ष	प्रतिबन्धित पदार्थों के लिए सकारात्मक परीक्षण के खिलाड़ियों की संख्या
2000	14
2001	35 (19 को सम्मिलित करते हुए जिनका पंजाब राष्ट्रीय खेलों के दौरान सकारात्मक परीक्षण किया गया)
2002	29 (22 को सम्मिलित करते हुए जिनका हैदराबाद राष्ट्रीय खेल, 2002 के दौरान सकारात्मक परीक्षण किया गया।)
2003	30

(घ) भारतीय ओलम्पिक संघ कोड अथवा संबन्धित अन्तर्राष्ट्रीय परिसंघों के कोड/विनियमों के अनुसार भारतीय ओलंपिक संघ और राष्ट्रीय खेल परिसंघ की अनुशासनात्मक प्राधिकरण होने के नाते यह मुख्य जिम्मेदारी है कि परीक्षण के दौरान प्रतिबंधित पदार्थों के सेवन के लिए सकारात्मक पाये गए खिलाड़ियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करें। तथापि, भारतीय खेल प्राधिकरण ने इस दिशा में अगुआई की है और हमारे खिलाड़ियों को किसी प्रकार की प्रतिबन्धित दवाओं के इस्तेमाल से दूर रखने के लिए गम्भीर रूप से प्रयास किये है, जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है:

1. प्रशिक्षण शिविरों के दौरान, शिविरार्थियों से सम्बद्ध प्रशिक्षकों को यह कड़े रूप से अनुदेश दिये गये है कि प्रतिबन्धित औषधियों के बारे में खिलाड़ियों को बताये और निरन्तर उन्हें परामर्श देते रहे।

2. इसके अलवा, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान, पटियाला तथा अन्य क्षेत्रीय केन्द्रों में खेल औषधि चिकित्सक लेक्चर आयोजित करते हैं जहां शिविर आयोजित किये जा रहे हैं, वहां किसी भी प्रतिबन्धित दवाओं के इस्तेमाल न करने के लिए खिलाड़ियों को शिक्षित किया जाता है।

3. शिविर शुरू होने के समय, प्रत्येक खिलाड़ी को प्रबिन्धित पदार्थों की जानकारी देने के बारे में दस्तावेज, ब्रोशर प्रदान किये जाते हैं।

4. शिविरार्थियों के कमरों में खिलाड़ियों की जानकारी के लिए प्रतिबन्धित औषधियों की सूची और प्लेकार्डस रखे जाते हैं।

5. यह देखने के लिए कि प्रशिक्षण शिविरों के दौरान यादृच्छिक रूप से मूत्र नमूनों की जांच करने पर कोई प्रबिन्धित दवा का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, खिलाड़ियों के कमरों और सामान की भी जांच पड़ताल नियमित अंतराल के बाद की जाती है।

6. जो खिलाड़ी प्रतिबन्धित पदार्थों के सेवन के लिए सकारात्मक पाये जाते है, उन्हें शिविरों/भारतीय खेल प्राधिकरण की योजनाओं से हटा दिया जाता है, जहां सूचना उपलब्ध होती है, तथा उनके प्रशिक्षकों के विरुद्ध भी यदि वे दोषी पाये जाते हैं तो कार्रवाई की जाती है।

7. उपर्युक्त के अलावा, नई दिल्ली के भारतीय खेल प्राधिकरण के डोप आई.एसओ.-9001 प्रमाण पत्र पहले ही प्राप्त कर लिया गया है। आई.एस.ओ.-17025 का प्रमाणपत्र लेने की प्रक्रिया जारी है और उसके बाद स्थायी प्रत्यायन के लिए आवेदन दिया जायेगा।

8. विदेशों के अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेन्टों में प्रतियोगिता में, प्रतियोगिता से बाहर आने पर और भाग लेने से पहले परीक्षण किया जाता है।

9. भारतीय औषध महानियंत्रक से अनुरोध किया गया था कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए खेल चिकित्सा अधिकारी के वैध निर्देशों के बिना खेल प्रतिष्ठानों और खेल प्रशिक्षण केन्द्रों के आसपास किसी प्रकार की नशीली दवाओं का वितरण नहीं है, सभी संबंधितों को अनुदेश जारी करें।

राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव हेतु निधियों का आबंटन

6538. श्री वी. वेत्रिसेलवन: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव और देख-रेख के लिए राज्य सरकार को कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) प्रत्येक राज्य द्वारा विभिन्न शीर्षों पर कितनी धनराशि जारी की गई और कितनी धनराशि वास्तविक रूप से खर्च की गई और तमिलनाडु में कौन से राष्ट्रीय राजमार्गों पर उक्त धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या सरकार द्वारा यह देखने हेतु कोई जांच कराई गई है कि उक्त धनराशि उचित रूप से खर्च की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी]: (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान, आबंटित राशि (विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत) और राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और रख-रखाव के लिए हुए व्यय के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत अनुरक्षण के लिए व्यय के ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं और इसलिए व्यय के कुल आंकड़ों को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। तमिलनाडु के संबंध में राशि आवश्यकता और पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4, 5, 7, 7ए, 45ए, 45बी, 47, 49, 66, 67, 68, 205, 207, 208, 209, 210, 219, और 220 के अनुरक्षण पर खर्च की गई है।

(ग) और (घ) कार्यों का नियमित निरीक्षण और विभिन्न स्तरों पर मानीटरिंग यह देखने के लिए की जाती है कि आबंटित राशि का उपयोग उचित रूप से किया गया है। तमिलनाडु राज्य के लिए धनराशि के उपयोग में किसी अनियमितता की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए अनुरक्षण और व्यय के लिए आबंटन (विभिन्न उप-शीर्षों के अंतर्गत) के राज्य-वार ब्यौरे

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2000-01						2001-02						2002-03					
		आबंटन					व्यय	आबंटन					व्यय	आबंटन					व्यय
		ओ आर	पीआर/एस आर पी	एस आर	एफ डी आर	कुल आबंटन		ओ आर	पीआर/एस आर पी	एस आर	एफ डी आर	कुल आबंटन		ओ आर	पीआर/एस आर पी	एस आर	एफ डी आर	कुल आबंटन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	1080	3909	0	425	5414	5098	1261	2462	0	497	4220	4016	1016	1804	0	324	3544	3444
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	—	9	—	0	0	9	9
3.	असम	812	3495	99	373	4779	3757	902	2971	0	276	4149	3990	502	1378	60	752	2692	2692
4.	बिहार	925	4313	267	944	6449	5593	998	2238	55	1225	4516	3787	771	949	181	1145	3046	3046
5.	चंडीगढ़	18	27	0	0	45	28	12	34	0	0	46	10	22	52	0	0	74	64
6.	छत्तीसगढ़	520	530	0	130	1180	935	583	1480	17	340	2420	2420	578	1372	30	580	2560	2520
7.	दिल्ली	32	50	0	0	82	82	27	75	0	0	102	0	12	—	0	0	12	12
8.	गोवा	85	432	20	69	606	562	86	259	0	55	400	369	110	200	0	105	415	372
9.	गुजरात	550	1713	95	100	2458	2183	730	1389	234	229	2582	2170	639	95	11	306	1051	1040
10.	हरियाणा	410	1410	54	80	1953	1467	720	1164	0	59	1943	1740	392	630	0	8	1030	944
11.	हिमाचल प्रदेश	400	1990	14	947	3351	3351	327	1072	142	451	1992	1885	341	500	0	410	1251	1250
12.	जम्मू और कश्मीर	75	150	49	10	284	83	14	41	0	31	86	31	35	—	46	7	88	43
13.	झारखंड	269	592	0	100	961	775	503	1261	0	236	2000	1745	469	1112	0	116	1697	1650
14.	कर्नाटक	1135	3286	0	263	4684	4584	1425	2166	42	310	3943	4040	977	2632	263	710	4582	4550

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15.	केरल	410	1924	3	1003	3340	3331	1245	300	31	760	2336	3572	534	1270	68	502	2374	2373
16.	मध्य प्रदेश	1040	7173	200	221	8634	8507	1480	4044	124	434	6082	5358	1572	2780	100	351	4803	3880
17.	महाराष्ट्र	1015	2730	0	550	4295	4295	1500	2981	0	810	5291	6041	1267	2672	0	800	4739	4739
18.	मणिपुर	230	475	0	119	824	688	194	633	0	109	936	755	104	247	50	200	601	601
19.	मेघालय	230	668	0	119	1017	875	256	768	0	111	1135	1037	171	405	73	221	870	870
20.	मिजोरम	90	741	0	150	981	753	103	255	30	112	500	348	86	300	3	232	620	620
21.	नागालैंड	80	150	0	131	361	361	80	56	0	67	203	346	51	48	0	87	186	186
22.	उड़ीसा	830	2300	251	1396	4777	4150	1181	2338	20	1349	4888	4659	961	1900	32	1344	4237	4237
23.	पांडिचेरी	20	152	0	10	182	123	22	63	0	0	85	81	24	52	0	0	76	76
24.	पंजाब	490	1596	0	0	2086	1537	613	1822	25	66	2526	1712	577	1171	0	11	1759	750
25.	राजस्थान	1290	2692	0	122	4104	3878	, 1233	2692	16	528	4469	4294	1327	1600	0	459	3386	2968
26.	तमिलनाडु	1182	4170	0	29	5381	5047	1274	2954	0	317	4545	3524	1156	2700	0	306	4162	3869
27.	उत्तर प्रदेश	1165	3807	14	1090	6077	5594	1503	4179	43	894	6619	5346	1490	1500	67	928	3985	3065
28.	उत्तरांचल	45	129	—	286	459	409	198	353	112	405	1068	815	177	246	0	161	584	522
29.	पश्चिम बंगाल	530	2995	—	1850	5375	2295	567	1914	0	1721	4203	4292	447	962	0	660	2069	1970

नोट: ओ आर-साधारण मरम्मत एस आर-विशेष मरम्मत
पी आर-आवधिक नवीकरण एफ डी आर-बाढ़ से हुई क्षति की मरम्मत
एस आर पी-विशेष नवीकरण कार्यक्रम।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर हुआ खर्च

6539. श्री राम सिंह कस्वां:
योगी आदित्यनाथ:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान आज तक राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए वर्ष-वार सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) आज की तिथि के अनुसार इस धनराशि में से कितना कार्य किये जाने की आशा है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु किये जाने वाले खर्च के लिए क्या प्रावधान किये गये हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी]: (क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए आबंटित धनराशि और व्यय के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

वर्ष	आबंटित धनराशि (करोड़ रु.)	व्यय (करोड़ रु.)
2000-01	4147.88	3894.80
2001-02	5060.04	4890.48
2002-03	5307.70	5224.91

(ख) निष्पादित विकास कार्य सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण, सड़क गुणता सुधार, पुलों और बाइपासों के निर्माण आदि के लिए हैं।

(ग) वर्ष 2003-04 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 6107.74 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं।

[अनुवाद]

एम.टी.एन.एल. में वर्दी घोटाला

6540. **श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने एमटीएनएल में एक वर्दी घोटाले का भंडाफोड़ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में मामले दर्ज किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) एमटीएनएल, दिल्ली यूनिट में अक्तूबर, 2001 के दौरान वर्दी घोटाले का भंडाफोड़ हुआ था।

(ख) वर्दी की खरीद में कथित अनियमितताओं तथा उसके लिए अधिक कीमत चुकाने संबंधी मामले पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, एसीबी दिल्ली शाखा और एमटीएनएल ने एक संयुक्त औचक जांच की वर्दी से संबंधित कपड़ों के नमूने जब्त किए गए थे।

(ग) और (घ) जी, हां। उपरोक्त मामलों की अभी तक जांच चल रही है तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अंतिम रिपोर्ट नहीं दी है।

सड़क परियोजनाओं हेतु आवंटन

6541. **श्री जी.एस. बसवराज:**
श्री ए. नरेन्द्र:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं और नवीं योजना अवधि के दौरान योजना आयोग द्वारा सड़क परिवहन क्षेत्र हेतु राज्यों को विभिन्न परियोजनाओं के लिए कुल कितना आवंटन किया गया है और जारी की गई वास्तविक धनराशि कितनी है;

(ख) क्या उक्त प्रयोजन हेतु किए गए आवंटनों को पूर्णरूपेण उपयोग किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) दसवीं योजनावधि और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान आबंटित व्यय का उपयोग करने हेतु क्या प्रयास किए जाने हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी]: (क) और (ख) सड़क परिवहन क्षेत्र में आठवीं और नौवीं योजना अवधि के दौरान योजना आबंटन और वास्तविक व्यय से संबंधित ब्यौरे क्रमशः विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(ग) आठवीं योजना के दौरान व्यय में कमी के लिए मुख्य कारण 1993-1994 से राज्य सड़क परिवहन निगमों को पूंजी अंशदान देना बंद करना और 5.8.1996 से दिल्ली परिवहन निगम का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली को हस्तांतरण थे। नौवीं योजना के दौरान, व्यय की प्रगति बेहतर थी। राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण धनराशि का उपयोग नहीं हो सका।

(घ) दसवीं योजना के प्रथम वर्ष के दौरान, धनराशि का उपयोग 30 करोड़ रु. के वार्षिक परिव्यय के मुकाबले 29 करोड़ रु. से अधिक रहा है।

विवरण I

आठवीं योजना के लिए परिव्यय और व्यय

(करोड़ रु.)

	महत्वपूर्ण परियोजनाएं/स्कीमें	आठवीं योजना 1992-97	
		अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय
1	2	3	4
1.	दिल्ली परिवहन निगम	140.00	19.42
2.	एसआरटीसी को पूंजी अंशदान	70.00	27.14
3.	सड़क सुरक्षा कार्यक्रम	35.80	29.89
	*सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ	0.30	0.34
	*प्रचार उपाय	5.00	2.37
	*सहायता अनुदान	1.50	0.82
	*प्रदूषण जांच उपस्कर	10.00	6.87
	*सड़क सुरक्षा उपस्कर	10.00	14.00

1	2	3	4
	*राष्ट्रीय राजमार्ग/पेट्रोलिंग स्कीम	9.00	5.49
4.	कंप्यूटर सहित प्रशिक्षण कार्यक्रम	7.10	0.73
	*अनुदेशक का प्रशिक्षण	4.50	0.22
	*कार्यक्रम प्रशिक्षण	0.10	—
	*चालक का प्रशिक्षण	2.00	0.02
	*चालक कंप्यूटर का प्रशिक्षण	0.50	0.49
5.	अनुसंधान और विकास	4.00	0.16
6.	सीआईआरटी	4.50	1.67
7.	अध्ययन सहित विविध	2.60	0.62
	*परिवहन अध्ययन	2.00	0.46
	*आंकड़ा संग्रहण	0.60	0.16
8.	नई स्कीम	0.00	0.55
	*वाहन प्रदूषण का नियंत्रण	0.00	0.34
	*ऊर्जा संरक्षण	0.00	0.21
	जोड़	264.00	80.18

विवरण II

नौवीं योजना परिव्यय और व्यय—सड़क परिवहन

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	स्कीम	परिव्यय	व्यय
1	2	3	4
1.	एसआरटीसी को पूंजी अंशदान	8.63	7.15
2.	सड़क सुरक्षा कार्यक्रम	37.42	30.74
	सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ	0.75	0.70
	प्रचार उपाय	8.67	9.11
	सहायता अनुदान	3.00	1.66
	प्रदूषण जांच उपस्कर	6.00	5.19
	सड़क सुरक्षा उपस्कर	4.00	1.25
	राष्ट्रीय राजमार्ग/पेट्रोलिंग स्कीम	15.00	12.83
3.	प्रशिक्षण और कंप्यूटर	4.45	2.60
	असंगठित क्षेत्र में चालकों को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का प्रशिक्षण	2.00	0.77
	प्रशिक्षण कार्यक्रम (एच आर डी)	0.50	0.40
	कंप्यूटर प्रणाली	1.20	0.66
4.	अनुसंधान और विकास और परिवहन अध्ययन	2.65	2.26
5.	सीआईआरटी, पुणे का सुदृढ़ीकरण	4.65	1.40
6.	अध्ययन सहित विविध	2.20	1.02
	आंकड़ा संग्रहण	0.50	0.24
	राष्ट्रीय डाटा बेस नेटवर्क	0.95	0.01
	मोटर वाहन का प्रदूषण नियंत्रण	0.75	0.77
	ऊर्जा संरक्षण	0.00	0.00
	जोड़	60.00	45.17

निधियों का उपयोग

6542. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केंद्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को सड़क विकास हेतु राज्यवार और वर्षवार कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या कई राज्य इस प्रयोजनार्थ किए गए वित्तीय आवंटन का उपयोग करने में असफल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे राज्यों और ऐसी उपयोग न की गई कुल धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केंद्र सरकार ने प्रत्येक राज्य को आवंटित निधियों के उचित उपयोग हेतु निर्देश जारी किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी]: (क) से (ङ) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए निधियों के आबंटन और राज्यों द्वारा किए गए व्यय के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। राज्यों द्वारा निधियों के समुचित उपयोग के लिए मंत्रालय ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(1) प्रत्यक्ष भुगतान प्रक्रिया की शुरूआत।

(2) निर्माण कार्यों पर कड़ी निगरानी।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए निधियों का आबंटन और व्यय

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2000-01		2001-02		2002-03	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	111.88	107.93	103.80	94.56	118.46	110.41
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45
3.	असम	52.54	48.74	76.05	74.90	73.75	73.00
4.	बिहार	69.28	60.15	65.32	49.15	76.53	72.50
5.	चंडीगढ़	1.44	1.40	1.50	1.45	2.70	2.70
6.	छत्तीसगढ़	12.28	4.72	32.28	32.28	61.20	61.00
7.	दिल्ली	4.83	4.83	6.00	4.82	6.00	8.38
8.	गोवा	23.00	21.38	20.00	19.75	8.00	12.83
9.	गुजरात	91.00	86.75	70.43	53.97	90.00	90.00
10.	हरियाणा	101.00	92.52	103.88	103.88	59.00	57.49
11.	हिमाचल प्रदेश	44.15	38.93	55.00	44.16	30.00	30.00
12.	जम्मू और कश्मीर	2.50	0.52	2.30	2.23	4.00	4.10
13.	झारखंड	22.00	11.89	35.00	26.70	32.00	31.93
14.	कर्नाटक	81.04	75.54	109.48	106.07	89.66	91.00
15.	केरल	89.78	43.91	92.62	82.25	75.95	75.25
16.	मध्य प्रदेश	134.72	126.50	90.99	92.42	96.10	83.00
17.	महाराष्ट्र	212.36	196.32	193.72	172.33	124.78	119.28
18	मणिपुर	8.51	5.35	14.53	10.47	14.02	14.00

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	मेघालय	17.08	15.63	22.70	16.84	22.20	21.00
20.	मिजोरम	10.00	9.95	26.00	21.67	22.00	22.00
21.	नागालैंड	15.00	14.90	15.00	14.97	12.00	12.00
22.	उड़ीसा	100.47	84.96	79.13	56.67	56.32	45.32
23.	पांडिचेरी	2.00	1.47	2.12	1.99	2.00	1.28
24.	पंजाब	53.65	38.55	64.13	58.66	51.76	48.00
25.	राजस्थान	87.20	84.03	87.46	83.68	93.89	93.79
26.	तमिलनाडु	103.42	82.64	97.39	96.79	102.48	98.00
27.	उत्तर प्रदेश	149.50	139.39	146.63	133.69	137.31	136.31
28.	उत्तरांचल	1.99	1.24	25.00	21.02	20.69	19.52
29.	पश्चिम बंगाल	128.00	109.83	84.22	77.86	114.50	81.44

राष्ट्रीय राजमार्गों और पुलों की स्वीकृति

6543. **श्री नरेश पुगलिया:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में वर्ष-वार और राज्य-वार कितने राष्ट्रीय राजमार्गों और पुलों को स्वीकृति दी गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को राष्ट्रीय राजमार्गों और पुलों के लिए अलग-अलग कितनी राशि आवंटित की गई;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान महाराष्ट्र से राष्ट्रीय राजमार्गों और पुलों के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान उनमें कितनों को स्वीकृति दी गई एवं लंबित प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी]: (क) और (ख) ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं जिनमें महाराष्ट्र के ब्यौरे भी शामिल हैं।

(ग) जी हां।

(घ) ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए है।

विवरण I

क्रम सं.	राज्य का नाम	2000-01			2001-02			2002-03		
		आबंटन (करोड़ रु.)	स्वीकृत रा.रा. परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत पुल परियोजनाओं की संख्या	आबंटन (करोड़ रु.)	स्वीकृत रा.रा. परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत पुल परियोजनाओं की संख्या	आबंटन (करोड़ रु.)	स्वीकृत रा.रा. परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत पुल परियोजनाओं की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	111.88	36	3	103.80	63	4	108.80	48	7
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	कुछ नहीं	कुछ नहीं	0.00	कुछ नहीं	कुछ नहीं	0.45	4	कुछ नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	असम	52.54	22	1	76.05	26	कुछ नहीं	73.00	37	1
4.	बिहार	69.28	15	10	65.32	39	11	62.30	21	7
5.	चंडीगढ़	1.44	1	कुछ नहीं	1.50	1	कुछ नहीं	2.70	कुछ नहीं	कुछ नहीं
6.	छत्तीसगढ़	12.28	34	3	32.28	27	5	61.00	35	1
7.	दिल्ली	4.83	कुछ नहीं	कुछ नहीं	6.00	2.00	कुछ नहीं	6.00	3.00	कुछ नहीं
8.	गोवा	23.00	5	कुछ नहीं	20.00	3	कुछ नहीं	8.00	5	कुछ नहीं
9.	गुजरात	90.99	24	1	70.43	32	कुछ नहीं	75.30	43	1
10.	हरियाणा	101.00	6	कुछ नहीं	103.88	23	कुछ नहीं	55.00	18	कुछ नहीं
11.	हिमाचल प्रदेश	44.15	19	कुछ नहीं	55.00	7	1	30.00	24	1
12.	जम्मू और कश्मीर	2.50	2	कुछ नहीं	2.30	5	कुछ नहीं	4.00	2	1
13.	झारखंड	22.00	13	3	35.00	17	3	32.00	13	2
14.	कर्नाटक	81.04	23	8	109.47	31	5	85.40	69	9
15.	केरल	89.78	20	1	92.61	26	2	70.00	36	कुछ नहीं
16.	मध्य प्रदेश	134.72	104	17	90.99	33	1	83.00	53	2
17.	महाराष्ट्र	212.36	70	18	193.72	57	16	112.00	78	8
18.	मणिपुर	8.52	1	कुछ नहीं	14.53	2	कुछ नहीं	14.00	5	कुछ नहीं
19.	मेघालय	17.08	5	1	22.70	8	कुछ नहीं	21.00	15	1
20.	मिजोरम	10.00	14	कुछ नहीं	26.00	13	1	22.00	10	1
21.	नागालैंड	15.00	12	कुछ नहीं	15.00	12	कुछ नहीं	12.00	8	कुछ नहीं
22.	उड़ीसा	100.46	7	1	79.13	22	1	44.00	43	3
23.	पांडिचेरी	2.00	1	कुछ नहीं	2.12	2	कुछ नहीं	2.00	2	कुछ नहीं
24.	पंजाब	53.65	19	2	64.13	15	2	45.00	25	4
25.	राजस्थान	87.20	69	1	87.46	52	1	91.20	53	2
26.	सिक्किम	0.00	कुछ नहीं	कुछ नहीं	0.00	कुछ नहीं	कुछ नहीं	0.00	कुछ नहीं	कुछ नहीं
27.	तमिलनाडु	103.42	39	1	97.39	58	7	100.00	75	7
28.	त्रिपुरा	0.00	1	कुछ नहीं	0.00	1	कुछ नहीं	0.00	कुछ नहीं	कुछ नहीं
29.	उत्तरांचल	1.99	3	कुछ नहीं	25.00	22	3	19.90	2	4
30.	उत्तर प्रदेश	149.49	31	2	146.63	53	4	122.00	47	कुछ नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	पश्चिम बंगाल	128.00	2	1	84.22	10	कुछ नहीं	82.00	25	कुछ नहीं
32.	भा.रा.रा.प्रा.	2272.80	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं (पुलों सहित) में वार्षिक स्वीकृति शामिल नहीं है। 6359 कि.मी. (फेज-1) के लिए समग्र परियोजना को भारत सरकार ने वर्ष 1999 में अनुमोदित किया		3099.70	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं (पुलों सहित) में वार्षिक स्वीकृति शामिल नहीं है। 6359 कि.मी. (फेज-1) के लिए समग्र परियोजना को भारत सरकार ने वर्ष 1999 में अनुमोदित किया		3503.00	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं (पुलों सहित) में वार्षिक स्वीकृति शामिल नहीं है। 6359 कि.मी. (फेज-1) के लिए समग्र परियोजना को भारत सरकार ने वर्ष 1999 में अनुमोदित किया	
33.	सीमा सड़क संगठन	135.92	42	8	163.50	54	4	200.00	51	13

विवरण II

राज्य-महाराष्ट्र

के दौरान प्राप्त प्रस्तावों की संख्या			के दौरान स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या			लंबित प्रस्तावों की स्थिति		
2000-01	2001-02	2002-03	2000-01	2001-02	2002-03	रा.लो.नि. विभाग को लौटाए गए	वित्त मंत्रालय को भेजे गए	मंत्रालय में लंबित
70	57	78	70	57	78	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

[हिन्दी]

राष्ट्रीय पुनर्निर्माण वाहिनी योजना

6544. श्री दलपत सिंह परस्ते:
श्री रामनरेश त्रिपाठी:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने जिलों में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण वाहिनी योजना को आरंभ किया गया है;

(ख) क्या सरकार उक्त योजना में कुछ और जिलों को शामिल करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा): (क) राष्ट्रीय पुनर्निर्माण वाहिनी योजना 2001-02 में 80 जिलों में प्रारम्भ की गई थी तथा 2002-03 में अन्य 40 जिलों में प्रारम्भ की गई थी। तथापि, राज्य सरकार द्वारा व्यक्त किए गए आरक्षणों के कारण यह पश्चिम बंगाल के 4 जिलों में कार्यान्वित नहीं की गई थी।

(ख) से (घ) यह योजना दो वर्षों की अवधि के लिए प्रायोगिक आधार पर प्रारम्भ की गई थी। अब योजना आयोग स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से योजना का मूल्यांकन करवा रहा है। योजना को जारी रखने का अगला निर्णय मूल्यांकन के परिणाम के बाद लिया जाएगा।

पूर्वाह्न 11.54 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) राजीव गांधी नेशनल इंस्टिट्यूट आफ यूथ डेवलपमेंट, श्रीपेरम्बदुर के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी नेशनल इंस्टिट्यूट आफ यूथ डेवलपमेंट, श्रीपेरम्बदुर के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7665/03]

(3) (एक) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1998-1999 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1998-1999 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7666/03]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री [मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द खण्डूड़ी]: अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) का.आ. 382(अ) जो 2 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले के बाईपास का निर्माण करने सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8ख (पोरबंदर-राजकोट सीमांत जिला) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(दो) का.आ. 405(अ) जो 4 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 जनवरी, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 63(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(तीन) का.आ. 407(अ) जो 4 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो सतारा-पुणे के वेस्टर्ली बाइपास को पुणे सिटी से जोड़ने हेतु कटराज बाइपास के निर्माण तथा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 के पुणे-सतारा रोड को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(चार) का.आ. 408(अ) जो 4 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 16 जुलाई, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 673(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पांच) का.आ. 409(अ) जो 4 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्राकशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 (पुणे-सतारा खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(छह) का.आ. 410(अ) जो 4 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (पुणे-सतारा खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(सात) का.आ. 411(अ) जो 4 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (पुणे-सतारा कंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(आठ) का.आ. 375(अ) जो 2 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरी-रानीपेट खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(नौ) का.आ. 376(अ) जो 2 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (चेंगलपट्टु-टिंडीवनम खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(दस) का.आ. 377(अ) जो 2 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के वेल्लौर जिले में समलापुरम से बैंगिली गांव तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरी-रानीपेट खंड) को चार लेन वाला

बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 378(अ) जो 2 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के वेल्लोर ताल्लुक के गोविन्दमबाड़ी से पेरुमुगई गांव तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरी-रानीपेट खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(बारह) का.आ. 379(अ) जो 2 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के गोविन्दमबाड़ी से पेरुमुगई गांव तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरी-रानीपेट खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 380(अ) जो 2 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के वेल्लोर जिले के वनियमबाड़ी तालुक के सोमलापुरम से बेंगिली गांव तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरी-रानीपेट खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 381(अ) जो 2 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरी-रानीपेट खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(पन्द्रह) का.आ. 321(अ) जो 25 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में चार लेन वाला बनाए गए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8क (समाख्याली से गांधीधाम खंड) के उपयोगकर्त्ताओं से वसूल किये जाने वाले शुल्क की दर के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 328(अ) जो 26 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (आगरा-ग्वालियर खंड) पर असम ब्रिज के उपयोगकर्त्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दर के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 1098(अ) जो 18 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 मई, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 382(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(अठारह) का.आ. 707(अ) जो 5 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हआ था तथा जिसके द्वारा 3 मई, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 383(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उन्नीस) का.आ. 708(अ) जो 5 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 मई, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 384(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(बीस) का.आ. 361(अ) जो 31 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा और राजस्थान राज्यों में चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (गुड़गांव से कोटपुतली) के उपयोगकर्त्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दर के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ. 362(अ) जो 31 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के कतिपय खंडों के उपयोगकर्त्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दर के बारे में है।

(बाइस) का.आ. 363(अ) जो 31 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 (दिल्ली-जालंधर खंड) के उपयोगकर्त्ताओं से वसूल किये जाने वाले शुल्क की दर के बारे में है।

(तेईस) का.आ. 364(अ) जो 31 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 (गाजियाबाद-हापुड़ खंड) तथा हापुड़ बाइपास के यांत्रिक वाहन के उपयोगकर्त्ताओं से वसूल किये जाने वाले शुल्क की दर के बारे में है।

(चौबीस) का.आ. 286(अ) जो 13 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में पुणे और सतारा के बीच खम्बाटकी घाट में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के उपयोग के लिए शुल्क एकत्र करने एवं उसे अपने पास रखने के लिए मेसर्स आइडियल रोड बिल्डर्स लिमिटेड, मुम्बई को प्राधिकृत किया गया है।

(पच्चीस) का.आ. 336(अ) जो 28 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्राकशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 28 फरवरी, 2002 की अधिसूचना संख्या का.आ. 262(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(छब्बीस) का.आ. 342(अ) जो 31 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 (लखनऊ-कानपुर रोड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(सत्ताईस) का.आ. 343(अ) जो 31 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 (लखनऊ-कानपुर रोड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(अठाइस) का.आ. 406(अ) जो 4 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (पुणे से सतारा खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(उनतीस) का.आ. 429(अ) जो 10 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य के बेलगांव, धारवाड़ एवं हावेरी जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (हरिहर से महाराष्ट्र सीमा) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(तीस) का.आ. 435(अ) जो 16 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (शक्तिगढ़ बाईपास) (पलसिट-धनकुनी खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(इकतीस) का.आ. 418(अ) जो 9 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (चेन्नई-रानीपेट खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(बत्तीस) का.आ. 419(अ) जो 9 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 24 जनवरी, 2003 की अधिसूचना संख्या का.आ. 86(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तैंतीस) का.आ. 420(अ) जो 9 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम् जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (चेन्नई-रानीपेट खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(चौंतीस) का.आ. 421(अ) जो 9 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (चेन्नई-रानीपेट खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(पैंतीस) का.आ. 422(अ) जो 9 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम् जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (चेन्नई-रानीपेट खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(छत्तीस) का.आ. 423(अ) जो 9 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के वेल्लोर जिले के वनियमबाड़ी तालुक में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरी-रानीपेट खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(सैंतीस) का.आ. 424(अ) जो 9 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो

तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सख्या 46 (कृष्णागिरी-रानीपेट खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(2) उपर्युक्त (1) के (सत्रह से उन्नीस) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7667/03]

[अनुवाद]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): महोदय, श्रीमती सुमित्रा महाजन की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2002 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन-संघ सरकार (2003 का संख्यांक 5) (वाणिज्यिक)-सरकारी क्षेत्र के उपक्रम (दूरसंचार क्षेत्र) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7668/03]

(2) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अंशदायी भविष्य निधि) नियम, 2003 जो 10 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संखया सा.का.नि. 333(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7669/03]

(3) टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड और दूरसंचार विभाग के बीच वर्ष 2003-2004 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7670/03]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, मोहन के वर्ष 1998-1999 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, मोहन का वर्ष 1998-1999 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7671/03]

(3) (एक) पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यट आफ मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च चंडीगढ़ के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च चंडीगढ़ के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च चंडीगढ़ के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7672/03]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2003-2004 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7673/03]

(2) इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2003-2004 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7674/03]

(3) इंडियन रेयर अर्थस लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2003-2004 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7675/03]

(4) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2003-2004 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7676/03]

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) एन्नोर पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एन्नोर पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7677/03]

(3) वाणिज्य पोत परिवहन (अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अंतर्गत वाणिज्य पोत परिवहन (सक्षमता प्रमाण-पत्र को रद्द या निलंबित किया जाना) नियम, 2003 जो 8 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 114 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7678/03]

(4) (एक) मुम्बई पत्तन न्यास (पूर्ववर्ती बाम्बे डाक लेबर बोर्ड), मुम्बई के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मुम्बई पत्तन न्यास (पूर्ववर्ती बाम्बे डाक लेबर बोर्ड), मुम्बई के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7679/03]

(6) (एक) कांडला डाक लेबर बोर्ड, कांडला के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कांडला डाक लेबर बोर्ड, कांडला के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7680/03]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनवुकरसर): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) साफ्टवेयर टेक्नॉलोजी पार्क्स आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साफ्टवेयर टेक्नॉलोजी पार्क्स आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7681/03]

पूर्वाह्न 11.55 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

तैंतीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री ई. पोन्नुस्वामी (चिदम्बरम): महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबधी समिति का तैंतीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

पूर्वाह्न 11.55$^{1}/_{4}$ बजे

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

तेरहवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): महोदय, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का तेरहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

पूर्वाह्न 11.55$^{1}/_{2}$ बजे

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति

छठा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): महोदय, मैं लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति (तेरहवीं लोक सभा) का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

पूर्वाह्न 11.56 बजे

कार्यमंत्रणा समिति के इक्यावनवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करती हूं:

"कि यह सभा 6 मई, 2003 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 51वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 6 मई 2003 को सभा में प्रस्तुत कार्यमंत्रणा समिति के 51वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आप मुझे बतायेंगे कि मुझे क्या करना है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं। मैं चर्चा की अनुमति देने के लिए तैयार हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं चर्चा की अनुमति देने के लिए तैयार हूं। अधिकांश सदस्य सभा में चर्चा करने हेतु सहमत हैं। कृपया आप अपने-अपने स्थान पर जाकर बोलें और मैं माननीय मंत्री महोदय को इसका उत्तर देने के लिए कहूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं सभा के नियमों के अधीन हूं। मैं इससे अलग होकर कार्य नहीं कर सकता हूं। इन कानूनों को आपने ही बनाया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे अत्यधिक खेद है। मैं अध्यक्ष के आसन के समक्ष आने की बात की प्रशंसा नहीं करता हूं। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैं आपकी बात सुनने को तैयार हूं। आप इस प्रकार अव्यवस्थापूर्ण आचरण नहीं कर सकते हैं। मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। कृपया अपने स्थान पर जायें। आप अब भी अपनी बात उठा सकते हैं। आप यह मुद्दे शून्य काल के दौरान उठा सकते हैं। मैं आपको पुन: बोलने की अनुमति दूंगा। अध्यक्ष आसन के समक्ष इस प्रकार करना कोई तरीका नहीं है। आप किस प्रकार के व्यवहार की बात कर रहे हैं।

पूर्वाह्न 11.57 बजे

(इस समय श्री एस.एन. कृष्णदास और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।)

अध्यक्ष महोदयः संसद विचार-विमर्श के लिए है। इस प्रकार के व्यवहार के लिए नहीं। आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं और वे उत्तर देने के लिए तैयार हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं माननीय मंत्री महोदय को आपकी इच्छानुसार उत्तर देने हेतु बाध्य नहीं कर सकता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः यह कभी नहीं हो सकता है। मैं माननीय मंत्री महोदय को इंतजार करने का अनुरोध कर रहा हूं बशर्ते कि आप उनका उत्तर सुनना चाहें। यदि आप उत्तर नहीं चाहते हैं, तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है।

...(व्यवधान)

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): आपने माननीय मंत्री महोदय को कोई निदेश नहीं दिया है। मंत्री महोदय के बिना हम चर्चा कैसे करेंगे *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कृपया बैठ जाइये। विशेष मामले के रूप में मैं माननीय मंत्री महोदय को एक वक्तव्य देने का अनुरोध कर सकता हूं बशर्ते कि आप प्रश्न पूछें। अब मैं 'शून्य काल' की कार्यवाही शुरू करता हूं। कृपया यह स्मरण रखें कि 'शून्य काल' के दौरान भी इस मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है। कतिपय सदस्यगण के बोलने के पश्चात माननीय मंत्री महोदय उत्तर देंगे बशर्ते कि आप उनके उत्तर को सुनें। इसकी कुछ उपयोगिता भी होगी अन्यथा यह उपयोगी नहीं होगी। चूंकि सदस्यगण आंदोलित हो रहे हैं मैं इस मामले के महत्व को समझ रहा हूं और विशेष मामले के रूप में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की कार्यवाही शुरू कर रहा हूं। सभा की इस पर सहमति है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): महोदय, पहले आप कालिंग अटैंशन खत्म कर दीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः माननीय वित्त मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। वे जानना चाहते हैं। अतः मैं केवल दस मिनट में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव समाप्त करना चाहता हूं। इसके पश्चात हम 'शून्य काल' की कार्यवाही शुरू करेंगे। माननीय मंत्री महोदय भी प्रतीक्षा करेंगे।

श्रीमती सुषमा स्वराजः ठीक है, महोदय।

मध्याह्न 12.00 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

[अनुवाद]

जापान लाइफ आफ इंडिया की कथित अवैध स्कीमों से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा): महोदय, मैं वित्त तथा कंपनी कार्य मंत्री महोदय का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें:

> ''जापान लाइफ आफ इंडिया' की कथित अवैध स्कीमों से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।''

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री ज़सवंत सिंह): अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़ आदि राज्यों में जापान लाइफ इंडिया के बारे में प्रेस में यथा प्रकाशित रिपोर्टें सरकार के ध्यान में लाई गई थीं। आरोप यह है कि इस कंपनी की गतिविधियां इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 (पीसीएमसीएसबीए) के उपबंधों के उल्लंघन में है।

पीसीएमसीएसबीए एक केन्द्रीय अधिनियम है जो किसी कंपनी को किसी इनामी चिट अथवा धन परिचालन स्कीम को बढ़ावा देने अथवा संचालित करने अथवा ऐसी किसी चिट अथवा स्कीम के किसी सदस्य को भर्ती करने अथवा इसमें अन्यथा भाग लेने अथवा ऐसी चिट अथवा स्कीम (पाबंदी अधिनियम की धारा 3) के अनुसरण में कोई धनराशि प्राप्त करने अथवा विप्रेषित करने से रोकता है। पाबंदी अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत राज्य सरकारों को प्रारम्भ में उन कंपनियों के परिसमापन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके नियम बनाना अपेक्षित होता था जो पाबंदी अधिनियम का उल्लंघन कर रही थीं।

विगत में, कोई शिकायत या कोई सूचना/विवरणिका प्राप्त होने पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने विवरणों की जांच की थी और प्रथम दृष्ट्या अधिनियम के उपबंधों का उल्लेख किये जाने पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने पुलिस प्राधिकारियों को यह सूचित किया कि योजना इनामी चिट या धन परिचालन योजना प्रतीत होती है जो अधिनियम के तहत निषिद्ध है और जांच एवं उपयुक्त कार्रवाई करने की सलाह दी। ऐसे मामले आए हैं, जहां भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह को कुछ पुलिस प्राधिकारियों द्वारा शिकायत करने/शिकायत दर्ज कराने के लिए आधार के रूप में माना गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब (फरवरी 2003) यह निर्णय लिया है कि विभिन्न संस्थाओं द्वारा चलाई जाने वाली किसी योजना के संबंध में उसके द्वारा कोई कानूनी राय नहीं दी जा सकती क्योंकि उक्त अधिनियम के अंतर्गत इसकी परिकल्पना नहीं की गई है। उदाहरणस्वरूप छूट, परिसमापन और नियम बनाने के संबंध में इस उक्त अधिनियम की धारा 11, 12, 13 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की अत्यंत सीमित परामर्शी भूमिका है।

इसलिए, इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम का क्रियान्वयन राज्य सरकारों के दायरे में आता है। इसके क्रियान्वयन और निरीक्षण में भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है। बहुस्तरीय स्कीमों में जापान लाइफ इंडिया या किसी अन्य परिचालक द्वारा चलाई गई योजना की संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्वतंत्र रूप से और यदि आवश्यक हो तो उनके विधि अधिकारियों या लोक अभियोजकों से परामर्श करके जांच की जा सकती है। वे भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किए बिना उचित कार्रवाई कर सकते हैं।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से भी इस मामले में परामर्श लिया गया था जिसने विधि मंत्रालय से परामर्श के पश्चात यह मत व्यक्त किया है कि बहुस्तरीय/नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों सहित समान संवितरण करने वाली कंपनियों पर पीसीएमसीएसबीए लागू नहीं होगा। उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों का निर्वचन किया है जिसमें यह कहा गया है कि प्रत्यक्ष/नेटवर्क/बहुस्तरीय मार्केटिंग के क्रियाकलाप पूर्वोक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन नहीं आते हैं।

चंडीगढ़, नलगोंडा या किसी अन्य स्थान पर इस कंपनी के क्रियाकलापों से संबंधित मामलों को उक्त अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निपटाया जाना है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: अध्यक्ष महोदय, जापान लाइफ इंडिया की अवैध स्कीमों के बारे में बात करने से पहले मुझे उस पत्र का उल्लेख करना चाहिए जिसे स्वयं मैंने नौ माह पहले वित्त मंत्री को लिखा था।

मैं वित्त मंत्री की व्यक्तिगत ईमानदारी, बौद्धिक योग्यता और चर्चा करने की दक्षता का बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन उनके साथ मेरा व्यक्तिगत संबंध इतना अच्छा रहा है कि मैं उनके साथ बात करने में इसका कुछ लाभ उठा सकता हूं और मेरा कहा है कि गत नौ माह में अपराधियों को बेनकाब करने हेतु कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। इसके विपरीत इन नौ महीनों में अपराध को छिपाने और अपराधियों को संरक्षण देने का कार्य किया गया है।

महोदय, जापान लाइफ आफ इंडिया अपनी अवैध स्कीमों द्वारा भारत के लोगों के साथ हाई टेक फ्राड करती रही है। वास्तव में, मुझे अपने जिले नालगोन्डा में इसकी सक्रियता से इसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी हुई। नालगोंडा में जापान लाइफ आफ इंडिया ने अपनी स्कीम के माध्यम से एक करोड़ से अधिक रुपये एकत्रित किया। आंध्र प्रदेश राज्य में इसने 100 करोड़ रुपये से अधिक एकत्रित किए हैं। क्या मैं मंत्री महोदय को यह बता सकता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर जापान लाइफ आफ इंडिया का कुल कारोबार किसी भी क्षेत्र में 700-800 करोड़ रुपये है।

यह कंपनी उसके मालिक द्वारा चलाई जाती है। इसे श्री वसन्त राज मैसर्स फ्रंटियर ट्रेडिंग, मुम्बई के नाम से चला रहे हैं। संयोग से श्री वसन्त राज श्री आर.वी. पंडित के पुत्र हैं जिन्होंने प्रसिद्ध पैम्फलेट 'कोफिनगेट' या 'काफिन स्कैम' लिखा था। मैं इस विषय में नहीं पड़ना चाहता। यह स्कीम मुख्यत: 'चेन लिंक सिस्टम' के माध्यम से चलती है। यह स्कीम एकदम स्वीकार करने लायक नहीं है। इस स्कीम में हाई टेक फ्राड सहज रूप से जुड़ा है। यह निराधार चिकित्सकीय दावों पर भी आधारित है जो सिद्ध नहीं हो सके हैं।

मुझे यह भी बताना है कि इस कम्पनी ने इस आधार पर कि यह अनोखा मेडिकल उत्पाद है, अनेक प्रकार की सीमा शुल्क छूटें प्राप्त की है।

महोदय, नालगोंडा जिला की पुलिस ने जब कार्रवाई शुरू की और मुम्बई से श्री वसन्तराज को गिरफ्तार करने गई तो उन्हें वापस बुला लिया गया। मैं इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मंत्रिमंडल के एक वरिष्ठ सदस्य ने इस जांच में बाधा डालने हेतु हैदराबाद में संबंधित व्यक्तियों के यहां टेलीफोन किया। मैं नाम नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहता। मैं केवल इस बात का उल्लेख कर रहा हूं कि यह फर्म अपने व्यापक राजनीतिक संबंधों का लाभ उठा रही है।

भारतीय रिजर्व बैंक और उसके विधिक सलाहकार श्री एस.आर. हेगड़े ने सितम्बर, 2001 में राय दी कि जापान लाइफ आफ इंडिया की स्कीमें इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी)

[श्री एस. जयपाल रेड्डी]

अधिनियम, 1978 के उल्लंघन में हैं। यह राय दिये जाने के बाद जिसका उल्लेख मैंने सितम्बर, 2002 के लिखे पत्र में किया था, पर भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या किया? फरवरी 2003 में भारतीय रिजर्व बैंक ने यह कहते हुए एक परिपत्र जारी किया कि उसकी कोई भूमिका नहीं होगी और उसकी विधिक सलाह को रद्द समझा जाए। यह भारतीय रिजर्व बैंक जैसी प्रमुख संस्था द्वारा नियामक के संदर्भ में अपनी अस्वीकृति का अद्भुत स्तब्धकारी उदाहरण है। मेरा विचार है कि श्री जसवंत सिंह भारतीय रिजर्व बैंक की इस कलाबाजी पर गंभीरता से विचार करेंगे। मुझे पता है कि भारतीय रिजर्व बैंक एक स्वायत्त संस्था है। फिर भी, मंत्री महोदय इस सभा के प्रति उत्तरदायी एवं जवाबदेह हैं।

केवल इतना ही नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक अपने दूसरे परिपत्र में क्या कहता है? इसमें कहा गया है कि इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम राज्य सरकारों द्वारा लागू किये जाते हैं। राज्य सरकारों को अपने कानूनी सलाहकारों से सलाह लेनी चाहिए और उनकी बताई विधियों पर निर्भर रहना चाहिए। यह ठीक है। लेकिन इसके बाद उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय सभी राज्य सरकारों को यह बताने के लिए परिपत्र जारी करता है कि बहुस्तरीय विपणन फर्में इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अपनी संशोधित राय में, कहता है कि सब कुछ राज्य सरकारों पर निर्भर करना चाहिए, लेकिन दूसरे मंत्रालय कहते हैं कि इन फर्मों का कार्य राज्य सरकारों द्वारा नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि वे अधिनियम का उल्लंघन नहीं करती हैं। कौन सी राय सही है?

महोदय, वे क्यों इस कंपनी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं? इनमें किस प्रकार के संबंध हैं? कुछ राज्य सरकारों ने कार्रवाई की। नालगोंडा जिले के पुलिस अधीक्षक ने जब कार्रवाई शुरू की तो वह जांच आंध्र प्रदेश के सी.बी.सी.आई.डी. ने रोक दी। जैसाकि मैंने पहले कहा, आंध्र प्रदेश सरकार ने कैबिनेट के एक वरिष्ठ सदस्य के हस्तक्षेप करने पर इस फर्म की रक्षा की।

डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): क्या आपके पास इसका कोई आधार है?

श्री एस. जयपाल रेड्डी: हां, मेरे पास है। मुझे नामों का उल्लेख करने के लिए प्रेरित न करें। वित्त मंत्री महोदय इसका उत्तर नहीं देंगे।

इस वर्ष चेन्नई (तमिलनाडु) में 85 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हरियाणा में कम से कम पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और इंदौर (मध्य प्रदेश) में सरकार ने अपराधियों को बेनकाब करने हेतु अनेक कदम उठाए हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): 'जापान' क्या है और 'लाइफ' क्या है?

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, श्री सोमनाथ चटर्जी ने एक सवाल किया है। चूंकि वे एक वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं उनके प्रश्न का उत्तर देता हूं।

यह कंपनी अद्भुत गद्दे बेचती रही है। वे चार प्रकार के बेड बेचते हैं और वास्तव में उनकी कीमत केवल 10,000 रुपये से 15,000 रुपये है जबकि वे एक लाख रुपये में बेचते हैं। वे चुम्बकीय बेड हैं।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने यह कहने के लिए कि बहुस्तरीय विपणन फर्में इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आती हैं, उच्चतम न्यायालय द्वारा 1982 में दिए गए निर्णय का सहारा लिया। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक के विधिक सलाहकार यह कहने के लिए कि जापान लाइफ आफ इंडिया की स्कीमें इस अधिनियम के विरुद्ध नहीं हैं अपने द्वारा दिए गए एक राय में, उच्चतम न्यायालय के इसी निर्णय का उद्धरण देते हैं, जैसाकि मैंने कहा है। मैं निर्णय से उद्धरण देता हूं।

> "धन परिचालन स्कीम से तात्पर्य किसी भी नाम की ऐसी स्कीम से है जिसमें धन अदा करने के वचन को पूरा करने के लिए तुरन्त एवं आसान धन सृजित करना अथवा किसी भी प्रकार के धन अथवा मूल्यवान वस्तु की प्राप्ति शामिल है।"

सितम्बर, 2001 में भारतीय रिजर्व बैंक के विधिक सलाहकार ने स्पष्ट रूप से निम्न प्रकार राय दी।

> "स्वतंत्र प्रतिनिधियों की आवश्यकता उत्पादों को बेचने और व्यापार योजना में निहित नियमों एवं विनियमों के अनुसार उनका विपणन करने हेतु है। किसी स्वतंत्र प्रतिनिधि को फर्म की लिखित अनुमति के बिना उत्पादों का विज्ञापन करने पर रोक है। स्वतंत्र प्रतिनिधियों का कार्य केवल अधिक सदस्यों को नामांकित करना है ताकि वे अधिक कमीशन प्राप्त कर सकें।"

> "व्यापार योजना में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि योजना का मुख्य जोर किसी वस्तु या सेवा को बेचने की अपेक्षा आसानी से धन सृजित करना है।"

इसमें आगे और कहा गया है:

> "फर्म से पूरा स्लीपिंग सिस्टम खरीदने वाले किसी व्यक्ति को बहुत अधिक धनराशि का भुगतान करना होता है। इस धनराशि को जुटाने का एकमात्र तरीका उत्पादों को अन्य लोगों के बीच लोकप्रिय बनाना और और अधिक सदस्य बनाने के लिए उन्हें प्रेरित करना है।"

इस प्रकार की गतिविधि स्पष्टतः और प्रत्यक्षतः इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम के विरुद्ध है। भारतीय रिजर्व बैंक 1 फरवरी, 2003 को दी गई अपनी राय में इसके प्रतिकूल विचार प्रकट करता है। यह अपनी राय नहीं बदलता है। इसमें कहा गया है "हम अपनी तरफ से कानूनी राय देने में सक्षम नहीं हैं। कृपया हमारे द्वारा पहले दी गई कानूनी राय को न मानें। कृपया हमें मत लिखें। उन्हें स्वतः अधिकार मिले हुए हैं। लेकिन खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय बनावटी तौर पर कहता है: "वे न तो हमारे नियंत्रण में हैं और न तो तुम्हारे नियंत्रण में है। अतः उनके कार्य में हस्तक्षेप न करें।"

इसलिए, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि केवल 'जापान लाइफ' ऐसी कंपनी है जो इस प्रकार का व्यापार कर रही है। एक दूसरी अमेरिकन कंपनी 'एम्वे' है जिसे अमरीका में इस प्रकार का व्यापार करने पर प्रतिबंध है। वह भारत में यह व्यापार पूरी स्वतंत्रता के साथ कर रही है। अमेरिका में 'फेडरेल ट्रेड कमिशन' एक नियामक प्राधिकरण है जो इस प्रकार के अपराधों पर कार्रवाई करता है। भारत में ये स्कीमें एक राष्ट्रव्यापी खतरा बनी हुई है, इनसे पूरे राष्ट्र को वित्तीय कठिनाई है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री जयपाल रेड्डी, अन्य अनेक कंपनियां भी हैं।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: इसलिए, मेरा सुझाव है कि इन अपराधों से निपटने के लिए मंत्री महोदय को कोई नया अधिनियम लाना चाहिए। इन मामलों से निपटने के लिए उन्हें किसी नियामक आयोग का गठन करने के बारे में सोचना चाहिए। मुझे आशा है कि वह इस अवसर को समझेंगे और भारतीय रिजर्व बैंक के दूसरे परिपत्र को वापस लेंगे। मंत्रिमंडल के एक मंत्री के रूप में उन्हें खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से उसकी ऐच्छिक राय को वापस लेने हेतु बात करनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री जसवंत सिंह: महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई अन्य माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय: एक ही पर्याप्त है। कोई अन्य माननीय सदस्य नहीं हैं। इन्होंने सूचना दी है।

श्री जसवंत सिंह: मुझे बताया गया था कि सूचना 5 माननीय सदस्यों के नाम में दी गई है। केवल इसी कारण से ही मैंने पूछताछ की है कोई अन्य कारण नहीं है।

महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री जयपाल रेड्डी द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम, मैं खेद व्यक्त करता हूं। यदि उनके पत्र का उत्तर न देने से उन्हें कोई अनिच्छित अशिष्टता हुई हो। उनका कहना है कि मैंने उन्हें उस पत्र का उत्तर नहीं दिया है जो उन्होंने मुझे लिखा था। मैं इसकी जांच करूंगा। उस महीने मैं दिल्ली में नहीं था। मुझे याद नहीं आ रहा कि उस समय मैं कहां था। मैं पत्र का उत्तर न देने से साधारणतया कसूरवार नहीं होता हूं। मैं समझता हूं ऐसा अनजाने में हुआ होगा। अतः यह जानबूझ कर नहीं किया गया। ...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी: यह महत्वपूर्ण नहीं है।

श्री जसवंत सिंह: यह महत्वपूर्ण है जब आपने इसका जिक्र किया है क्योंकि अशिष्टतापूर्वक कार्य अशिष्ट ही होता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: यदि आप उस पर कार्यवाही करेंगे तो वह प्रसन्न होंगे।

श्री जसवंत सिंह: मैं उसी बात पर आ रहा हूं। उन्होंने सुझाव दिया है कि इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की गई है क्योंकि वित्त मंत्रालय अथवा मैंने व्यक्तिगत रूप से किसी घोटाले को छिपाने की कोशिश की थी। ...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी: आपने नहीं बल्कि सरकार ने कोशिश की है। ...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह: वित्त मंत्रालय वास्तव में कार्य नहीं कर सकता है यदि वह किसी घोटाले को छिपाने का प्रयास करता है। हम वास्तव में इन पर कार्य नहीं करते हैं। यह तो तथ्यों का मौलिक विवरण है जिसे कोई दे सकता है।

माननीय सदस्य ने यह भी सुझाव दिया है कि वहां कुछ कारोबार है। मुझे कतिपय उस कारोबार को स्पष्ट करने दीजिए जोकि काफी बड़ी मात्रा में है।

मैंने इसका पता लगाने की कोशिश की है। यह जापान लाईफ कम्पनी है जो जापान में निगमित है और उनके उत्पाद को जापान लाईफ टोटल स्लीपिंग सिस्टम के नाम से पुकारा जाता है और इसका विपणन भारत में फ्रंटियर ट्रेडिंग लिमिटेड नामक कम्पनी द्वारा किया जाता है जोकि मुम्बई में पंजीकृत हैं। जिस चीज की बिक्री की जाती है वह स्लीपिंग सिस्टम है और चूंकि यह स्लीपिंग सिस्टम है तो स्वाभाविक ही यह मैट्रसैज है और मैट्रसेज में कुछ मेगनेट लगाए गए हैं। मुझे यही बताया गया है और इसके साथ-साथ यह भी बताया गया है कि इन मैगनेट के लगाने के कारण यह लम्बागो अथवा जोड़ों आदि के दर्द जैसी कुछ बीमारियों के लिए इलाज का कार्य करती है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: किसी ने भी अभी तक इसे प्रभावित नहीं किया है।

श्री जसवंत सिंह: आप इसका खंडन कर सकते हैं। मैं कोई डाक्टर नहीं हूं। मैं विशेषज्ञ भी नहीं हूं। जहां तक सीमा शुल्क का संबंध है इस पर विवाद है। वस्तुत: इस बात का पता लगाया जाना है कि इस मैग्नटो का थेरेपिटिक दृष्टि से कोई मूल्य है। यह बताया गया था कि मैग्नटो में थेरेपिटिक मूल्य था इसलिए ये मेट्रसम (गद्दे) उस श्रेणी में आते हैं। उन पर अभी भी कर लगाया गया है। ऐसा नहीं है कि उन पर कर न लगाया जाता हो। लेकिन सामान्य मैट्रसम (गद्दे) और थेरेपिटिक गुण रखने वाले गद्दे के बीच कर में अन्तर है। इसलिए ऐसा कोई घोटाला नहीं है। मैं समझता हूं कि इसके बाद सीमा शुल्क का भी मामला उठा कि इस पर सीमा शुल्क लगाया जाना चाहिए अथवा नहीं? लेकिन इस संबंध में कुछ विवाद जारी है। मैं नहीं जानता कि अब उस विवाद की अभिनिर्णय की स्थिति क्या है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सीमा शुल्क विभाग ने इस मुद्दे का स्वयं हल न किया हो।

महोदय, जिन दो माननीय व्यक्तियों का नाम इन्होंने लिया है वह है श्री आर.वी. पंडित और श्री वसन्त पंडित और उनके द्वारा कथित रूप में छापे गए पैम्फलिट आदि के बारे में कहा है। मैं नहीं समझता कि वह उस प्रश्न फ्रंटियर ट्रेडिंग अथवा जापान लाइफ का मुख्य मुद्दा है। माननीय सदस्य ने कहा है कि उस गद्दे में चमत्कारिक गुण है। मुझे चमत्कारिक गुण से संबंधित किसी दावे का पता नहीं है लेकिन निसन्देह इसमें मेगनेट पाए गए हैं तो उन्होंने यह भी बताया है कि इसके लाभकारी प्रभाव हैं।

मैं यह बात पुन: दोहराना चाहता हूं कि मान्यता के सिवाय उन्हें कोई रियायत नहीं दी गई है कि इसमें थेरेपिटिक गुण है और इस विशेष मामले में कोई किसी का बचाव नहीं कर रहा है। तत्पश्चात् यह भी कहा गया है कि दिल्ली से नालगोंडा में पुलिस अधीक्षक अथवा किसी व्यक्ति को कतिपय टेलीफोन किये गये थे मैं इस बारे में टिप्पणी करने में असमर्थ हूं क्योंकि माननीय सदस्य ने यह बात उनके पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर कही है और जो सूचना मेरे पास इस संबंध में उपलब्ध है उसमें किसी टेलीफोन काल का जिक्र नहीं है और विशेष मुद्दा यहां जापान लाइफ कम्पनी आदि से संबंधित है।

मैं यहां माननीय सदस्यों को अभी प्राप्त हुई जानकारी को भी बताना चाहता हूं क्योंकि मैं कारोबार के बारे में जानना चाहता हूं। फ्रंटियर ट्रेडिंग के मालिक और प्रोप्राइटर श्री आर.वी. पंडित ने वर्ष 2001-02 के निर्धारण वर्ष में 6.21 करोड़ रुपये का व्यक्तिगत आयकर का भुगतान किया है और वर्ष 2002-03 के निर्धारण वर्ष में इन्होंने 6.62 करोड़ रुपये का व्यक्तिगत कर का भुगतान किया है। यदि कोई व्यक्ति ये कर अदा करता है तो मैं इससे अनुमान लगा सकता हूं कि उस कारपोरेशन का भी कर निर्धारण किया गया होगा और कर का भुगतान भी किया गया होगा। इसके बाद मैं यह सूचना अवश्य माननीय सदस्य को भेज दूंगा क्योंकि इसे एकत्र किया जाएगा।

भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में उन्होंने एक राय सितम्बर 2001 और दूसरी राय फरवरी 2003 में व्यक्त की थी। मामले को स्पष्ट करते हुए मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य भारतीय रिजर्व बैंक जोकि भारत का मुख्य बैंक है के बारे में बहुत पढ़ते रहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का अत्यन्त ईमानदार और मर्यादित बैंक है और यदि हम अपने मुख्य बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक पर आरोप लगाते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है। मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि यह आरोप इन्होंने अपने दृढ़ विश्वास से मजबूर होकर लगाया है। लेकिन मैं माननीय सदस्य से अपील करता हूं कि वह जब भी भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कुछ विचार व्यक्त करें तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि वह हमारा मुख्य बैंक है।

यहां एक ही रिजर्व बैंक है और वह भारत सरकार का है। यह हमारी समग्र आर्थिक स्थिति और राजकोषीय मर्यादा का बैंक है। यह एक स्वशासी संगठन है और एक अत्यन्त ख्यातिप्राप्त भारतीय इस संगठन के चेयरमैन थे। आजकल एक अत्यन्त प्रसिद्ध भारतीय रिजर्व बैंक के चेयरमैन हैं। अन्तत: हम जो कुछ भी भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में बोलते हैं उसका रिजर्व बैंक के प्रशासन की सम्पूर्णता पर प्रभाव पड़ता है परन्तु तत्पश्चात वित्त मंत्रालय पर भी निश्चित ही प्रभाव पड़ता है। हमारी जिम्मेदारियां हैं हम भारतीय रिजर्व बैंक को नहीं चलाते हैं। लेकिन हमारी कतिपय भूमिका है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ठीक है। लेकिन यह भूमिका इस अनुमान से शुरू नहीं होती है कि रिजर्व बैंक की गतिविधियां गलत हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं कहता हूं कि सितम्बर 2001 में उन्होंने राय व्यक्त की थी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पहले प्रथा थी कि जब कभी भी ऐसी शिकायत प्राप्त की जाती थी तो रिजर्व बैंक अपनी राय व्यक्त करता था। जैसाकि मैंने अपने वक्तव्य में अकसर कहा है कि उस राज्य को एक प्रकार के दस्तावेज के रूप में माना जाता है जिसके आधार पर पहले एफ आई आर दर्ज की जाती थी और तत्पश्चात रिजर्व बैंक राय देता था कि उन्होंने जो कुछ राय किसी प्रकृति की किसी एक व्यक्तिगत घटना के बारे में व्यक्त की थी उसे पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रयोग किया गया जैसाकि मैंने अपने वक्तव्य में कहा उसे उस एफ आई आर में साक्ष्य अथवा सहायतार्थ के रूप में बताया गया जिससे उसे ठीक करें। इसलिए उन्होंने वही कहा है जो उनके पास है। यह प्रतिबंध लगाने वाले अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप है। रिजर्व बैंक को किसी योजना की वैधता पर अपनी

[श्री जसवंत सिंह]

राय नहीं देनी चाहिए। राज्य सरकारों का कार्य है कि वह राय बनाने और यह अधिनियम में भी अत्यन्त स्पष्ट रूप से बताया गया है।

उपभोक्ता मामले मंत्रालय के बारे में भी कुछ कहा गया है जैसाकि हुआ है। मैं इसे स्वीकार करूंगा कि वहां हितों में टकराव नहीं है लेकिन मेरे मन में उपभोक्ता मामले मंत्रालय के सचिव के लिए अत्यन्त सम्मान है। उनके महान पिता एकादमी में मेरे कमाडेंट थे इसलिए मैं उपभोक्ता मामले मंत्रालय के सचिव को अपने गुरु भाई के रूप में मानता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं। इसलिए जब सचिव श्री बजाहट हिब्बुदुल्ला ने स्पष्ट रूप से मुझे बताया कि क्या है और उसी बात को मैंने यहां उद्धृत किया है। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि मंत्रालय का उनके विचारों के बारे में क्या मत बताया गया था और उसमें कोई दुर्भावना छिपी हुई नहीं है। यह भारत सरकार के मंत्रालय का मत है जिसे सचिव, जो अत्यन्त विश्वसनीय हैं ने बताया था। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि यही बात इसमें अन्तर्ग्रस्त है। यदि इसमें उनके द्वारा कोई गलती की गई है अथवा इससे या किसी अन्य कम्पनी द्वारा गलती की गई है तो हम नि:सन्देह उस पर कार्यवाही करेंगे। उन्होंने सुझाव दिया कि कोई अमरीकन कम्पनी है जो यह कार्य कर रही है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अमरीकन कम्पनी से संबंधित नहीं है इसलिए मैं उसका उत्तर देने में असमर्थ हूं।

इन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि एक नया अधिनियम पुर: स्थापित किया जाए। हम इसकी जांच करेंगे कि नए अधिनियम की आवश्यकता है कि नहीं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि मैं भारतीय जिर्व बैंक को परामर्श दूंगा कि वह फरवरी 2003 में परिचालित की गई बात को वापस ले ले। मैं समझता हूं कि मेरी तरफ से भारतीय रिजर्व बैंक को ऐसी सलाह देना अनुचित होगा। नि:सन्देह भारतीय रिजर्व बैंक के प्रबंधन को यहां हो रही चर्चा को ध्यानपूर्वक नोट कर रहे होंगे। उन्होंने माननीय सदस्य द्वारा कही गई बात को भी नोट किया होगा।

मुझे सन्देह नहीं है कि एक उत्तरदायी संगठन होने के नाते वह उपयुक्त कार्यवाही करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: अब, हम चर्चा आरम्भ करते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, मुझे कुछ स्पष्टीकरण लेने हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मंत्री जी के उत्तर के पश्चात् समाप्त हो जाता है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, मैं सबसे पहले स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने जो कुछ कहा उसका भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर अथवा खाद्य, उपभोक्ता मामलों और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सचिव पर कुछ प्रतिबिम्बित नहीं होता है। मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहली बार और दूसरी बार में उठाए गए कदमों में मतभेद है।

दूसरा, भारतीय रिजर्व बैंक और खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा दी गई राय के बीच में गम्भीर और न पाटे जाने वाला मतभेद है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री जयपाल रेड्डी, आपको नियमों का पता है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, इन विरोधाभासों को स्पष्ट किये जाने की आवश्यकता है और मैं उनसे यह भी कहता हूं कि वे इस तरह की स्कीमों के संबंध में विनियामक प्राधिकरण गठित करने पर विचार करें क्योंकि इस देश में ऐसी अनेक स्कीमें चल रही हैं जो इस देश के भोले-भाले व्यक्तियों को ठग रही हैं। इसलिए, वित्त मंत्रालय को जापान लाइफ ऑफ इंडिया की टोटल स्लीपिंग सिस्टम से धन वसूल करने की आवश्यकता है और इसे इस पूरी समस्या के प्रति सजग रहना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: 'ध्यानाकर्षण प्रस्ताव' समाप्त हुआ। अब श्री गोविन्दन।

...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी: वित्त मंत्री इसका उत्तर दें। ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: आपके अनुसार मैग्नेटों ने सब कुछ बदल दिया है। आप मैग्नेटों के संबंध में समुचित जांच का आदेश दें। ...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह: महोदय, मैं अभी अत्यंत संक्षेप में उत्तर देता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। नियम स्पष्ट रूप से कहता है कि मंत्री द्वारा 'ध्यानाकर्षण' का उत्तर दिए जाने के बाद न तो सदस्य को और न ही मंत्री को बोलने की अनुमति है।

श्री जसवंत सिंह: महोदय, जैसा आप कहें।

अपराह्न 12.32 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

टेलीफोन टैरिफ में वृद्धि के बारे में

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैंने मान्य किया था कि इसके बाद मेरे पास टेलीफोन समस्या के समाधान हेतु मामला उठाने के लिए माननीय सदस्यों ने नोटिस दिए हैं, मैं उन माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री गोविन्दन ने टेलीफोन टैरिफ में वृद्धि के संबंध में सूचना दी है। इसलिए, अब मैं उन्हें बोलने की अनुमति देता हूं।

श्री टी. गोविन्दन (कासरगौड़): महोदय, मैंने आज सुबह इस सभा में उन्माद का अनुमान किए बिना अपनी सूचना दी थी।

मैं 1 मई से भा.स.नि.लि. द्वारा टेलीफोन प्रभार के संशोधन के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

मैं समझता हूं कि टेलीफोन टैरिफ में वृद्धि जनहित में नहीं है और यह राजग सरकार द्वारा अनुसरण की जा रही जन विरोधी नीति है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निःशुल्क कॉलों की संख्या घटा कर क्रमशः 50 और 30 काल कर दी गयी है। निःशुल्क कालों की पल्स दर भी कम कर दी गई है। लैण्ड फोन से मोबाइल फोन पर कॉल प्रचार में छः गुनी वृद्धि हो गई है। इन कदमों से आम उपभोक्ता उन्हें दी गई फोन सुविधाओं को छोड़ने के लिए मजबूर होंगे। इसमें संदेह है कि प्राइवेट मोबाइल फोन कंपनियों और भारत सं.नि.लि. के बीच कोई गुप्त समझौता है। इसके परिणामस्वरूप, प्राइवेट टेलीफोन कंपनियों को इस वर्ष 2500 करोड़ रु. का लाभ होगा। यह कहा जाता है कि सूचना प्रौद्योगिकी एक ऐसा क्षेत्र है जो हर समय विकास करता है। विकास और प्रगति से जनता पर न्यूनतम बोझ पड़ना चाहिए। किंतु इसके बदले, जब सरकार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारी प्रगति का दावा करती है तो लोगों पर बोझ बढ़ता है।

इन परिस्थितियों में, मैं सरकार से बढ़े हुए टेलीफोन प्रभारों इत्यादि को वापस लेने के लिए तत्काल कदम उठाने तथा हमारे देश की आम तथा मध्यमवर्गीय जनता पर बोझ कम करने का अनुरोध करता हूं।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, मेरी सूचना भी इसी मुद्दे पर है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): अध्यक्ष महोदय, मैंने भी इसी विषय पर नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय: यदि आपका नोटिस है, तो आपको भी समय दिया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर): महोदय, मैंने भी इस मुद्दे पर एक सूचना दी है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर): अध्यक्ष महोदय, मैंने विशेषाधिकार के मामले पर नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। बैठिए।

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर): अध्यक्ष महोदय, मेरा भी इस विषय पर नोटिस है और सबसे पहले, यानी नंबर 1 पर मेरा नाम है।

अध्यक्ष महोदय: आपको भी समय दिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं उन सभी सदस्यों को जिन्होंने इस मुद्दे पर अपनी सूचना दी है, इस मुद्दे से स्वयं को जोड़ने की अनुमति दूंगा। अब, श्री पी.सी. थामस।

...*(व्यवधान)*

श्री वी.एम. सुधीरन (अलेप्पी): महोदय, माननीय मंत्री यहां हैं। कृपया उन्हें टेलीफोन टैरिफ में अत्यधिक वृद्धि के संबंध में वक्तव्य देने के लिए निदेश दें। यह अत्यन्त ही गंभीर मुद्दा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यही विषय है जिस पर हम इस समय चर्चा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर): अध्यक्ष महोदय, सारी दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने नोटिस नहीं दी है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री थामस ने मुझे सूचना दी थी।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, हमारा भी नोटिस है।

अध्यक्ष महोदय: आपका नोटिस दूसरे विषय पर है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आप मंत्री से उत्तर नहीं चाहते हैं? कृपया बैठिए। मैंने मंत्री जी से 'शून्य काल' के दौरान उपस्थित रहने के लिए विशेष अनुरोध किया है। यह प्रश्न 'प्रश्न काल' में उठा था। अब वह उत्तर देंगे। सिर्फ उन्हीं सदस्यों को जिनके नाम यहां हैं को बोलने की अनुमति दी जाएगी और किसी अन्य को अनुमति नहीं दी जाएगी। यह वाद-विवाद नहीं है जो हम शुरू करने जा रहे हैं।

श्री पी.सी. थामस: हमारी टेलीफोन नीति हमेशा ही ग्रामीण क्षेत्रों को पर्याप्त राहत देने की रही है। अब, एक बात यह है कि ग्रामीण टेलीफोन व्यवस्था को इसका सर्वाधिक नुकसान होगा क्योंकि न्यूनतम निःशुल्क कॉलों की संख्या में भारी कमी कर दी गयी है। यह काफी हद तक ग्रामीण क्षेत्रों को प्रभावित करने जा रहा है। यह न्यूनतम निःशुल्क कॉलों की संख्या के बारे में है।

दूसरे, पल्स रेट के संबंध में, जब आप मोबाइल फोन से अथवा लैण्ड फोन से मोबाइल फोन पर काल करते हैं, पल्स रेट इस प्रकार है कि प्रभार बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। यह लगभग 300 प्रतिशत से भी ज्यादा बैठेगा। वास्तव में, जो हो रहा है वह यह है। चाहे पल्स रेट घटाई अथवा बढ़ाई गई है, जब हम कॉल की गणना करते हैं तो प्रभार 300 प्रतिशत आता है। जहां तक सामान्य उपभोक्ता का संबंध है यह बहुत अधिक है।

तीसरा, अब टेलीफोन प्रभारों में वृद्धि हो रही है। मोबाइल के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया भाषण पूरा कीजिए। मैंने इस मुद्दे पर वाद-विवाद की अनुमति नहीं दी है। 'शून्य काल' के दौरान आपको दो मिनट में सिर्फ इसका उल्लेख करना है और समाप्त करना है।

श्री पी.सी. थामस: मोबाइल फोन के क्षेत्र में, सर्वत्र यह भावना है कि कुछ मोबाइल कंपनियां इन परिवर्तनों का अनुचित प्रयोग करने जा रही हैं। इसे भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

और अंत में, मेरी 'ट्राई' के बारे में अत्यन्त ही गंभीर शिकायत है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइये। आपको समझना चाहिए कि कई वक्ता हैं जो इस मुद्दे पर बोलना चाहते हैं।

श्री पी.सी. थामस: हम कहां शिकायत करेंगे? जब हम भा.सं.नि.लि. के बारे में शिकायत करते हैं, वे कहते हैं, यह एक कम्पनी है। न तो सरकार में और न ही ट्राई में जनता की शिकायत सुनने के लिए कोई मंच है। ट्राई में भी जनता का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। इसलिए इस संबंध में तत्काल कुछ किये जाने की आवश्यकता है ताकि शिकायतों का समाधान हो। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सिर्फ पलानीमनिक्कम का वक्तव्य ही कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल किया जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। कृपया बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)**

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम (तंजावुर): पहले, दूरसंचार विभाग राज्य के अंदर उपभोक्ताओं को चार प्रकार की सेवाएं मुहैय्या कराती हैं। वे हैं (1) स्थानीय कॉल सेवा (2) 50 किलोमीटर तक 91 सेवा, (3) 200 किलोमीटर तक 95 सेवा, और (4) राज्य के अंदर एस टी डी सेवा। अब उन्होंने सबको 95 सेवा के अंतर्गत एक कर दिया है। इस प्रकार की सेवाओं से, यदि कोई 200 किलोमीटर के अंदर दूसरे एक्सचेंज की कॉल करना चाहता है, तो उसे 10 रु. से अधिक भुगतान करना होगा। उपभोक्ताओं को क्या लाभ-हानि होंगे? हम मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं। मैं इसका ठोस उत्तर चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कहां जा रहे हैं?

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): वह नहीं जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे: अध्यक्ष महोदय, टेलीफोन के लैंड-लाइन से फोन करने के बाद, मोबाइल फोन के तीन मिनट के 7.20 पैसे

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री चन्द्रकांत खैरे]

होते हैं, हमने जो यहां रखे हैं। बीएसएनएल और एमटीएनएल के माध्यम से यह क्यों होता जा रहा है, पूरे हिन्दुस्तान की जनता बीएसएनएल और एटीएनएल का यूज कर रही थी, बहुत से लोगों ने बीएसएनएल के टेलीफोन टेलीकॉम डिपार्टमेंट को वापस दे दिए हैं। इसलिए कि मोबाइल फोन सस्ते हो गये हैं, जबकि यहां मंत्रीजी बोल रहे हैं कि यह ट्राई ने किया है। ट्राई में आपका रिप्रेजेण्टेटिव क्यों नहीं गया, उसने वहां क्यों नहीं कहा कि यह ज्यादा हो रहा है? ये बोल रहे हैं कि पल्स रेट कम नहीं किया तो फिर 7.20 रुपये पर मिनट कैसे हो गया? इसमें कुछ साजिश है। बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. को लॉस में लाकर आगे विनिवेश में जाना चाहिए, यह बहुत बड़ी साजिश है और यह काम किसी कम्पनी के साथ हाथ मिलाकर हो रहा है। मैं यह कहूंगा कि पहले 250 रुपये एक महीने का रैंट था, जिसमें 150 कॉल्स फ्री होती थीं, फिर 75 हुई और अब फ्री कॉल्स 75 से 30 हो गईं। इसका मतलब यह है कि जो सर्वसाधारण जनता है, वह बी.एस.एन.एल. का फोन यूज न करे, यह साजिश हो रही है। मंत्री जी को यहां आश्वासन देना चाहिए कि रेट हम लोग कम करेंगे, तभी हम उनको बाहर जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे। मंत्री जी को रेट कम करना चाहिए। हमारे दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री यहां बैठे हैं, उनको दिल्ली में इससे बहुत तकलीफ हो रही है, बाकी सब लोग भी यहां हैं। हम लोग जनता के सामने जाते हैं तो जनता कहती है कि तुमने पैसा बढ़ाया है और मंत्री जी कहते हैं कि कुछ नहीं बढ़ाया है। इसमें बहुत बड़ी साजिश है, इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए या रेट कम करना चाहिए, ऐसी मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से विनती करना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना: अध्यक्ष महोदय, आप उनसे कह दें कि ये इसे विदड्रा कर लें।

अध्यक्ष महोदय: प्लीज सुनिए। शान्ति बनाये रखिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन): महोदय, पूरी सभा आपकी आभारी होगी क्योंकि आपने 'शून्य काल' के दौरान इस विषय को उठाने की अनुमति दी है।

मुझे यह कहते हुए अत्यन्त खेद है कि चाहे यह बीमा विनियामक प्राधिकरण हैं अथवा दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, इन सभी प्राधिकरणों का सृजन सेवानिवृत्त नौकरशाहों के लिए किया गया है, जो इस देश की आम जनता के हितों का ध्यान नहीं रख रहे हैं। संचार मंत्री श्री अरुण शौरी, जिन पर अनेक विभागों का बोझ है, को पता नहीं है कि दूरसंचार विभाग में पल्स रेट क्या हैं और उन्हें जनता की भावना का भी अंदाज नहीं है। मैं उन्हें सिर्फ बताना चाहता हूं, यदि उन्हें गुजरात में अत्यंत ही वृद्ध गांधीवादी श्री महेन्द्र देसाई के आंदोलन की जानकारी नहीं है जो इस विशेष मुद्दे पर पिछले पन्द्रह दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। पूरे देश में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की जनता टेलीफोन कॉलों की दरों, विशेषकर जो सरकारी स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनियों द्वारा वसूली जा रही हैं, के प्रति अत्यधिक चिन्तित हैं।

[अनुवाद]

उन गरीब लोगों के टेलीफोन कनेक्शन जो अपने घरों और झोपड़पट्टियों में आवश्यकता के कारण रखते हैं न कि विलासिता के साधन के रूप में उनके लिए यह सुविधा ग्रामीण और शहरी भारत से समाप्त हो सकती हैं क्योंकि ये अत्यधिक महंगी हो गई हैं। मैं मंत्री महोदय से एक आश्वासन चाहता हूं। क्या वे इस सभा को यह आश्वासन देंगे कि विद्यमान दर ढांचा जो लागू है उसको तीन महीने तक जब तक स्थगित रखा जायेगा जब तक सभी राजनीतिक दलों के साथ पूरे मुद्दे पर चर्चा न हो जाए और इससे संबंधित निर्णय की आज घोषणा करें ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, संचार मंत्रालय में श्री रामविलास पासवन जी मंत्री थे, तब हमारे क्षेत्र में कोई एम.पी. कोटे का टेलीफोन हम रिकमेण्ड करते थे तो 15 दिन में लग जाता था और टेलीफोन खराब होता था तो तुरन्त ठीक हो जाता था। प्रमोद महाजन जी थे, तब भी काम ठीक चल रहा था। लेकिन जब से सुषमा स्वराज जी और शौरी साहब आये हैं, उसी दिन से मेरे क्षेत्र में 15 एक्सचेंज आज तक खराब हैं, उन्हें कोई ठीक करने वाला नहीं है। 80 ग्रामीण पी.सी.ओ. प्रतापगढ़ और जौनपुर जिले में खराब पड़े हुए हैं। उसे कोई ठीक करने वाला नहीं है। मैंने अपने कोटे से टेलीफोन कनैक्शन देने की जो रिकमैंडेशन की हैं, सी.जी.एम., लखनऊ मुझसे नाराज होने के कारण टेलीफोन का एक सामान भी इश्यू नहीं कर रहे। पांच महीने से मेरे कोटे का एक भी टेलीफोन नहीं लगा है।

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी यहां बैठे हैं। वे बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। इस मंत्रालय में उनके आने से बी.एस.एन.एल. में यह चर्चा है कि अब बी.एस.एन.एल. बिकेगा इसीलिए वहां काम बंद हो चुका है। हमारे यहां जौनपुर, प्रतापनगर में टेलीफोन का जो ठेका

दिया जा रहा है, वह सारे क्रिमिनल्स लोग ले रहे हैं। वहां सारी लूट मची हुई है। टेलीफोन कनैक्शन जो हमारे कोटे से प्रायरिटी पर लगना चाहिए, वह नहीं लग रहा है। यह मामला बहुत गंभीर है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: राशिद अलवी जी, आप बोलिये। मैं आपको दो मिनट से ज्यादा बोलने का समय नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रनाथ सिंह: हमारा टेलीफोन कनैक्शन नहीं लगा, यहां पर पासवान जी बैठे हैं। वे जब इस विभाग के मंत्री थे तब हम चिट्ठी लिखते थे तो तुरंत कार्यवाही होती थी। लेकिन जब से शौरी साहब मंत्री बने हैं और हम चिट्ठी लिखते हैं कि आप भ्रष्ट अधिकारियों को हटाइये तो उस पर ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो कनैक्शन हमारे कोटे से प्रॉयरिटी में दिया जाना चाहिए, वह नहीं दिया जा रहा है। जो लोग रिश्वत देते हैं, उनके टेलीफोन लगाये जा रहे हैं। ...*(व्यवधान)* यह मेरे क्षेत्र का मामला है जो कि बहुत गंभीर है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मंत्री जी इस संबंध में उत्तर दें कि इसका क्या कारण है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिये। आप दूसरों को बोलने का मौका नहीं देंगे तो ऐसे कैसे चलेगा? राशिद अलवी जी अब आप बोलिये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: केवल राशिद अलवी जी की बात रिकार्ड में जाएगी।

[अनुवाद]

श्री राशिद अलवी की बात को छोड़कर कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। सरकार की जो पालिसी है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको समय देखना चाहिए। आप पूरी कांस्टीट्यूएंसी की बात करते रहते हैं। आपकी कोई बात रिकार्ड में नहीं जा रही है। राशिद अलवी जी आप बोलेंगे तो आपका रिकार्ड में जायेगा नहीं तो मैं दूसरे व्यक्ति का नाम लूंगा।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री राशिद अलवी: अध्यक्ष महोदय, आप उन्हें खामोश कराइये। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप उनको बोलने दीजिए क्योंकि उन्हें कोई नहीं रोक सकता।

...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी: यह बैठते क्यों नहीं हैं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इनमें डिसिप्लिन नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी: अध्यक्ष महोदय, यह बहुत सीरियस मामला है। सरकार की पालिसी इस तरीके की है कि सरकारी टेलीफोन एम.टी.एन.एल. और बी.एस.एन.एल. के इस्तेमाल को डिसकरेज किया जाये। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि ऐसी पालिसी क्यों है? मोबाइल से मोबाइल पर बात करना ज्यादा आसान है। अगर एम.टी.एन.एल., बी.एस.एन.एल. के टेलीफोन से मोबाइल पर बात की जाये तो वह ज्यादा महंगा है। पी.सी.ओ. को भी इस बात की इजाजत नहीं है कि उससे मोबाइल पर बात की जाये। सरकार ने ऐसे सारे तरीके इस्तेमाल किये हैं जिससे प्राइवेट सैक्टर को फायदा पहुंचे। ...*(व्यवधान)*

मैं मंत्री जी से बहुत सफाई से पूछना चाहता हूं कि आपने हिन्दुस्तान के अंदर डब्ल्यू.एल.एल. और मोबाइल का लाइसेंस रिलायंस कम्पनी को दिया है, तो क्या पूरी दुनिया में इसकी एक भी मिसाल दे सकते हैं? पूरी दुनिया के अंदर किसी एक कंपनी को डब्ल्यू.एल.एल. और मोबाइल का लाइसेंस नहीं दिया गया लेकिन आपने रिलायंस कंपनी को इसका लाइसेंस दिया है। ...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): उसी के प्रभाव में यह सब हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी: जब पासवान जी कम्युनिकेशन मंत्री थे तब मैंने एक सवाल पूछा था कि क्या आप रिलायंस कंपनी को लाइसेंस देंगे? उन्होंने उस वक्त कहा था कि सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है। ...*(व्यवधान)*

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री (श्री अरुण शौरी): यह उनके टाइम पर था। ...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी: जब भी हो, मुझे तो सरकार से मतलब है। उस वक्त कांग्रेस के डिप्टी लीडर स्वर्गीय माधव राव सिंधिया

[श्री राशिद अलवी]

जो थे। उन्होंने भी खड़े होकर कहा था कि इनके सवाल का जवाब दिया जाये। तब हाउस में यह यकीन दिलाया गया था कि इस तरीके से नहीं होगा कि डब्ल्यू.एल.एल. और मोबाइल का एक साथ लाइसेंस दिया जाये। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वजह है कि डब्ल्यू.एल.एल. और मोबाइल का लाइसेंस एक साथ रिलायंस कम्पनी को दिया जाये? पूरी दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: डा. वी. सरोजा जी आप बोलिये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: देखिये, एक बजे डिबेट पूरी होगी। आपको इस विषय पर उत्तर नहीं मिलेगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जीरो ऑवर एक बजे खत्म होगा। इससे आपको मंत्री जी का उत्तर नहीं मिलेगा। अगर आपको उत्तर नहीं चाहिए तो ठीक है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: एक बजे यह विषय खत्म होगा। दो बजे से दूसरा विषय लिया जायेगा।

...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी: मैं पूछना चाहता हूं कि यह सरकार किस दबाव में काम कर रही है और क्या सरकार टेलीफोन दरें वापिस लेगी? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: एक-एक आदमी 10-15 मिनट तक भाषण नहीं कर सकता।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती सरोजा जी, आप अपना प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कोडीकुनील सुरेश: महोदय, माननीय मंत्री महोदय ध्यान नहीं दे रहे हैं। वे अधिकारियों से बात कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वे अधिकारियों से सूचना प्राप्त कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, आप मंत्री जी से कहिये कि वे स्टेटमैंट दें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे यह सुनिश्चित करना है कि विभिन्न राजनीतिक दलों को अवसर मिलें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: विभिन्न राजनीतिक दल अपना विचार रखना चाहते हैं। उन्हें अपना विचार रखने दिया जाए। यह एक लोकतांत्रिक संस्था है। डा. सरोजा आप अपना प्रश्न पूछें।

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आम लोगों के लिए टेलीफोन की सुविधा विलासिता का साधन नहीं है बल्कि एक बुनियादी सुविधा है और यह दिन-प्रतिदिन हेतु आवश्यक है। मैं इस समय उपलब्ध टेलीफोन सुविधाओं की दरों का उल्लेख करना चाहूंगी। उपभोक्ता को 2000 रुपए प्रतिभूति के रूप में जमा करना पड़ता है। पल्स दर प्रति मिनट 15 सेकेंड से लेकर एक मिनट तक की है। कालर-आईडी सुविधा के लिए अधिकांश सेल्युलर प्रचालकों को 90 रुपए प्रति माह का भुगतान करना पड़ता है। रोमिंग सुविधा के लिए उन्हें एसटीडी दर और एयरटाइम शुल्क जो तीन रुपए प्रति मिनट है, का भुगतान करना होता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से बीएसएनएल जिसमें हमने 26000 करोड़ रुपए का निवेश किया है, के संबंध में एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। देश में विद्यमान इस वित्तीय परिदृष्य में क्या सरकार स्पष्ट रूप से निम्न प्रश्नों का उत्तर देगी। क्या यह बीएसएनएल का विनिवेश करने और गैर-सरकारी भागीदारों को इसमें शामिल करने की दिशा में पहला कदम नहीं है? मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि क्या भारत के आम लोगों की कीमत पर भारत सरकार प्रत्येक विभाग, प्रत्येक मंत्रालय में गैर-सरकारी भागीदारों को बढ़ावा नहीं दे रही है। यह आम लोगों की कीमत पर किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय: अब माननीय मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी आप उत्तर दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत अरजैंट मैटर है। बंगाल में वायरस आ गया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है कि मैं सभी सदस्यों को एक साथ अनुमति नहीं दे सकता हूं।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर (भीलवाड़ा): महोदय, कृपया मुझे एक मिनट का समय दें ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: केवल दस मिनट बचे हैं। मैं अब मंत्री महोदय का उत्तर सुनना चाहता हूं। मुझे उन्हें कम से कम दस मिनट देना होगा।

...*(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी: महोदय, मैं समझता हूं कि ऐसी चिंता उत्पन्न होने के पीछे कम से कम दो अथवा तीन मिथ्याबोध हो सकते हैं। मैं सर्वप्रथम इन्हीं बातों को स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा ...*(व्यवधान)* आप यही तो कह रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया माननीय मंत्री महोदय की बात सुनिए।

श्री अरुण शौरी: पहले प्रश्न का संबंध बीएसएनएल के मासिक किराये से है। एक गलत आशंका इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि 'ट्राई' ने जनवरी में एक आदेश जारी किया था जिसके आधार पर दरों में अत्यधिक वृद्धि की गयी थी और माननीय सदस्यों के बीच उस समय व्यापक आशंका थी। महोदय, आप उस समय उपस्थित थे जब यह प्रश्न उठाया गया था। यही प्रश्न था।

आदेश का अध्ययन करने के पश्चात मैंने पाया कि 'ट्राई' का आदेश अधिकतम सीमा से संबंधित था, यह कोई अनिवार्य आदेश नहीं था। अत: हमने बीएसएनएल और एमटीएनएल में बैठक करके कहा कि हम अधिकतम दरों की ओर जाने के स्थान पर वैकल्पिक पैकेज देंगे। कृपया मुझे इस तथ्य का उल्लेख करने दीजिए कि वैकल्पिक पैकेज में मासिक किराए में वृद्धि नहीं की गई है। ...*(व्यवधान)* कृपया मुझे अपनी पूरी बात कहने दें।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): महोदय, माननीय मंत्री उत्तर दे रहे हैं। उन्हें मंत्री महोदय का उत्तर सुनने दीजिए ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी: महोदय, ग्रामीण अथवा शहरी किसी भी क्षेत्र में बीएसएनएल अथवा एमटीएनएल ने अपना मासिक किराया नहीं बढ़ाया है। यह पहली बात है।

दूसरी बात यह है कि वास्तव में ट्राई ने इन्हीं कारणों से ऐसा आदेश दिया था, जिसका आपने अभी उल्लेख किया है, हमें ग्रामीण टेलीफोन की संख्या बढ़ानी है और इसी कारण इसे व्यवहार्य होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अभी तक ग्रामीण टेलीफोन का वित्त पोषण लम्बी दूरी की काल और अंतर्राष्ट्रीय काल से अधिक शुल्क वसूल कर किया जा रहा था। हम ग्रामीण टेलीफोन सेवाओं को इसी प्रकार राजसहायता देते रहे थे। अब लम्बी दूरी और अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन दरों में भारी गिरावट के कारण ग्रामीण टेलीफोन इतना अव्यवहार्य हो जायेगा कि इसे बढ़ाना संभव नहीं होगा। इसीलिए ट्राई ने ग्रामीण टेलीफोन के मासिक किराए को 50 रुपए से बढ़ाकर 210 रुपए करने की बात कही। हमने ऐसा नहीं किया है ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकांत खैरे: क्यों ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी: मुझे कुछ समय दीजिए। इसमें वृद्धि नहीं की गई है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): जो आपने बढ़ाया है, आप रूरल की बात कर रहे हैं, क्या आप उन्हें वापस लेंगे कि नहीं लेंगे? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप अपना उत्तर पूरा करें। मैं इसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल करूंगा। आप अपनी बात जारी रखें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको सदस्यों की बात पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना उत्तर पूरा कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं माननीय मंत्री महोदय को यही कह रहा हूं। उनके उत्तर को ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी का उत्तर तो सुनना ही पड़ेगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अरुण शौरी: महोदय, मैं आपसे सहमत हूं। मैं यह कह रहा हूं कि आपकी चिंताओं पर ध्यान दिया गया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें। आप केवल अध्यक्षपीठ को ही संबोधित कर सकते हैं, सदस्यों को नहीं।

...*(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी: अत: महोदय, ट्राई के आदेशों के बावजूद ग्रामीण टेलीफोन के मासिक किराए को 50 रुपया प्रति माह ही रखा गया है। इसके अतिरिक्त एक सर्किल के अंदर की जाने वाली लम्बी दूरी वाली काल, जो 9 रुपये प्रति मिनट की थी, को कम करके 2.40 रुपये प्रति मिनट कर दिया गया है। यह अत्यधिक लाभ की स्थिति है ...*(व्यवधान)* कृपया समझने की कोशिश कीजिए।

किसी बुनियादी टेलीफोन से अन्य बुनियादी टेलीफोन पर की गयी काल, जो सभी सदस्यों के लिए चिंता का विषय रही है को पूर्ववत रखा गया है। इसमें परिवर्तन नहीं किया गया है ...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम): महोदय, आप मुझे बोलने की अनुमति दीजिए। वे जानबूझकर गुमराह कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप मंत्री महोदय की बात सुनें। मंत्री महोदय को अपना उत्तर पूरा करने दीजिए। उनके उत्तर के बाद आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी नहीं।

...*(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी: महोदय, एक प्रमुख चिंता यह थी कि पल्स दर में परिवर्तन किया गया है। यही ट्राई कह रहा था कि पल्स दर में परिवर्तन करके इसमें कमी लायी जाए। पल्स दर में बदलाव नहीं किया गया है।

श्री सुरेश कुरूप: क्यों? ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी: यदि आप इसमें परिवर्तन चाहते हैं तो यह और अधिक महंगा हो जायेगा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह आश्चर्य की बात है कि आप पूछ रहे हैं कि इसमें वृद्धि क्यों नहीं की गई है।

...*(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी: जैसाकि डा. विजय कुमार मल्होत्रा बता रहे थे, यदि बिल इन पैकेजों अथवा निदेशों के विपरीत भेजे गए हैं तो स्वाभाविक रूप से ऐसे बिलों की समीक्षा की जायेगी। ट्राई को हमारे द्वारा भेजे गए इन वैकल्पिक पैकेजों, के संबंध में एक सप्ताह के अंदर अपना अंतिम निर्णय देना है। हम इस मामले पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। सरकार अपनी लोकप्रिय छवि के बारे में उतनी ही चिंतित है जितना कि यहां माननीय सदस्यगण हैं। अत: इस संबंध में विचारों का कोई मतभेद नहीं है।

अब एक अंतिम बात रह गई है। वास्तव में यह कहा गया था। ...*(व्यवधान)* पैकेजों और इसके जैसे बड़े पैकेजों में हमेशा ही कुछ ऐसी बातें होंगी जिसके अनुसार यदि आप ऐसा करें अथवा वैसा करें इत्यादि कहा जाता है। कृपया मेरी बात मानें कि यह कोई छोटा मुद्दा नहीं है। विद्युत जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में, हमने दरें कम रखी हैं और राज्यों ने नि:शुल्क विद्युत प्रदान किए हैं। आज इसका परिणाम यह हुआ है कि विद्युत क्षेत्र में कोई निवेश नहीं कर रहा है और यह कई मायनों में रुग्ण क्षेत्र हो गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री की प्रशंसा की जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने व्यापक विरोध और इसी प्रकार की परिस्थितियों के बावजूद विद्युत की दरों में वृद्धि की है। फिर भी, यही एकमात्र राज्य है जहां विद्युत क्षेत्र में निवेश होगा। ...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): चूंकि उन्होंने आंध्र प्रदेश का उल्लेख किया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश सरकार और वहां के मुख्यमंत्री अंधाधुंध तरीके से नहीं बल्कि मानवीय तरीके से सुधार कार्य कर रहे हैं। हम इसका निर्णय लेते हैं कि हमें किन-किन क्षेत्र में राजसहायता देनी है और किन क्षेत्र में दरों को यथावत रखना है। ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी: मैं सहमत हूं। इसलिए, मैं उनकी प्रशंसा कर रहा हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वे आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री की प्रशंसा कर रहे हैं। आप उत्तेजित क्यों हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू: यह ठीक है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वे वास्तव में उनकी प्रशंसा कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी: महोदय, मैं केवल उनकी प्रशंसा कर रहा हूं। स्थाई टेलीफोन पर काल अवधि जो दो मिनट की होनी थी, उसे तीन मिनट ही रखा गया है। वह भी किया जा रहा है। अत: ये सभी कार्य किए गए हैं। वहां ...*(व्यवधान)* केवल एक मिनट दीजिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बस अपना उत्तर पूरा करें।

...*(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी: एक प्रमुख बात है कि एक आरोप लगाया गया है कि यह सेलुलर कंपनियों को लाभ पहुंचाने का एक षडयंत्र है।

अपराह्न 1.00 बजे

वास्तव में, हमने पूरी स्वतंत्रता दी है। मैंने बीएसएनएल बोर्ड और एमटीएनएल बोर्ड को व्यक्तिगत रूप से आश्वासन दिया है, कि उन्हें अन्य आपरेटरों से प्रतिस्पर्धा करने की पूरी स्वतंत्रता है और इसका परिणाम यह हुआ है कि सात महीनों में बीएसएनएल की सेलुलर सेवा को 25 लाख उपभोक्ता मिल गए हैं। इससे कंपनियों को कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही है और जिसके बारे में श्री अलवी ठीक ही चिन्तित थे। हम प्रतिस्पर्धा करेंगे। हम इन कंपनियों के सक्षम और मजबूत बनाएंगे और उपभोक्ताओं का हित और सदस्यों की भावनाओं का सदैव ध्यान रखा जाएगा *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप यह चर्चा किसी अन्य नियम के अंतर्गत उठा सकते हैं। अब, मैं श्री रामजीलाल सुमन को बोलने की अनुमति देता हूं।

...(व्यवधान)

श्री एन.एन. कृष्णादास (पालघाट): वह सभा को गुमराह कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि आप, वह जो कह रहे हैं उससे सहमत नहीं हैं तो आप यह मुद्दा पुनः उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: क्या यही एक विषय है जिस पर हम चर्चा करते रहेंगे, क्या दूसरे सदस्य का सदन में कोई महत्व नहीं है। दूसरे सदस्यों को भी अपनी बात कहने का अधिकार है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के. मुरलीधरन (कालीकट): यह बहुत बड़ी बात है, यह एक बहुत गंभीर मुद्दा है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने मंत्री महोदय से प्रतीक्षा करवायी। मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया है। आप मंत्री महोदय को बाध्य नहीं कर सकते कि वह उसी तरीके से बोलें जैसे आप चाहते हैं।

...(व्यवधान)

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम (तंजावुर): महोदय, मुझे अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है।

अध्यक्ष महोदय: आप मंत्री महोदय से मिल सकते हैं और उनसे उत्तर प्राप्त कर सकते हैं।

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम: उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): महोदय सभा स्थगित करने से पहले कृपया मुझे असम से संबंधित मुद्दा उठाने के लिए दो मिनट दीजिए।

[हिन्दी]

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह): बंगाल में वायरस से लोग मर रहे हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको भी इजाजत दूंगा।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, पिछले दस वर्षों से उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की उपेक्षा की जा रही है। उनको हाशिए पर डालने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले प्रेमचंद जी को विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम से बाहर किया गया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के सबसे बड़े शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा से प्रेमचंद के उपन्यास ''निर्मला'' की जगह समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्षा श्रीमती मृदुला सिन्हा के उपन्यास ''ज्यों मेहंदी के रंग'' को लगा दिया गया है। इसको लेकर साहित्यकारों में और हिन्दी साहित्य जगत में तीव्र प्रतिक्रिया हुई है। श्रीमती मृदुला सिन्हा की साहित्य जगत में कोई खास पहचान नहीं है। प्रेमचंद हमारे सामाजिक संस्कृति के संस्थापकों में से एक हैं। इसी कारण शायद उनको यह कीमत चुकानी पड़ रही है। यदि प्रेमचंद को हटाया गया तो मृदुला सिन्हा उनका विकल्प कदापि नहीं हो सकती। प्रेमचंद सामाजिक न्याय के पुरोधा थे। हिन्दी भाषी क्षेत्रों में ही नहीं, अपितु बंगाल और महाराष्ट्र जो गैर-हिन्दी भाषी प्रान्त हैं, में भी उनकी काफी लोकप्रियता है। प्रेमचंद एक कालजयी उपन्यासकार हैं और कालजयी उपन्यासकार हटाए नहीं जाते। अपनी लेखनी को रेखांकित करने के लिए अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करना किसी भी कीमत पर न्यायसंगत नहीं है। प्रेमचंद के ''निर्मला'' उपन्यास को हटाए जाने से साहित्य जगत में और साहित्यकारों में काफी प्रतिक्रिया हुई है। यह गम्भीर मामला है। किसी भी कीमत पर मृदुला सिन्हा को

[श्री रामजी लाल सुमन]
प्रेमचंद के समकक्ष नहीं रखा जा सकता। अगर प्रेमचंद को हटाना ही था तो उनके स्थान पर अज्ञेय, जेनेन्द्र या रेणु जैसे ही किसी अन्य उपान्यासकार को लगाना चाहिए था। इसलिए यह एक गम्भीर मामला है, सरकार को इस पर रिएक्ट करना चाहिए और इसको वापस लेना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं श्री प्रभुनाथ सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, श्री रवि प्रकाश वर्मा और श्री रामसागर रावत को श्री रामजीलाल सुमन द्वारा दी गई सूचना से सम्बद्ध करने की अनुमति देता हूं। अब, मैं श्री रामविलास पासवान को बोलने की अनुमति देता हूं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर): हमें भी इसके साथ एसोसिएट किया जाए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): हम भी इसका समर्थन करते हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैं सी.एन. सिंहजी और रघुवंश प्रसाद जी को भी इसके साथ एसोसिएट करता हूं।

श्री चन्द्रनाथ सिंह: सर, हमारा नाम भी सुमन जी के साथ एसोसिएट किया जाए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: हम भी सुमन जी के साथ अपने को सम्बद्ध करते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आप दोनों का नाम सुमन जी के नाम के साथ एसोसिएट करता हूं, आप बैठ जाइये।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष जी, निर्मला उपन्यास को हटाकर दूसरा लगाना गलत है, इस पर सरकार को वक्तव्य देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रेमचंद का उपन्यास हटाने की बात सीरियस है। सरकार इस पर कोई एक्शन ले, ऐसा मैं सरकार को निर्देश देता हूं। आप बैठ जाइये। मैंने सरकार को निर्देश दिया है कि इस विषय में तुरंत कार्रवाई की जरूरत है, सरकार ध्यान देगी।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): अध्यक्ष जी, मैं परसों अहमदाबाद गया था। वहां गोमतीपुर मौहल्ला अब पूरी तरह से शांत है, जहां दलितों और मुसलमानों को लड़ाने की साजिश हुई। दोनों की आबादी 25-25 हजार के लगभग है। हिरेन पांडया जी की हत्या का मामला हमने सदन में उठाया था। यह जगजाहिर है कि उनकी राजनैतिक हत्या हुई। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा): अध्यक्ष जी, रामविलास जी क्या बोल रहे हैं। इनको रोका जाना चाहिए। हत्यारे पकड़े गये हैं, इसके बाद भी ये राजनीति कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान: हरेन पांडया जी के पिता ने कहा कि वहां राम राज्य नहीं, रावण राज्य है। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: तुम लोगों ने ही उनके मुंह में यह बात रखी होगी ...*(व्यवधान)* सर, हत्यारे पकड़े गये हैं और उन्होंने सारी बातें कबूल कर ली हैं। ...*(व्यवधान)* गुजरात का मामला उठाना ठीक नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष जी, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन, वहां की पुलिस, अल्पसंख्यक लोगों को, मुसलमानों को पकड़-पकड़ कर बंद कर रही है और उन्हें यातनाएं दी जा रही हैं। ...*(व्यवधान)* जिस तरह से वहां अल्पसंख्यक लोगों को तंग किया जा रहा है और हम देख रहे हैं कि उग्रवाद देश में कैसे फैलाया जा रहा है। ...*(व्यवधान)* वहां के अल्पसंख्यक लोगों पर अत्याचार बंद हो। हम आग्रह करते हैं कि सरकार इस पर वक्तव्य दे। पार्लियामेंट की कमेटी वहां जाए। आप एक समिति का गठन कीजिए और उसे गुजरात भेजिए। इस तरह से काम नहीं चलेगा कि हरेन पांड्या की हत्या भी कराएंगे और वहां के अल्पसंख्यक लोगों को भी भड़काने का काम करेंगे। यह दोनों बातें नहीं चल सकती हैं। ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: सरकार बताए कि हरेन पांड्या का असली हत्यारा कौन है।

अध्यक्ष महोदय: रघुवंश जी, आप बैठ जाइए।

श्री विष्णु पद राय: अध्यक्ष जी, हाल ही में मैं पंचायत के चुनाव में बंगाल गया था। जहां मैं गया था वहां के गांव का नाम संदेशस्थल है और ब्लॉक का नाम मिनाक्षी। साउथ अपर्णा में करीब-करीब दो हजार मछली का भेड़ी है। एक लाख बीघा में वहां लोग प्रॉन्स-कल्चर करते हैं, झींगा का पालन करते हैं। पिछले तीन साल से उस भेड़ी में, मछली के कल्चर में, वायरस लग चुका है। टाइगर प्रॉन्स को लोकल लोग पाबदा मछली कहते हैं और झींगा को गलदा मछली कहते हैं। उस पर अप्रैल-मई के महीने में वायरस लग रहा है जिसके परिणामस्वरूप वहां का वातावरण दूषित हो रहा है। वहां खेतीबाड़ी नहीं होती है और वहां के लोगों की कमाई का जरिया झींगा-पालन है। वह झींगा मछली जापान, साउथ-ईस्टर्न के देशों में जाती है।

पिछले तीन साल से उस पर वायरस लगा है। दुनिया की मार्किट में इसका पता लगने से भारत की झींगा मछली का एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा। केन्द्र सरकार इसमें कार्रवाई करे। पिछले तीन साल से वहां की सीपीएम सरकार इस मामले में चुपचुप बैठी है। उसने इसकी रोकथाम के लिए कोई उपाय नहीं किए। यह लोगों की जीविका का प्रश्न है। केन्द्र सरकार इस मामले में जरूर कार्रवाई करे।

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा): महोदय, मैं एक ऐसा मामला उठाना चाहती हूं जो हम सबके लिए अत्यंत चिन्ता का विषय है।

सरकार या मंत्रालयों को चलाने के कतिपय प्रक्रिया संबंधी नियम हैं। एक दिन समाचार-पत्रों से इस बारे में सूचना मिली थी और अभी तक इसका प्रतिवाद नहीं किया गया है। मुझे ज्ञात है कि यह सच है क्योंकि अधिकारियों ने मुझे इसके बारे में बताया है। यह सच है कि भाजपा के अध्यक्ष, श्री वेंकैया नायडु जो कि भूतपूर्व ग्रामीण विकास मंत्री हैं ने एक बैठक बुलाई जिसके लिए विभाग ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के सभी अधिकारियों को उनके घर पर बैठक में आने के लिए एक नोटिस जारी किया। जब सचिव ने कहा कि यह नियमों का उल्लंघन होगा तो सूचना वापस ले ली गई। लेकिन बैठक हुई।

ऐसा समाचार आया है कि भाजपा अध्यक्ष के घर पर सुबह 8.30 बजे से 11.30 बजे तक हुई बैठक में ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यकरण की समीक्षा की गई। मेरा कहना है कि उस बैठक में जिसमें ग्रामीण विकास मंत्री भी उपस्थित नहीं थे फिर भी मंत्रालय में प्रचार कार्यों के लिए उपलब्ध बजट आदि सहित कई मामलों पर चर्चा हुई।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): अध्यक्ष महोदय, जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उनके बारे में यहां बात करना ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: उनके घर पर निदेशक से सचिव स्तर तक के सभी अधिकारी उपस्थित थे। यदि यह झूठ है तो उन्हें सभा में इस बात से इन्कार करने दीजिए। लेकिन मैं प्रमाण प्रस्तुत करूंगी। अधिकारियों ने आकर मुझे सूचित किया कि उस बैठक में क्या हुआ। यह सभी प्रकार के मानदण्डों का उल्लंघन है, भाजपा के अध्यक्ष ने भारत सरकार के अधिकारियों को अपने घर पर बुलाया और बैठक की। मैं सरकार से इसका उत्तर चाहती हूं, मैं यह जानना चाहती हूं कि यह सच है या नहीं ...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान: महोदय, यह अत्यंत गंभीर मुद्दा है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यदि आप नहीं बैठेंगे तो मैं आपको बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। अन्यथा मैं सभा स्थगित कर दूंगा।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का मामला उठाना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इस मामले को कल उठाइए। मैं मिनिस्टर साहब को जवाब देने के लिए कहूंगा।

[अनुवाद]

श्री अब्दुल हमीद (धुबरी): महोदय, असम के धूबरी में भयंकर चक्रवात आया था, जिसमें लगभग 34 लोग मारे गए और अनेक लोग घायल हुए। हमने इस सभा में यह मामला उठाने की कोशिश की थी, लेकिन दुर्भाग्य से सभा स्थगित कर दी गई। लेकिन उसी समय, यह मामला दूसरी सभा में उठाया गया और माननीय प्रधान मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया कि वे राज्य सरकार को सभी संभव सहायता प्रदान करेंगे। लेकिन फिर भी असम का दौरा करने के लिए कोई केन्द्रीय दल नहीं भेजा गया और अब तक राज्य का किसी ने भी दौरा नहीं किया है। मेरा अनुरोध है कि वास्तविकता का मूल्यांकन करने, मृतकों के निकट संबंधियों को 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान करने और उनके पुनर्वास की उचित व्यवस्था करने हेतु राज्य में एक केन्द्रीय दल भेजा जाए।

अपराहन 1.14 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराहन 2.15 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराहन 2.15 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.15 बजे पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए***]**

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए चक्रधरपुर और चाईबासा से होते हुए रांची और बडबिल के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री लक्ष्मण गिलुवा (सिंहभूम): उपाध्यक्ष महोदय, रांची से बडबिल वाया चक्रधरपुर एवं चाईबासा के बीच एक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाये जाने की अति आवश्यकता है। इस मार्ग पर आदिवासी जनजातियां रहती हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग के अभाव में यहां का क्षेत्रीय विकास नहीं हो पा रहा है जबकि यहां पर खनिज एवं कच्चे माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं और समुचित एवं आधुनिक तरह की सड़क के अभाव में इन कच्चे मामलों का दोहन कार्य ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। इन क्षेत्रों के समुचित आर्थिक विकास के लिए ऐसी सड़कों का होना अति आवश्यक है जिनका सम्पर्क राष्ट्रीय राजमार्गों से हो।

मेरा सदन के माध्यन से सरकार से अनुरोध है कि रांची से बडबिल वाया चक्रधरपुर एवं चाईबासा होते हुए एक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जाये जिससे इन पिछड़े क्षेत्रों का आर्थिक विकास किया जा सके।

(दो) झारखंड में चन्द्रपुर और बोकारो थर्मल पावर स्टेशनों द्वारा बिजली का उत्पादन बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार की नीति के अनुसार दामोदर घाटी निगम को नौवीं पंचवर्षीय योजना में 5000 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन करना था, जिसमें से 210 मेगावाट की दो ईकाई चन्द्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन एवं 210 मेगावाट कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन द्वारा उत्पादित करना था, परन्तु यह कार्य झारखंड के इन थर्मल पावर स्टेशनों में नहीं किया गया। इसके विपरीत डीवीसी ने मिजिया (पश्चिम बंगाल) में अतिरिक्त बिजली उत्पादन का काम शुरू कर दिया। यह सरकार की नीति के अनुसार नहीं है।

अत:, केन्द्र सरकार से मेरा आग्रह है कि झारखण्ड राज्य में खासकर सीटीपीएस एवं बीटीपीएस में सरकार की नीति के अनुसार अतिरिक्त बिजली उत्पादन कराया जाये।

[अनुवाद]

(तीन) आई.डी.पी.एल. की वीरभद्र इकाई के कर्मचारियों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री मानवेन्द्र शाह (टिहरी गढ़वाल): इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमि. (आईडीपीएल) वीरभद्र 1965 में शुरू किया गया था और वर्ष 1994 तक कार्यरत रहा। सरकार से इस आवश्यक उपक्रम को बंद न करने के बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद सरकार ने वीरभद्र इकाई को बंद करने का निश्चय किया है, जो एशिया की सबसे बड़ी एंटीबायोटिक इकाई थी। अब यह पूर्ण रूप से बंद होने ही वाली है।

तथापि, कर्मचारियों के भविष्य के बारे में पूरी तरह ठोस निर्णय नहीं किया जा सका है। जिन कर्मचारियों को कार्यमुक्त नहीं किया गया है, उनका भविष्य अभी भी अनिश्चित है। अनिश्चितता की वजह से सबसे ज्यादा वे प्रभावित हो रहे हैं जिनकी सेवानिवृत्ति में बहुत कम समय बचा है। इसी प्रकार की स्थिति उन कर्मचारियों की भी है जो आस्थगित भुगतान का विकल्प दिए बगैर 50 प्रतिशत भुगतान पा रहे हैं या ड्यूटी करते जा रहे हैं।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कर्मचारियों को यथाशीघ्र कार्यमुक्त किया जाना चाहिए या सरकार को उन्हें तदर्थ नियुक्ति देकर आईडीपीएल, हैदराबाद के पैटर्न का अनुकरण करना चाहिए। सरकार को अनुग्रह राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा रोकना नहीं चाहिए, जैसाकि आईडीपीएल की हैदराबाद एवं गुड़गांव इकाई में किया गया है, वीरभद्र इकाई के कर्मचारियों को लंबित अवकाश नकदीकरण और वर्दी के लिए भुगतान भी किया जाना चाहिए। सरकार को उन नियमों का पालन करना चाहिए जिनमें यह विहित है कि आवास को खाली करने तक 50 प्रतिशत उपदान को रोक कर रखना चाहिए। वीरभद्र इकाई में कर्मचारियों की रोककर रखी गयी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की 50% देय धनराशि को अविलम्ब दे दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

(चार) सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए छत्तीसगढ़ में खुडिया जलाशय को नर्मदा नदी से जोड़े जाने की आवश्यकता

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): उपाध्यक्ष महोदय, बिलासपुर जिला छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित मनियारी नदी पर खुडिया जलाशय के नाम पर बांध का निर्माण (50 वर्ष पूर्व) किया गया था, जिसकी किसानों की भूमि सिंचाई क्षमता 50,000 (पचास हजार) एकड़ थी। जो वर्तमान में बढ़कर 1,50,000 (एक लाख पचास हजार) एकड़ भूमि की सिंचाई हेतु हो गई है, जिससे सिंचाई कर पाना संभव नहीं है। उक्त जलाशय का राजीव जलाशय के नाम से नया नामकरण किया गया है। इसकी सिंचाई क्षमता को बढ़ाने हेतु म.प्र. राज्य के अमरकंटक से निकली नर्मदा नदी जिसकी लम्बाई 100 किलोमीटर के लगभग होगी और लागत 100 करोड़ रुपये से 150 करोड़ रुपये होगी, उक्त नदी में बारह मास पर्याप्त मात्रा में पानी रहता है, जो किसी काम नहीं आता।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जिला बिलासपुर के खुढिया जलाशय को अमरकंटक नर्मदा नदी से जोड़ा जाए तथा केन्द्र सरकार द्वारा जल संवर्धन नीति के अनुसार इसे बनाये जाने की स्वीकृति दी जाए, ताकि लोगों को दो फसली सिंचाई की सुविधा मिल सके और उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके।

[अनुवाद]

(पांच) उड़ीसा में बुरला स्थित मत्स्य अनुसंधान केन्द्र को वहीं रखे जाने की आवश्यकता

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानाल): यह अत्यंत चिन्ता की बात है कि उड़ीसा के बुरला स्थित केन्द्रीय मत्स्य अनुसंधान केन्द्र को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थानान्तरित कर दिया गया है। पश्चिम उड़ीसा के लोग उस अनुसंधान केन्द्र के स्थानान्तरण के बारे में जानकर उत्तेजित हैं। बुरला स्थित अनुसंधान केन्द्र अंतर्देशीय जल में मत्स्य विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहा था। हीराकुड का लगभग 74 हेक्टेयर जल क्षेत्र इस अनुसंधान केन्द्र के अधिकार क्षेत्र में था। बुरला अनुसंधान केन्द्र की स्थापना 1963 में की गई थी और यह तबसे वहीं कार्य कर रहा था। वर्ष 1999 में भी बुरला से इस अनुसंधान केन्द्र को हटाने के लिए इसी प्रकार के प्रयास किये गये थे। जन प्रतिनिधियों के अनुरोध पर केन्द्र सरकार ने उस समय इस प्रस्ताव को बिना कोई औचित्य बताये वापस ले लिया। मेरी मांग है कि उड़ीसा के लोगों के हित में बुरला स्थित मत्स्य अनुसंधान केन्द्र को वहीं कार्यरत रखना चाहिए।

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): महोदय, मैं अपने को इन विचारों से सम्बद्ध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: आपको अनुमति दी जाती है।

(छह) नागालैण्ड में इंजीनियरी और मेडिकल कॉलेज की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री के.ए. सांगतम (नागालैंड): वर्ष 1961 में नागालैंड के गठन से 40 वर्षों के भीतर राज्य की साक्षरता दर 23 प्रतिशत से बढ़कर 87 प्रतिशत हो गयी है। प्रारम्भ से अब तक उच्च तकनीकी शिक्षा के इच्छुक विद्यार्थियों को देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये कोटे पर निर्भर रहना पड़ता है और इन क्षेत्रों में सरकार द्वारा दिए जा रहे कोटे की तुलना में विद्यार्थियों की संख्या दस गुना बढ़ गई है। ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी राज्य सरकार को उपलब्ध आरक्षित सीटों की कमी के कारण अक्सर कोटे से वंचित रह जाते हैं। नागालैंड एक उग्रवाद प्रभावित राज्य हैं जहां के अनेक युवा निराश हैं और यदि उन्हें शिक्षा संबधी सुविधायें और रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं हुए तो उनके लिए बागी गुटों में शामिल होना आसान है।

मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि नागालैंड में बिना किसी विलम्ब के एक इंजीनियरिंग कालेज और एक मेडीकल कालेज की स्थापना की जाए ताकि हम उन युवाओं को उसमें दाखिला दे सकें जो कि राज्य के भीतर उच्च तकनीकी शिक्षा पाने में सक्षम हैं ताकि उन्हें सार्थक रोजगार मिल सके। इससे लोगों को मुख्य धारा में लाने में काफी सहायता मिलेगी।

(सात) त्रिवेन्द्रम में केरल उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री वरकला राधाकृष्णन् (चिरायिंकिल): त्रिवेन्द्रम में केरल उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना के लिए काफी लम्बे समय से मांग की जा रही है। केरल विधान सभा ने इस संबंध में एक संकल्प पहले ही पारित कर दिया था।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि त्रिवेन्द्रम में केरल उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना के लिए तत्काल कदम उठाए।

श्री वी. एस. शिवकुमार (तिरुअनन्तपुरम): महोदय, मैं स्वयं को इनकी बात से संबद्ध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: आज, एक अपवाद हो रहा है। आपको भी अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

(आठ) इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

श्री धर्मराज सिंह पटेल (फूलपुर): महोदय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। वर्ष 1887 में इसकी स्थापना की गई थी और इसे 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट के अंतर्गत लाया गया। उस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कक्षाएं विश्वविद्यालय परिसर में ही नहीं, बल्कि हालैन्ड हाल, के.पी.यू.सी. एवं हिन्दू हॉस्टल में भी आयोजित होती थीं। विश्वविद्यालय का परिसर केवल विश्वविद्यालय तक ही सीमित नहीं था, बल्कि अन्य ऐसी इकाइयों तक फैला था जिनका प्रबंध निजी ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपने संयुक्त महाविद्यालय के विभिन्न विभागों के माध्यम से, उच्च शिक्षा को समाज के बड़े वर्गों तक पहुंचाने का काम करता रहा है। इसके साथ ही सहयुक्त महाविद्यालय के प्राध्यापक अपनी कक्षाएं पढ़ाने के साथ-साथ शोध कार्य में भी संलग्न हैं। वर्तमान समय में 10 महाविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित हैं।

[श्री धर्मराज सिंह पटेल]

इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इस देश के प्रधान मंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्री, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, विभिन्न देशों में राजदूत तथा हजारों की संख्या में आई.पी.एस. और आई.ए.एस. शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, परन्तु अभी तक इस विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिया गया है।

मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं उससे संबंधित महाविद्यालय की पुनर्संरचना करके दिल्ली विश्वविद्यालय के आधार पर बहुपरिसरीय अवधारणा को अपनाते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया जाए।

(नौ) मध्य प्रदेश में नौगांव, छतरपुर में मद्यनिर्माणशाला के कारण होने वाले प्रदूषण को रोके जाने की आवश्यकता

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल (हमीरपुर, उ.प्र.): महोदय, मैसर्स काक्स डिस्टिलरी फैक्ट्री नौगांव, छतरपुर, मध्य प्रदेश में स्थापित है। इस फैक्ट्री द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण की ओर मैं आपके माध्यम से वन एवं पर्यावरण मंत्री व भारत सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

मैसर्स काक्स डिस्टिलरी फैक्ट्री उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थिति है। इस फैक्ट्री में आये दिन मोटर टायर्स जलाए जाते हैं जिसके कारण फैक्ट्री के आस-पास के गांव धर्वरा, गढ़िया, घिसल्ली, रावतपुर गंज, शिकारपुरा, चंद्रपुरा आदि जो सीलम नदी के किनारे हैं, वहां जलाए गए टायरों से जो प्रदूषण उत्पन्न होता है, उस प्रदूषित वातावरण से ग्रामवासी काफी परेशान हैं और न जाने कितने प्रकार की बीमारियों से ग्रामवासी पीड़ित हैं। फैक्ट्री का गंदा पानी भी सीलम नदी में गिराया जाता है। यह नदी उत्तर प्रदेश के लंबे भू-भाग में बहती है। सीलम नदी का पानी इतना विषैला हो गया है कि ग्रामवासी न तो स्नान कर सकते हैं और न ही पशुओं को पानी पिला सकते हैं। पशु अगर इस नदी का पानी पी लें तो वे अकारण मौत के शिकार हो जाते हैं। इस प्रदूषित पानी से खेतों में लगी फसलों की सिंचाई की जाती है तो फसल नष्ट हो जाती है। ग्रामवासियों द्वारा लगातार प्रशासन का ध्यान इस संबंध में दिलाया गया। प्रदूषण से फैक्ट्री के आस-पास की हवा-पानी व अन्य तत्व पूर्णतया प्रदूषित हैं। पूरे मानव समाज को प्रदूषित कर कोई भी फैक्ट्री चलाना कहां तक तर्कसंगत है।

अतः, मैसर्स काक्स डिस्टिलरी फैक्ट्री द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए ताकि स्थानीय जनता व प्राणी प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीवनयापन कर सकें।

[अनुवाद]

(दस) तमिलनाडु और अन्य राज्यों को शहरी क्षेत्र में सुधार के लिए निधि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री सी. श्रीनिवासन (डिंडीगुल): महोदय, पिछले वर्ष के बजट में शहर सुधार कोष के गठन की घोषणा की गई थी। लेकिन अभी तक किसी भी राज्य को पैसा जारी नहीं किया गया है। इसी दौरान, शहरी क्षेत्र में सुधार की एक रूपरेखा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इस संबंध में सात क्षेत्रों की पहचान की गई है। "भवनों के निर्माण और स्थल के विकास के लिए स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया को कारगर बनाने हेतु बनाए गए उप नियमों में संशोधन" करना सुधार का एक क्षेत्र है। सभी राज्यों ने परामर्श करके यह तय किया कि समझौता ज्ञापन में संशोधन किया जाना चाहिए। सचिव की अध्यक्षता में शहरी विकास मंत्रालय संबंधी समिति ने भी आश्वासन दिया है कि वह संबंधित मंत्रालयों के साथ परामर्श करके निर्णय लेंगे। लेकिन इसके विपरीत पर्यावरण और वन मंत्रालय ने तट संरक्षण के नाम पर एक एकपक्षीय आदेश जारी किया है। इससे तमिलनाडु जैसे अनेक राज्यों के अनेक शहरी केन्द्रों का विकास प्रभावित होता है जो कि चेन्नई शहर को नया रूप देने का प्रयास है। अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि केवल केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय को ही यह जिम्मेदारी सौंपी जाए जैसाकि विगत में आश्वासन दिया गया था और राज्यों को शीघ्रातिशीघ्र धनराशि जारी की जाए।

[हिन्दी]

(ग्यारह) बिहार में महेशखुन्ट और सहरसा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-107 और बीरपुर तथा मधेपुरा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-106 का समुचित रखरखाव किए जाने की आवश्यकता

श्री दिनेश चन्द्र यादव (सहरसा): उपाध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में पड़ने वाले एन.एच. की स्थिति काफी खराब रहने से आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास एवं अनुरक्षण के लिए आबंटित राशि का उपयोग करने में बिहार सरकार सक्षम नहीं हो रही है।

माननीय उच्च न्यायालय पटना ने राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास एवं अनुरक्षण के लिए आबंटित राशि का उपयोग बिहार सरकार

द्वारा नहीं करने पर राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्रालय भारत सरकार को अपने अधीनस्थ एजेंसी निर्धारित कर राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्य को सम्पादित करने का निर्देश कई अवसरों पर दिया है, लेकिन केन्द्रीय सरकार द्वारा उस दिशा में अब तक कोई कार्यवाही नहीं करने से बिहार के खराब राष्ट्रीय राजमार्ग और भी जर्जर होते जा रहे हैं।

अत: केन्द्र सरकार, माननीय उच्च न्यायालय पटना के निर्देश के आलोक में बिहार राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास एवं अनुरक्षण के लिए अपने अधीनस्थ एजेंसी गठित कर जर्जर सड़कों के निर्माण को पूरा कराए एवं उक्त एजेंसी से ही मेरे संसदीय क्षेत्र से गुजरने वाले एन.एच.-107 के महेशखुंट-सोनवर्षाराज-सिमरी बख्तियारपुर-बरियाही बाजार-सहरसा-70 कि.मी. एवं एन.एच.-106 के बीरपुर से मधेपुरा-70 कि.मी. जर्जर सड़क की विशेष मरम्मत शीघ्र कराए।

[अनुवाद]

(बारह) क्षेत्र में कल्याण कार्यक्रमों को चलाने के लिए तमिलनाडु स्थित नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड को निदेश दिए जाने की आवश्यकता

श्री ई. पोन्नुस्वामी (चिदंबरम). महोदय, तमिलनाडु में नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले ऐसे लोगों जिन्होंने एन.एल.सी. के कारण अपनी सारी भूमि गंवा दी है के कल्याण पर 700 करोड़ रुपये के लाभ में से आधा प्रतिशत भी खर्च नहीं कर रहा है। सरकारी क्षेत्र के इस उपक्रम को सामुदायिक भवन, विद्यालय, पुस्तकालय इत्यादि कुछ सुविधाओं सहित सड़कें बनाने, सिंचाई और पेयजल उपलब्ध करवाने में भी सहायता करनी चाहिए।

मुझे एन.एल.सी. अस्पताल के खराब प्रबंधन के संबंध में अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। मुख्य बीमारियों के इलाज के लिए अस्पताल को न तो अत्याधुनिक उपकरण प्रदान किए गए हैं और न ही विशेषज्ञ दिए गए हैं। जिसके परिणामस्वरूप मरीजों को अधिकतर आपात मामलों के लिए चेन्नई और अन्य स्थानों के कुछ बड़े अस्पतालों में भेजा जाता है।

एन.एल.सी. को उन सभी भू-निष्कासितों जिन्होंने सामाजिक दायित्व के रूप में अपनी भूमि इस महान संगठन को सौंप दी है, को चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवानी चाहिए।

मुझे विश्वास है कि सरकार, सरकारी क्षेत्र के इस उपक्रम को अपना एक प्रतिशत लाभ नियमित रूप से लोगों के कल्याण के लिए उपलब्ध कराने हेतु निदेश देगी।

अपराह्न 2.33 बजे

राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध विधेयक, 2000—*पारित*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध विधेयक पर विचार करेगी। इस प्रयोजन के लिए निर्धारित समय छह घंटे का है।

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): महोदय, इससे पहले कि मैं इस विधेयक के संबंध में कुछ प्रारंभिक टिप्पणियां दूं। मेरा एक अनुरोध है। चूंकि यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है, इसलिए मैं सभा के हस्तक्षेप का स्वागत करता हूं। लेकिन इस संबंध में चर्चा आज ही समाप्त हो जानी चाहिए ताकि मैं इसे दूसरी सभा में प्रस्तुत कर सकूं और इस सत्र के समाप्त होने से पहले यह अधिनियमित हो जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: यदि सभा सहमत है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री जसवंत सिंह: मेरा अनुरोध यह है कि हम इस विधेयक पर आज ही चर्चा समाप्त कर लें ताकि मैं सत्र समाप्त होने से पहले राज्य सभा में शेष औपचारिकताओं को भी पूरा कर सकूं।

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): हम सहयोग देंगे।

श्री जसवंत सिंह: मैं प्रस्ताव करता हूं:

> ''कि राजवित्तीय प्रबंध में पर्याप्त राजस्व अधिशेष प्राप्त करके और दीर्घ-कालिक बृहत् आर्थिक स्थायित्व को सुनिश्चित करने, राजवित्तीय घाटे को दूर करने और मुद्रा नीति के प्रभावी संचालन में राजवित्तीय बाधाओं को हटाने को सुनिश्चित करने और केन्द्रीय सरकार के उधारों, ऋण और घाटे पर सीमा के माध्यम से राजवित्तीय वहनीयता से संगत प्रज्ञावान ऋण प्रबंध से केन्द्रीय सरकार की वित्तीय संक्रियाओं में और अधिक पारदर्शिता लाने तथा किसी मध्यम कालिक रूपरेखा में राजवित्तीय नीति के संचालन के लिए केन्द्रीय सरकार के उत्तरदायित्व तथा उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक दिसम्बर, 2000 में संसद में पुर:स्थापित किया गया था। तत्पश्चात् इसे वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया और इस विधेयक के प्रावधानों की

[श्री जसवंत सिंह]

विस्तृत जांच के बाद स्थायी समिति ने अपने एक प्रतिवेदन में विभिन्न टिप्पणियां और सिफारिशें कीं जिसे नवम्बर, 2001 में सभा पटल पर रखा गया था। इन सिफारिशों के आधार पर अब विधेयक में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि इस संबंध में विधेयक के प्रावधानों और संशोधनों पर विचार आरम्भ किया जाए, मुझे भारतीय अर्थव्यवस्था की उपलब्धियों के संबंध में संक्षेप में कुछ कहने की अनुमति दीजिए। नब्बे का दशक वृहत् आर्थिक विकास का गवाह रहा है जिसमें मुद्रास्फीति की दर नियंत्रित रही है, विदेशी मुद्रा भंडार में निरंतर वृद्धि हुई है तथा चालू खाते में सकारात्मक शेष रहा है। यद्यपि वृहत आर्थिक मानदंड मजबूत रहे हैं तथापि एक क्षेत्र चिन्ता का कारण बना हुआ है जिस पर सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। यह सुदृढ़ राजकोषीय प्रबंधन से संबंधित है। केन्द्र सरकार को उच्च राजस्व की प्राप्ति भी होती है और राजकोषीय घाटे का सामना भी करना पड़ता है। बढ़ते हुए घाटे के कारण अधिक ऋण लेना पड़ता है जिससे ऋण में और वृद्धि होती है, अत: ऋण भुगतान संबंधी लागत बढ़ जाती है। इसके परिणामस्वरूप, अनेक वर्षों से केन्द्र सरकार की बकाया देयताएं निरंतर बढ़ी हैं और 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार कुल 18,00,000 करोड़ की देयताओं का अनुमान लगाया गया है। इन देयताओं पर केवल ब्याज का भार ही 1,23,000 करोड़ होगा। इसमें हमारी राजस्व संबंधी आय का लगभग 50 प्रतिशत लग जाएगा। यह महत्वपूर्ण है कि हम अधिक घाटे, अधिक ऋण और अधिक ब्याज के बोझ के इस दुष्चक्र से बाहर निकलें। हमें धीरे-धीरे बचत की व्यवस्था की ओर कार्य करने की आवश्यकता है जिसका तत्पश्चात् सरकारी निवेश के लिए लाभकर उपयोग किया जा सकता है और इससे एक स्थिर राजकोषीय वातावरण में आर्थिक विकास होगा।

प्रस्तावित विधान देश के राजकोषीय इतिहास में ऐतिहासिक है। यह उचित स्तरों तक सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में ऋण को कम करके, राजस्व अधिशेष के सृजन द्वारा मध्यावधिक रूप में राजकोपीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार को बाध्य करता है।

जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया है, वित्त संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि विधेयक में जिन विशिष्ट लक्ष्यों को निर्धारित किया गया था वे अब इस विधान का हिस्सा नहीं हैं। उन्हें इस अधिनियम के अधीन बनाए जाने वाले नियमों में सम्मिलित किया जाए ताकि राजवित्तीय कार्यों में लचीलापन बनाए रखा जा सके। राज वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध विधेयक को प्रतिवर्ष बजट के साथ निम्नलिखित विवरणों को सभा पटल पर रखने के लिए कहती है।

(क) मध्यम कालिक राजवित्तीय नीति विवरण;

(ख) राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण; और

(ग) बृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण।

इससे बजट बनाने के कार्य में वृहत आर्थिक रूपरेखा और दीर्घकालिक परिदृश्य में अधिक मदद मिलेगी ताकि दीर्घकालिक नीति उद्देश्यों के साथ-साथ इसमें पारदर्शिता, स्थायित्व और सामंजस्यता सुनिश्चित कराई जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध विधेयक को प्रस्तावित संशोधन के साथ विचार करने और सभा द्वारा पारित करने की सिफारिश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि राजवित्तीय प्रबंध में पर्याप्त राजस्व अधिशेष प्राप्त करके और दीर्घ-कालिक बृहत् आर्थिक स्थायित्व को सुनिश्चित करने, राजवित्तीय घाटे को दूर करने और मुद्रा नीति के प्रभावी संचालन में राजवित्तीय बाधाओं को हटाने को सुनिश्चित करने और केन्द्रीय सरकार के उधारों, ऋण और घाटे पर सीमा के माध्यम से राजवित्तीय वहनीयता से संगत प्रज्ञावान ऋण प्रबंध से केन्द्रीय सरकार की वित्तीय संक्रियाओं में और अधिक पारदर्शिता लाने तथा किसी मध्यम कालिक रूपरेखा में राजवित्तीय नीति के संचालन के लिए केन्द्रीय सरकार के उत्तरदायित्व तथा उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करने के पहले, मैं आपके ध्यान में यह तथ्य लाना चाहूंगा कि मैं इस समिति का सभापति था, जिसका प्रतिवेदन दिया गया था और किसी सदस्य द्वारा कोई आपत्ति उठाने से पहले मैं आपकी अनुमति चाहता हूं कि मैं इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त कर सकूं। समिति के अन्य सदस्यों को भी मौका दिया जाए जो इस पर अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। श्री स्वाइं यहां बैठे हुए हैं। वह भी अपनी बात कह सकते हैं। उन्हें भी बोलने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: वह आपके बाद ही बोलने जा रहे हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील: धन्यवाद महोदय, मैं अत्यन्त संक्षेप में बोलूंगा।

यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विधान है और सरकार अत्यन्त इच्छुक है कि यह विधेयक पारित किया जाए। हम भी इच्छुक हैं

कि यह विधेयक पारित हो। हम जानते हैं कि यह विधेयक आर्थिक विकास, राजवित्तीय जिम्मेदारियों और बजट प्रबंधन के क्षेत्र में देश में हमारे द्वारा झेली जा रही सभी समस्याओं को हल नहीं करेगा। फिर भी कुछ हद तक कम से कम यह हमारी मदद करेगा और इसलिए हमें इसका समर्थन करना चाहिए। जब मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करता हूं जो कुछ मामलों में विधेयक के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है तो यह नहीं समझा जाए कि मैं पूरे विधेयक का विरोध कर रहा हूं। विधेयक की भावना स्वागत योग्य है लेकिन ब्यौरों पर हम चर्चा करेंगे। हम इन मिल प्रावधानों पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।

इस प्रकार का विधान अन्य देशों में भी उपलब्ध है। कुछ देशों में यह मदद करता है कुछ देशों में यह मदद नहीं करता। कुछ देशों में जहां यह मदद नहीं करता वहां यह देखा जा रहा है कि इस प्रकार के विधेयक को या तो कानून की किताब से हटा दिया जाए अथवा इसको संशोधित किया जाए। मैं उनके ब्यौरों में नहीं जा रहा हूं। मैं तो यहां यह कहना चाहता हूं कि यह कई देशों में मदद करता है और कुछ अन्य देशों में यह मदद नहीं करता है।

जब इस विधेयक पर स्थायी समिति द्वारा विचार किया गया था तो वहां जो अधिकारी थे और उन्होंने काफी सहायता की थी। मैं इस सभा में यह बताना चाहता हूं कि उन्होंने विस्तार से इस विधेयक के प्रावधानों का वर्णन किया था। विशेषज्ञों को इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया गया था। कुछ प्रोफेसर और शिक्षाविद भी थे जिन्हें इस विधेयक पर अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्होंने इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त किये थे।

मैं सरकार का आभारी हूं कि उन्होंने स्थायी समिति द्वारा दी गई 9 सिफरिशों को स्वीकार कर लिया है। उन सिफारिशों को विधेयक में जोड़ा गया है। इससे हमको काफी सन्तुष्टि हुई है। इससे समिति प्रणाली को सबल बनाने में मदद मिलेगी। इसमें हमें उन कानूनों को बनाने में मदद मिलेगी जो हम सबके लिए सहायक होंगे।

सांख्यिक सीमा निर्धारित करने के लिए नियम बनाने को स्वीकार करके सरकार ने ठीक ही किया है जिसे विधि के माध्यम से प्रदान करने का इरादा था। यह सरकार को काफी छूट देगी। हमारा कहने का तात्पर्य है कि यदि सरकार राजकोषीय घाटे और वित्तीय घाटे को कम करने के लिए परिव्यय पर सीमा लगाना चाहती है तो सरकार को ऐसा करने का अधिकार और छूट होगी। इस प्रकार के विधेयक के बिना अथवा नियम के बिना भी यदि सरकार इसे करने की इच्छुक है तो सरकार को ऐसा करने की छूट होगी। लेकिन यदि सरकार इस प्रकार का कानून बनाना चाहती है तो हम समझते हैं कि इससे सरकार के हाथ काफी हद तक बंध जाएंगे। यदि यह सरकार चाहती है तो उन्हें कुछ कठिनाइयां भी झलनी पड़ेंगी। यदि कोई और सरकार आती है तो उसे भी कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए हमने यह मार्ग चुना है जो न तो यहां उपलब्ध स्थिति की चरम सीमा पर है अर्थात सरकार के हाथ बंधे हुए हैं और कोई विधिक व्यवस्था नहीं है जो वास्तव में सहायक हो सकती है। इसीलिए समिति ने सुझाव दिया है कि यदि सरकार को सांख्यिक सीमा अथवा को विनिदेश रखना चाहती है तो इसे विधेयक के माध्यम से करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि इसे नियमों के माध्यम से किया जाए। सरकार नियम बना सकती है। वह नियमों का प्रयोग भी कर सकती है। नियम और कुछ नहीं एक प्रकार के कानून ही है। उनको विधेयकों की तरह पारित नहीं किया जाता है फिर भी नियम मदद करते हैं। मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि सरकार ने समिति द्वारा दिये गये इस सुझाव को स्वीकार किया है। सरकार ने भी कुछ परिभाषाओं को संशोधित किया है।

प्रावधानों में से एक प्रावधान पर मुझे चिन्ता है वह यह है। यह खण्ड 5 में दिया गया है यहां कहा गया है ''केन्द्रीय सरकार रिजर्व बैंक से उधार नहीं लेगी।'' यदि सरकार रिजर्व बैंक से उधार नहीं लेती है और यदि इसे धन की आवश्यकता होती है तो इसे कहां से प्राप्त होगा। यह धन की प्राप्ति या तो राजस्व बढ़ाकर कर सकती है अथवा यह उधार लेगी। इसे खुले बाजार से अथवा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से उधार लेना पड़ेगा। यदि इसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से लेना पड़ता है तो यह बहुत अच्छा है। इसका कारण अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से लिये जाने वाले धन की ब्याज की दर कम होगी। लेकिन मान लो सरकार अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से धन लेने की स्थिति में नहीं है और यदि उसे खुले बाजार से ऋण लेना पड़ता है तो यह किस प्रकार सरकार की मदद करेगा? रिजर्व बैंक से लिए गए ऋण की ब्याज दर खुले बाजार से लिए गए ऋण की ब्याज दर से कम होगा। माननीय मंत्री जी ने यहां ठीक ही कहा है कि ऋण भार बढ़कर 18 लाख करोड़ रुपये हो गया है जिस पर 1.18 लाख करोड़ रुपये ब्याज देना पड़ता है। ऐसा क्यों हुआ है?

आइए इस बात पर विचार करें। राज्य सरकार भी भुगत रही है। इसका कारण यह है कि वह भी खुले बाजार से ऋण ले रही है। संघ सरकार खुले बाजार से ऋण नहीं ले रही है जैसाकि राज्य सरकार कर रही है। इसीलिए संघ सरकार अत्यन्त कष्ट में नहीं है जैसाकि राज्य सरकार ऋण भार के कारण कष्ट में है। यह उतने कष्ट में नहीं है। मैं जानता हूं कि कुछ राज्यों ने पहले से ही खुले बाजार से ऋण लिया हुआ है और वह 16% से 18% ब्याज दे रही है। यदि आप 4% पर उधार नहीं लेते और यदि आपको

[श्री शिवराज वि. पाटील]

कानून द्वारा 18% ब्याज पर उधार लेने के लिए बाध्य किया जाता है तो यह राजकोषीय घाटे को कम करने में सरकार की किस प्रकार सहायता करेगा। मैं यह समझने में असमर्थ हूं।

यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर सरकार को विचार करना पड़ेगा। लेकिन हम सरकार को इस प्रावधान का भी उपयोग करने के लिए अनुमति देने को सहमत होंगे कि वह देखे कि ऋण भार घटे, ब्याज भार भी घटे लेकिन इसके साथ-साथ हम यह भी चाहेंगे कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि वह अवसंरचना के विकास के लिए धन दे। अवसंरचना को विकसित किए बिना हम उद्योग अथवा कृषि अथवा किसी अन्य व्यवसाय का विकास करने में असर्थ होंगे और इससे हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अत्यन्त कठिनाई होगी। इसलिए जहां तक अवसंरचना के विकास का संबंध है धन की कमी नहीं होनी चाहिए। सरकार आगे नहीं आ रही है और यह भी नहीं कह रही है कि उनके पास धन नहीं है और इसीलिए वह अवसंरचना का विकास नहीं कर सकी।

दूसरी कई चीजें की जानी हैं जिससे लोगों को सहायता मिलेगी। उदाहरण के लिए पेय जल का मामला लीजिए। पेयजल देश के कई स्थानों पर उपलब्ध नहीं है। मान लो सरकार कहती है कि उनके पास धन नहीं है और सरकार रिजर्व बैंक से उधार नहीं ले रही है और यदि लोगों को पेय जल उपलब्ध नहीं है तो कौन भुगतेगा? लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। सरकार कठिनाईयों से अचेत नहीं रह सकती जिसे लोग इसके कारण महसूस करेंगे।

तीसरा, यदि आप राजसहायता को कम करना चाहते हैं तो आपको राजसहायता को तर्कसंगत बनाना होगा। यदि आप खाद्यान्न आपूर्ति पर दी जाने वाली राजसहायता को हटाना चाहते हैं तो गरीब लोग को सहन करना पड़ेगा। इस देश में रह रहे लोगों के पास भूमि नहीं है, उद्योग नहीं हैं दुकानें नहीं हैं और उनके पास रोजगार भी नहीं है जिसकी वे इच्छा करते हैं। यदि खाद्यान्नों को राजसहायता दी जानी है तो आप उन्हें खाद्यान्नों पर राजसहायता देने से इन्कार करने की स्थिति में नहीं होंगे।

सौभाग्यवश सरकार ने खाद्यान्नों पर राजसहायता को घटाया नहीं है। यह अच्छी बात है। लेकिन यदि कोई आपको सुझाव दे कि आपको खाद्यान्नों पर राजसहायता घटानी चाहिए तो यह उपयोगी नहीं होगा। यदि आप लोगों को रोजगार प्रदान करने वाली धनराशि की उपलब्धता को कम करेंगे तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। अतः इस बात पर मेरा अनुरोध है कि केन्द्रीय सरकार को रिजर्व बैंक से उधार नहीं लेना चाहिए। मैं नहीं जानता कि यह किस प्रकार सहायक होगा।

इस समय हम घाटे के संकट से ग्रस्त हैं। हम घाटे के संकट को कैसे दूर करें? हमसे यह प्रश्न कभी-कभी पूछा जाता है और इस तरह के कानून से उत्तर नहीं मिलता है। मैं सहमत हूं कि कानून कुछ हद तक सहायक होगा, किंतु इसका उत्तर कहीं और से आएगा। उत्तर कहां से आएगा? उत्तर सुशासन से आएगा। मैं सुशासन के लिए किसी मंत्री को उत्तरदायी ठहराने नहीं जा रहा हूं। मैं सुशासन के लिए किसी मंत्री को भी उत्तरदायी नहीं ठहराने जा रहा हूं। सुशासन के लिए पूरी सरकार को उत्तरदायी होना होगा। यदि सुशासन नहीं है और यदि कोई वित्त मंत्री को राजस्व इकट्ठा करने एवं निधियां उपलब्ध कराने और विकास सुनिश्चित करने के लिए कह रहा है तो वित्त मंत्री कुछ भी करने की स्थिति में नहीं होंगे। सरकार के प्रत्येक मंत्री को, समवेत रूप से, सुशासन के लिए उत्तरदायी होना होगा।

अब, उदाहरण के लिए, जितनी बिजली का हम उत्पादन करते हैं उसके संबंध में, हमें सूचना मिलती है कि उसमें से 40 प्रतिशत बिजली की चोरी हो जाती है। कभी-कभी हम से कहा जाता है कि यह राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। कभी-कभी हमसे कहा जाता है कि वे उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। कुछ हद तक, हमसे जो कहा जाता है वह सही है। यह पूरी तरह से सुनिश्चित करना कि बिजली की चोरी नहीं हो, भारत सरकार का उत्तरदायित्व नहीं है। यह सुनिश्चित करना राज्य सरकारों का भी कर्त्तव्य है कि बिजली की चोरी न हो और देश में उत्पादित बिजली का 40 प्रतिशत भाग चोरी हो जाता है। हम विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं और यदि उस बिजली की चोरी हो जाती है और यदि हम बिजली की इस प्रकार की चोरी को रोकने की स्थिति में नहीं हैं तो राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहना चाहिए कि बिजली की चोरी न हो। केन्द्र सरकार भी बिजली का उत्पादन कर रही है और यदि उस बिजली की चोरी की जाती है तो, उसे रोका जाना चाहिए। यदि बिजली को उसके उत्पादन केन्द्र से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में कोई पारेषण क्षति होती है तो नई प्रौद्योगिकियों को अपनाकर इसे रोका जाना चाहिए और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो यह सुशासन नहीं है।

उदाहरण के लिए, मुझे भारत सरकार की परियोजनाओं की जांच करने का अवसर मिला था। समिति ने भारत सरकार की 200 परियोजनाओं की जांच की थी। इसके बारे में समिति के समक्ष उपस्थित अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई थी और एक प्रतिवेदन दिया गया था। मैं अभी उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं और मैं उस प्रतिवेदन के अंश को पढ़ने नहीं जा रहा हूं। किन्तु मैं इस सभा में यह कहना चाहता हूं कि वर्ष 2000-2001 में भारत सरकार की 200 परियोजनाओं की लागत और समय में वृद्धि हो गई। इसमें लागत की कितनी वृद्धि हुई? सिर्फ 200 परियोजनाओं

की लागत में 16000 करोड़ रु. से अधिक की वृद्धि हो गई। यदि यह आवश्यक है और यदि कोई मेरे निवेदन को चुनौती देता है, तो मैं प्रतिवेदन मंगवाकर इसे प्रस्तुत करूंगा, किंतु इस समय मैं यह प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं। यदि सिर्फ 200 परियोजनाओं की लागत वृद्धि 16000 करोड़ रु. है तो घाटे में कमी करने के लिए इसे क्यों नहीं रोका जाना चाहिए।

हमने अपने देश में विद्युत संयंत्र स्थापित किए हैं और हमने सिंचाई के लिए बांधों का निर्माण किया है। जब वहां विद्युत संयंत्र मौजूद हैं और यदि एकत्र किए गए पानी का 30 प्रतिशत, जिसे विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग किया जा सकता है, का उपयोग नहीं किया जाता है तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है? हो सकता है, कुछ हद तक राज्य सरकारें इसके लिए उत्तरदायी हों। इस मुद्दे को राष्ट्रीय विकास परिषद् में उठाया जाना चाहिए और संबंधित लोगों को यह कहना चाहिए कि इस तरह की बर्बादी स्वीकार्य नहीं है। मुझे बताया गया है कि कुछ विद्युत संयंत्रों की क्षमता का सिर्फ 18 प्रतिशत उपयोग किया जाता है। यदि विद्युत संयंत्र की क्षमता का मात्र 18 प्रतिशत उपयोग किया जाता है और लगभग 85 प्रतिशत क्षमता का उपयोग नहीं किया जाता है तो क्या यह अकुशल शासन नहीं है? हो सकता है कि यह अकुशल शासन राज्यों के स्तर पर हो और हो सकता है कि अकुशल शासन राष्ट्रीय स्तर पर भी हो। एक देश के रूप में हम इसके लिए उत्तरदायी हैं और यदि केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के लिए एक साथ बैठने और इस तरह की बर्बादी से बचने का कोई औपचारिक तंत्र नहीं है तो इससे हमें कोई लाभ नहीं होगा। कम से कम, राष्ट्रीय विकास परिषद मौजूद हैं जहां मुख्य मंत्री और केन्द्र सरकार के अन्य मंत्री एक साथ बैठते हैं। क्या इस पर वहां चर्चा नहीं होनी चाहिए?

क्या इस पर चर्चा की गई थी? यदि इस पर चर्चा नहीं की गई, तो इस पर चर्चा क्यों नहीं की गई? यदि इस पर चर्चा नहीं की गई और यदि घाटे की वित्त व्यवस्था है तो एक मंत्री को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। इसके लिए पूरी व्यवस्था और वे सभी जो राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर शासन कर रहे हैं को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए।

हम चाहते हैं कि उत्पादन हो कोई उपयुक्त आयोजना नहीं है और योजनाएं गड़बड़ा रही हैं। मैं विद्युत उत्पादन के बारे में अध्ययन कर रहा था। नौवीं पंचवर्षीय योजना में प्रावधान किया गया था कि पांच वर्षों में 48,000 मे.वा. विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। यह नहीं हो सका। इसे घटा कर 28,000 मे.वा. कर दिया गया। इतना भी उत्पादन नहीं किया जा सका और इसे घटाकर 20,000 मे.वा. कर दिया गया। यह किस प्रकार की आयोजना है? यह गलत आयोजना है। हर चीज गड़बड़ा रही है। इससे आयोजना में अकुशलता का पता चलता है। इससे योजना के कार्यान्वयन में अकुशलता का पता चलता है और यह कुशासन और अकुशल शासन है।

दुर्भाग्यवश, लोक सभा में नौवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधिक मूल्यांकन पर चर्चा करने का हमें कोई अवसर नहीं मिला, जिसके प्रति भारत सरकार वित्तीय मामलों और अन्य मामलों में उत्तरदायी है। सौभाग्यवश, इस पर राज्य सभा में चर्चा की गई थी, किंतु लोक सभा में नहीं। इस पर लोक सभा में चर्चा क्यों नहीं की गई?

मैं जो बात कहना चाहता हूं वह यह है कि जब तक आप समुचित ढंग से शासन नहीं करेंगे, जब तक आप योजना ठीक से नहीं बनाएंगे, जब तक आप उन निधियों का उपयोग नहीं करेंगे जो आपके पास उपलब्ध है, आप अपनी घाटे की वित्त व्यवस्था को कम नहीं कर सकते, आप इस तरह के विधान बना कर अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ नहीं कर सकते। यह कहने के बावजूद मैं इस कानून का स्वागत करता हूं, यह एक स्वागत योग्य कदम है, मैं केवल यह कह रहा हूं कि हम कहां गलती कर रहे हैं। हमारा व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए, सब कुछ समेट कर देखना चाहिए।

यहां हम वित्तीय मामलों पर विचार कर रहे हैं और यहां हम उन समस्याओं पर विचार नहीं कर रहे हैं जो लोगों के समक्ष आएंगी जैसे पेय जल की समस्या, खाद्यान्न की समस्या, परिवहन की समस्या, शिक्षा की समस्या, चिकित्सा सुविधाओं की समस्या, इत्यादि। यदि हम उन पर विचार नहीं कर रहे हैं तो यह एकांगी शासन होगा और यह वास्तव में लाभप्रद नहीं होगा।

हम इन दिनों किस बात पर चर्चा कर रहे हैं? इन दिनों हम विनिवेश और सरकार के आकार को कम करने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यदि आपको ऐसा करना आवश्यक लगता है तो विनिवेश कीजिए। हम विनिवेश पर आपत्ति नहीं कर रहे हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। हम कह रहे हैं कि इसे उपयुक्त रीति से कीजिए, जिससे आपको अधिक उत्पादन में सहायता मिलेगी, इसे इस तरह से कीजिए जिससे आपको वास्तव में लाभ हो। हम हर समय सरकार के आकार को कम करने पर चर्चा करते रहते हैं। हम कह रहे हैं कि रोजगार देने की बजाए वे जो रोजगार में हैं उन्हें बेरोजगार बना देना चाहिए। अब हम कह रहे हैं कि यह लोगों को अधिक उत्पादन करने में अपना सर्वाधिक योगदान करने हेतु लोगों को प्रेरित नहीं करने जा रहा है। यह लाभप्रद नहीं होने जा रहा है। योजना सही होनी चाहिए। लोगों को प्रेरित किया जाना चाहिए। देश की विद्यमान शक्ति को विकसित करना होगा और उसे काम में लगाना होगा।

[श्री शिवराज वि. पाटील]

इस समय देश की विद्यमान शक्ति क्या है? प्राकृतिक संसाधन, वन, जल, भूमि, मानव संसाधन और ये सभी चीजें इस देश की शक्ति हैं। आप उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं। इस तरह का कानून बनाकर आप यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके पास अधिक धन हो और आपका बजट अच्छा हो। इससे आपको मदद मिलेगी लेकिन इससे आपको पूरी मदद नहीं मिलेगी। हमें इस मुद्दे पर बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। हम इस प्रकार की चीज पर आपत्ति कर रहे हैं और मैं इन मुद्दों को जो उतने ही महत्वपूर्ण हैं रेखांकित करने के लिए इस अवसर का लाभ उठा रहा हूं।

इस कानून में एक प्रावधान है जिसके बारे में मैं अपना वक्तव्य देना चाहता हूं और फिर मैं बैठ जाऊंगा, और यह प्रावधान न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर निकालने से संबंधित है। मैं उस मुद्दे पर आपको शुभकामना देता हूं। वकील के रूप में, हमने इसका अध्ययन किया है। विशेषज्ञों ने इस मुद्दे पर अपनी राय दी है। हमें बताया गया कि आप एक संविधि बना सकते हैं जो मामलों की सुनवाई करने से न्यायालयों को निषिद्ध करते हैं। संभवत:, सिर्फ संविधान में संशोधन करके आप ऐसा कर सकते हैं, किंतु संविधान के विद्यमान प्रावधान भी सहायक सिद्ध नहीं हुए हैं और न्यायालयों ने कहा है कि यदि यह संविधान में भी है तब भी, उन्हें लोगों के प्रति किए गए प्रत्यक्ष अन्याय को रोकने का अंतर्निहित क्षेत्राधिकार है।

अपराह्न 3.00 बजे

अब, यह कानून बन रहा है। इसलिए, मैं इसका उल्लेख सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि इस कानून के प्रति सरकार को अत्यधिक सावधान रहना चाहिए। यदि सरकार कहीं चूक करती है तो इस विषय को न्यायालय में ले जाया जा सकता है। यह कहना अत्यन्त कठिन होगा कि इस प्रावधान के कारण जिसे आपने संशोधित किया है, यह प्रावधान कहता है कि न्यायालय मामले की सुनवाई नहीं करेगा। पहले यह था कि लोग मामले को न्यायालय में नहीं ले जाएंगे। अब आप यह कह रहे हैं कि न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होगा। इससे कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह आपके लिए पूर्णत: सहायक नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि इससे आपको लाभ हो। मैं चाहता हूं कि ऐसी कोई घटना नहीं हो कि किसी को न्यायालय में समाधान के लिए जाना पड़े अथवा यह दिखाया जाए कि जो प्रत्याशित था वैसा नहीं हुआ। मैं सिर्फ यही कहना चाहता था। मैं मंत्रालय को शुभकामनाएं देता हूं और मैं चाहता हूं कि यह कानून आपको सुधार करने में मदद करे। इसके साथ ही, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि यह कानून अकेले सहायक सिद्ध नहीं होगा। कई अन्य काम भी करने पड़ेंगे।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं इस विधेयक को पुन: लाने का साहस दिखाने के लिए माननीय वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं। यद्यपि, वित्त संबधी स्थायी समिति ने इसकी सारी शक्तियों को छीन लिया था इसे पूरी तरह अप्रभावी विधेयक बनाने और दिखावटी व्यवस्था करने का प्रयास किया था।

महोदय, वास्तव में, मैं जानता था कि श्री शिवराज पाटिल बातचीत आरम्भ करेंगे और चूंकि वह स्थायी समिति के सभापति थे तो मैं उनका विरोध करने के लिए यहां नहीं बैठा था। मैं उत्सुकतापूर्वक सुनना चाहता हूं कि वह क्या कहना चाहते हैं।

महोदय, वास्तव में वित्त संबंधी स्थायी समिति के सदस्य के रूप में, मैंने स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर पुरजोर आपत्ति की थी। अब मुद्दा यह है कि माननीय शिवराज पाटील ने क्या कहा था कि सरकार तो मितव्ययी होना चाहती है और यह बहुत ज्यादा मितव्ययी होना चाहती है। मेरी बात यह है कि कोई सरकार देश के राजकोषीय घाटे अथवा राजस्व घाटे के संबंध में स्वत: ही मितव्ययी होना चाहती है। वे चाहते हैं कि यह कम होना चाहिए और यह चरणबद्ध तरीके से कम होना चाहिए। जो निर्धारित वर्षों के पश्चात इसका पूरी तरह उन्मूलन होना चाहिए तब कोई भी क्यों आपत्ति करेगा? हम ऐसा क्यों कहते हैं कि यह किसी भी भावी सरकार की नीति को प्रभावित करेगा? जब कोई भावी सरकार आएगी और यदि यह चाहती है कि इससे उसके अधिक हाथ बंधे हैं तो वह कोई दूसरा विधान पारित कर सकती है। संसद तो हमेशा है ही। संसद यह हमेशा कह सकती है कि पिछली सरकार द्वारा पारित विधेयक गलत था। वह हमेशा कह सकती है। परन्तु यदि कोई सरकार चाहती है कि वह अपने हाथ बांधे रखे और वह देश की समृद्धि को पुन: लाना चाहती हैं तो उसको विरोध नहीं करना चाहिए।

महोदय, पिछले बीस वर्षों में भारत का आर्थिक विकास तीन प्रतिशत वार्षिक से बढ़कर छह प्रतिशत वार्षिक हो गया है। वर्ष 1970 तक, ऋण मात्र उत्पादकता हेतु पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण तक ही प्रमुख रूप से सीमित हुआ था। परन्तु इसके पश्चात हमने चालू खपत पर भी ऋण देना आरम्भ कर दिया यहां तक कि चालू घाटे को भी वित्त पोषित करना आरम्भ कर दिया। अब माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि भारत सरकार की कुल देनदारी 18 लाख करोड़ रु. है। यह राजकोषीय उत्तरदायी विधान संबंधी समिति की रिपोर्ट है।

यह रिपोर्ट 4 जुलाई, 2000 को प्रस्तुत की गई थी। उस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2000 में सरकार कुल देनदारियां 12 लाख करोड़ रु. की थी। मात्र तीन वर्षों की अवधि में यहां तक कि

अभी तीन वर्ष भी नहीं हुए हैं, यह 6 लाख करोड़ रुपये और बढ़ गयी है और जब यह 6 लाख करोड़ रुपये बढ़ ही गया है तो क्या यह सरकार का दायित्व नहीं है कि वह अपने व्ययों में कटौती करें और स्वयं के ऊपर कुछ दबाव बनाकर सस्ती लोकप्रियता से बचें। लोकप्रियवाद किसी भी देश की मदद नहीं कर सकती है।

मैं आश्चर्यचकित था जब माननीय सदस्य श्री शिवराज वि. पाटील ने कहा था कि इस सरकार को केवल सरकार का आकार छोटा करने एवं सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों का विनिवेश करने की ही चिन्ता है। लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व, जब मैं चीन गया था तो मैंने रात्रि भोज पर चीन के प्रधानमंत्री से एक प्रश्न पूछा था मैंने कहा था कि चीन में लगभग 3 लाख सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बंद हो गए हैं। आपने उनको बंद क्यों किया? आपका देश जबकि श्रम आधारित देश है। आपने ऐसा क्यों किया है? जिन लोगों के रोजगार गए हैं उनका क्या हुआ? आप उनको वैकल्पिक रोजगार किस प्रकार से दे रहे हैं? उन्होंने कहा जब हमने साम्यवाद राज्य की शुरुआत की थी हमारा विश्वास था कि यदि हम हर किसी को सरकारी पद प्रदान करा देंगे तब हर किसी के पास आय के स्रोत होंगे इसलिए हमने हर एक व्यक्ति को रोजगार मुहैय्या कराने का प्रयत्न किया। जब एक व्यक्ति के काम करने की गुंजाइश थी हमने देखा कि उसी जगह पर 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं इसलिए वास्तव में 9 व्यक्तियों की प्रच्छन्न बेरोजगारी है। अब हम पाते हैं कि इन 10 व्यक्तियों में से कोई भी काम करने का इच्छुक नहीं है, इसी वजह से हमने अपनी नीति को बदला है अब हमें किसी स्थान पर जितने लोगों की काम करने हेतु वास्तव में जरूरत होती है उतने ही लोग होते हैं और अन्य लोगों को वैकल्पिक रोजगार प्रदान कराना चाहिए।"

महोदय, मैं पूरी तरह से श्री शिवराज वि. पाटील के साथ हूं जब उन्होंने कहा था कि अच्छा शासन रोजगार देगा और देश में समृद्धि लाएगा। मैं पूरी तरह से उनसे सहमत हूं। परन्तु क्या इस अर्थ मात्र देश के 19 लाख लोगों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रोजगार देकर हमें 24 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से लगभग 2,79,000 करोड़ रु. मिलेंगे? हमनें 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बाहर से ऋण लिया है। परन्तु सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से हमें मात्र 3.5 प्रतिशत वार्षिक पा रहे हैं। इसलिए प्रत्येक 100 रु. पर हमें 8.5 रु. प्रतिवर्ष खो रहे हैं क्या हम इसे सही शासन कहेंगे। यह सही शासन नहीं है इसीलिए मैंने इसे 'लोकलुभावन' कहा है।

एक समय था जब निजी क्षेत्र उद्योगों को स्थापित करने के लिए आगे नहीं आ रहे थे क्योंकि उस समय उनके पास पैसा नहीं था इसलिए मैं सहमत हूं कि जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम देश के मंदिर हैं जो कि उद्योगों को स्थापित कर रहे हैं ये भारत के नवरत्न हैं। क्या आज भी वहीं स्थिति है? क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम लाभ अर्जित कर रहे हैं जबकि उनका एकाधिकार है और उनसे प्रतियोगिता करने वाला कोई नहीं है परन्तु आज की इस वैश्विक दुनिया में वे अधिक लाभ अर्जित नहीं कर रहे हैं।

वे कभी भी लाभ अर्जित करने वाले नहीं होंगे क्योंकि सरकार की नीति ऐसी है कि वे निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। वे कोई भी निर्णय जल्दी नहीं ले सकते हैं। साधारण तौर पर भी यह संभव नहीं है क्योंकि विभिन्न मंत्रालयों, विभिन्न विभागों कई हाथों से पत्रावली को गुजरना होता है। यह संभव नहीं होगा। माना मानसून सत्र में, आप निजी होटल में जाते हैं और यह कहते हैं कि आप मुझे 50% की छूट दें प्रबंधक तुरंत आपको दे देगा। यदि आप सरकारी होटल में जाते हैं तो वह कहेगा कि मैं आपको किस तरह से यह छूट दे सकता हूं। मुझे के. अन्वेषण ब्यूरो पकड़ लेगी; सतर्कता वाले लोग मुझे पकड़ लेंगे, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक वाले मुझे पकड़ लेंगे, इसलिए मैं ऐसा करने में असमर्थ हूं इसलिए, मेरा कहने का आशय यही है कि यह सही शासन नहीं है *...(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्माम): आप समस्त श्रमिकों को घर भेज दो और उन्हें बेकार बना दो *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

वहां जो मजदूर काम कर रहे हैं। उनका क्या होगा? आपने देश को बेच दिया। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं जरा सा हस्तक्षेप करना चाहूंगा? *...(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी: आज सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बेचा जा रहा है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

आज पर्दा खुल गया और हमें बात समझ में आ गई। *...(व्यवधान)* इन्होंने सारी पोल खोल दी। *...(व्यवधान)* आखिर आप क्या चाहते हैं?

[अनुवाद]

श्री बिक्रम केशरी देव: ऐसा कांग्रेस के कुशासन के परिणामस्वरूप हुआ है मैं यह स्मरण कराना चाहता हूं कि कांग्रेस

[श्री बिक्रम केशरी देव]
पार्टी द्वारा 14 राज्यों पर शासन किया जा रहा है और वह उनमें पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को पूर्णतः कार्यान्वयन करने तक में सक्षम नहीं है। वे कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दे रहे हैं विकास दर काफी कम हो गई है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यदि कोई आपत्तिजनक बात है तो मैं उनसे कहूंगा कि वह उस बात को वापस ले ले।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी: आप क्या बात कर रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

क्या आपने मेहनत-मजदूरी करके कमाया है? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

आप नहीं जानते कि कमाई क्या चीज है? ...*(व्यवधान)* मैं एक कोयला खान क्षेत्र से आई हूं। वहां समस्त श्रमिक जमीन के नीचे कार्य करते हैं ताकि सरकार के ये लोग उनसे पैसा ले सकें।

श्री बिक्रम केशरी देव: महोदय, कांग्रेस पार्टी द्वारा 14 राज्यों में शासन किया जा रहा है ...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी: एक दिन हमारी सरकार होगी और हम आपको बताएंगे कि शासन कैसा होता है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि एक अपरिपक्व सरकार जिसके पास कोई अनुभव नहीं है। देश पर शासन कर रही है यही वजह है कि लोग बातें कर रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया और व्यवधान नहीं। हमारे पास हस्तक्षेप करने का समय नहीं है।

श्री खारबेल स्वाइं: माननीय सदस्य श्री शिवराज वि. पाटील ने जो कहा है हमने उसे सुना है। उन्होंने कहा कि उन्होंने निजीकरण अथवा विनिवेश का विरोध नहीं किया है। केवल प्रक्रिया ठीक होनी चाहिए। यही उन्होंने वास्तव में कहा था। माननीय सदस्य जो अब मेरा विरोध कर रहे हैं। उस समय वहां नहीं थी। अचानक वह अन्दर आईं। वह अपनी उपस्थित दर्ज कराना चाहती हैं इसलिए अचानक वह उठी और भाषण देने लगी ...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी: ट्रेड यूनियन के लोग आपको बताएंगे कि बाहर आपके बारे में क्या कहा जा रहा है। आपकी पृष्ठभूमि क्या है? आपकी कोई पृष्ठभूमि ही नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं: महोदया, मैं आपके साथ झगड़ा नहीं कर सकता हूं। *आप इस सभा में मात्र अकेली* हैं इसलिए मैं आपका कैसे प्रतिवाद कर सकता हूं? ...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी: इस सरकार द्वारा महिला आरक्षण विधेयक को छोड़ दिया गया है ...*(व्यवधान)*

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा): गैर-संसदीय शब्दों को रिकार्ड से हटा दिया जाए। यह संसदीय नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: उनको रिकार्ड से निकाल दिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: उनको हटाया जाता है। मैं उन शब्दों को हटाता हूं।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा): वह एक सज्जन पुरुष हैं। यह मजाक नहीं है वह इस तरह से किसी महिला सदस्य का अपमान नहीं कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती मारग्रेट अल्वा मैं उसे पहले ही निकाल चुका हूं।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम: कल हमने देखा था कि महिला आरक्षण विधेयक पर क्या हुआ ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: प्रो. प्रेमाजम, आईये उनको सुनते हैं।

श्री खारबेल स्वाइं: मैं प्रसन्न हूं कि कम से कम मूल विधेयक के खंड-4 में एक उपबंध किया गया है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इस पर हंसने का क्या मतलब है?

श्री खारबेल स्वाइं: महोदय, कम से कम, आप मुझे सुनें तो सही।

श्रीमती रेणूका चौधरी: बाहर ट्रेड यूनियन वाले भी आपको सुन रहे हैं।

श्री खारबेल स्वाइं: महोदय, मूल विधेयक के खंड 4 में यह उपबंध किया गया था कि विधेयक के कार्यान्वयन के पश्चात प्रत्येक वर्ष राजकोषीय और राजस्व घाटे में 0.5 प्रतिशत की कमी की जायेगी। मैं यही कह रहा था कि इस विधेयक में यह प्रभावशाली उपबंध किया गया था लेकिन वास्तव में इसे वापिस ले लिया गया। वित्त संबंधी स्थायी समिति ने यह सिफारिश की थी कि इसे वापिस ले लिया जाए।

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी को उनके द्वारा दिखाए गए साहस के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उक्त प्रावधान को विधेयक की जगह नियम बनाकर वही शक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि ये नियम शीघ्रातिशीघ्र बनाए जाएं और अपनी सरकार पर नियंत्रण रखा जाए क्योंकि ऐसा करने के पश्चात ही वे अपने ऊपर पड़ रहे सभी दबावों से मुक्त हो सकेंगे।

माननीय सदस्य श्री शिवराज वि. पाटील द्वारा एक प्रश्न यह उठाया गया था कि यह प्रावधान क्यों किया गया है जिसके अंतर्गत केन्द्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त नहीं करेगी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि यदि हम भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण नहीं लेंगे, हमें बाहर से ऋण लेना होगा? यदि इसकी आवश्यकता होगी, अत: ब्याज दरों में वृद्धि होगी। हमने यही प्रश्न भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने पूछा। उन्होंने कहा कि यदि सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त भी करती है, भारतीय रिजर्व बैंक भी अंतत: बाहर से ही ऋण प्राप्त करता है और वित्त मंत्री को देता है। अत: चाहे हम भारतीय रिजर्व बैंक अथवा बाहर से ऋण लें इसका एक ही अर्थ होगा और बाहर से ऋण प्राप्त करके हम ब्याज की दर में वृद्धि नहीं कर पायेंगे। अत: यह अच्छी बात है कि सरकार अपने आप पर नियंत्रण रखकर भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण नहीं ले। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं।

मैं इस बात की भी प्रशंसा करता हूं कि विधेयक में यह उपबंध है कि बजट तैयार करने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए। इसमें पारदर्शिता आनी चाहिए। भारत के लोगों को यह मालूम ही नहीं है कि वास्तव में बजट कैसे तैयार किया जाता है। अत: बजट तैयार करने की प्रक्रिया, कुछ बातों को छोड़कर पारदर्शी होनी चाहिए। अधिक से अधिक लोगों, विशेषकर संसद के माननीय सदस्यों को इस प्रक्रिया में बजट को तैयार करने से पूर्व शामिल करके इसे पारदर्शी बनाया जाना चाहिए।

अंत में मैं अपील करना चाहूंगा कि देश में बेहतर शासन के लिए कर सकल घरेलू उत्पाद प्रतिशतता में वृद्धि की जानी चाहिए। ब्याज भार में कमी लाने हेतु बेहतर ऋण और नकदी प्रबंधन हो, राज सहायता और प्रयोक्ता शुल्क को युक्तिसंगत बनाया जाए, दूसरे से कोष प्राप्त करने की व्यवस्था की समीक्षा की जानी चाहिए। इस देश के पर्यावरण और वन का संरक्षण किया जाना चाहिए और बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास में सुधार लाकर रोजगार के अवसर का सृजन किया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): उपाध्यक्ष महोदय, गत पांच दशकों से भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी कठिनाइयों का सामना कर रही है। कठिनाइयों से संबंधित एक कठिनाई सरकार द्वारा लिए गए ऋण से संबंधित है। अनुच्छेद 292 में, संविधान निर्माताओं ने एक ऐसी स्थिति की परिकल्पना की थी जब संसद को हस्तक्षेप करना पड़ेगा और सरकार द्वारा अंधाधुंध किये जा रहे व्यय और ऋण पर रोक लगानी होगी। लेकिन आज परिणाम यह है कि सुधार शुरू किये जाने के पश्चात ही और 1991 के अनुभव से पूरी अर्थव्यवस्था में राजकोषीय घाटा अलग-अलग टुकड़ों में छोटी अर्थव्यवस्था का दुश्मन है। मानो कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था राजकोषीय घाटे के कारण ही नहीं ठीक है। वास्तव में राजकोषीय घाटे की समस्या पर पूरा ध्यान दिया गया है और स्थायी समिति की सिफारिशों ने बहुत हद तक स्थिति को युक्तिसंगत बनाया है।

सरकार में ढांचागत समाविष्टि के नाम पर ब्रेटनवुड्स संस्थानों के बारंबार प्रयोग किये गये शब्दों के प्रति आवश्यकता से अधिक उत्साह है। ढांचागत समाविष्टि के प्रति अपनी इच्छा प्रकट करने वाले देश का क्या हो रहा है। यूरोपीय संघ और विकसित देशों का क्या हुआ है। विश्व के विकासशील देशों का क्या हुआ है। भारत की विकासशील देश के रूप में अत्यधिक क्षमता है। यह मूलत: एक कृषि प्रधान देश है। हमारे पास उद्योग बढ़ाने की क्षमता और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजीगत क्षेत्र वाली वस्तुओं की रखी गई मजबूत नींव की क्षमता है। आज देश की अर्थव्यवस्था की क्या समस्या है? मांग में भारी मंदी है। बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है। यदि इसका मुख्य कारण राजकोषीय घाटा है, क्या राजकोषीय घाटा और मुद्रास्फीति के बीच कोई संबंध है। ये अध्ययन की बातें हैं। मेरे पास एक अध्ययन हैं जो हाल में ही कराया गया है और यह राजकोषीय घाटा, सकल घरेलू उत्पाद और मुद्रास्फीति के बीच संबंध के बारे में है। विख्यात लोगों ने उन देशों का अध्ययन किया है जिन्होंने राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण पाने हेतु उपाय किये हैं अथवा अपने देश की आवश्यकता के अनुसार ब्रेटनवुड्स सिद्धांत में संशोधन किया है।

हम यह कहना चाहते हैं कि देश में सरकारी व्यय किये जाने की आवश्यकता है और सरकार ने इसे किसी प्रकार स्वीकार भी किया है। उदाहरण के रूप में सरकार का कहना है कि बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 75000 करोड़ अथवा इससे भी अधिक रुपए निवेश किये जाने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा बारंबार स्वीकार की गई समस्या यह है कि गत कई वर्षों से कृषि में सिंचाई और अन्य मदों में कोई सरकारी निवेश नहीं किया गया है। मैं इस पर विस्तार से नहीं बोलूंगा। रोजगार सृजन हेतु जो कदम उठाए गए हैं उससे इन अवसरों में कमी ही आयी है। मेरा प्रश्न यह है कि राजकोषीय घाटे के नाम पर क्या यह होगा कि पूजी व्यय को प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने दिया जायेगा जैसाकि इस बार के वजह से हुआ है अथवा गत कई वर्षों से होता आया है?

[श्री रूपचन्द पाल]

अब में बजट के प्रावधानों की चर्चा करूंगा। रक्षा व्यय हेतु पर्याप्त धनराशि देनी पड़ती है। यह लगभग पूर्व निर्धारित है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमारी सुरक्षा संबंधी चिंताओं की अनदेखी अथवा अन्यथा की जाए अथवा सुरक्षा प्रबंधन हेतु कितनी धनराशि पर्याप्त है। लेकिन यदि आप रक्षा बजट देखें, उन्हें दी गई धनराशि लम्बी अवधि तक अप्रयुक्त रहती है। जब आप राजकोषीय घाटे पर चर्चा कर रहे हैं तो सरकार के खपत व्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

खपत व्यय को नियंत्रित करने हेतु आपका किन कदमों को उठाने का विचार है। मैंने पाया है कि गत कई वर्षों के दौरान राजकोषीय घाटे के संबंध में इतना सब कहने के पश्चात शायद वर्ष 2000-01 के बजट में इस विशेष कानून के बारे में माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि सुधार पूर्व पांच वर्ष की अवधि अर्थात वर्ष 1990-95 के दौरान, जब कांग्रेस की सरकार थी, केन्द्र सरकार के व्यय में पूंजी-व्यय का अनुपात 32.62 प्रतिशत था जैसाकि केन्द्र सरकार के व्यय बजट के विभिन्न अंकों में देखा जा सकता है। केन्द्र सरकार के वर्ष 1996-97 के बजट दस्तावेज में यह दर्शाया गया है कि सुधार अवधि के दौरान पूंजी व्यय में तेजी से गिरावट आकर यह 1990 के 30.18 प्रतिशत से कम होकर 24.40 प्रतिशत और वर्ष 1994-95 में 24.5 प्रतिशत हो गया। नहीं आपने बुनियादी ढांचा निर्माण में, संस्थान निर्माण में, मानव संसाधन निर्माण में, सामाजिक क्षेत्र के निर्माण में जो हमारी अर्थव्यवस्था के निर्माण हेतु आवश्यक है, पर व्यय नहीं किया। आपने केवल ब्रोटनवुन्ड्स के सिद्धांतों पर व्यय किया। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कोई सीमा नहीं हो, अथवा गैर योजनागत व्यय को नियंत्रित करने का कोई प्रयास नहीं हो।

लेकिन इस समस्या को स्वीकार करने के स्थान पर सुधार अवधि के दौरान इस खपत व्यय-मैंने कांग्रेस की सरकार का वर्ष 1985 से 1990 और 1991 का उल्लेख किया है, पूंजी व्यय में गिरावट आयी। हालांकि स्वर्णिम चतुर्भुज, सड़क, बुनियादी ढांचा पत्तन, विमानपत्तन, सरकारी-गैर सरकारी भागीदारी इत्यादि संबंधी सभी अच्छी बातें कही गई थी। लेकिन मांग रोजगार और सरकार द्वारा ऋण प्राप्ति सृजित करने हेतु वास्तविक स्थिति पर ध्यान देने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। यह कहा जा रहा है कि सरकार ने नियमों के माध्यम से स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर निर्णय किया है कि अधिकतम सीमा और समय-सीमा को लोचनीय बनाया जायेगा।

अपराह्न 3.26 बजे

[**श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा** *पीठासीन हुई*]

यह लोचनीय होगा जबकि मूलत: यह कठोर था। इस लोचनीयता का स्वागत होना चाहिए। लेकिन इस तथ्य के मद्देनजर कि राजकोषीय घाटा ही इसका मुख्य कारण है नीति का बगैर सूझ-बूझ के क्रियान्वयन इसके दर्शन को तथाकथित सुधारवादियों द्वारा कुरूप किये जाने का प्रयास है जिसका विकास के लिए भारतीय माडल में कोई महत्व नहीं है, आवश्यक यह है कि कृषि क्षेत्र और बुनियादी ढांचे में और अधिक व्यय किया जाए।

राजकोषीय घाटा अपने आप में उतनी खराब चीज नहीं है यदि यह उत्पादनकारी हो और यदि यह अंतत: पांच वर्षों के पश्चात लाभदे। जैसाकि माननीय सदस्य श्री शिवराज वि. पाटील ने उल्लेख किया है कई केन्द्रीय सरकार परियोजना में कई हजार करोड़ रुपए फंसे पड़े हैं। उनका इस संबंध में क्या करने का विचार है। वे इस स्थिति में किस प्रकार सुधार लाने पर विचार करेंगे। वे इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या यह सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि सरकार की जिम्मेवारियों में से एक राजस्व की बढ़ोत्तरी करना, अधिक राजस्व एकत्र करना और इस धनराशि का उपयोग परिसंपत्तियों से अधिक होने वाली देनदारियों को पूरा करना है। इस विधेयक में इस जिम्मेवारी का कहां उल्लेख किया गया है।

हमें यह ज्ञात होगा कि वर्षों से बजट प्रस्तावों में जो लक्ष्य निर्धारत किया जाता था इसे संशोधित बजट में घटाकर अत्यंत कम कर दिया जाता था। अंतत: वास्तविकता काफी कम रह जाती थी। मैंने पहले भी इसका उल्लेख किया था और पुन: इसका उल्लेख करता हूं कि यदि ऐसी ही स्थिति रही-तो 110 करोड़ की आबादी वाले देश में एक वर्ष में एक लाख लक्जरी कारें बिकेंगी और केवल 71000 लोग घोषणा करेंगे कि उनकी एक वर्ष में आय 10 लाख रुपये से अधिक है। यदि स्थिति ऐसी है तो ऐसी कौन सी बात है कि सरकार इस बारे में सोच रही है? उसने कर की दर और टैरिफ घटा दी और उसने यथासंभव ऐसी व्यवस्था देने का प्रस्ताव किया है जो सुगम और परेशानी से मुक्त हो और इसके साथ ही निर्धारितियों के अनुकूल दृष्टिकोण होना चाहिए। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। तो, जिनसे भुगतान की आशा की जाती है उन्हें भुगतान करना चाहिए। भारतीय धन विदेश में जा रहा है और पुन: इसी देश में निवेश किया जा रहा है। इसे पूरा संसार स्वीकार करता है। काले धन के बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। कोई भारत की स्थिति की तुलना चीन की स्थिति से कर रहा था। अप्रवासी चीनी चीन में 85 प्रतिशत विदेशी निवेश कर रखे हैं। वे धन वापस लाते हैं। लेकिन हमारे देश के मामले में, हमारा धन विदेश जाता है और भारत में अलग प्रकार से वापस आता है। इस कमी को समुचित रूप से दूर किया जाना है।

वास्तव में यह सच है कि यह समस्या इस सरकार के आने के साथ ही शुरू नहीं हुई है। समस्या पहले से रही है। राजस्व घाटा की समस्या, बजट घाटा की समस्या रही है, लेकिन राजकोषीय

घाटा एक ऐसी बुराई बतायी जा रही है जैसे देश में अन्य कोई समस्या ही न हों। मैं इस विचार का पूरी तरह से विरोध करता हूं। वास्तव में, स्थायी समिति ने काफी हद तक मूल प्रस्ताव को बदल दिया है, जो ब्रीटनवुड्स संस्थान के निदेशों के अनुरूप था। इससे काफी लोगों को घाटा रहा है।

मैं मुद्रास्फीति और सकल घरेलू उत्पाद के आपसी संबंध के विषय में किए गए दो या तीन अध्ययनों का उल्लेख कर रहा हूं। वर्ष 1985-86 में राजकोषीय घाटा पूर्व वर्ष की अपेक्षा बहुत अधिक 25.5 प्रतिशत हो गया। उस समय कांग्रेस का शासन था। मुझे अन्य किसी के शासन के बारे में कोई सूचना नहीं है क्योंकि इन तथाकथित सुधारों की शुरुवात 1991 में हुई थी जब वे सत्ता में थे। फिर भी अध्ययन का क्या मतलब है? सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में राजकोषीय घाटा काफी अधिक 8.3 प्रतिशत था फिर भी मुद्रास्फीति की दर संतुलित थी, 4.5 प्रतिशत थी। इससे क्या स्पष्ट होता है? अब वे 1990 के बाद के वर्षों के बारे में एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। वर्ष 1991-92 में मुद्रास्फीति और राजकोषीय घाटा में मोटे तौर पर कोई संबंध नहीं दिखाई देता है लेकिन अंततः हमें पता चलता है कि जब कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन अच्छा रहा है तो उद्योग का भी अच्छा रहा है-क्योंकि अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर है-हो सकता है दो या तीन महीनों में यहां वहां कुछ सुधार हुए हों। हमारे कृषि क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र के बेहतर कार्यनिष्पादन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राजकोषीय घाटे का वर्ष 1994-95 के मुद्रास्फीति पर बहुत प्रभाव पड़ा था। लेकिन ऐसा नहीं था। यह अध्ययन भारतीय स्थिति में मुद्रास्फीति, सकल घरेलू उत्पाद और राजकोषीय घाटा के बारे में किया जा रहा है। केवल भारत ही नहीं बल्कि उन देशों में राजकोषीय घाटा एक प्रकार की बुराई माना जा रहा है जिन्होंने आईएमएफ या विश्व बैंक की सलाह स्वीकार कर ली है। हमें ज्ञात होता है कि जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया जा रहा है उसका कोई आधार नहीं है। यदि पुनः कहा जाए तो इसका कोई न कोई आधार होता है। एक बार स्वयं प्रधान मंत्री ने स्वीकार किया है कि हमें सरकारी खर्च की आवश्यकता है।

महोदया, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं दो या तीन वाक्यों में अपनी बात पूरी कर लूंगा। मैं आपकी दृष्टि देखकर ही समझ रहा हूं कि आप घंटी बजाने जा रही हैं कि आपका समय पूरा हो गया है।

सभापति महोदया: मुझे प्रसन्नता है कि मेरे चेहरे से स्थिति का पता चल जाता है *...(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: जी हां।

सरकार की राजस्व जुटाने की जिम्मेदारी एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी सरकार बार-बार उपेक्षा करती रही है। वास्तव में किसी समाज में कोई विशेषवर्ग, औद्योगिक घराने, धनी लोग, गांव में रहने वाले धनी और सरकार में राजनीतिक वर्ग की सहायता करने वाले लोगों को लाभ और सुविधाएं मिलनी चाहिए लेकिन भारत जैसे देश में वे जिस प्रकार सुविधाएं ले रहे हैं वैसा किसी विकसित पूंजीवादी देश, पुराने पूंजीवादी क्षेत्रों में भी नहीं सोचा जा सकता है।

राज्यों के पास राजकोषीय घाटे की भी समस्याएं हैं। वे कठिन प्रयास कर रहे हैं और एक निश्चित अवस्था में पहुंचने पर अपने अनुभव से वे स्थिति को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। मैं केवल दो राज्यों पश्चिम बंगाल और पंजाब का उल्लेख कर रहा हूं। मैं भारत सरकार के एक प्रतिवेदन से बता रहा हूं कि पश्चिम बंगाल और पंजाब सदैव चूककर्त्ता रहे हैं और उन्होंने उधार लेने की प्रतिशतता में कमी दिखाई है। वे किस प्रकार कार्य कर रहे हैं और केन्द्र सरकार उनकी सहायता कैसे करेगी? वास्तव में जहां तक ऊंची लागत के ऋण की बात है, इस पर बहुत लेन-देन हुआ है और सरकार भी राष्ट्रीयकृत बैंकों और अन्य क्षेत्रों के संस्थानों से लेन-देन के बारे में सोच रही है।

इससे कितनी सहायता मिलेगी और इसे किस प्रकार क्रियान्वित किया जाएगा, ये बड़े प्रश्न है। महोदया, मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं।

राजकोषीय घाटा एक समस्या है और राजस्व घाटा एक पुरानी समस्या है। बजट घाटे हुए हैं जिसका प्रभाव सीधे तौर पर नोट-प्रिंटिंग और मुद्रास्फीति पर पड़ा है। लेकिन आज हम ब्रिटनवुड्स की सलाह के आधार पर जो कुछ कर रहे हैं उनका आज की स्थिति की आवश्यकता से कोई संबंध नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था में मंदी आई है। मांग में कमी आई है। हमें सरकारी खर्च की जरूरत है। हमें इसकी जरूरत उधार, पूंजी खर्च में उत्पादक निवेश के द्वारा भी है। इसका यह मतलब नहीं कि बेहिसाब खर्च जारी रहना चाहिए जो कि केन्द्र सरकार के मामले में हो रहा है कि मंत्रालय बढ़ रहे हैं, मंत्रियों की संख्या बढ़ रही है।

सभापति महोदया: अब आपको अपनी बात समाप्त करनी चाहिए।

श्री रूपचन्द पाल: मैं अपनी बात समाप्त करने वाला हूं। समिति की सिफारिशों के आधार पर एक आश्वासन दिया गया कि सचिव का एक पद समाप्त कर दिया गया है। यह इसकी सिफारिश का क्रियान्वयन भाग है। दूसरी तरफ केन्द्र सरकार के हजारों कर्मचारी की छंटनी हो रही है या उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

[श्री रूपचन्द पाल]

योजना लेने को बाध्य किया जा रहा है। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। मेरे विचार से स्थायी समिति की सिफारिशों ने स्थिति को बदल दिया है लेकिन सरकार की सोच पूरी तरह गलत है। राजकोषीय घाटा बुराई नहीं है। बुराई सरकार, उसके सिद्धान्त में है जिसका प्रतिपादन उसने आर्थिक सुधारों के नाम पर आईएमएफ और विश्व बैंक की सलाह पर किया गया है। धन्यवाद।

डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): सभापति महोदय, आज वास्तविक अनुशासन की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। एक उत्तरदायी सरकार से ऐसी ही अपेक्षा की जाती है।

हममें से अनेक लोग सदैव यह महसूस करते हैं कि गैर जिम्मेदार तरीके से व्यय करने से हम ऋण के जाल में फंस जाएंगे। आज हमारे देश की यही स्थिति है। 2000 में 12 लाख करोड़ रुपये का ऋण था। 2003 के मध्य में 18 लाख करोड़ रुपये का ऋण था। प्रत्येक वर्ष इसमें 6 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। इस वर्ष 1.23 लाख करोड़ रुपये का ब्याज भार है। अगले वर्ष यह 1.6 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा। हमें या तो अपने राजस्व में सुधार करना चाहिए या अपना खर्च कम करना चाहिए।

श्री शिवराज वि. पाटील सहित अनेक विद्वान सदस्यों ने कहा है कि सरकार के लिए इस मापदण्ड का पालन करना या उसकी सीमा में रहना कठिन होगा कि वह राजकोषीय खाता या पूंजी खाता से उधार न ले, या भारतीय रिजर्व बैंक या अन्य किसी स्रोत से उधार न ले। मेरे अनुसार उधार केवल पूंजी व्यय के लिए लेना चाहिए राजस्व व्यय के लिए नहीं। हम इस देश को नीचे जाता नहीं देख सकते। हम करों के द्वारा जो एकत्रित करते हैं उससे राजस्व व्यय भी पूरा नहीं हो पाता है। राजस्व व्यय के अंतर्गत वेतन, मजदूरी और ऋण भार आता है। यदि ऐसी बात रही तो भविष्य में हमारे लिये अन्य स्रोतों से धन प्राप्त करना भी कठिन हो जाएगा। यदि हम धन मांगेगे तो कोई नहीं देगा। यह कुछ वर्षों पहले हुआ था जब तक भारत सरकार ने यहां से लंदन सोना नहीं भेजा वह धन उधार नहीं ले सकी। वह सबसे बुरी स्थिति थी जिसका हमने सामना किया। आज हम राजस्व अर्जन और अप्रवासी भारतीयों द्वारा किये गये जमा के कारण सुखद स्थिति में है। फिर भी, हम अप्रवासी भारतीय जमाओं को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नहीं मान सकते। यह धन जमा खाते में रखा जा रहा है और जब भी इसकी आवश्यकता हो इसे निकाला जा सकता है।

मेरा सुझाव है कि सर्वप्रथम इस अधिनियम का उपयोग वित्त मंत्री महोदय द्वारा गैर जिम्मेदार उधारी को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए। उधार केवल विकास से संबंधित कार्यों के लिए लिया जाना चाहिए ताकि उससे राजस्व अर्जित होगा। यदि अगले पांच वर्ष में हम ऋण भार में पर्याप्त मात्रा में कमी करेंगे तभी हम आने वाले वर्षों में उसका वितरण करने की स्थिति में होंगे। भले ही हम इसका उपयोग विकास के कार्यों में न करे लेकिन हमें अपना राजस्व, ऋण या ब्याज के भुगतान पर खर्च करना बंद करना चाहिए। इस प्रकार की स्थिति को ठीक किये जाने की आवश्यकता है।

गत दशक में अनेक देशों ने जहां सुशासन का इस प्रकार के विधायी उपायों अर्थात बजटीय प्रबंधन, राजस्व प्रबंधन का सहारा लिया है। आस्ट्रेलिया में इसे 'आनेस्ट बजटरी एक्ट' कहते हैं। यह सरकार के लिए एक प्रकार का अनुस्मारक है कि वह अपना व्यय अपने पास उपलब्ध साधनों के अंतर्गत करे और विशेषकर विभिन्न कारणों से होने वाले राजस्व घाटे को नियंत्रित रखे। हम राजसहायता देने के विरुद्ध नहीं हैं। जब भी आवश्यक हो राजसहायता दी जानी चाहिए और हम उसके विरुद्ध नहीं है। तथापि मेरे इस कथन का गलत अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए कि अतीत में हम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को चलाने और वेतन भुगतान के लिए अनावश्यक बजट का प्रावधान करते थे। हम इसके लिए बजट में प्रावधान करते थे। इसका अर्थ है कि सरकारी धन बेकार किया जा रहा है और इसे ठीक किया जाना चाहिए।

इस कानून को बनाने में एक खतरा है। यदि हम राजकोषीय घाटे में कटौती करने के बारे में दृष्टि से सोचें तो सरकारें इसे पूरा करने के लिए कड़े कराधान का सहारा ले सकती हैं। इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकारों को कड़े कराधान का सहारा नहीं लेना चाहिए। बजट अनुमान तैयार करते समय यह बात ध्यान में रखनी चाहिए ताकि लोगों पर भार न पड़े। यदि आप उन पर अधिक भार डालेंगे तो आपको अधिक कर नहीं मिलेगा।

यह केवल अस्थायी उपाय है, यह एक संतुलन बनाने वाला अधिनियम है। यह अत्यंत साहसी कदम है। इस प्रकार का कड़ा कदम उठाने और अपने को राजकोषीय प्रबंधन की सीमा के अंतर्गत रखने के लिए मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। आज हम इस विधेयक को पारित कर रहे हैं लेकिन कुछ समय बाद हम इसका परिणाम देखेंगे। अतीत में इस प्रकार की कोई सीमा नहीं थी। जब भी सरकारें चाहती थीं कहीं न कहीं से धन उधार लिया करती थी। अन्ततः, हमें जटिल स्थिति में डाल दिया गया है जिसमें ऋण अनुपयोगी हो गया है। इसलिए, इस ऋण के विवेकपूर्ण प्रबंधन के लिए हमें इस विधान की आवश्यकता है, और यह वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन विधेयक उस दिशा में एक कदम है। मैं महसूस करता हूं कि व्यय को और कम करने के लिए आने वाले वर्षों में विभिन्न कदम उठाए जाएंगे। यदि व्यय में कटौती की जाती है तो व्यय योजना अधिशेष उपलब्ध होगा जिसे पूंजी और राजस्व के निर्माण में उपयोग किया जा सकेगा।

यदि हम इस दिशा में अभी कदम नहीं उठाते हैं तो देश के विकासात्मक कार्यकलाप एकांगी होंगे। मैं महसूस करता हूं कि यह विधेयक इस समय देश के लिए आवश्यक है। यह सही दिशा में एक कदम है। मैं मंत्री जी को यह विधेयक लाने के लिए बधाई देता हूं तथा इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री धर्मराज सिंह पटेल (फूलपुर): सभापति महोदया, राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध विधेयक, 2000 को मैंने यही देखा है इसलिए मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा। लेकिन कुछ बातें जो हमने अभी देखी हैं, उसको मैं जरूर कहना चाहता हूं। इस बिल में दिखाया गया है कि अभी 12 लाख करोड़ रुपये का दायित्व भारत सरकार पर है जिस पर प्रति वर्ष एक लाख करोड़ रुपये का ब्याज लगता है। सरकार जो पैसा प्राप्त करती है, तीन रुपये में से दो रुपये वर्तमान करदाताओं से लेती है और शेष एक रुपया भारत सरकार भावी पीढ़ी पर डालती है।

सभापति महोदया, हमने अखबारों में पढ़ा है कि भारत वर्ष के हर व्यक्ति पर साढ़े चार हजार रुपये का कर्जा है। हम इसमें कांग्रेस के साथियों को भी शामिल करना चाहेंगे क्योंकि 45 साल तक इन्होंने एकछत्र राज किया। उस राज्य में आपने लगातार वित्तीय घाटे का बजट पास किया। आज हालत यहां तक पहुंच गयी है कि हर व्यक्ति पर साढ़े चार हजार रुपये का कर्ज है।

ऐसी स्थिति में यह जो बिल लाया गया है, वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम वित्त मंत्री जी का स्वागत करेंगे। यह बिल लाकर भारत सरकार या वित्त मंत्री जो भी नीति अपनायेंगे, उस वित्तीय नीति की जानकारी उन्हें संसद के माध्यम से पूरे देश को देनी पड़ेगी। हम इतना कहना चाहेंगे कि भारत की जनता अपने ऊपर या अपने देश के ऊपर कर्जा नहीं देखना चाहती। खासकर गांव के लोग, मध्यम वर्ग के लोग नहीं चाहते कि हम बैंक से उधार लें। वे भूखों रहकर अपनी खून पसीने की कमाई से कम खर्च में अपना काम चला लेते हैं। भारत सरकार या राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे देश का विकास करें, बुनियादी चीजों की सुविधा प्रदान करें। लेकिन आपको इतना बड़ा अधिकार कहां मिल जाता है कि आप हर व्यक्ति के ऊपर कर्जा लादे रहें। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर भारत सरकार में आज भी साहस है, हिम्मत है, कांग्रेस ने गलती की तो की लेकिन जसवंत सिंह जी, थोड़ी हिम्मत कीजिए। इस देश में काफी ब्लैक मनी है, अथाह पैसा है, अरबों-करोड़ों रुपये इस देश के नौकरशाहों और बड़े-बड़े उद्योगपति बैंकों से लोन लेकर बैठे हैं और वे आपके साथ नाश्ता करते हैं, कभी-कभी हमसे भी कहा जाता है कि आप भी इसमें शामिल होइए। अगर आप थोड़ी हिम्मत करें तो आपका कर्जा कम हो सकता है। आप लोगों से क्यों डरते हैं, नौकरशाहों से क्यों डरते हैं। यहां बड़े-बड़े नौकरशाह, आई.ए.एस., आई.पी.एस. हैं, यहां एक नेता दूसरे नेता पर आरोप लगा रहा है, एक-दूसरे पर कटाक्ष कर रहा है लेकिन अगर इस देश को कोई खा रहा है तो वे इस देश के नौकरशाह हैं। थोड़ी-बहुत जिम्मेदारी हमारी है, हमारी सरकारों की भी है। हमने पढ़ा नहीं है लेकिन जो जानता हूं, वह बोल रहा हूं, मैं किताब पढ़कर नहीं बोल रहा हूं, मेरे दिमाग में जो आ रहा है, बोल रहा हूं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा दृढ़ हो जाइए और इस वित्त वर्ष में चुनावों का मोह छोड़ दीजिए। आप सन् 2004 में चुनाव करवाएंगे या कब करवाएंगे, यह आप जानते होंगे। श्री चिदम्बरम ने एक बार कहा था कि लोग अपने रुपयों की स्वेच्छा से घोषणा करके अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। 10,000 करोड़ रुपये से अधिक लोगों ने स्वयं अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। 10,000 करोड़ रुपये से अधिक लोगों ने स्वयं अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में करवा दिया था। जो बड़े-बड़े आई.ए.एस., आई.पी.एस. अधिकारी हैं, बड़े-बड़े पूंजीपति हैं, अगर आप उन पर सख्ती करेंगे तो हम समझते हैं कि कम से कम एक-तिहाई पैसा इस साल भी वसूला जा सकता है, कर्जा कम किया जा सकता है।

आपने अपने बजट में बड़े-बड़े लोगों को छूट दी है, बड़े-बड़े लोगों को रियायत दी है। आपने गरीब लोगों को बहुत कम सुविधा प्रदान की है, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या अन्त्योदय का सवाल हो। आप जो अनुपूरक बजट लाएंगे, उसमें सख्ती कीजिए। इस देश पर जो कर्जा लद रहा है, उसे कम कीजिए। मैं यहां तक कहता हूं कि एक बार आप घोषणा कर दीजिए कि अब हम कर्जा नहीं लेंगे। श्री वी.पी. सिंह ने एक बार ऐसी घोषणा की थी। अगर आप घोषणा कर देंगे कि हम देश की आवश्यकता के लिए विदेशों से कर्जा नहीं लेंगे तो गरीब आदमी एक रोटी कम खाएगा लेकिन आपके कर्ज को भरने के लिए पूरा सहयोग देने को तैयार रहेगा। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला): सभापति महोदया, माननीय जसवंत सिंह जी के द्वारा जो राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध विधेयक, 2000 पेश किया गया है, मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और जसवंत सिंहजी को बधाई देना चाहता हूं कि जिस खतरे को आजादी से पहले ही बाबा अम्बेडकर ने महसूस किया था और भारत की संविधान सभा में बोलते हुए उन्होंने जो आर्टिकल 268 फ्रेम किया था जो कि वर्तमान के भारत के संविधान का आर्टिकल 292 है, उसकी चर्चा संविधान असैम्बली में करते हुए बाबा अम्बेडकर ने कहा था कि

[श्री रतन लाल कटारिया]

अगर हमने देश की आजादी के पश्चात समय रहते सरकार की उधार लेने की क्षमता के ऊपर अंकुश नहीं लगाया तो जो हमारी आने वाली पीढ़िया हैं, वे ऋण जाल के अंदर फंसती चली जाएंगी।

इसी तरह की सिफारिश लोक लेखा समिति ने की, प्राक्कलन समिति ने की, कम्प्रटॉलर एंड ऑडिटर जनरल ने की और आरबीआई ने की लेकिन आज से पहले की कोई भी सरकार यह हिम्मत नहीं जुटा पाई कि केन्द्र सरकार के ऊपर कर्जे का जो बोझ सुरसा के मुंह की तरह बढ़ता जा रहा है, उस पर कैसे अंकुश लगाया जाए। जिस समय यशवंत सिन्हा जी ने यह बिल रखा, उस समय देश के ऊपर बारह लाख करोड़ रुपये का कर्जा था जो हमारे वार्षिक राजस्व से लगभग 6 गुना ज्यादा था और जो आज बढ़कर 18 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इसी तरह से इस राशि के ऊपर प्रतिवर्ष एक लाख करोड़ रुपये का हमें ब्याज देना पड़ता है जो हर साल इसमें शामिल हो जाता है और हम देखते हैं कि हमारे टोटल एक्सपेंडिचर का एक तिहाई ब्याज के अंदर ही चला जाता है। मैं यह कहना चाहूंगा कि जब भारत आजाद हुआ तो उसके सामने एक बड़ी चुनौती थी कि हम विकास के किस मॉडल को अपनाएं। उस समय महात्मा गांधी ने भी एक मॉडल देश के सामने दिया कि भारत की अर्थ-व्यवस्था को ग्रामीण स्तर पर बनाया जाए। इसी तरह से उस समय लोकमान्य तिलक जी ने गीता रहस्य में अपने आर्थिक विचार प्रकट किए और उसी समय पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी जो जनसंघ के अध्यक्ष थे, उन्होंने एकात्मकवाद का इतना बेहतरीन मॉडल हमारे सामने रखा और मेरा यह दृढ़ मत है कि अगर हमने दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्मवाद के मॉडल को अपनाकर देश की आर्थिक नीतियां उसके लैवल पर बनायी होती तो आज भारत ऋण जाल में नहीं फंसता और हमारा देश दुनिया में बहुत बड़ा आदरणीय देश होता लेकिन आजादी के बाद हमने विकास के लिए नेहरू जी का मॉडल अपनाया और यद्यपि उस मॉडल से देश के अंदर कुछ तरक्की आई है लेकिन आज देश के ऊपर 18 लाख करोड़ रुपये का कर्ज भी हम देखते हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

देश के अंदर 45 वर्ष से भी ज्यादा समय तक कांग्रेस पार्टी का राज रहा है। कांग्रेस पार्टी के इन 45 वर्षों के शासनकाल में जो नीतियां अपनाई गईं, मुख्य रूप से उन नीतियों के परिणामस्वरूप आज देश कर्ज के जाल में फंसा हुआ है। मुझे एक बार कहीं पढ़ने का मौका मिला कि किस तरह से देश की इकोनॉमी के राजनेताओं ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने और सत्ता के दलालों ने खिलवाड़ किया। किस तरह से देश के अंदर एक के बाद एक स्कैंडल हुए।

सभापति महोदय: बिल पर बोलिए।

श्री रतन लाल कटारिया: मैं बिल पर ही बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि यह जो ऋण जाल बन रहा है, यह कैसे बन रहा है। बहुत साल पहले मैंने अखबार में पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री हवाई जहाज में बैठ कर लखनऊ से दिल्ली के लिए आते हैं। जब तक हवाई जहाज दिल्ली उतरने के लिए तैयार हुआ तो उनको याद आया कि मेरा कुर्ता-पायजामा तो लखनऊ ही रह गया, तो वह हवाई जहाज को वापस लखनऊ ले गए। किस तरह से एक छोटी सी चीज के लिए सरकारी साधन और पैसे के साथ खिलवाड़ किया गया। यह पहले नहीं, आज भी हो रहा है।

सभापति महोदय: क्या दिल्ली में कुर्ता-पायजामा नहीं मिलता?

श्री रतन लाल कटारिया: किस तरह से नेता लोग अपने बच्चों को सरकारी हवाई जहाजों में घुमाने ले जाते हैं। किस तरह से बड़े-बड़े अधिकारी क्लास वन श्रेणी में हवाई यात्रा करके बड़े-बड़े होटलों में ठहर कर देश की आर्थिक स्थिति को चूना लगा रहे हैं, यह इससे मालूम होता है। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आज वक्त आ गया है, उन्होंने यह जो बीड़ा उठाया है देश में वित्तीय मामले में स्टेबिलिटी और एकाउंटेबिलिटी लाने का, मैं उसके लिए इनका स्वागत करता हूं। मैं इनको इस बात के लिए भी बधाई देना चाहूंगा कि किस तरह से इन्होंने देश की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए कल ही सर्विस टैक्स को इनकम टैक्स के दायरे में लाने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया और सदन ने उसको पास किया। मैं एन.डी.ए. सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि उसने वित्तीय संस्थाओं पर अंकुश लगाने के लिए और फिस्कल मैनेजमेंट के लिए मंत्रिमंडल के आकार को दस प्रतिशत तक रखने का विधेयक पेश किया। मैं उसका भी स्वागत करता हूं।

सभापति महोदया: कृपया समाप्त करें।

श्री रतन लाल कटारिया: अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया।

सभापति महोदया: आपने जो लिखा है, वह मंत्री जी को दे दें, क्योंकि इस विधेयक पर काफी सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री रतन लाल कटारिया: मुझे आप पांच मिनट और दे दें। मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि आज इस प्रकार का कानून आया, उसको लाने की हिम्मत दिखाई। जापान में 5 और 9 अगस्त, 1945 को जब हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए गए थे, तो जापान की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। उन्होंने भी 1970 में इस प्रकार का बिल लाकर अपने देश की इकोनॉमी में सुधार किया। इसी तरह से चाइना ने भी, जिसने करीब-करीब हमारे साथ ही, 1949 में दूसरा माडल विकास का अपनाया था। आज न्यूजीलैंड जैसे देशों ने अपनी आर्थिक व्यवस्था

को इस प्रकार के बिल बनाकर ठीक किया है। आज हमारी सरकार ने जो बैलेंस आफ पेमेंट जो पिछले 24 साल तक निगेटिव था, पोजिटिव किया है। जो पहले 1998-99 में चार बिलियन नैगेटिव में था, वह आज 1.3 बिलियन पॉजिटिव में आ गया है। एक्सट्रनल डैट घट कर 3 परसैंट रह गया है। आजादी के बाद पहली बार एक्सपोर्ट 51 बिलियन तक हुआ है। हमने एफडीआई में 2.64 बिलियन से बढ़ कर 3.9 बिलियन तक तरक्की की है चाहे यूटीआई एक्ट था, एनपीए का था या कम्पनी एक्ट था। हमने एक के बाद एक काम करके भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कानूनी परिवर्तन किए। आज जिस रूप में बिल आया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

अपराह्न 4.06 बजे

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक*-*पुर:स्थापित*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं अगले वक्ता का नाम पुकारूं उससे पहले मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि अनुपूरक कार्य सूची परिचालित की गई है, जिसके अनुसार श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, नागर विमानन मंत्री द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2003 पुर:स्थापित किया जाना है।

इससे पहले कि मैं नागर विमानन मंत्री को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुर:स्थापित करने के लिए इस सभा की अनुमति लेने के लिए कहूं। मुझे इस सभा को सूचित करना है कि राष्ट्रपति, प्रस्तावित विधेयक की विषय वस्तु के बारे में जानकारी दिए जाने के बाद संविधान के अनुच्छेद 117 के खंड (1) और (3) के अंतर्गत इस विधेयक को पुर:स्थापित करने तथा लोक सभा द्वारा इस विधेयक पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

[हिन्दी]

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

*भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, दिनांक 7.5.03 में प्रकाशित।

[अनुवाद]

सभापति महोदया: प्रश्न है:

> "कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: सभापति महोदया, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदया, मंत्रीजी ने पहले विधेयक वापस लिया, फिर झटपट एक्सप्रेस बिल बहस के बीच में ले आए। ऐसा क्यों हुआ और सरकार की क्या मजबूरी थी, इस बात को यहां साफ किया जाए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: अभी इंट्रोडक्शन है। जब इस विषय पर चर्चा होगी, तब इसके बारे में बताया जाएगा।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: नियम 72 के अधीन हमें इंट्रोडक्शन के समय इसका विरोध करने का अधिकार है या नहीं? सरकार बताए कि अभी इंट्रोड्यूस करने की क्या इमर्जैंसी थी?

सभापति महोदया: कोई इमर्जैंसी नहीं है। स्पीकर साहब ने परमीशन दी है। हाउस की राय लेकर मंत्री जी को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा गया है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: सरकार बताए कि इन कारणों से सारे नियम ताक पर रख कर इसे इंट्रोड्यूस करने की इजाजत दी गई।

सभापति महोदया: मैंने इस सभा की राय ली। सभा सहमत हुई और सभा की सहमति के अनुसार यह पुर:स्थापित किया गया है।

अपराह्न 4.08 बजे

राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध विधेयक, 2000-*जारी*

सभापति महोदया: अब, राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध विधेयक के संबंध में अगले वक्ता बोलेंगे। मैं देख रही हूं कि श्रीमती श्यामा सिंह नहीं हैं। श्री मधुसूदन मिस्त्री बोल सकते हैं।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर (भीलवाड़ा): यह स्पष्ट नहीं है कि क्या वह उनकी जगह पर बोल रहे हैं।

सभापति महोदया: पार्टी ने उनके स्थान पर उनका नाम दिया है।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा): मुझे बोलने के लिए यह अवसर देने हेतु सभापति महोदया, आपको धन्यवाद।

वस्तुतः, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। इस विधेयक में कहा गया है कि यह पारदर्शिता लाने के लिए है। इसके अलावा, यह विधेयक केन्द्र सरकार को मध्यावधिक राजवित्तीय नीति वक्तव्य, राजवित्तीय नीति संबंधी रणनीतिक वक्तव्य, वृहत आर्थिक ढांचा वक्तव्य इत्यादि प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करता है। यह सब कुछ राजस्व घाटे को कम करने के लिए किया गया है। किंतु मुझे जो समझ में नहीं आ रहा है वह यह है कि इन सबके लिए हमें इस विशेष विधेयक की आवश्यकता क्यों है। मुझे आश्चर्य है और ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार, विशेषकर वित्त मंत्री पूरा वित्तीय अनुशासन बहाल करने में विफल रहे हैं। क्या यह संभव नहीं है कि इस विधेयक को लाए बिना, मध्यावधिक समीक्षा, मध्यावधिक राजवित्तीय नीति वक्तव्य और राजवित्तीय नीति संबंधी राजनीतिक वक्तव्य प्रस्तुत किया जा सके अथवा ऐसा इसलिए है कि वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करने के बाद अपनी ही पार्टी के सदस्यों के दबाव में संसद में प्रस्तुत कुछ प्रावधानों को वापस लेने के लिए बाध्य किये जाते हैं? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे वित्त मंत्री स्वयं को इस प्रकार के साधन से सुसज्जित कर सकेंगे और यही कारण है कि वह इस सभा में इस विधेयक को लाने के लिए बाध्य किए गए हैं?

मैं विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में उल्लिखित औचित्य से भी सहमत नहीं हूं। कथन में कहा गया है कि इस विधेयक का उद्देश्य अंतर असमानता को दूर करने के लिए है। इसलिए, समानता पर अविलम्ब ध्यान दिया जाना है।

बजट एक प्रत्यक्ष दस्तावेज है जिसके माध्यम से किसी भी सरकार और वित्त मंत्री के मन को पढ़ा जा सकता है। वित्त मंत्री के मन में क्या है अथवा वास्तव में संबंधित पार्टियों के घोषणा पत्र में क्या वायदे किये गये थे वह सब कुछ बजट में परिलक्षित होता है। बजट दस्तावेज से यह भी पता चलता है कि क्या सरकार वास्तव में अपने पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को विभिन्न वर्गों और विभिन्न क्षेत्रों के बीच समानता स्थापित करने के लिए उपयोग करना चाहती है।

विगत वर्षों के दौरान क्या देखा गया है? वास्तव में, इन वर्षों के दौरान क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ा है। सिर्फ यही नहीं हो आशय ऐसा प्रतीत होता है कि अकेले इसी से केन्द्र सरकार सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों और अन्य योजनाओं में हस्तक्षेप की बहुवांछित आवश्यकता पर पर्याप्त ध्यान दे सकेंगी।

मैं यह देखकर अत्यन्त विस्मित हूं कि सामाजिक क्षेत्र के व्यय को बढ़ाने के लिए सरकार को इस प्रकार के विधेयक की आवश्यकता है। क्या सरकार यह सोच रही है कि इस विधेयक से सरकार के हाथों में और अतिरिक्त धनराशि जारी हो सकेगी जिसे फिर सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों पर व्यय किया जा सकेगा? मैंने हमेशा महसूस किया है कि सामाजिक क्षेत्र में धन खर्च करने के लिए इस तरह के विधेयक की अपेक्षा राजनीतिक इच्छा और दृढ़ता की आवश्यकता है। वर्षों के दौरान, सामाजिक क्षेत्र पर व्यय जीडीपी का 1.2 प्रतिशत या अधिकतम 1.4 प्रतिशत रहा है।

यह कहने के बाद, मैं विद्यमान स्थिति पर आता हूं कि सरकार कैसे राजस्व घाटे और राजवित्तीय घाटे को कम करने का इरादा रखती है। हमें एक बार व्यय को देखना चाहिए। इस समय, सरकार का अधिकतर खर्च ब्याज भुगतान और ऋण राजसहायता पर है जो कुल राजस्व और पूंजी व्यय का लगभग 30 प्रतिशत है। यह 1996-97 से 2003-04 तक घटता-बढ़ता रहा है।

सरकार का इसके बाद सबसे अधिक खर्च रक्षा पर है। वर्ष 2003-2004 में यह 65,000 करोड़ रु. था जिसे संशोधित कर 56,000 करोड़ किया गया था और फिर इस वर्ष अनुमान 65,300 करोड़ रु. का है जो कि कुल राजस्व और पूंजी व्यय का लगभग 14.88 प्रतिशत है। यह दूसरा सबसे बड़ा घटक है जिसे सरकार ने आवंटित किया है।

तीसरा घटक राजसहायता है जो लगभग 11 प्रतिशत है और यह 49,000 करोड़ रु. है। इसके बाद अन्य गैर योजना व्यय है। वस्तुतः, अन्य गैर योजना व्यय में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन, भत्ता इत्यादि शामिल हैं। मैं आंकड़ों को देख रहा था। मुझे हैरानी हुई जब मैंने यह देखा कि, बजट में जैसा कहा गया है, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या लगभग 34 लाख है। 1995-96 में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों का कुल वेतन और भत्ते तथा यात्रा व्यय 18,700 करोड़ रु. तक था। फिर पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद यह बढ़कर 2001 और 2003 के बीच 31,941 करोड़ रु. तक हो गया। इस बीच, इन कर्मचारियों को काफी बकाया वेतन का भुगतान किया गया। जब मैंने विभिन्न वर्षों के पूरे बजट को देखा तो मैंने पाया कि बजट में संशोधन के समय कई स्कीमों को छोटा कर दिया गया। वस्तुतः, एक समय में कुल कटौती 1700 करोड़ और 2000 करोड़ रु. के बीच थी।

दूसरे खर्च में पेंशन का भुगतान और प्रकीर्ण सामान्य सेवाएं हैं। यह लगभग 15,107 करोड़ रु. है। इसलिए, इस मद में लगभग 744,000 करोड़ रु. की राशि केन्द्र सरकार का एक बड़ा खर्च है।

अपने मूल भाषण की ओर लौटाते हुए, मैं कहूंगा कि ये तीन मुख्य घटक हैं जिन पर केन्द्र सरकार का अधिकांश हिस्सा व्यय होता है। यह खर्च ब्याज भुगतान, रक्षा व्यय, राजसहायता और अन्य गैर-योजना व्यय पर होता है। यह इस समय सरकार के कुल व्यय का लगभग 66 प्रतिशत बैठता है।

अब हम सरकार के आय पक्ष को देखते हैं। मैं पूरे बजट के राजस्व और पूंजी व्यय पर नहीं जा रहा हूं क्योंकि पूंजी व्यय, वास्तव में, वर्ष दर वर्ष घटता रहा है। 1995-96 में यह 26 प्रतिशत था। यह लगभग 27.57 प्रतिशत पर रहता है। यह इन सब वर्षों में लगभग बराबर रहा है किंतु राजस्व व्यय में वृद्धि होती रही है। इसमें पूंजी व्यय का भी कुछ अंश शामिल है। फिर भी आइए हम केन्द्र सरकार के समूचे आय पक्ष को देखते हैं। फिर मैं देश की गरीब जनता और हाशिए पर रह रहे वर्गों पर इस विधेयक के प्रभाव को देखेंगे।

वर्ष 2003-04 में अनुमानित राजस्व आय 251,000 करोड़ रु. है। वस्तुत: 2001-2002 में अनुमान 180,000 करोड़ रु. था। यदि आप 2001-02 और 2003-04 के अनुमानों की तुलना करें तो आपको पता चलेगा कि 2003-04 के अनुमानों में वृद्धि हुई है और यह वृद्धि 6.76 प्रतिशत तक है। यह बृहत कर राजस्व है। प्रमुख आय कर राजस्व से है। करों से राजस्व आय 77 प्रतिशत है। कुल राजस्व प्राप्ति 59 प्रतिशत है। इस कर राजस्व में, कार्पोरेशन टैक्स 15 प्रतिशत है। उसके बाद आय और अन्य व्यय से प्राप्त कर है। यह कुल आय का लगभग 13 प्रतिशत है। सीमा शुल्क 15 प्रतिशत है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में, बड़ा हिस्सा 29 प्रतिशत की सीमा तक है। तात्पर्य यह है कि 2001 में, कार्पोरेशन टैक्स में 5.93 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यदि आप वर्ष 2001 के अनुमानों को लेते हैं तो अन्य करों के मामले में आय 3.6 प्रतिशत की सीमा तक है। सीमा शुल्क के संबंध में वर्ष 2001 में, यह बढ़कर 9.20 प्रतिशत हो गया है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बढ़ कर 5.86 प्रतिशत हो गया है। सेवा कर में काफी वृद्धि हुई है। दो दिन पहले, सेवा क्षेत्र पर कर लगाने के लिए हमने एक विधेयक पारित किया। इसे अब बढ़ाकर 32 प्रतिशत तक कर दिया गया है।

इससे अन्य गैर कर राजस्व मिलता है। अब हमें पूरी स्थिति को देखना है। वस्तुत: गैर कर राजस्व सरकार द्वारा लोगों को दी जा रही सेवाओं पर किया जाने वाला कर है। इसमें संपत्ति, संचार, परिवहन, सड़क और अन्य गैर कर राजस्व सम्मिलित हैं। गैर कर राजस्व का कुल हिस्सा 42.08 प्रतिशत है।

यदि आप बजट रुझान और बजट आकार को देखे, यह संशोधित अनुमान में हमेशा ही अधिक व्यय दिखाया जाता है। इतना ही नहीं, अनुपूरक बजट प्रस्तुत करने के समय यह कभी-कभी जानबूझकर किया जाता है ताकि नियमित बजट प्रस्तुत करने के समय कम घाटा दर्शाया जाए। मैं माननीय वित्त मंत्री से कहना चाहूंगा कि यदि वे कर संग्रहण को बढ़ाना चाहते हैं उन्हें इसके लिए सदन को विश्वास में लेना चाहिए। वे इसे किस प्रकार पूरा करने का प्रयास करेंगे? उदाहरणस्वरूप सरकार केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि करती है-इसे कैसे पूरा किया जायेगा।

सभापति महोदया: इस विधेयक का संबंध इसी से है। वे इसके संबंध में अभी नहीं बल्कि बजट के समय वक्तव्य देंगे।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: इतना ही नहीं, क्या सरकार यह कहना चाहती है कि यह छ: वर्षों के लिए मजदूरी वृद्धि पर रोक लगा देगी और कहेगी कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कोई वृद्धि नहीं की जायेगी क्योंकि सरकार व्यय करने की स्थिति में नहीं है।

क्या सरकार यह निश्चित रूप से कहेगी? मेरी आशंका है कि यदि एक भार मजदूरी वृद्धि समाज के किसी ऐसे वर्ग जिसके पास बजट तैयार करने की शक्ति है और जो वास्तव में संसाधनों का बंटवारा कर सकता है, वे पहले अपना हिस्सा लेकर शेष बचे हुए लोगों के लिए छोड़ देते हैं। अत: बाद के चरण में संसाधनों के आवंटन में इस विधेयक की आड़ में भेदभाव होगा और यह गरीबों के हितों के लिए घातक होगा।

अत: वित्त मंत्री इस सदन को निश्चित रूप से आश्वस्त करें कि सरकार के विकास व्यय में गरीबों के हितों के विरुद्ध कोई कमी नहीं की जाएगी। सरकार को विकास से कटौती के बजाए और अधिक व्यय करना होगा और इसीलिए कुछ लोगों ने सरकार को विभिन्न करों के माध्यम से राजस्व जुटाने का अनुरोध किया है। वित्त मंत्री के पास यही रास्ता बचा है। यदि यह नहीं किया जाता है तो निश्चित रूप से यह देश के गरीब लोगों के हितों के विरुद्ध जायेगा। तथापि मैं देश में वित्तीय अनुशासन बहाल करने के पक्ष में हूं। दूसरे यह अत्यंत ही कठिन तरीका है। अत: मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और इसे पारित किया जाना चाहिए। लेकिन मैंने कतिपय आशंका व्यक्त की है और वित्त मंत्री वाद-विवाद में इसका उत्तर देते समय उत्तर दें।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति (सेलम): माननीय सभापति महोदया, मैं राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध विधेयक, 2000 पर हो

[श्री टी.एम. सेल्वागनपति]

रही इस चर्चा में मुझे बोलने की अनुमति देने हेतु आपका धन्यवाद करता हूं।

महोदया, मैं इस विधेयक का पूर्ण रूप से स्वागत करता हूं। किसी देश के लिए प्रभावी वित्तीय प्रबंधन अथवा राजकोषीय बुद्धिमत्ता आज की आवश्यकता है और यह भारत जैसे देश में और भी जरूरी है जहां हमें अधिकतम वित्तीय अनुशासन प्राप्त करने के लिए किसी कानून को लागू करने की आवश्यकता है। इस समय हम अपने वित्तीय क्षेत्र में किस प्रकार की स्थिति का सामना कर रहे हैं। आज हमारे देश की देनदारी, जहां तक केन्द्र सरकार का प्रश्न है, 12 लाख करोड़ रुपये और ब्याज भार 1 लाख करोड़ रुपए है। सरकार की देनदारी राजस्व से ग्रहण से लगभग छः गुना अधिक है। राजस्व संग्रहण केवल 2 लाख करोड़ रुपएं है जबकि देनदारी 12 लाख करोड़ रुपये है और ब्याज भार हमारे राजस्व संग्रहण का लगभग आधार है। हम इस प्रकार अपनी वित्तीय स्थिति का प्रबंधन कर रहे हैं।

हम गत 20 वर्षों से राजस्व घाटा उठा रहे हैं और गत 15 वर्षों से भारी राजकोषीय घाटा हो रहा है। यह निरंतर जारी है और बजट आबंटन का 90 प्रतिशत प्रतिबद्ध देनदारियों जैसे ब्याज का भुगतान, रक्षा व्यय, आंतरिक सुरक्षा पर व्यय, राजसहायता का भुगतान, वेतन और पेंशन का भुगतान पर व्यय किया जाता है। विकासात्मक व्यय किए जाने हेतु बहुत कम पैसा बचता है। हमारे द्वारा लिया गया कोई ऋण पूंजी व्यय के वित्त पोषण तक सीमित था। लेकिन अब ऋण मुख्यतया चालू खपत के वित्त पोषण हेतु किया जाता है। अतः उच्च ऋण स्तर और राजकोषीय घाटे में वृद्धि गंभीर चिंता का विषय है। यहां डा. अम्बेडकर द्वारा अनुच्छेद 292 के अंतर्गत संविधान सभा में चर्चा के दौरान व्यक्त विचार को उद्धृत करना समीचीन होगा और मैं इसे आपकी अनुमति से उद्धृत करता हूं:

> "इस अनुच्छेद में विशेष रूप से यह कहा गया है कि कार्यपालिका की ऋण प्राप्त करने की शक्ति उस सीमा के अध्यधीन होगी जो संसद द्वारा कानून बनाकर विनिर्दिष्ट की जायेगी। यदि संसद कोई कानून नहीं बनाती है तो यह निश्चित रूप से यह संसद की एक गलती होगी और मैं नहीं सोचता कि भविष्य में कोई भी संसद यह गलती करेगी।"

मैं आगे उद्धृत करता हूं:

> "मुझे इस बारे में कोई सन्देह नहीं है कि हमें यह आशा करनी चाहिए कि संसद इस मामले को गंभीरता से लेगी और संघ के ऋण लेने के अधिकार को सीमित रखने हेतु कानून बनाते रहेगी। मैं आगे यह भी कहूंगा कि मुझे न केवल आशा है बल्कि मैं चाहता हूं कि संसद अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन इस अनुच्छेद के अनुरूप करेगी।"

डा. अम्बेडकर ने इसी स्थिति की कल्पना की थी जब हमें वित्तीय अनुशासन बहाल रखने हेतु कानून बनाना होगा। इन परिस्थितियों में मेरा विश्वास है कि यह विधेयक आवश्यक वित्तीय अनुशासन बहाल रखने व्यापक रूप से सहायक होगा। अन्यथा, देश की विद्यमान स्थिति के कारण आर्थिक वृद्धि के अपेक्षित स्तर में निश्चित रूप से गिरावट आयेगी और इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी जिसके कारण गंभीर भुगतान संकट उत्पन्न होगा। महोदया, अंततः हमें एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा।

अतः, हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हमारे वित्त का प्रबंधन इस प्रकार करना होगा जिससे न केवल यह स्थिर रहे बल्कि आवश्यक आर्थिक वृद्धि के अनुरूप भी रहे। अब विधेयक पारित किये जाने के पश्चात भारत सरकार को शून्य राजस्व घाटा बहाल करने हेतु प्रतिबद्ध होना चाहिए, इस पर मेरे मित्र को गंभीर आशंका है, और राजकोषीय घाटे को तीन वर्ष के दौरान 2 प्रतिशत की दर पर लाया जाए और ऋण प्राप्ति और प्रबंधन और ऋण और घाटे की सीमा बहाल रखी जाए।

महोदया, वास्तव में इस विधेयक में दो प्रकार के घाटे को दर्शाया गया है। यह निश्चित रूप से पूंजी परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अधिक घाटे और चालू खपत हेतु घाटे को पूर्ण रूप से समाप्त करने को हतोत्साहित करता है लेकिन फिर भी हालांकि हमने एक प्रशंसनीय प्रयास किया है। यह विधेयक निश्चित रूप से मार्ग प्रशस्त करेगा। लेकिन फिर भी चिंता के कतिपय क्षेत्र हैं। देश की आर्थिक वृद्धि समग्र रूप से केन्द्रीय वित्त और राज्य वित्त पर निर्भर है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, जो मैं समझता हूं कि उनके उत्तर में शामिल भी होगा, कि क्या इस विधेयक का विस्तार क्षेत्र भारत संघ पर है। क्या इसे राज्य सरकारों पर भी लागू कराने की आवश्यकता नहीं है।

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर): वे ऐसा अपने आप करेंगे।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: यदि वो अपने आप करेंगे तो इसका क्या फायदा होगा। जब तक राज्य वित्त को सुचारू नहीं बनाया जाता है, मैं समझता हूं कि यह एक कठिन कार्य होगा और पूरा कार्य जो अब हम करने जा रहे हैं निरर्थक हो जायेगा।

चिंता का एक अन्य क्षेत्र आज देश में व्याप्त न्यायिक सक्रियता है। एक बार इस कानून के बनने से कल कोई भी व्यक्ति अदालत जाकर यह कह सकता है कि वित्त मंत्री और सरकार 2 प्रतिशत का स्तर प्राप्त करने में विफल रहे हैं जैसाकि इस संशोधन में व्यवस्था की गई है।

सभापति महोदया: श्री टी.एम. सेल्वागनपति, कृपया अपनी बात अध्यपीठ को संबोधित करें।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: ठीक है महोदया, यह बात अनुकूल माहौल में हो रही है।

यदि ऐसी स्थिति है तो सरकार के पास इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कानून बनाए जाने के स्थान पर ऐसी कोई राजनीतिक इच्छा क्यों नहीं है? यह इसलिए है क्योंकि आपमें राजनैतिक विश्वास की कमी है। इन सभी मुद्दों का बेहतर शासन से प्रबंधन किया जा सकता है। न्यायिक हस्तक्षेप को कोई नहीं रोक सकता है। महोदया, तीसरे क्षेत्र में हमें इस दो प्रतिशत राजकोषीय घाटे और शून्य राजस्व घाटे के बीच इस महत्वपूर्ण नियम के आधार पर और असाधारण परिस्थिति जैसे प्राकृतिक आपदा अथवा युद्ध के समय भी संतुलन बहाल करना है। क्या प्रावधान किया गया है? गुजरात के भूकंप अथवा उड़ीसा की बाढ़ की स्थिति जैसी गंभीर स्थिति है। क्या आप भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण नहीं लेंगे क्योंकि विधेयक में कहा गया है कि केन्द्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त नहीं करेगी।

सभापति महोदया: इस विधेयक में यह उपबंध है।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: ठीक है, महोदया, मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं। जब आप कहते हैं कि आप भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण नहीं लेंगे लेकिन कोई परिस्थिति उत्पन्न होने पर आप भारतीय रिजर्व बैंक से भी ऋण लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक में क्या स्थिति थी? विगत में यह मुख्य रूप से एक नोट छापने वाली एजेंसी थी। तत्पश्चात तदर्थ सरकारी हुण्डियों के सृजन द्वारा इसे वित्तीय घाटे को पूरा करने का माध्यम बना दिया गया। अब, स्थिति यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक दीर्घावधिक सरकारी प्रतिभूतियां खरीद रहा है और बजटीय घाटे को पूरा कर रहा है। केवल ढांचा बदल गया है। यहां तक कि वह प्रावधान, जिसके बारे में माननीय महोदया अथवा श्री त्रिलोचन कानूनगो कहते हैं, से घाटे की स्थिति ही उत्पन्न होगी और फिर आप ऋण लेंगे। तत्पश्चात् यही यथास्थिति बनी रहेगी। अत:, संरचना बदल गई है और अभी भी भारतीय रिजर्व बैंक प्रत्यक्ष रूप से सरकार का वित्त पोषण कर रहा है। मितव्ययिता कहती है कि व्यय और भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेने में कोई संबंध नहीं होना चाहिए। जब तक आप भारतीय रिजर्व बैंक से सीधे वित्त लेना कम नहीं करते, तब तक आप इस आर्थिक विकास के अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यह पूरी कार्यवाही इस बात पर निर्भर करती है कि हम भारतीय रिजर्व बैंक से प्रत्यक्ष ऋण लेना कितना कम करते हैं।

सभापति महोदया: अब, आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: महोदया, केवल एक मिनट। केवल समाप्त करते हुए एक बात कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त करें।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: आप उन वृहत् आर्थिक परिवर्तनों को देखिए जो कि सार्वभौमिकीकरण के आगमन के बाद हो रहे हैं। मेरे प्रिय मित्र उदारीकरण की बात करते हैं। किसी चीज का उदारीकरण? स्वयं अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण? इस प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की मुक्त आयात व्यवस्था में क्या होगा? इसका आपकी स्थानीय घरेलू अर्थव्यवस्था, औद्योगिक अर्थव्यवस्था पर निश्चित ही प्रभाव पड़ेगा। आपको इन संरचनात्मक परिवर्तनों पर विचार करना होगा। कर लगाने की प्रवृत्ति में कमी आ रही है। अस्सी के दशक में क्या स्थिति थी? यह भिन्न स्थिति थी। समग्र कर और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात 11.5 प्रतिशत से घटकर 8.5 प्रतिशत हो गया है। राजस्व प्राप्तियां 1980 के दशक में 16.8 प्रतिशत की तुलना में 14.3 प्रतिशत की दर से बढ़ीं।

जब तक कि आप ढांचागत कठिनाईयों को दूर करने का प्रयास नहीं करते तब तक यह बहुत कठिन होगा। क्या सरकार ने इस स्थिति के बारे में विचार किया? जब तक आप कर आधार का विस्तार नहीं करते और जब तक आप केन्द्र से राज्यों को दिए जाने वाले गैर-योजनागत अनुदानों, रक्षा भुगतानों और राजसहायता को वर्तमान औद्योगिक अर्थव्यवस्था के समक्ष विद्यमान कड़ी प्रतियोगिता के मद्देनजर तर्कसंगत नहीं बनाते हैं तब तक इस विधेयक से कोई लाभ नहीं होने वाला है।

अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है जिसमें देश और सरकार को सामाजिक क्षेत्र में एक गंभीर भूमिका है। कल को दो प्रतिशत वित्तीय घाटे और शून्य राजस्व घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार कह सकती है कि उनके पास पेयजल आपूर्ति हेतु वित्त प्रदान करने के लिए धनराशि नहीं है; सरकार यह भी कह सकती है कि वह चिकित्सा क्षेत्र हेतु वित्त प्रदान नहीं कर सकती है और तब एक गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अत:, जब तक अर्थव्यवस्था को सुचारू नहीं बनाया जाता, उस स्तर तक उसमें नहीं लाया जाता तब तक यह प्रयास बेकार साबित होगा। यद्यपि मैं इसका स्वागत करता हूं तथापि सरकार को वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए और उपचारात्मक कदम उठाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): सभापति महोदया, मैं राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध विधेयक, 2000 का अपनी पार्टी की ओर से समर्थन करता हूं। वित्त मंत्री जी ने जो बिल पेश किया है, वह वक्त की पुकार थी। हमारा देश सौ करोड़ से भी ज्यादा आबादी वाला देश है। राजवित्तीय प्रबंध में पर्याप्त राजस्व अधिशेष प्राप्त करके और दीर्घकालिक बृहत् आर्थिक स्थायित्व

[श्री सुरेश रामराव जाधव]

को सुनिश्चित करने, राज्य वित्तीय घाटे को दूर करने यानी हमारे राजस्व का घाटा दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक राजस्व घाटे को पूरा नहीं कर पाए हैं। इस बिल का उद्देश्य राज्य वित्तीय घाटे को दूर करना और विकास की दर को कायम रखना है। दो-तीन उद्देश्यों को लेकर वित्त मंत्री जी ने बिल पेश किया है। मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। हमारे ऊपर अभी जो ऋण है, वह बहुत दयनीय और गंभीर स्थिति में है। अट्ठारह लाख करोड रुपये और उसका ब्याज मिला कर कम से कम बीस लाख करोड़ रुपये का कर्जा हमारे ऊपर है। भारतवर्ष में कोई माई का लाल ऐसे नहीं कह सकता कि मेरे ऊपर कर्जा नहीं है। भारत में पैदा होने वाले प्रत्येक बच्चे पर पांच लाख रुपये का कर्ज है और जो मर जाता है, वह भी पांच लाख रुपये का कर्ज छोड़ कर जाता है यानी हमारी पैदाइश कर्जे में है और मृत्यु भी कर्जे में है। ऐसी हमारी ऋण की स्थिति है। इस विधेयक में लिखा है तारीख 31 मई, 2006 तक राजवित्तीय घाटे को दूर करेंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि 2006 तक राजस्व घाटा कैसे दूर करने वाले हैं? अगर ऐसी बात होगी तो हमारे लिए अच्छा होगा लेकिन उसके लिए कारगर उपाय करने होंगे। जो 18-20 लाख करोड़ रुपये ऋण का बकाया है, यह दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। यह ऋण क्यों हो गया और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसको कम करने के लिए सरकार को कुछ न कुछ कारगर उपाय करने होंगे और राजस्व घाटे को दूर करके विकास दर को कायम रखना होगा। हमारे देश में काला धन कम नहीं है लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करूंगा कि अगर सही मायने में राजस्व घाटे को कम करना है, विकास दर को हासिल करना है तो कुछ न कुछ कारगर कदम सरकार को लक्ष्य हासिल करने के लिए उठाने होंगे और देश में जो काला धन बढ़ा है, उसके बारे में सरकार सोचे और राजस्व घाटे को कम करने के कुछ उपाय करे।

हमारा एनपीए 1,10,000 करोड़ रुपये का है। यह ऋण क्यों बढ़ रहा है? एनपीए की जो लिस्ट है, वह अभी तक डिक्लेअर नहीं की गई। उसका कारण क्या है? मेरी समझ में नहीं आता है कि हमने बहुत बार इस हाउस में डिमाण्ड की है कि एनपीए की लिस्ट पहले डिक्लेअर करिए। जो काला धन है, जो एनपीए है और जो वित्तीय घाटा है, उसको कम करने के लिए जो कारगर उपाय करने चाहिए थे, इसकी तरफ खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर हमारे ऊपर ऋण का बोझ है तो हम विकास कैसे कर पाएंगे? जो एग्रीकल्चर सैक्टर है और जो रूरल एरिया है, उसमें हमारे देश की 80 फीसदी आबादी छोटे-छोटे गांवों में रहती है। उनके विकास का काम कौन देखने वाला है? इस देश का कर्ज अगर बढ़ता जाएगा तो उससे हमारी योजना प्रभावित होगी। इसके लिए सरकार को जल्दी से जल्दी आर्थिक प्रबंध करने की जरूरत है। किसी भी कीमत पर वित्तीय घाटे को दूर करके विकास दर को हासिल करना है और ऋण के बोझ को कम करने के लिए कुछ न कुछ उपाय करने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

[अनुवाद]

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा): धन्यवाद, सभापति महोदया।

यह राज-वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध विधेयक सही दिशा में एक बेहतर शुरुआत है। हम इस विधेयक के माध्यम से अपने नियम बना रहे हैं। हमारे लिए यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयोजन से एक लक्ष्य भी निर्धारित किया है कि वर्ष 2008 तक पूरा राजस्व घाटा शून्य हो जाए ताकि सरकार सामाजिक पहलुओं के लिए राजस्व खर्च करने और उसका सही तरीके से निवेश करने की बेहतर स्थिति में आ सके।

सार्वभौमिकीकरण की बदलती परिस्थितियों में प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं और प्रत्येक समाज की आवश्यकताओं का देखभाल विभिन्न कारक करते हैं। वर्ष 1947 अथवा 1950 में सरकार ने व्यक्ति विशेष के भाग्य का निर्णय लिया होगा लेकिन अब किसी व्यक्ति, समाज और लोगों के समूहों के भाग्य का निर्णय यह वैश्विक अर्थव्यवस्था करती है।

मैं आज के समाचार-पत्र 'दि इकोनॉमिक टाइम्स' का एक अंश पढ़ूंगा जिसमें कहा गया है कि अमरीका में 50 राज्यों में से 47 राज्य वर्तमान वित्त वर्ष में बजट घाटे का सामना कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि "हाल ही में स्टेट बजट आफीसर्स ने कहा है कि राज्य एक उथल-पुथल का सामना कर रहे हैं: कर आधार में गिरावट आ रही है और स्वास्थ्य देखभाल संबंधी लागत में वृद्धि हो रहा है तथा निगमित लाभ पर कर राजस्व संबंधी पूंजीगत लाभ में गिरावट आ रही है। यह अमरीका की अति विकसित आदर्श अर्थव्यवस्था की स्थिति है।

भारतीय समाज में प्रत्येक राज्य सरकार उनके द्वारा कार्यान्वित किये जाने वाले कल्याणकारी उपायों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा खर्च की जा रही अल्प धनराशि पर निर्भर करती है। इसके अलावा राज्य सरकारें प्रत्येक वर्ष प्राप्त हो रहे राजस्व में से अपने कर्मचारियों को वेतन दे रही है। सभी राज्य सरकारों की यही दयनीय स्थिति है। यदि राज्य सरकारों को अनुशासित करना है तो उनके पास राजकोषीय प्रबंध प्रणाली के समान ही एक प्रणाली होनी चाहिए। उनके पास कर्नाटक राज्य जैसा एक कानून होना चाहिए। प्रत्येक राज्य सरकार के पास ऐसा कानून होना चाहिए। जिन जिलों को

संविधान की तिहत्तरवें, चौहत्तरवें और पचहत्तरवें संशोधनों के अंतर्गत शक्तियां प्रदान की गई हैं, उनमें भी राजकोषीय प्रबंध और राजस्व प्रबंध के अंतर्गत इसी तरह अनुशासन होना चाहिए। हम कम से कम केन्द्र स्तर पर इस तरह का कानून बनाकर सही राह पर चल रहे हैं।

मैं इस विधेयक के संबंध में बहुत गहराई में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि पहले ही अन्य माननीय सदस्य इस पर विस्तारपूर्वक बोल चुके हैं। अत: मैं केवल दो मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमने खंड 5(एक) में यह प्रतिबंध लगाया है कि "केन्द्रीय सरकार रिजर्व बैंक से उधार नहीं लेगी।" अगला उप-खंड पहले उप खंड को स्वत: रद्द कर देता है। खंड 5(2) में कहा गया है कि: "उपधारा (एक) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार रिजर्व बैंक से, ऐसे करारों के अनुसार, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा रिजर्व बैंक के साथ किये जाएं, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान नकद प्राप्तियों की तुलना में नकद संवितरण के अस्थायी आधिक्य को पूरा करने के लिए अग्रिम के रूप में उधार ले सकेगी।" यह पहले उप-खंड को रद्द कर देता है।

ठीक है, हम रिजर्व बैंक को कह सकते हैं जो कि हमारा अपना बैंक है, कि वह नोट छापे और उन्हें वितरित करें। क्या यह हमारे लिए अच्छा होगा जबकि हम स्वयं अपने घाटे को नियंत्रित कर रहे हैं? हम नोटों को छापने की अनुमति दे रहे हैं क्योंकि हम उस अवधि विशेष में स्थिति को नियंत्रित करना चाहते हैं। इसके अलावा, यदि आप पूरा विधेयक पढ़े तो वित्त मंत्री के लिए इस बात की सम्भावना की गई है कि बजट प्रस्तुत करते समय वह उन कारणों को बता सकें कि वे क्यों कुछ नहीं कर सके और केवल एक विशिष्ट लक्ष्य को ही प्राप्त क्यों कर सके। अत: नियम बनाते समय हम ऐसे नियम का भी प्रावधान कर रहे हैं जिनसे हम उन प्रतिबंधों को समाप्त कर सकेंगे जो कि पूर्व नियम में लगाए गए हैं।

अत:, मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि केवल इसलिए कि हम एक अधिनियम बनाने जा रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें मानव आस्तियों और भारत की आस्तियों के विकास की ओर ध्यान देने में स्वयं को रोके रखना चाहिए। क्योंकि भारतीय लोगों की आस्तियों का सही मूल्यांकन बिल्कुल नहीं किया गया है। समानान्तर अर्थव्यवस्था में धन का परिचायक जारी है। इस देश में पांच धनी परिवार गैर निष्पादित आस्तियों को रखे हुए हैं, जो कि इस राष्ट्र के चार वर्षों के बजट के लिए पूर्ण रूप से उपयोग की जा सकती है। ऐसा ही हो रहा है। हमारी प्रणाली सही तरीके से कार्य नहीं कर रही है। हमारा सीमा-शुल्क विभाग और उत्पाद शुल्क विभाग सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है। जब भी हम कुछ रियायतें, छूट इत्यादि देते हैं, वह अधीनस्थ स्तर के कर्मचारियों/अधिकारी वर्ग के पास चली जाती है और स्वाभाविक घटनाक्रम के विपरीत हो जाता है। यह उच्च स्तर की ओर बढ़ता जाता है। यही वर्तमान स्थिति है। हमें सबसे पहले अपने कानूनों को सही तरीके से कार्यान्वित करने और यह देखने के लिए कि हमारा अधिकारी तंत्र त्रुटिहीन है। नियम बनाने होंगे। इन्हें हमें सहयोग देना चाहिए ताकि कानून लागू करने के नियम जो कि संसद द्वारा बनाए गए हैं, अधिकतम स्तर तक उपयुक्त हों।

अत: मैं माननीय वित्त मंत्री को कहना चाहूंगा कि यह एक अच्छा प्रयत्न है। लेकिन सरकार जानबूझकर अथवा अनजाने में इसे अपना अंतिम बजट बना रही है। मैं नहीं जानता कि यह सरकार अगला बजट प्रस्तुत करेगी अथवा नहीं। लेकिन इस कानून को केवल अगले बजट के लिए अधिसूचित किया जा रहा है। वह वर्ष 2000 के बाद इससे बचना चाहते हैं। वह अपने लिए इस प्रकार के प्रतिबंध नहीं चाहते हैं, लेकिन वह इसे आने वाली सरकार पर डालना चाहते हैं जो कि अगले चुनाव के बाद सत्ता में आ जाएगी। अत:, माननीय वित्त मंत्री भी चालू वर्ष के दौरान इन कानूनों को लागू कर सकते हैं ताकि उन्हें राष्ट्र की भलाई के लिए सही तरीके से कार्यान्वित किया जाए।

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर): महोदय, मैं राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध विधेयक 2000 का समर्थन करता हूं। कभी नहीं से देर भली इसे बहुत पहले लाया जाना चाहिए था लेकिन इसे बहुत देरी से लाया गया।

महोदया, विधेयक के खण्डों पर चर्चा करने से पहले यह बेहतर होगा कि हम इसके बारे में ज्ञान हो और केन्द्रीय बजट में निरन्तर घाटे के इतिहास की कुछ जानकारी हो जो गम्भीर चिन्ता का विषय है और इसके परिणामस्वरूप यह विधेयक पुर:स्थापित किया जा रहा है। आजकल हम वित्तीय घाटे की बात कर रहे हैं लेकिन वित्तीय घाटा एक नई संकल्पना है। वर्ष 1991 के बाद में ही, विमोचन की अवधि के पश्चात ही हम वित्तीय घाटे की चर्चा कर रहे हैं। इससे पूर्व, राजस्व घाटा की बात की जाती थी और यह गम्भीर चिन्ता का कारण भी था। वर्ष 1978-79 तक केन्द्रीय बजट में सभी राजस्व घाटे को नहीं पाया गया था केवल वर्ष 1971-72 के दौरान बंगलादेशी शरणार्थियों के खर्च को पूरा करने के लिए 100 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा दिखाया गया था। लेकिन उससे पूर्व और उसके बाद कभी भी राजस्व घाटा नहीं था। वर्ष 1979-80 के दौरान वित्तीय घाटा मात्र 18 करोड़ रुपये था और उसके बाद यह प्रतिवर्ष बढ़ता गया और यदि हम 1979-80 के दस वर्ष पश्चात् 1991 के बजट को देखें तो वित्तीय घाटा बढ़कर 18,562 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है जोकि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत है। वर्ष 2003-04 के दौरान इसके बढ़कर

[श्री त्रिलोचन कानूनगो]

1,82,292 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जोकि सकल घरेलू उत्पाद का 4.1 प्रतिशत है।

अपराह्न 5.00 बजे

इसी प्रकार जब आप वर्ष 1980-81 के राजकोषीय घाटे को देखते हैं तो यह 7,311 करोड़ रुपये था जोकि सकल घरेलू उत्पाद का 5.08% था। वर्ष 1990-91 में यह 37,606 करोड़ रुपये था जोकि सकल घरेलू उत्पाद का 6.61% था इस वर्ष में, 2003-04 में, वित्तीय घाटा बढ़कर 1,53,637 करोड़ रुपये हो गया है जो कि सकल घरेलू उत्पादक का 5.6% है। यह स्थिति है जहां वित्तीय घाटा और राजस्व घाटा बढ़ता गया है। सकल घरेलू उत्पाद का 5.6% वित्तीय घाटा है जिसमें से 4.1% राजस्व घाटा है। यह वांछनीय है कि राजस्व घाटे को रोका जाए जोकि 1978-89 से पहले नहीं था। यह 1979-80 के बाद शुरू हुआ और इसमें निरन्तर वृद्धि हो रही है।

वित्तीय घाटा क्या है? इसकी परिभाषा क्या है? कृपया मुझे यह बताने दीजिए कि जैसाकि विधेयक में संशोधनों सहित बताया गया है कि वित्तीय घाटा कुल उधार है जिसका पुनर्भुगतान किया जाना है। वह वित्तीय घाटा है चाहे परिभाषा में कुछ भी दिया जाए लेकिन राजस्व घाटा की परिभाषा यही है। ऋण का अधिकतर भाग राजस्व घाटे और वर्तमान खपत व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है। यह देश की अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रबंधन के लिए काफी खतरनाक है। यह एक तथ्य है।

इसलिए हमारे संविधान के निर्माताओं ने केन्द्र सरकार द्वारा ऋण लेने के संबंध में अनुच्छेद 292 का अधिनियमन करते हुए कहा है:

> "संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों, जिन्हें संसद् समय-समय पर विधि द्वारा नियत करे, उधार लेने तक और ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों, जिन्हें इस प्रकार नियत किया जाए, प्रत्याभूति देने तक है।"

अत: संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा अनुच्छेद 292 के अंतर्गत सीमा निर्धारित की जानी चाहिए जिसे अभी तक नहीं किया गया है। मेरे कई सहयोगियों ने डा. अम्बेडकर को उद्धृत किया है जिसे विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में बताया गया है। मैं वह पूरी बात दोहराना नहीं चाहता हूं लेकिन मात्र दो पंक्तियों को दोहराना चाहूंगा जोकि अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसमें बताया गया है "ऋण को सीमित करने के लिए विधि को अधिनियमित किया जाए।" लेकिन वह नहीं किया गया।

अपराह्न 5.03 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन* हुए]

52 वर्षों के पश्चात भी, कोई कानून अधिनियमित नहीं किया गया है। आदरणीय डा. बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में प्रारूप अनुच्छेद 268 (संविधान के वर्तमान अनुच्छेद 292 के तत्समान) पर टिप्पणी करते हुए ठीक ही कहा था। इस अनुच्छेद में कहा गया है:—

> "इस अनुच्छेद में विनिर्दिष्टतया कहा गया है कि कार्यपालिका की उधार लेने की शक्ति उन परिसीमाओं के अधीन रहते हुए होगी जो संसद् विधि द्वारा विहित करे। यदि संसद् कोई विधि नहीं बनाती है तो यह निश्चय ही संसद् का दोष है और मुझे यह अभिकल्पना करने में बहुत कठिनाई होती है कि कोई भावी संसद् इस विषय पर पर्याप्त या गंभीर रूप से ध्यान न दे और कोई विधि अधिनियमित न करे।"

मेरा कहना है कि 52 वर्षों के बाद भी हम अपने ऋण और अपने उधार को सीमित करने के लिए कानून अधिनियमित नहीं कर पाए हैं। यदि हम उधार ले रहे हैं और इसे कुछ उत्पादन प्रयोजक के लिए पूंजी के रूप में निवेश करते हैं तो यह ठीक है और उचित भी है। लेकिन यदि यह वर्तमान खपत व्यय और राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए किया जाता है तो यह देश की अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रबंधन के लिए घातक साबित होगा। राजस्व नीति को बहुत पहले लागू किया जाना चाहिए था।

पिछले 24 वर्षों से अर्थात 1980 से लेकर आज तक, हम राजस्व घाटे और बड़े वित्तीय घाटे के इस दीर्घकालिक व्याधि को झेल रहे हैं।

ऐसा कहने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस विधेयक को पूरा समर्थन देते हुए, मुझे कुछ आशंकाएं भी हैं और माननीय वित्त मंत्री उन आशंकाओं-शंकाओं को निसन्देह दूर करेंगे। तीन वर्ष पहले भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री यशवन्त सिन्हा जी ने कहा था कि 5 वर्षों के दौरान अर्थात 2001 से 2006 तक वित्तीय घाटे को शून्य तक लाया जाएगा लेकिन आप 2001 से 2003 को देखेंगे तो पता चलता है कि इसमें मात्र वृद्धि ही हो रही है।

जहां तक राजस्व घाटे का संबंध है, 2001-2002 के बजट अनुमानों में राजस्व घाटे को 78,821 करोड़ रुपये बताया गया था यह सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% है लेकिन वास्तव में यह बढ़कर 1,00,162 करोड़ रुपये हो गया था जो सकल घरेलू उत्पाद का 4.3% था। वर्ष 2002-2003 के दौरान यह अनुमान लगाया गया था कि राजस्व घाटा 95,377 करोड़ रुपये का होगा जोकि

सकल घरेलू उत्पाद का 3.8% है। आप देखेंगे कि संशोधित अनुमान में यह बढ़कर 1,04,712 करोड़ रुपये हो गया। इस वर्ष 2003-04 में यह कम नहीं है। श्री यशवंत सिन्हा से लेकर माननीय श्री जसवंत सिंह के समय में यह कम नहीं हुआ है। वर्ष 2003-04 में यह बढ़कर 1,12,292 करोड़ रुपये हो गया है।

इसी प्रकार की स्थिति राजकोषीय घाटे में भी है। आप देखेंगे कि वर्ष 2001-2002 में इसका अनुमान 1,16,314 करोड़ रुपये लगाया गया था जोकि सकल घरेलू उत्पाद का 5.1% था। वास्तविक रूप में यह बढ़कर 1,40,955 करोड़ रुपये हो गया था जोकि सकल घरेलू उत्पाद का 6.1% था। वर्ष 2002-03 के बजट अनुमान में, इसे 1,35,524 करोड़ रुपये आंका गया था यह सकल घरेलू उत्पाद का 5.3% था। संशोधित अनुमान में यह बढ़कर 1,45,466 करोड़ रुपये हो गया था जोकि सकल घरेलू उत्पाद का 5.9% है। वर्ष 2003-04 के दौरान विद्यमान वित्त मंत्री के कार्यकाल में इसके 1,53,631 करोड़ रुपये तक बढ़ जाने की आशा है।

महोदय मेरा कहना यह है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान जब यह घोषणा की गई थी कि वह इसे 5 वर्षों के भीतर 2006 तक शून्य पर ले आएगे। भारत सरकार-वित्तीय घाटे और राजकोषीय घाटे दोनों में ही एक रुपये की कमी तक नहीं कर पायी है। तत्पश्चात् इस समय जब इस सभा में आज यह विधि अधिनियमित की जा रही है तो हम किस प्रकार विश्वास कर सकते हैं कि 2008 तक राजस्व घाटे को शून्य तक लाया जाएगा और राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 2% के स्तर तक लाया जाएगा। यह किस प्रकार किया जाएगा। अत: माननीय वित्त मंत्री जी से इस सभा में अत्यन्त संतोषजनक उत्तर आवश्यक है। सरकार में कोई तब्दीली नहीं हुई है। उसी सत्ताकाल में यह नहीं किया जा सका और वायदे पूरे नहीं किये गये हैं। इसके बाद हम किस प्रकार विश्वास करे कि वे आश्वासन पूरे किये जाएंगे? यह कानून नहीं है यह सामूहिक राजनीतिक इच्छा है यह खर्च करने के मामले में औचित्य रखता है और यह राजस्व जुटाने के मामले में प्रभावशीलता की बात है।

यह कानून नहीं है जो ऐसी गम्भीर समस्या को हल करेगा और महोदय, आप इसे जानते हैं, अभी हाल ही में हमने विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 के स्थान पर विद्युत अधिनियम अधिनियमित किया है। विद्युत आपूर्ति अधिनियम में धारा 59 में यह स्पष्ट कहा गया था कि राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा कम से कम 3% आय अर्जित की जाएगी। मैं यह कह रहा हूं कि इसे कम से कम 3% होना चाहिए लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। अत: यह वह कानून नहीं है जो उस समस्या का निदान कर सके। यह सामूहिक राजनीतिक इच्छा है बिना राजनीतिक इच्छा के राजनीतिक दूरदर्शिता और प्रभावशाली प्रबंधन के राजस्व घाटे को शून्य तक नहीं आएगा और वित्तीय घाटे को अपेक्षित स्तर तक अर्थात सकल घरेलू उत्पाद का 2% तक कम नहीं आ पाएगा। इसलिए मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह कृपया सदन को बताएं कि हम इस विद्यमान अधिनियमन से ही किस प्रकार काम चला सकते हैं और क्या यह विद्यमान अधिनियमन पर्याप्त है।

घाटे के वित्तपोषण के संबंध में हमारे कुछ सहयोगियों ने कहा है कि घाटे की वित्तपोषण अपने आप में अभिशाप नहीं है। जी हां, मैं इस बात से सहमत हूं कि यह अपने आप में अभिशाप नहीं है। यदि उधार लिया गया धन उत्पादक प्रयोजनों-अधिक उत्पादन के लिए उच्च उत्पादकता के लिए और बेहतर उत्पादन परिसम्पत्तियों से बचाने के लिए खर्च किया जाता है तो यह ठीक है। पुन: यह सीमित अवधि के लिए है। यदि यह चिरकालिक हो जाता है, यदि यह कुछ वर्षों तक लगातार चलता तो यह एक गम्भीर व्याधि बन जाती है जिसे ठीक करना अत्यन्त कठिन है। इसलिए यदि घाटे की अर्थव्यवस्था व्यय की चालू खपत को पूरा करने के लिए अपनाई जाती है और यदि इसे कुछ वर्षों तक लगातार किया जाता है तो यह चिरकालिक हो जाती है तो यह एक गम्भीर विकार में बदल जाता है। वित्त मंत्री जी को भी इसके बारे में मालूम है लेकिन यह देखा जाना शेष है यदि उनमें इस गम्भीर विकार को दूर करने की हिम्मत और राजनीतिक इच्छा शक्ति है।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

श्री त्रिलोचन कानूनगो: अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं पुन: कहना चाहता हूं कि कानून अकेला ही पर्याप्त नहीं होगा। यह खर्च करने के मामले में दूरदर्शिता अपनाना और राजस्व जुटाने के मामले में प्रभावशीलता ही असल बात है। उसके बिना यह विधेयक जब पारित होगा और कानून बनेगा, तो यह एक सही असफलता साबित होगा।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा): महोदय, विधेयक में जिन उपायों का उल्लेख किया जा रहा है उसका मैं समर्थन करती हूं। मैं जानती हूं कि इन्हें अच्छी भावनाओं से किया गया है और मैं मंत्री महोदय के लिए कामना करती हूं कि वह अपने आश्वासन और प्रतिबद्धता का कार्यान्वयन करने में सफल हों। वह यहां बता रहे हैं और विधेयक में भी कहा गया है कि किस तरह अधिशेष राजस्व की प्राप्ति की जायेगी और किस तरह प्रत्येक बजट के साथ वक्तव्य दिया जाएगा जिसमें यह कहा जा रहा है कि वह बजट प्रस्तावों इत्यादि को किस प्रकार कार्यान्वित करेंगे। मेरा आशय यह है कि इसके द्वारा बजट तैयार करने के तरीके बताए गए हैं। स्वाभाविक रूप से बजट पूर्व विचार-विमर्श होता है, जिसमें विश्व बैंक और अन्य वित्त पोषक एजेंसियां जो बजट प्रक्रिया का भाग बन गई हैं, भी शामिल होती हैं। अब कहा जा

[श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा]

रहा है कि आप रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त नहीं करेंगे। मैं इसकी सफलता के बारे में पूरी तरह आश्वस्त नहीं हूं।

मैं समझती हूं कि त्रैमासिक समीक्षा नई बात नहीं है क्योंकि आकलनों की समीक्षा हम करते हैं और बाद में वर्ष के मध्य में संशोधित बजट अनुमान तैयार किया जाता है।

अभी आप घाटे को कम करने संबंधी लक्ष्यों की बात कर रहे हैं जिसमें आपके अनुसार केवल प्राकृतिक आपदा अथवा युद्ध की स्थिति में छूट दी जा सकती है। जैसाकि मैंने कहा, प्रस्ताव अच्छे हैं, विचार अच्छे हैं लेकिन चर्चा राजकोषीय घाटे को कम करने हेतु कानून बनाकर न सही, कभी कोई सार्थक प्रयास किया गया है। हमने शून्य बजट और अन्य संभावित सभी बातों पर चर्चा की है लेकिन घाटे का वित्त पोषण बजट प्रक्रिया का किसी न किसी रूप में एक भाग बन गया है। मैं निश्चित रूप से कहूंगी कि ऋण द्वारा वित्त पोषण निश्चित रूप से आज देश और अन्य विकासशील देशों के लिए एक खतरनाक रूझान है। हमारी ऋण संबंधी देनदारियों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है और हम एक प्रकार से अपनी भावी पीढ़ियों को आज लिए गए ऋण का पुनर्भुगतान करने हेतु विवश कर रहे हैं।

विकास संबंधी योजना, का क्या हुआ इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है लेकिन जो मुद्दा सरकार और देश में प्रत्येक व्यक्ति को परेशान कर रहा है वह यह है कि ऋण से प्राप्त धन पर निर्भरता को कैसे कम किया जाए। वेतन के भुगतान के लिए भी देश के कई राज्यों में धन नहीं है। प्रशासन के दिन प्रतिदिन के कार्य को चलाने हेतु भी ऋण प्राप्त किया जा रहा है।

महोदय, मैं पूछना चाहूंगी कि क्या हम कर ढांचे में विस्तार करने के लिए वास्तव में कुछ कर रहे हैं। हम सभी बढ़ते हुए मध्यम वर्ग, विकास और इससे संबंधित बातों की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जहां तक देश के करदाताओं की संख्या का संबंध है यह अत्यधिक कम है। कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है और उन्हीं लोगों को बकरा बनाया जाता है और उन्हीं से हर बार कर वसूला जाता है अधिक कर वसूला जाता है और कर ढांचे में विस्तार करने के स्थान पर कर की दरों में वृद्धि की जा रही है।

हम लोगों ने गैर-निष्पादन आस्तियों की बात की है और मैं समझती हूं कि इसमें हम 1,10,000 करोड़ रुपये 1,20,200 करोड़ रुपये की गैर-निष्पादन आस्तियों की बात कर रहे हैं। आप इन गैर-निष्पादक आस्तियों को क्रियाशील बनाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। सरकार क्या कर रही है। हमने समर्थन देकर आपको कानून बनाने का अवसर दिया जिसके द्वारा उन कंपनियों से धन प्राप्त करने के लिए उनकी कुर्की की जा सकती है। आप छोटे ऋण प्राप्तकर्त्ताओं, लघु उद्योगपतियों, लघु उद्योगों और कम पूंजी वाले लोगों के पीछे लगे हैं। बड़े पूंजीपतियों पर क्या कार्यवाही हुई है। मैंने इसका अपने पिछले भाषण में उल्लेख किया था लेकिन मंत्री महोदय आपने मुझे इसका उत्तर नहीं दिया। मैंने प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल बड़े लोगों की चर्चा की थी। आपने संसद में दिए गए उत्तर में स्वयं स्वीकार किया था कि उन पर आईएफसीआई की भारी धनराशि का बकाया है। आप इसकी वसूली से क्या प्रयास कर रहे हैं? क्या उन्हें प्रधान मंत्री की सलाहकार परिषद से निकाल दिया गया है अथवा क्या उन्होंने आईएफसीआई की धनराशि का पुनर्भुगतान कर दिया है। आप संसद और राष्ट्र को उत्तर देने के लिए जिम्मेवार हैं कि आप इन लोगों के बारे में क्या कर रहे हैं। छोटे मोटे ऋण प्राप्तकर्त्ताओं के पीछे पड़ने से बात बनने वाली नहीं है। यदि आप अपनी अर्थव्यवस्था को सही करना चाहते हैं और इसका परिणाम चाहते हैं तो आपको इन बड़े पूंजीपतियों से वसूली करनी होगी।

सदस्यों ने काले धन के बारे में कहा है। मैं पूछना चाहूंगी कि क्या आपने वास्तव में इस मुद्दे पर कार्यवाही की है। कई रिपोर्टें आई हैं और संसद सदस्य के रूप में मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगी कि क्या चुनाव काले धन का प्रयोग किये बगैर लड़ा जा सकता है। हम इसके लिए क्या कर रहे हैं। हर कोई काले धन को समाप्त करने की बात कर रहा है। तथापि चुनाव में धन की नई मांग होती है और मैं समझती हूं कि श्री शेषन द्वारा उस समय निर्धारित 15 लाख रुपए की सीमा तब तक व्यावहारिक नहीं होगी जब तक हम राज्य अथवा किसी अन्य माध्यम से धन उपलब्ध नहीं करायेंगे। वास्तव में यह एक अलग बात है लेकिन आपको काले धन के मुद्दे—इसके सृजन और उपयोग पर ध्यान देना होगा।

भ्रष्टाचार एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा है। हजारों हजार मामले अदालतों और अन्य स्थानों में लंबित हैं। हमें इसके स्रोत, इसमें लिप्त व्यक्तियों की जानकारी है लेकिन इस पर वांछित आवश्यक कार्यवाही किसी कारण अथवा अन्यथा से रुक जाती है। क्या इसमें इस मुद्दे से निपटने की इच्छा शक्ति है क्योंकि लोगों का धन हमेशा गलत लोगों के पास जा रहा है। राजीव जी ने कहा था कि केन्द्र से भेजे गए प्रत्येक रुपया में से वास्तव में केवल 15 से 20 पैसा ही विकास कार्य हेतु निचले स्तर तक पहुंच पाता है। इसका व्यय प्रशासनिक कार्यों और अपव्यय आदि आदि में होता है।

महोदय, मंत्रालयों में व्यपगत हो रही धनराशि जिनका उपयोग नहीं किया गया है का भी प्रश्न है। मुझे कतिपय ऐसी परियोजनाओं की जानकारी है जिसमें आपने ऋण लेकर राज्यों को दिये थे लेकिन उन्होंने इसका सही प्रयोग नहीं किया। परियोजनाओं में

विलंब हो रहा है, लागत व्यय में वृद्धि हो रही है, ब्याज का भुगतान किया जा रहा है लेकिन धन का उपयोग नहीं हो रहा है। आप योजना और क्रियान्वयन के चरणों में अत्यधिक पिछड़े हैं जिससे समय और लागत में वृद्धि हो रही है। आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं। आपके द्वारा लिए गए ऋण का उपयोग नहीं किये जाने के बारे में जिम्मेवारी क्यों नहीं निर्धारित की जा रही है। आप इस पर ब्याज का भुगतान कर रहे हैं, करदाता इसका भुगतान कर रहे हैं लेकिन समय और लागत में वृद्धि हो रही है। हमें कई बार यह जानकारी मिलती है कि प्रशासन और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीच सांठगांठ है जो इन्हें और विलंब करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं।

महोदय, बजट की महत्ता के संबंध में, आप इसमें पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। आपके बजट की क्या महत्ता है? आप संसद में बजट प्रस्तुत करते हैं और प्रत्येक दूसरे और तीसरे महीने में बजट के बाहर जाकर डीजल के मूल्य में वृद्धि भी करते हैं। आप गैस के सिलिन्डर के मूल्यों में वृद्धि करते हैं। आप बजट के बाद पेट्रोल की कीमत में तीन बार वृद्धि करते हैं। आप इन कार्यों को संसद में अध्यादेशों और वक्तव्यों के माध्यम से करते हैं। यह चलता रहता है। आप बजट तैयार करने की जिम्मेवारी की बात कैसे कर सकते हैं जब आप यह कार्य संसद से बाहर अलग से करते हैं। बजट की क्या महत्ता है। यह आपके लिए लगभग रोजमर्रा की बात हो गई है। रेल किरायों में वृद्धि की जाती है। विमान किरायों में कभी गिरावट और कभी वृद्धि हो रही है। यह सब ऐसे किया जाता है जैसे कि यह सामान्य कानून का हिस्सा हो और जिसे बजट संबंधी कोई कार्य किए बगैर किया जा रहा है।

केन्द्र से राज्यों को जाने वाली धनराशि लेकर भी समस्या है। मुझे ऐसे कई राज्यों की जानकारी है जहां पूरे वर्ष का वेतन मार्च के महीने में ही जारी किया जाता है। मैं कई ऐसे गैर सरकारी संगठनों को जानती हूं जिसे अप्रैल के महीने में ही पूरा धन जारी किया जाता है। उन्हें पूरे वर्ष अनाथालयों और महिलाओं और अन्य व्यक्तियों के लिए आवास गृह चलाना पड़ता है। केन्द्र द्वारा राज्यों को धन भेजे जाने के बावजूद चूंकि राज्यों द्वारा आवश्यक अनुदान सहायता नहीं बताई जाती है इसलिए इस फील्ड में कार्यरत एजेंसियों को धनराशि नहीं जारी की जाती है। हो सकता है कि राज्यों की भी समस्याएं हों लेकिन प्रत्येक राज्य में इस प्रकार का कार्य मार्च में ही किया जा रहा है। इसके बारे में महिला संगठनों द्वारा भी शिकायत की जा रही है। इसके कोई प्रयास नहीं किये जा रहे हैं कि धनराशि जारी करने की उचित प्रक्रिया बहाल की जाए।

मेरे स्वयं के मामले में कतिपय कार्यक्रमों के अंतर्गत धनराशि जारी की जाती है लेकिन राज्य सरकारों द्वारा निचले स्तर के लिए जारी की जाने वाली आवश्यक धनराशि का चेक जारी नहीं किया जाता है क्योंकि उन्हें इस पैसे की जरूरत होती है। 1-2 महीने ठहरिये, देंगे।" जब तक एनजीओ, लघु संगठनों और यहां तक कि स्थानीय सरकारों के कार्यकरण की क्या स्थिति होती है। भेजी गई धनराशि समय पर प्राप्त नहीं होती है। जारी की जा रही धनराशि और उसके उपभोग के लिए राजकोषीय अनुशासन होना चाहिए।

आवश्यकता से अधिक बड़े आकार के सरकारी तंत्र का भी प्रश्न है। इस पर चर्चा हो चुकी है और मैं पुन: इसे दुहरा रही हूं। आपने सरकार के आकार में कमी लाने की प्रतिबद्धता की थी। आपने इसके लिए क्या प्रयास किये हैं। हमें बताया जाता है कि बजट धनराशि का 50 प्रतिशत से अधिक व्यय वास्तव में वेतन, पेंशन, प्रशासनिक और यात्रा व्यय पर किया जाता है और ऋण संबंधी क्षेत्र में 80 प्रतिशत व्यय होता है इसलिए निचले स्तर पर वास्तविक रूप में विकास कार्य हेतु शायद ही कुछ बचता है। अत: आप ऋण लेते हैं।

राजीव जी ने एक बार मजाक में मंत्रिमंडल में कहा था कि तीन प्रकार की निधियां हैं-योजना निधि, गैर-योजना निधि और आपदा निधि और अधिकांश सरकारें आपदा निधि पर चलती हैं। जितना अधिक आकलन और जितनी अधिक मांग की जाती है उतना ही उनके लिए राज्यों में बजट को संतुलित करना आसान होता है। सरकारी तंत्र के आकार कम किये जाने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया है। मैं केरल के मुख्य मंत्री, श्री एंटनी की सराहना करती हूं। उन्होंने सरकारी खर्च में हिम्मत दिखाते हुए कटौती की और कहा कि उनके पास पैसे नहीं हैं। वे हड़ताल पर चले गए। उन्होंने उन्हें कहीं अन्य स्थान पर बैठने के लिए कहा। मैं जानती हूं कि उन्हें राजनीतिक विवाद का सामना करना पड़ा है लेकिन कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं।

एक तरफ महंगाई भत्ते में वृद्धि हो रही है। भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा दिया जाने वाला कार्य अब सचिव स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। आपने पदों का उन्नयन किया है। आपने इसमें वृद्धि की है। अपने सभी सहयोगियों को लाभ पहुंचाने के लिए आपने मंत्रिपरिषद के आकार में वृद्धि की है। पहले एक परिवहन मंत्रालय था। जब मैं सरकार में थी तो नागर विमानन, रेल और पोत एक ही कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत होता था। आज कितने मंत्रालय हैं। परिवहन, नागर विमानन, सड़क परिवहन इत्यादि के लिए अलग-अलग मंत्रालय है। मंत्रालयों में इसलिए वृद्धि हो रही है क्योंकि सभी को लाभ पहुंचाना है। इसके लिए और अधिक स्टाफ अधिक वाहन और अन्य सुविधाओं की आवश्यकता होती है फिर भी आप कह रहे हैं कि आप सरकार के आकार में कमी कर रहे हैं।

[श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा]

मैं गैर-उत्पादनकारी व्यय की बात कर रही हूं जिसमें प्रत्येक सरकार उलझ रही है। आज कोई भी लाभकारी व्यय नहीं हो रहा है। एक सरकार में मैं नहीं जानती कि एक नेता के जन्मदिवस के अवसर पर कितने करोड़ रुपए व्यय किए गए थे। यह सब सरकारी धन है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है। अन्य जगह पर भी सरकारी धन का व्यय किसी आम समारोह के लिए किया गया। समाचार पत्रों में इस सरकार के आधे अथवा पूरे पृष्ठ के प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को देखिए जो इसका प्रमाण है कि सरकारी विज्ञापनों पर कितना करोड़ रुपया कम किया जाता है फिर भी सरकार का कहना है कि पैसा नहीं है। डवलपमैंट के लिए पैसा नहीं है, सब कुछ खत्म है। आप क्या कर रहे हैं? आज मुझे बताया गया है कि सरकार का एक प्रस्ताव है कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि की धनराशि बढ़ाई जाए। मुझे नहीं पता कि अन्य कोई प्रस्ताव है कि नहीं। एक तरफ आप इस प्रकार के विधेयक ला रहे हैं और इसे घटाने को कहते हैं। मेरे विचार से हम संसद सदस्यों को उदाहरण पेश करना है। हम नौकरशाहों को काम देने की बात कर रहे हैं। वास्तव में उनका महंगाई भत्ता कोई रोक नहीं सकता। यह बढ़ता चला जाता है। वेतन आयोग के बाद वेतन में वृद्धि होती जाती है। लेकिन यदि संसद सदस्यों को कुछ मिलता है तो यह समाचार पत्रों में प्रमुख समाचार बनता है।

[हिन्दी]

एम.पी. को यह दिया, वह दिया। उनके जो मिलता है, उसकी कोई बात नहीं करता, कोई बोलता नहीं।

[अनुवाद]

लेकिन प्रश्न यह है कि सरकार को उदाहरण पेश करना है। तभी नीचे तक संदेश जाएगा। मुद्रास्फीति पुनः बढ़नी शुरू हो गई है। मैं इसके विस्तार में नहीं जा रही हूं लेकिन यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है। जब तक हम सुधारात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे हमारे सामने समस्याएं आएंगी।

यदि आपको बजट संतुलित करना है तो आपकी राष्ट्रीय बचत करनी होगी। इस देश के कम बचत शक्ति वाले लोग बचत कर रहे थे और उन्हें उस पर कुछ ब्याज मिल रहा था। आपने बचत करने की इच्छा के मूल आधार को बर्बाद कर दिया है। आप लघु बचतों पर ब्याज घटाते जा रहे हैं। लोगों को अपनी बचत से कुछ आय होती थी। इससे बचत करने को प्रोत्साहन मिलता था। आज उन्हें बचत क्यों करनी चाहिए? दूसरी तरफ आप उन्हें स्टाक, शेयर और इसी प्रकार के अन्य क्षेत्रों में निवेश करने को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके बाद वे दिवालिया हो जाते हैं।

एक माननीय सदस्य: घोटाले भी हो रहे हैं।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: यहां घोटाले भी हैं। यूटीआई के मामले में सब कुछ गलत हुआ। आपको क्या करना था? यूटीआई को उबारने के लिए आपको धनराशि की व्यवस्था करनी थी क्योंकि आम आदमी को भुगतान किया जाना था, आपको धन की व्यवस्था करनी थी।

[हिन्दी]

कहां से आया, पब्लिक फंड से आया। घोटाला हुआ, सरकार से बेलआउट कर दिया। पैसा किसका-टैक्स पेयर का।

[अनुवाद]

इस तरीके से आप बजट को संतुलित बना रहे हैं और इस समस्या से छुटकारा पाने का प्रयास कर रहे हैं।

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों का भी सवाल है। सरकार ने नौकरियों का वादा किया था। आपको लोगों के लिए रोजगार सृजन करना है जिससे वे योगदान करने में सक्षम हो सकें। इसके विपरीत, नौकरियां है ही नहीं। उद्योग बंद हो रहे हैं। लघु उद्योग बंद हो रहे हैं। कृषि में गिरावट आ रही है। नौकरियां कहां है? धन कहां है? बचत समाप्त हो गया है। लोगों को बचत करने लायक वेतन नहीं मिलता। आय कहां से होगी? आप किसके ऊपर कर लगाएंगे और धन कहां से जुटाएंगे?

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना में बहुत अधिक धन दिया जा रहा है और इसे पूरा करने के लिए राजसहायता में कटौती की जा रही है, लघु बचतों पर ब्याज कम हो गया है और सरकार अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रही है।

अंततः सभी प्रकार के कार्यों में पारदर्शिता आवश्यक है। कर्नाटक में मेरी पार्टी की सरकार न पारदर्शिता अधिनियम लायी है। 5 लाख से ज्यादा का कोई भी कार्य सार्वजनिक निविदा के द्वारा किया जाना है। प्रत्येक कार्य स्थल पर एक बोर्ड लगाया जाता है जिस पर दर्शाया जाता है कि परियोजना की धनराशि कितनी है, कार्य को कौन ठेकेदार कर रहा है, कार्य किस तारीख को शुरू हुआ, कार्य किस तारीख को पूरा किया जाना है। कुल धनराशि जो सरकार ने जारी की है, ताकि लोगों को पता रहे कि ठेकेदार कौन है, धनराशि कितनी है और आपको देखना है जिस व्यक्ति को जो कार्य करना है, कर रहा है। कार्य पूर्ण होने का समय भी बोर्ड पर दर्शाया जाता है। प्रत्येक परियोजना के लिए एक बड़ा बोर्ड होता है जिसमें लोगों को जानकारी हेतु सारा ब्यौरा होता है। विश्वसनीय उत्तरदायित्व और मेरे विचार में बदलते हुए समय की आवश्यकता के अनुरूप संवेदनशीलता की आज हमें जरूरत है। अन्यथा, यह देश कई पीढ़ियों तक बंधक हो जाएगा और हम एक

प्रकार का 'बनाना रिपब्लिक' रह जाएंगे जहां हर उधार देने वाला आपसे अपनी शर्तें मनवाएगा। वे पहले से ही ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं। वित्त मंत्री महोदय यदि इस देश को सबल एवं स्वतंत्र बनाया जाना है तो आपने जो प्रस्ताव किया है उसे क्रियान्वित किया जाना चाहिए लेकिन किसी कानून के द्वारा नहीं बल्कि राजनीतिक इच्छा से। दुर्भाग्य से आज, सुशासन के ऊपर लोकप्रिय उपायों को तरजीह दी जा रही है और इससे भी बढ़कर क्षेत्रीय प्राथमिकताएं आपका राष्ट्रीय एजेन्डा बन गया है। आज भारत की यही त्रासदी है। क्षेत्रीय एजेन्डा आपसे राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में मनवाया जा रहा है और आपके पास उनकी बात का समर्थन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं करने से आपका गठबंधन टूटने लगता है और सरकार गिर जाती है। इसलिए, मैं आपकी मंगल कामना करती हूं, मुझे आपसे सहानुभूति है, मैं आपकी समस्याएं समझती हूं लेकिन मुझे आशा है कि आपने देश की भलाई के लिए इस विधेयक में जो निर्धारित किया है उसे प्राप्त करने में सफल होंगे।

सभापति महोदयः अब तक मद संख्या 19 'आधे घंटे की चर्चा' शुरू करेंगे। श्री रामजीलाल सुमन।

[हिन्दी]

यदि सदन सहमत हो तो हाफ-ऐन-आवर डिस्कशन बाद में ले सकते हैं।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): सभापति महोदय, इसे होने दीजिए नहीं तो यह फिर नहीं हो पाएगा। यहां रोज कोरम की समस्या पैदा हो जाती है।

सभापति महोदयः यदि हाउस सहमत हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री रामजीलाल सुमनः यह साढ़े पांच बजे के लिए लिस्टेड था।

[अनुवाद]

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): महोदय, मुझे यह बात स्वीकार करनी चाहिए कि अचानक ऐसा होने से मैं आश्चर्यचकित हूं। मुझे यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण कानून है और इसे अलग से लिया जाएगा और बहस जारी रहेगी। बहस के शुरू में मैंने अनुरोध किया था कि इसे आज ही समाप्त कर लेना चाहिए। मुझे बताया गया कि इसे आज ही समाप्त कर लिया जाएगा। लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि उसके बीच में कतिपय अन्य कार्य भी हैं। मैं सभा में जो चल रहा है मैं उसे समझने में असमर्थ हूं।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वाः यह आधे घंटे की चर्चा कार्यसूची में है लेकिन मेरा कहना है कि अध्यक्षपीठ की अनुमति से हम यह चर्चा जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदयः आपको मालूम है कि साढ़े पांच बजे हाफ-ऐन-आवर डिस्कशन लेनी थी। यदि सदन सहमत हो तो हम इस बिल के बाद उसे ले सकते हैं।

श्री रामजीलाल सुमनः इस पर कितना समय लगेगा?

सभापति महोदयः केवल मंत्री जी का रिप्लाई होना है।

श्री रामजीलाल सुमनः क्या छः बजे तक रिप्लाई हो जाएगा?

श्री जसवंत सिंहः इस बहस की समाप्ति पर ले लीजिए। जैसे ही यह बिल समाप्त हो जाएगा, उसके बाद ले लीजिए।

श्री रामजीलाल सुमनः सभापति महोदय, मंत्री जी का रिप्लाई करवाइए।

सभापति महोदयः ठीक है।

[अनुवाद]

हम इसके बाद में आधे घंटे की चर्चा को लेंगे।

श्री जसवंत सिंहः महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। व्यक्त किए गए विचारों से सरकार लाभान्वित हुई है। मेरे लिए बहस में भाग लेने वाले हर सदस्य द्वारा उठाये गये सभी मुद्दों पर बात करना संभव नहीं होगा। श्री शिवराज पाटील उपनेता, प्रतिपक्ष द्वारा शुरू की गई बहस में अनेक माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे।

महोदय, मुख्य बात यह कही गई कि स्वयं कोई कानून देश में राजकोषीय अनुशासन की आवश्यकताओं को पूरा करने में पर्याप्त नहीं है। यह बात किसी ने नहीं कही कि मात्र कानून या विधेयक बनाकर हम उन उद्देश्यों को प्राप्त कर लेंगे जिसे हमको प्राप्त करना है। एक स्वीकार्य और सुदृढ़ राजकोषीय जिम्मेदारी के रास्ते पर चलना सरकार की अतिरिक्त जिम्मेदारी है जिसके संबंध में विशेष लक्ष्य एवं मानदण्ड हैं जो एक नियत समय में उपलब्धि प्राप्त करने के लिए निर्धारित हैं। वास्तव में, इस प्रकार का विधेयक अधिनियमित होने पर पर्याप्त नहीं होगा! किसी ने ऐसा नहीं कहा कि यह पर्याप्त होगा।

[श्री जसवंत सिंह]

महोदय निराशाजनक स्थिति का वर्णन किया गया है और अनेक अन्य मुद्दे उठाए गए हैं। सबसे पहले मैं उन मुद्दों की चर्चा करूंगा जिसे श्री शिवराज पाटिल ने उठाया है। उनका एक मुख्य विचार भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेने के संबंध में प्रतिबंध के बारे में है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास सरकार को उधर देने हेतु अपना कोई धन नहीं है। पहले, भारतीय रिजर्व बैंक नोट छापा करता था लेकिन 1997 से उसने कार्य बंद कर दिया है।

माननीय सदस्यगण सरकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नोट छापे जाने की परम्परा के प्रतिकूल परिणाम से अवगत है। विधेयक के खण्ड 5 के उपखण्ड (3) में यह उपबंध है कि भारतीय रिजर्व बैंक सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय आपदा या इसी प्रकार की अन्य अपवादात्मक स्थितियों में जैसी कि सरकार विनिर्दिष्ट को उधार दे सकता है। यह लाइसेंस नहीं है। लेकिन यह उपलब्धता है और जब हम उपलब्धता को सीमित करते हैं तो हम मनमाने या गलत खर्च पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाते हैं। यह किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित कानून के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम की अनुमति जारी रहेगी। इसलिए, ऐसा नहीं है कि इस कानून से सरकार को अपने खर्च पूरा करने में सक्षम होने से उसके लिए संभावना स्थायी रूप से समाप्त हो जाएगी।

मैं माननीया श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा द्वारा उठाई गई केवल दो बातों का उल्लेख करना चाहूंगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने बहुत सारे विचार रखे हैं और मेरे लिए उन सबका उत्तर देना कठिन होगा। ये उनके विचार हैं और मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हूं। इतने बड़े देश को अभी या भविष्य में बनाना गणतंत्र कहना ठीक नहीं है। किसी देश को किसी भी प्रकार के विचार से प्रभावित बताना ठीक नहीं है। ऐसा कहने दीजिए, यह उनका विचार है और वास्तव में वे अपना विचार प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन मैं दो मुद्दों का उल्लेख करना चाहूंगा।

उनकी शिकायत है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत में उतार चढ़ाव चलता रहता है। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्या इस बात से सहमत हैं कि पेट्रोलियम उत्पादों के मामले में संपूर्ण नियंत्रित मूल्य अब लागू नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकार पेट्रोलियम की कीमत निर्धारित कर रही है। ऐसा निगम करते हैं और वे ऐसा कच्चे तेल की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के उतार-चढ़ाव के अनुरूप कर रहे हैं। क्या ऐसा करने का कोई बेहतर तरीका है? मैं चाहता हूं कि कच्चे तेल की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों को नियंत्रित करने का कोई बेहतर तरीका हो। लेकिन वर्तमान समय में हाइड्रोकार्बन से संबंधित वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण ऐसा हुआ है। सरकार कीमत बढ़ाने या घटाने को नहीं कह रही है। नियंत्रित मूल्य प्रणाली अब प्रचलन में नहीं है।

दूसरी बात निधियों का उपयोग न किए जाने के बारे में है। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य ने उस पर समुचित रूप से ध्यान दिया क्योंकि हमने केन्द्र सरकार के मंत्रालयों द्वारा निधियों के उचित उपयोग संबंधी प्रश्न को गंभीरता से लिया है। हमने इस बजट में ही निधियों के उपयोग संबंधी प्रणाली का प्रावधान किया है। इस प्रणाली के अनुसार पूरे वर्ष के लिए बजट आवंटन करने जिसके अंतर्गत सभी खर्च वर्ष के अंत तक संकेन्द्रित होते जाते हैं, हमने धन के तिमाही आबंटन की प्रक्रिया शुरू की है। मैंने एक दिन इसका ब्यौरा दिया था और कहा था कि हमने कतिपय चयनित मंत्रालयों में तिमाही धन आबंटन की प्रक्रिया शुरू की है जिसके अंतर्गत धन का आबंटन किये गये खर्च के अनुरूप किया जाता है। हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। क्या इससे सभी परिणाम प्राप्त हो गए हैं? मेरे विचार से एक ही बार में सभी परिणाम प्राप्त नहीं हो पाएंगे।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: रक्षा मंत्रालय की अप्रयुक्त धनराशि के बारे में क्या कहना है? 5000 करोड़ रुपये की धनराशि अप्रयुक्त पड़ी हुई है ...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह: उन्होंने यह प्रश्न कृपापूर्वक मेरे भाषण में व्यवधान डालकर किया है। उन्होंने पूछा है कि रक्षा मंत्रालय की धनराशि का क्या हुआ। मैंने इसका उल्लेख अनेक अवसरों पर किया है। यह बात मैं अपने अध्ययन के आधार पर कहता हूं जो अध्ययन मैंने जीवन भर किया है। यह मेरे व्यक्तिगत अनुभव पर भी आधारित है क्योंकि मुझे उस पद पर रहने का सम्मान मिला था। यह उन कार्यों पर भी आधारित है जो हमने रक्षा मंत्रालय के सुधार के लिए किए। मैं उस समय कही गई बात को दोहराता हूं कि रक्षा मंत्रालय का बजट मात्र बारह महीने की अवधि के आधार पर बनाना अव्यवहारिक है।

हथियारों की खरीद एक अत्यंत जटिल कार्य है। यह किसी दुकान पर जाकर किराने के सामान खरीदने जैसा नहीं है। इसमें जटिल, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दे सामने आते हैं। वास्तव में, इसमें किसी उपकरण जिसकी जांच की जानी होती है, से संबंधित अत्यंत जटिल तकनीक पहलू सम्मिलित होते हैं। इसलिए हथियारों की खरीद का व्यावहारिक तरीका 24 माह की अवधि निर्धारित करने का है और काश मैने ऐसा बजट पेश करते समय कहा होता कि मैं रक्षा मंत्रालय की आवश्यकताओं का समर्थन करूंगा लेकिन 24 माह की अवधि के आधार पर। हमें केवल इस आधार पर कार्य नहीं करना चाहिए कि केवल 12 माह की अवधि में ही रक्षा मंत्रालय किसी कारण से कोई हथियार प्रणाली खरीद नहीं सकता, इसलिए कहीं कुछ गड़बड़ है। ऐसा आवश्यक नहीं है।

अब, मैं खरीद प्रणाली के दूसरे पहलू की बात करता हूं। आपको पता है और जैसा कि होता है। धन संबंधी प्रत्येक छोटा

या बड़ा अनुरोध वित्त मंत्रालय के पास भेजा जाता है। रक्षा मंत्रालय की प्रत्येक खरीद और प्रत्येक अनुरोध का वित्त मंत्रालय अवलोकन करता है और नियंत्रण एवं संतुलन के लिए बनाई गई सारी प्रक्रियाओं का पालन आवश्यक है। वित्त मंत्रालय उन सारी बातों की पुन: जांच करता है जिनकी जांच रक्षा मंत्रालय वित्त मंत्रालय के तत्स्थानिक वित्तीय सलाहकार के माध्यम से कर चुका होता है। हमने यह प्रणाली उचित एवं पर्याप्त नियंत्रण एवं संतुलन के रूप में स्वयं बनाई है। इसलिए इसमें निश्चय ही समय लगेगा। यदि आप इन सबको बदलना चाहते हैं तो इस नियंत्रण एवं संतुलन की प्रक्रिया को हटा दीजिए, हम ऐसा कर सकते हैं लेकिन इसकी कुछ कीमत चुकानी होगी। इसलिए, जब मैं रक्षा मंत्री था तो हमने विशेष खरीद कक्ष की स्थापना की थी। मैंने यह बात मंत्रिमंडल में भी उठाई थी कि हमें रक्षा मंत्रालय के लिए एक त्वरित खरीद प्रणाली की शुरुवात करनी चाहिए और हमने न केवल रक्षा मंत्री के वित्तीय अधिकार बढ़ाए बल्कि कोर कमांडर इत्यादि को ये अधिकार दिए। इसलिए वास्तव में, केवल कोरी निन्दा का कोई औचित्य नहीं है। यदि आप पूछें कि क्या सुधार की कोई गुंजाइश है तो मैं कहूंगा कि हां, निश्चय ही सुधार की गुंजाइश है।''

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की): रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक बड़ी वस्तु की खरीद प्राथमिक चरण में है और यह पूंजीगत व्यय है। लेकिन बाद में इसके रखरखाव के लिए इसके पुर्जों की खरीद के लिए किये जाने वाले खर्च को राजस्व व्यय माना जाता है। क्या मेरी बात सही है? यदि यह सही है तो क्या इससे राजस्व व्यय की सही तस्वीर सामने आती है?

श्री जसवंत सिंह: मैं रक्षा मंत्रालय की बजट प्रणाली की और व्याख्या करने में नहीं उलझूंगा। लेकिन माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध वास्तव में इस बात से है कि क्या वर्तमान प्रक्रिया में राजस्व प्राप्तियां ठीक से दर्शाई जाती हैं या नहीं। मैं सदस्य महोदय को आश्वस्त कर सकता हूं कि संसद में मैने जो राजस्व प्राप्तियों संबंधी अनुमान प्रस्तुत किया है वह यथासंभव सही दर्शाया गया है। ऐसा उस बजट में नहीं है जिसे हमने पेश किया है। मैंने इसे निश्चित किया और यह सुनिश्चित कर दिया कि नागरिकों को, निर्धारिती को जो भी धन वापसी की जानी थी वह की जानी चाहिए और हमें धन वापसी का भुगतान नहीं रोकना चाहिए और केवल ऐसे झूठे दावे नहीं करने चाहिए कि राजस्व प्राप्तियां बहुत अधिक हैं। हमने यह कार्य किया है। मैं पूरे साहस के साथ यह कह सकता हूं कि इस वर्ष जो कि मार्च में समाप्त हुआ है, के दौरान प्राप्त धन वापसी दर या स्तर अत्यंत असाधारण है और इसके कारण मैं कह सकता हूं कि जहां तक आदमी से संभव हो सकता है, राजस्व प्राप्तियां ठीक से दर्शायी गयी हैं। फिर भी राजस्व आधार में विस्तार किये जाने की आवश्यकता है। खर्च में कटौती किये जाने की आवश्यकता है। महोदय, इसलिए मेरा कहना है कि वित्त मंत्रालय का कार्य अत्यंत एकांकी कार्य है। वित्त मंत्रालय कोई धन नहीं व्यय करता। अन्य लोग धन व्यय करते हैं और मुझे वित्त मंत्री के रूप में खड़े होकर सभी मित्रों के प्रश्नों का उत्तर देना होता है फिर वे मेरे कार्य में त्रुटियां निकालते हैं और कहते हैं कि मैं कार्यों का प्रबंधन ठीक से नहीं कर रहा हूं।

वित्त मंत्री धन व्यय नहीं करता। अन्य सभी लोग धन व्यय करते हैं। राज्य वित्त मंत्री से कहते हैं कि आपको हमें धन देना चाहिए क्योंकि हमें धन नहीं मिला है। यदि मैं उन्हें धन नहीं देता हूं तो मुझे बुरे इरादे रखने के लिए कोसा जाता है। यदि वित्त मंत्री कर आधार का विस्तार करके या अन्य तरीके से राजस्व जुटाने का प्रयास करता है तो यहां और अन्य स्थानों पर बैठे हुए मेरे मित्र मेरी गर्दन पकड़ लेंगे और कहेंगे कि अब आप गलत कार्य कर रहे हैं क्योंकि आप और राजस्व एकत्रित नहीं कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री: यह सही नहीं है। इसका 47 प्रतिशत व्यय खाते में जाता है।

श्री जसवंत सिंह: मैं यह बात समझता हूं। जिस प्रणाली के अंतर्गत 47 प्रतिशत व्यय किया जाता है उसे मैंने नहीं बनाया है। यह प्रणाली मुझे उत्तराधिकार में मिली है। यह प्रणाली 12 महीने वाली नहीं है। इस प्रणाली में कुछ सुधार किये जाने की आवश्यकता है। इस समय राज्यों की वित्तीय स्थिति अत्यंत गंभीर हैं। वित्त मंत्री की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए मैं उनका नाम नहीं ले सकता। लेकिन राज्यों और केन्द्र की वित्तीय स्थिति अत्यंत गंभीर चिन्ता का विषय है। मैं निवेदन करूंगा कि भुगतान की गई ऐसी सभी देनदारियों का भुगतान मांगा जाएगा। इससे क्या होगा? वे सभी अंततः केन्द्र सरकार के पास ही आएंगे। मैं यह बात जिम्मेदारी की भावना के साथ कह रहा हूं।

मैं कह सकता हूं कि वित्त मंत्री का कार्य किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं बल्कि पूरे देश, सभी राज्यों और केन्द्र से संबंधित है। मैं एक राजनीतिक दल से संबंध रखता हूं। मैं उस राजनीतिक दल की देन हूं। मैं इस पद पर उस राजनीतिक दल के कारण ही हूं। लेकिन वित्त मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में मुझे देश की वित्तीय और आर्थिक स्थिति समग्र रूप से देखनी है। अत: देश की अर्थव्यवस्था या देश की राजकोषीय स्थिति को राजनीतिक आधार पर बांटा नहीं जा सकता। इसे एक राज्य या अन्य राज्य की दृष्टि से बांटा नहीं जा सकता। हमारा एक आर्थिक संघ है। भारत की राजकोषीय स्थिति एक समग्र स्थिति है। यह खंडित राजकोषीय स्थिति नहीं है माननीय सदस्यों के लिए खड़े होकर यह कहते हुए गलती निकालना कि अमुक राज्य को यह

[श्री जसवंत सिंह]

या वह नहीं मिला है अत्यंत आसान है। उन्हें यह बात स्वीकार करनी चाहिए कि देश का समेकित, समग्र स्थिति और राजकोषीय स्थिति का प्रबंधन भी महत्वपूर्ण है ...*(व्यवधान)*

श्री त्रिलोचन कानूनगो: इसका निर्धारण कई बार करना पड़ता है क्योंकि राज्यों की समस्याओं पर भी ध्यान देना होता है ...*(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: मंत्री महोदय आपको राज्यों द्वारा अन्तरराष्ट्रीय ऋण लेने पर नियंत्रण करना होगा।

श्री जसवंत सिंह: अंतर्राष्ट्रीय ऋण के बारे में मुझे आश्चर्यचकित होता है जब मेरी मित्र श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा कहती हैं कि हम अबाध रूप से ऋण ले रहे है। वास्तव में, कृपया एक बात पर ध्यान दें। कृपया मुझे इस बात का श्रेय दीजिए कि समय से पहले ही मैंने गत वर्ष ही तीन बिलियन डालर का भुगतान किया है। यह भुगातन समय से पहले किया गया। तीन बिलियन डालर वापस किए गए जिस पर ब्याज दर ऊंची थी। देश की विदेशी मुद्रा की स्थिति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा कृपया इस बात के लिए श्रेय भारत को दीजिए। कृपया श्रेय मुझे नहीं बल्कि भारत को दीजिए कि हम इराक खाड़ी युद्ध के समय स्थिति को संभाले रहे। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कृपया स्थिति की तुलना 1991 की स्थिति से कीजिए। मैं यह बात राजनीतिक लाभ लेने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं यह बात केवल भारत की अर्थव्यवस्था में अन्तर्निहित लचीलेपन पर जोर देने के लिए कह रहा हूं। भारत की अर्थव्यवस्था एक समग्र अर्थव्यवस्था है। यह एक है। आप उस अर्थव्यवस्था को खंड-खंड में नहीं बांट सकते और केवल उसी अर्थव्यवस्था पर ध्यान नहीं दे सकते जो आपकी राजनीतिक प्रतिबद्धता या आपके किसी राज्य से सम्बद्धता पर ही आधारित है। यह मुख्य प्रश्न है।

एक प्रश्न किया गया था: "क्या इस राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध विधेयक से इन सभी मुद्दों का समाधान हो जाएगा?" संभवत:, ऐसा न हो। यह सामूहिक इच्छा शक्ति का प्रश्न है कि हममें से प्रत्येक को अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देना चाहिए। हमने सुना है कि यह विधेयक संसद में ऐसे ही बहुत लंबे समय से पड़ा हुआ था।

यह संसद में वर्ष 2000 में लाया गया था। इसे स्थायी समिति में भेजा गया। स्थायी समिति ने इस पर बहुत समय व्यय किया। हमने भी अभी इस पर बहुत समय तक चर्चा की है। मेरे विचार से अब इस चर्चा को समाप्त करने का समय आ गया है। आगे बढ़ने का समय आ गया है और हम यहां जो कह रहे हैं उसे क्रियान्वित करने का समय आ गया है। इसलिए, हम सभी के लिए यह सुनिश्चित करने का समय आ गया है, हम इस संबंध में जो कर सकते हैं वह करें। यह इस दिशा में एक कदम है। हो सकता है यह अंतिम एवं संपूर्ण कदम न हो लेकिन फिर भी यह सही दिशा में उठाया गया एककदम है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को सभा के सुपुर्द करता हूं और अनुरोध करता हूं कि यह विधेयक पारित किया जाए।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: महोदय, मैं यह पूछना चाहती हूं कि राज्यों द्वारा सीधे ऋण लिये जाने के संबंध में स्थिति क्या है? क्या आप उन अनुदानों की गारंटी देते हैं? यदि वे भुगतान न करें तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

श्री जसवंत सिंह: मुझे खेद है कि मैंने इसका उत्तर नहीं दिया। संघ का कोई भी राज्य विदेश में किसी देश, संस्थान या संगठन से ऋण नहीं ले सकता। आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये केन्द्रीय विषय हैं जिनकी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है। कोई भी राज्य वित्त मंत्रालय की सहमति के बिना विदेश जाकर वहां से ऋण नहीं ले सकता। यह संभव नहीं है। उसे वित्त मंत्रालय की अनुमति लेनी होती है। इसकी सुस्थापित प्रक्रिया है। हम इसकी जांच करते हैं कि किससे ऋण लिया जा रहा है और इसके अंतर्गत आने वाले अन्य तथ्यों की भी जांच करते हैं।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: क्या केन्द्र सरकार उनकी गारंटी देती है?

श्री जसवंत सिंह: यह उसकी तरह सीधा और सरल प्रश्न नहीं है। कई तरह के उधार लिए जाते हैं। किंतु हम गारंटी दे अथवा नहीं, अंतत:, सभी प्रकार के उधारों में, चाहे यह वाणिज्यिक हों अथवा कोई अन्य, केन्द्र सरकार का उत्तरदायित्व बन जाते हैं। आपको यह स्वीकार करना चाहिए। यही कारण है कि अर्थव्यवस्था का राजवित्तीय प्रबंधन वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का उत्तरदायित्व है। यहीं कहा जाता है कि 'उत्तरदायित्व' यहीं समाप्त हो जाता है। उत्तरदायित्व यहां से शुरू नहीं होता है। यह भारतीय रिजर्व बैंक से शुरू होता है और यहां समाप्त हो जाता है। हमें इस पर वास्तव में विचार करना है। मैं इस विधेयक की सराहना करता हूं। यह विधेयक पारित किया जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि राजवित्तीय प्रबंधन में पर्याप्त राजस्व अधिशेष प्राप्त करके और दीर्घकालिक बृहत् आर्थिक स्थायित्व को सुनिश्चित करने, राजवित्तीय घाटे को दूर करने और मुद्रा नीति के प्रभावी संचालन में राजवित्तीय बाधाओं को हटाने को सुनिश्चित करने और केन्द्रीय सरकार के उधारों, ऋण और घाटे पर सीमा के माध्यम से राजवित्तीय वहनीयता से संगत प्रज्ञावान ऋण प्रबंध से केन्द्रीय सरकार की वित्तीय संक्रियाओं में और अधिक पारदर्शिता लाने तथा किसी मध्यम कालिक रूपरेखा में राजवित्तीय

नीति के संचालन के लिए केन्द्रीय सरकार के उत्तरदायित्व तथा उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब यह सभा विधेयक पर खंडवार चर्चा करेगी।

खंड 2–परिभाषाएं

किए गए संशोधन

पष्ठ 1,–

पंक्ति 9 और 10 का लोप किया जाए। (4)

पृष्ठ 2,–

पंक्ति 1 से 9 **के स्थान पर** निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:

'(क) ''राजवित्तीय घाटा'' से तात्पर्य भारत की समेकित निधि से वित्तीय वर्ष के दौरान निधि में प्राप्त कुल प्राप्तियों (जिमें ऋण प्राप्तियां शामिल नहीं है) की तुलना में ऋण की वापसी अदायगी को छोड़कर कुल संवितरणों की बढ़ोत्तरी है'। (5)

पृष्ठ 2, पंक्ति 10,–

''(ग)'' **के स्थान पर** ''(ख)'' **प्रतिस्थापित** किया जाए।(6)

पृष्ठ 2, पंक्ति 13,–

''(घ)'' **के स्थान पर** ''(ग)'' **प्रतिस्थापित** किया जाए।(7)

पृष्ठ 2, पंक्ति 16,–

''(ङ)'' **के स्थान पर** ''(घ)'' **प्रतिस्थापित** किया जाए(8)

पृष्ठ 2, पंक्ति 18,–

''(च)'' **के स्थान पर** ''(ङ)'' **प्रतिस्थापित** किया जाए(9)

पृष्ठ 2, पंक्ति 19,–

''(छ)'' **के स्थान पर** ''(च)'' **प्रतिस्थापित** किया जाए(10)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

''कि खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, संशोधित रूप में, विधयेक में जोड़ दिया गया।

खंड 3-संसद के समक्ष रखे जाने वाला राजवित्तीय नीति वक्तव्य

पृष्ठ 2, पंक्ति 22,–

''वार्षिक बजट'' **के स्थान पर** ''वार्षिक वित्तीय विवरण तथा अनुदान की मांगें'' **प्रतिस्थापित** किया जाए (11)

पृष्ठ 3,–

पंक्ति 3 के पश्चात निम्नलिखित *अंत:स्थापित* किया जाए:–

''(4क) वृहत्-आर्थिक ढांचा संबंधी विवरण में अन्तर्निहित अनुमानों के विशेष विवरण के साथ अर्थव्यवस्था की विकास संभावनाओं का मूल्यांकन शामिल होगा।

(4ख) पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर विशेष रूप से और बिना प्रतिकूल असर डाले, वृहत-आर्थिक ढांचा विवरण में निम्नलिखित के संबंध में मूल्यांकन शामिल होगा–

(क) सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि;

(ख) राजस्व शेष तथा सकल राजकोषीय शेष में यथा-प्रदर्शित संघ सरकार का राजकोषीय शेष;

(ग) भुगतान संतुलन के चालू लेखा शेष में यथा-प्रदर्शित अर्थव्यवस्था का बाह्य क्षेत्र शेष''। (12)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

''कि खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4-राजवित्तीय प्रबंध सिद्धांत

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 3, पंक्ति 7 से 38 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:–

4. (1) केन्द्र सरकार राजकोषीय घाटा तथा राजस्व घाटा कम करने के लिए उपयुक्त उपाय करेगी ताकि 31 मार्च, 2008 तक राजस्व घाटा समाप्त किया जा सके तथा उसके बाद पर्याप्त राजस्व अधिशेष की व्यवस्था हो।

(2) केन्द्र सरकार का नियम बनाकर विशेष रूप से उल्लेख करेगी–

[सभापति महोदय]

(क) इस अधिनियम के प्रारंभ से आरंभ होने वाली तथा 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान राजकोषीय घाटा तथा राजस्व घाटे को कम करने हेतु वार्षिक लक्ष्य;

(ख) गारंटियों के रूप में अनुमानित आकस्मिक देयताओं के वार्षिक लक्ष्य तथा सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में कुल देयताएं:

बशर्ते कि राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा राष्ट्रीय आपदा के कारण अथवा कारणों से अथवा अन्य आपवादिक कारणों से, जैसा कि केन्द्र सरकार विनिर्दिष्ट करें राजस्व घाटा तथा राजवित्तीय घाटा ऐसे लक्ष्यों से आगे बढ़ जाए:

परन्तु यह और भी कि पहले उपबंधों में विनिर्दिष्ट कारण अथवा कारणों को यथाशीघ्र ऐसी घाटा राशि के उपरोक्त लक्ष्यों से आगे बढ़ने के बाद संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा''। (13)

(श्री जसवंत सिंह)

संशोधन किए गए:

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

''कि खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5-रिजर्व बैंक से उधार

किए गए संशोधन:

पृष्ठ 3, पंक्ति 50,-

''2001'' **के स्थान पर** ''2003'' **प्रतिस्थापित** किया जाए। (14)

पृष्ठ 3,-

पंक्ति 50 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाए।

''बशर्तें कि भारतीय रिजर्व बैंक इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि को या इसके पश्चात् धारा 4 की उपधारा (2) के प्रथम परंतुक में निर्दिष्ट आधार अथवा आधारों के कारण केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमों में अभिदान करता है।'' (15)

(जसवंत सिंह)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

''कि खंड 5, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6 राज वित्तीय पारदर्शिता के लिए उपाय

किए गए संशोधन:

पृष्ठ 4, पंक्ति 5,-

''वार्षिक बजट'' **के स्थान पर** ''वार्षिक वित्तीय विवरण तथा अनुदानों की मांगों'' **प्रतिस्थापित** किया जाए। (16)

पृष्ठ 4,-

पंक्ति 7 से 15 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए-

''वार्षिक वित्तीय विवरण तथा अनुदानों की मांगों को प्रस्तुत करते समय केन्द्र सरकार यथा-निर्दिष्ट प्रकटीकरण यथा-निर्दिष्ट रूप में करेगी''। (17)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

''कि खंड 6, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 7-अनुपालन करवाने के लिए उपाय

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 4,-

पंक्ति 19 से 22 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए-

''(2) जब भी किसी वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान राजवित्तीय नीति संबंधी कार्यनीति विवरण तथा इस अधिनियम के अतंर्गत बनायी गई नियमावली में उल्लिखित पूर्व विनिर्दिष्ट स्तरों की अपेक्षा राजस्व में कमी हो अथवा व्यय में वृद्धि हो, तो केन्द्र सरकार राजस्व में वृद्धि अथवा व्यय में कमी करने के लिए उपयुक्त उपाय करेगी (जिसमें किसी भी अधिनियम के अंतर्गत भारत की समेकित निधि से भुगतान एवं उपयोग की जाने वाली प्राधिकृत राशियों में कटौती करना शामिल है ताकि ऐसी राशियों के पुनर्विनियोजन के लिए व्यवस्था की जा सके):''। (18)

पृष्ठ 4, पंक्ति 24,-

''संविधान'' के **पश्चात्** निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाए-

"अथवा किसी अन्य व्यय के लिए, जिसे किसी करार अथवा संविदा के अंतर्गत किया जाना अपेक्षित होता है अथवा ऐसा अन्य व्यय जिसे स्थगित अथवा जिसमें कटौती नहीं की जा सकती है"। (19)

पृष्ठ 4,–

पंक्ति 25 से 31 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए–

"(3) (क) इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए प्रावधान को छोड़कर इस अधिनियम के अंतर्गत केन्द्र सरकार की देनदारियों को पूरा करने में किसी परिवर्तन की अनुमति संसद के अनुमोदन के बगैर नहीं होगी।

(ख) जहां कहीं भी इस अधिनियम के अंतर्गत केन्द्र सरकार की देनदारियों को पूरा करने में अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण कोई परिवर्तन होता है तो वित्त मंत्रालय का प्रभारी मंत्री संसद के दोनों सदनों में निम्नलिखित बातों को स्पष्ट करते हुए वक्तव्य देगा–

(1) इस अधिनियम के अंतर्गत केन्द्र सरकार के दायित्वों को पूरा करने में किया गया कोई परिवर्तन;

(2) क्या ऐसा परिवर्तन महत्वपूर्ण है तथा वास्तविक अथवा संभावित बजटीय परिणामों से संबंधित है; और

(3) केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित सुधारात्मक उपाय।"। (20)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदयः प्रश्न यह है:

"कि खंड 7, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड-8 नियम बनाने की शक्ति

संशोधन किये गए

पृष्ठ 4,–

पंक्ति 36 तथा 7 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए–

"(क) धारा 4 की उप-धारा (2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट वार्षिक लक्ष्य:

(ख) धारा 3 की उप-धारा (2) के प्रयोजनार्थ निर्दिष्ट किए जाने वाले राजवित्तीय संकेतक;"। (21)

पृष्ठ 4, पंक्ति 38,–

"ख" **के स्थान पर** "ग" **प्रतिस्थापित** किया जाए।(22)

पृष्ठ 4,–

पंक्ति 41 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए–

"(घ) धारा 6 की उप-धारा (2) के अंतर्गत किए जाने वाले प्रकटीकरण तथा ऐसे प्रकटीकरणों का स्वरूप"। (23)

पृष्ठ 4, पंक्ति 42,–

"घ" **के स्थान पर** "ङ" **प्रतिस्थापित** किया जाए।(24)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदयः प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 8, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 8, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80 (एक) के विलम्बन के बारे में प्रस्ताव

श्री जसवंत सिंहः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गयी है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध विधेयक, 2000 की सरकारी संशोधन संख्या 25 को लागू करने के संबंध में, निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

सभापति महोदयः प्रश्न यह है:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (1) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गयी है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध विधेयक, 2000 की सरकारी संशोधन संख्या 25 लागू करने के संबंध में, निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 10क—सिविल न्यायालयों की अधिकारिता वर्जित

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 5,-

पंक्ति 9 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाए-

10क. किसी भी सिविल न्यायालय को इस अधिनियम के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा की गई कोई कार्रवाई अथवा उसके द्वारा लिए गए किसी निर्णय की वैधता पर प्रश्न उठाने की अधिकारिता नहीं होगी।'' (25)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

''कि खण्ड 10क विधेयक में जोड़ दिया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 10क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 11 और 12 विधेयक में जोड़ दिये गए।

खण्ड 1—संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

संशोधन किया गया,

पृष्ठ 1, पंक्ति 4-

'2000' **के स्थान पर** '2003' **प्रतिस्थापित** किया जाए।(3)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदय: प्रश्न है:

कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया,

पृष्ठ 1, पंक्ति 1-

'इक्यावनवे' **के स्थान पर** 'चौवनवें' **प्रतिस्थापित** किया जाए। (2)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

''कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम

सायं 6.00 बजे

किया गया संशोधन:

पृष्ठ 1, पूरे नाम में-

''राज वित्तीय घाटा समाप्त करना'' का लोप किया जाए। (1)

(श्री जसवंत सिंह)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

''विधेयक का पूरा नाम, संशोधित रूप में, विधयेक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री जसवंत सिंह: मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।''

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

''कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सांय 6.02 बजे

आधे घंटे की चर्चा

राष्ट्रीय पशुधन नीति के बारे में

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभा मद संख्या 19 पर चर्चा करेगी।

कुछ माननीय सदस्य: महोदय, अब 6.00 बज चुके हैं।

सभापति महोदय: मैने आधे घंटे की चर्चा के लिए पहले ही सभा की राय ले ली है।

[हिन्दी]

मैंने हाफ एन आवर को चालू करने के लिए हाउस की कंसेंसस पहले ही ले चुका हूं।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): सभापति जी, 28 अप्रैल, 2003 को पशुधन नीति के संबंध में तारांकित प्रश्न संख्या 525 पर जब सरकार की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया, तो अध्यक्ष महोदय, ने कृपापूर्वक स्वीकार किया कि इस आधे घंटे की चर्चा होनी चाहिए।

महोदय हमारे देश में पशुधन हमारी आर्थिक व्यवस्था का मूलाधार है लेकिन दुर्भाग्य यह है कि एक लम्बे अर्से के बाद, हमारे देश में अभी तक कोई पशुधन नीति नहीं बनी। 1996 में एक नीति का प्रारूप बना, जिसे राय जानने के लिए राज्यों को भेजा गया और उस दिन कृषि मंत्री जी ने यह बताया था कि किसी राज्य से कोई सुझाव ही नहीं आया और यह भी कहा गया कि पशुधन के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना में 1,682.59 करोड़ रुपए का प्रावधान था जिसे बढ़ाकर 10वीं पंचवर्षीय योजना में 25,000 करोड़ रुपए कर दिया गया।

सभापति महोदय, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हमने कितनी दौलत आबंटित की है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि पशुधन के लिए आबंटित की गई उस दौलत का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं? पशुपालन एवं डेयरी विभाग 1991 में कृषि मंत्रालय के अंतर्गत अलग से स्थापित किया गया और इसका उद्देश्य था कि पशुओं की सेहत में सुधार हो, उनके स्वास्थ्य की देख-रेख की समुचित व्यवस्था हो, उनकी नस्ल सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं और मछलीपालन को बढ़ावा दिया जाए। ये चार प्रमुख विषय थे, जो पशुपालन और डेयरी विभाग को सुपुर्द किए गए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि नस्लें विलुप्त हो रही हैं। जहां तक पशुओं के स्वास्थ्य का सवाल है कहीं पशु स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हैं, जहां पशु स्वास्थ्य केन्द्र हैं वहां डाक्टर नहीं हैं, जहां डाक्टर हैं वहां दवाएं पर्याप्त नहीं हैं और जहां दवाएं उपलब्ध हैं वहां उनका इस्तेमाल ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है। इस प्रकार से पशुओं के स्वास्थ्य की जो देखभाल होनी चाहिए, वह काम नहीं हो रहा है। पशुपालन कार्यक्रम के अन्तर्गत 44 कार्यालय संचालित हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि भारत में विश्व का 16 प्रतिशत गाय, 57 प्रतिशत भैंस, 12 प्रतिशत बकरी और पांच प्रतिशत भेड़ें हैं। इन पशुओं के कारण देश में 110 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और आठ लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पशुपालन में 71 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी है और देश के सकल घरेलू उत्पाद में आठ प्रतिशत का योगदान है, इसके बावजूद पशुपालन उद्योग की निरंतर उपेक्षा हो रही है।

सभापति महोदय, आज स्थिति यह है कि हमारे देश में दूध का उत्पादन 88 मिलियन टन है, जो विश्व में सबसे अधिक उत्पादन है, परन्तु उत्पादकता की दृष्टि से भारत के प्रति पशुओं की औसत अंतर्राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। सन् 2002 के आंकड़ों के अनुसार देश में 22 करोड़ गाय थीं और दस करोड़ भैंसे थीं और प्रति गाय दूध का वार्षिक उत्पादन 945 प्रति किलोग्राम प्रतिवर्ष था, जब कि विश्व की औसत आय 2,225 किलोग्राम है। इसी प्रकार भैंस की भी है। इसलिए उत्पादकता को बढ़ाना हमारी पहली आवश्यकता होनी चाहिए और इसके लिए शोध की भी आवश्ययकता है। आपके यहां जो एक्सपर्ट कमेटी है उनकी संस्तुति के अनुसार भी शोध उन नस्लों पर होना चाहिए, जो नस्लें हमारे देश में उपलब्ध हैं।

सभापति महोदय, देश में चारे का नितांत अभाव है। सरकार की तरफ से कहा जाता है कि 11 मिलियन हैक्टेयर भूमि पर हम चारा पैदा कर रहे हैं, लेकिन यह चारा पशुओं की भूख मिटाने के लिए अपर्याप्त है। योजना आयोग के अनुसार हमारे देश में 47 प्रतिशत हरे चारे की कमी है और 22 प्रतिशत भूसे की कमी है। जब पशुओं को भूसा और हरा चारा ही नहीं मिलेगा तो उनसे अच्छे उत्पादन की आशा हम कैसे कर सकते हैं। इस दिशा में सरकार क्या प्रयास कर रही है, यह मैं जानना चाहूंगा। छठी पंचवर्षीय योजना में हैसारघाटा कर्नाटक में सेंटर फौडर सीड प्रोडक्शन फार्म स्थापित किया गया। 1997-98 में चारे का उत्पादन 368.60 टन था, जो 2002 में घटकर 271.10 रह गया। इसे देखते हुए चारा उत्पादन बढ़ नहीं रहा है, बल्कि घट रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से तीन सवाल पूछना चाहता हूं। श्री हुक्मदेव नारायण हमारे पुराने वरिष्ठ सहयोगी हैं। हालांकि इनके साथ बड़ा अन्याय हुआ है, ये चन्द्रशेखर जी की सरकार में केबिनेट मिनिस्टर थे और सरकार ने इन्हें राज्य मंत्री बना दिया। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप प्रश्न पार्ट-वाइज पूछ सकते हैं, संख्या मत पूछिए।

श्री रामजीलाल सुमन: सभापति महोदय, मैं पोइंट वाइज ही पूछ रहा हूं। मैं सबसे पहले यह जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय पशु नीति बनाने की क्या कोई निश्चित अवधि है और यह नीति हमारे देश में कब तक बन जाएगी? सबसे अधिक दुर्भाग्य की बात यह है कि हिन्दुस्तान जैसे देश में, जो कृषि प्रधान देश है और कृषि

[श्री रामजीलाल सुमन]

के बाद सबसे अधिक जिस क्षेत्र से लोगों को रोजगार मिलता है, वह है पशुधन, उसके लिए हमारी कोई नीति नहीं है। यह पशुधन नीति कब तक तैयार हो जाएगी? दूसरा सवाल मेरा यह है कि दुग्ध उत्पादकता की दृष्टि से, अंतर्राष्ट्रीय औसत से बहुत कम दूध हमारे यहां पैदा होता है। क्या सरकार ने तय किया है कि वह दूध के उत्पादन को बढ़ाने का काम करेगी। तीसरा सवाल यह है कि चारा उत्पादन क्रमशः हमारे देश में कम हो रहा है, जिससे हमारे देश में एक अजीब स्थिति पैदा हो जाएगी। जब पशुओं को हरा चारा और भूसा नहीं मिलेगा तो कैसे आशा की जा सकती है कि पशुओं से ज्यादा दूध मिलेगा। इसलिए एक तो पशुओं के लिए चारे की उपयुक्त व्यवस्था कराने का काम, दूसरे पशु नीति का एक निर्धारित समय में बनाने का काम और जो अंतर्राष्ट्रीय औसत है, उसमें हमारे यहां जो उत्पादन की कमी है, उसे बढ़ाने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है, यह मैं जानना चाहता हूं।

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर, विशेषकर जब इस समय भयावह अकाल की स्थिति है, पिछले 4-5 साल से वहां लगातार अकाल पड़ रहा है। अब मनुष्यों को बचाने के लिए तो अकाल राहत कार्य खोल दिये गये हैं, उनको रोजगार भी प्रदान किया जा रहा है, गेहूं वगैरह भी दिया जा रहा है और मजदूरी भी दी जा रही है, उनके लिए पेयजल की व्यवस्था भी की जा रही है, लेकिन किसान का एक बहुत बड़ा सहारा पशु होता है। इस अकालजन्य परिस्थिति के कारण अगर वह पशुधन एक बार नष्ट हो गया तो वापस पशुधन का बनना और किसान के लिए उपयोगी होना बहुत मुश्किल हो जायेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इस भयावह अकाल की स्थिति में राजस्थान जैसे भयंकर अकाल से पीड़ित राज्य के अन्दर पश्चिमी राजस्थान में, विशेषकर पशुधन को बचाने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है?

इसका 'ख' पार्ट है कि चारे का अभाव है। हालांकि भारत सरकार के हम बहुत आभारी हैं कि ये जिन राज्यों के अन्दर चारा होता है, वहां से मुफ्त रेलगाड़ी चलाकर उसे राजस्थान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वहां जो खाली पड़ी जमीन है, उस पर चारा उत्पादन करने के लिए क्या सरकार की कोई विशेष योजना है, ताकि चारा बैंक बन जाये और चारा बैंक बनने के बाद जब भी अकाल पड़े तो पशुधन को बचाने के लिए चारा भेजा जा सके।

इसी का 'ग' पार्ट है कि गौ राष्ट्रीय दृष्टि से बहुत उपयोगी पशु है। गौ का दूध अमृत तुल्य है। गऊ को भारतीय संस्कृति के अन्दर विशेष सम्मान भी प्रदान किया गया है। उस गौवंश को बचाने के लिए, उस गौवंश की रक्षा करने के लिए, उस गौवंश से जुड़े हुए देश के भावनात्मक और सांस्कृतिक सम्बन्धों को देखते हुए बचाव के लिए भारत सरकार की भविष्य में क्या योजना है?

इसी का 'घ' पार्ट राष्ट्रीय पशु नीति के बारे में है। यह कहा गया कि 1996 के अन्दर यह नीति बननी शुरू हुई। इस पर 1993 में चर्चा शुरू हुई, लेकिन 1996, 1997 और 1998 तक यह नीति नहीं बनी। पिछले दिनों सरकार ने एनीमल हस्बेंड्री मंत्रियों की बैठक बुलाई है। उस बैठक में क्या चर्चा हुई है, उसके क्या निष्कर्ष निकले और उसके आधार पर कब तक राष्ट्रीय पशु नीति बनकर हमारे सामने आ जायेगी ताकि पशु नीति का पालन किया जा सके? धन्यवाद।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, राष्ट्रीय पशुधन नीति के सम्बन्ध में सुमन जी ने यह सवाल उठाया है। वह ठीक बात है कि राष्ट्रीय पशुधन नीति की क्यों अभी तक घोषणा नहीं की गई है, सरकार के सामने क्या कठिनाई है? हमारा दृढ़ मत है कि आर्थिक स्थिति में पशुधन का बड़ा भारी योगदान है। 1.82 लाख करोड़ रुपये की हर साल पशुधन से आमदनी होती है, कंट्रीब्यूशन होता है। पशुधन में गौपालन, भैंसपालन, बकरीपालन, मुर्गीपालन, भेड़पालन, सूअरपालन आदि सभी शामिल हैं।

पशुधन नीति में इन सभी का प्रावधान होना चाहिए कि पशुधन का विकास कैसे होगा। सबसे पहले तो उसकी नस्ल सुधार का सवाल है। अभी तक गांवों में गरीब आदमी एक डेढ़ किलो दूध देने वाली गाय पालता है। तीन साल के बाद बछिया गाय बनती है। गरीब आदमी तीन साल तक उसे घास खिला रहा है, तीन वर्ष के बाद उसे उसका कुछ लाभ होगा, लेकिन यदि ब्रीडिंग इम्प्रूवमेंट कर दिया जाये, उसका नस्ल सुधार कराया जाये और ये सारी सहूलियतें किसान के दरवाजे पर पहुंच जायें तो इसका बहुत लाभ होगा। दूध में वैसे हम दुनिया में प्रथम उत्पादक देश हो गये हैं। अमेरिका हमसे आगे था, लेकिन किसानों के सहयोग से और किसानों की मेहनत से अब हिन्दुस्तान दूध पैदा करने में प्रथम मुल्क हो गया है। लेकिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से अभी हमारा उत्पादन कम है। अमेरिका में जहां 900 ग्राम पर कैपिटा दूध उत्पादन है, वहां हमारे यहां 205 ग्राम के करीब पर-कैपिटा उत्पादन है। अपने देश में 600-700 ग्राम पर-कैपिटा उत्पादन है जबकि हरियाणा, पंजाब में 800-900 ग्राम पर कैपिटा उत्पादन है यानी पंजाब हरियाणा का बेहतर है। लेकिन दुग्ध उत्पादन का नैशनल एवरेज अभी भी बहुत कम है। वह 200 ग्राम पर कैपिटा होगी। इसलिए उसमे नस्ल सुधार करने की जरूरत है। अपने यह गरुआ भैंस हरियाणा की है। जफराबादी है मेहसाना भैंस हजारीबाग की है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप प्रश्न पूछिये।

...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: हम पूछना चाहते हैं कि भैंस, गाय की ब्रीडिंग इम्प्रूवमैंट के लिए सरकार की क्या योजना है? हमारा कहना है कि किसानों के दरवाजे पर इसकी सेवा पहुंचाई जाये जिससे किसान सहूलियत से उसका इस्तेमाल कर सके, उपयोग कर सके।

इसी तरह बकरी पालन है। गांव का जो सबसे गरीब आदमी है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वे सब बकरी पालन करते हैं। यही उनकी आमदनी का जरिया है। लेकिन सरकार के कागज में, विभाग में बकरी पालन और पशुधन की उपेक्षा की गयी है। मेरा यह दावा है कि हिन्दुस्तान में गरीबी बरकरार रखने और गैर बराबरी बरकरार रखने के जो भी कारण हैं, उसमें प्रमुख कारण पशुधन की उपेक्षा है क्योंकि 8 परसेंट जी.डी.पी. में जो विभाग कंट्रीब्यूट करता है, जो काम करता है, उसकी इस तरह से उपेक्षा हो रही है। उस पर कभी चर्चा नहीं होती कभी सवाल नहीं उठता। इस कारण से सभी लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं है। इसलिए जो मेहनतकश मजदूर है, गांव का किसान है, गरीब आदमी से संबंधित विषय है, उस पर चर्चा नहीं होती। जो चमकम विषय है, उसका बड़ा बोलबाला है। जो पशुओं का धन है, उसका बोलबाला नहीं है। हमारा कहना है कि पशुधन की घोर उपेक्षा हो रही है। सरकार पशुधन नीति लाने का काम करे जिससे गरीब किसान जो कि पशुधन पालन करने वाले लोग हैं, बकरी पालन करने वाले लोग हैं, उनको फायदा हो सके।

गांव के लोग पशुओं की फीडिंग इम्प्रूवमैंट के बारे में नहीं जानते। जैसे कोई साल भर बकरी का पालन करते हैं तो उसका बच्चा केवल 10 किलो का ही होता है। एक बोल बकरी है, उसको साल भर पालन करने से 80 किलो की हो जाती है। इसी तरह से ब्रीडिंग इम्प्रूवमैंट कर दी जाये तो गरीब आदमी की मल्टी पूल में वृद्धि होगी। हमारा पहला प्रश्न भैंस, बकरी आदि सभी जानवरों की ब्रीडिंग इम्प्रूवमैंट का है। दूसरा, फीडिंग के बारे में है। उनके भोजन का प्रबंध होना चाहिए, चारे का प्रबंध होना चाहिए। ब्रीडिंग इम्प्रूवमैंट के बाद दूध की मार्केटिंग का मैं सवाल उठाना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

आप लोगों को इसमें क्या कहना है? हम गरीब लोगों का सवाल उठा रहे हैं। गरीब आदमी का विषय इनको कैसे समझ में आयेगा? *** चारा खाने वाले उधार हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप सब टोका-टाकी मत करिये। कृपया शांति बनाये रखें।

...*(व्यवधान)*

***अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया गया।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: *** ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप प्रश्न पूछिये।

...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: *** ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: रघुवंश जी, आप पुराने सदस्य हैं। आप केवल प्रश्न पूछिये। हाफ-ऐन आवर डिशकशन में भाषण देने की अनुमति नहीं होगी। आप केवल प्रश्न पूछिये। इनका कोई भाषण रिकार्ड में नहीं जायेगा।

...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: मैं सवाल ही पूछ रहा हूं। *** ...*(व्यवधान)* यहां गरीब आदमी का सवाल उठेगा। जो मेहनत करते हैं, जो गांव में पशुपालन करता है, खेती करता है, मुर्गीपालन करता है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप प्रश्न पूछिये।

...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: जो मुर्गीपालन करता है, जो गांव में रहता है, उसका वही कमाई का जरिया है। ...*(व्यवधान)* उनको छटपटाहट होती है। *** ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: रघुवंश जी, यह विषय गंभीर है इसलिए आप प्रश्न पूछिये।

...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: इसी कारण गरीब आदमी का शोषण हो रहा है, किसानों का शोषण हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप प्रश्न पूछिये।

...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: गरीब आदमी का विषय सुनते ही उनको छटपटाहट होने लगती है, बैचेनी होने लगती है। *** पशुधन को सुनने वाले नहीं है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप प्रश्न पूछिये।

***अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया गया।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: जो दूध का उत्पादन करने वाला किसान है, उसको दूध का दाम कम मिल रहा है। उनका शोषण हो रहा है। किसान से दूध कितने रुपये में लिया जाता है और उपभोक्ता को कितने रुपये में मिलता है। किसान को एक लीटर दूध के 7-8 रुपये मिल रहे हैं और उपभोक्ता को एक लीटर दूध 12 रुपये देने पड़ते हैं। बीच में 4-5 रुपये कहां जा रहा हैं। पानी दस रुपये लीटर और किसान का दूध 8 रुपये लीटर-अंधेर नगरी चौपट राजा, यह क्या हो रहा है। इसलिए जिस राज में दूध सस्ता हो और बोलत वाला पानी महंगा हो, यह बोतल वाली पार्टी के लोग हैं। जो किसान दूध पैदा करता है जैसे बिहार से दूध दिल्ली और उत्तर प्रदेश आने लगा लेकिन कोलकाता में क्यों नहीं भेजा जा रहा है। गांवों में आपरेशन फ्लड खत्म हो गया। वहां कोआपरेटिव बने। किसान गाय-भैंस पालन करता है जिससे दूध मिलता है और उससे आमदनी होती है। इन सब सवालों के बारे में सरकार को बताना चाहिए क्योंकि ये गरीब लोगों से संबंधित सवाल हैं। ये कहते हैं की हम रोजगार देंगे। पशुधन में सौ रोजगार पैदा करने की पोटैंशिऐलिटी है। इसमें गरीब व्यक्ति को रोजगार मिल सकता है, कम्प्यूटर और दूसरी चीजों में नहीं मिल सकता। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः आप स्पैसीफिक प्रश्न पूछिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंहः पशुधन नीति कब तक आएगी, ब्रीडिंग में डोरस्टैप सर्विसेज टू दी फार्मर्स सहूलियत कैसे पहुंचाई जाएगी। पशुओं को बीमारी होती है, प्राकृतिक आपदा आ जाती है। एक आदमी 10-20 हजार रुपये की गाय खरीद कर उसको पालता है। यदि वह बीमारी से मर जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? पशु बीमे की क्या स्थिति है? आदमी की जनगणना दस वर्ष में होती है तो पशु गणना कब होगी, सरकार से हम यह जानना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)* इन लोगों को यह अच्छा नहीं लगेगा। गांव में गधे को नमक खिलाकर ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः भाषण का अंश रिकार्ड में नहीं जाएगा, केवल प्रश्न जाएगा।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंहः उसी तरह किसान की बात इन लोगों को जहर लगती है, गरीब आदमी की बात जहर लगती है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कृपया बैठे-बैठे न बोलें।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंहः पशुधन की खिलाफत करने वालों के लिए लाठी है, पशु की सुरक्षा के लिए लाठी है, पशु चराने के लिए लाठी है। जो लोग पशुधन के विकास में लगे हुए हैं, उनके लिए सरकार के पास कौन सी योजनाएं हैं, सरकार इसे स्पष्ट करे। राष्ट्रीय पशुधन नीति की घोषणा तुरंत करें और उसे लागू करें जिससे गांव के गरीब आदमी को लाभ मिल सके। मुर्गी की टांग खाने में स्वाद लगती है लेकिन जो आदमी उसका पालन करता है, उसकी बात जहर लगती है। मैं इन लोगों का भंडाफोड़ करना चाहता हूं। मंत्री जी बताएं कि इसे कैसे ठीक करेंगे।

सभापति महोदयः यद्यपि हाफ-ऐन-आवर डिस्कशन में नियम अनुमति नहीं देता, फिर भी विषय की गंभीरता को देखते हुए मैं दो-तीन माननीय सदस्यों को केवल एक-एक प्रश्न पूछने की अनुमति दे रहा हूं।

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा, 71 प्रतिशत महिलाएं पशुधन और मछली पालन के कार्यों में लगी हुई हैं। महिलाओं की सहकारिता में भागीदारी बढ़ाने के लिए आप राज्य सरकारों को क्या मदद करेंगे?

सूखा प्रभावित प्रदेशों में आपने चारा विकास का कोई खास कार्यक्रम नहीं लिया है, जैसे चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता, जो राज्य सूखे से प्रभावित हैं, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। एक तो यह करें। तीसरा यह है कि जो बजट एस्टीमेट 300 करोड़ का पशु धन विभाग का था, वह आपने 240 करोड़ कर दिया है तो उसको 300 करोड़ ही रहने दें।

[अनुवाद]

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): हमारे देश में प्रतिदिन चारागाह भूमि कम हो रही है और उस पर अतिक्रमण किया जा रहा है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि सरकार कब तक कोई नीति बनाएगी।

मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि देश में चारागाह भूमि के संरक्षण के लिए और यहां की मूल नस्लों को बचाने के लिए वह क्या विशेष योजना अथवा परियोजना ला रहे हैं। भैंसों की सिंधी नस्ल, गायों की कन्केरेज और गिर नस्ल और भेड़ों की पाटनबाडी नस्ले काफी मशहूर है। क्या इन मूल नस्लों के संरक्षण के लिए सरकार के पास कोई योजना अथवा परियोजना है?

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (बडोदरा): महोदय, मेरा भी वही कहना है जो श्री पी.एस. गढ़वी ने कहा है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): सभापति महोदय, रघुवंश बाबू इस विभाग के स्वतंत्र प्रभार के मंत्री रह चुके हैं। इसलिए उनको इस विभाग के संबंध में मुझसे कोई कम जानकारी नहीं है। जितनी बातों का उन्होंने यहां जिक्र किया

है, उन सभी बातों का तथा इस प्रश्न के उत्तर भी उन्हें मालूम हैं। रामजीलाल सुमन जी ने जिन प्रश्नों को उठाया है, हम भी मंत्री-मंडल में साथी के रूप में रहे हैं और उनकी पीड़ा को हम जानते हैं कि जिस वर्ग से हम लोग जुड़े हुए हैं, वह पशु पालक वर्ग है। हमारा वंश तो पशु-पालक है और लोगों को इसके बारे में विशेष पढ़ाई करनी होती है। हम तो जन्म से ही पशु-पालन का काम करते रहे हैं। इसलिए पशु-पालन से हमारा केवल मानसिक संबंध नहीं है, बल्कि आर्थिक, आध्यात्मिक और भौतिक संबंध भी है। इसलिए उनके प्रति हम ज्यादा ख्याल रखते हैं और उनके विकास की चिंता करते हैं।

कुछ ऐसे प्रश्न जो यहां उठाये गये हैं, जो पशुधन के आर्थिक आधार हैं जो माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि जो आंकड़े निकलते हैं, वे सरकार की किताब में से हैं और आंकड़ों के ऊपर हम बहस नहीं करेंगे कि कितने आंकड़े हैं लेकिन यह तय है कि 80 प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं। भारतीय कृषि का आधार ही पशु हैं। बिना पशु के भारतीय कृषि का आधार ही नहीं बना था क्योंकि दुनिया में दो तरह की खेती होती है। एक मशीन से खेती होती है जिसे हार्स पावर करते हैं और एक खेती जो पशु से होती जिसे आक्स पावर करते हैं। हिन्दुस्तान की खेती पशु के आधार पर है। ग्रामीण यातायात. परिवहन का काम भी पशु पर आधारित है। आज जितनी मशीन और ट्रैक्टर हैं, इसके बावजूद भी लकड़ी के पहिये वाली गाड़ी का आज भी गांव में इस्तेमाल होता है। आप जिस इलाके से आते हैं, मैं भी आता हूं, चाहे वह उड़ीसा हो, बिहार हो, आन्ध्र प्रदेश हो, राजस्थान हो, उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां ट्रैक्टर और रबड़ के चक्के वाली गाड़ी नहीं चल सकती हैं, वहां आज भी लकड़ी के पहिये वाली गाड़ी से बैल के जरिए ढुलाई होती है और उसमें चाहे गधा, ऊंट या खच्चर हों, जो कि उस गाड़ी को खींचने का काम करते हैं। इसलिए कृषि मंत्रालय में इस पर हम अधिक जोर देते हैं कि उनको बढ़ाया जाए। ज्यों-ज्यों मशीन की खेती का विकास हुआ है, खेती मशीन पर आश्रित होती गई है और त्यों-त्यों पशु की संख्या में भी कमी आई है। रघुवंश बाबू भी जानते है। आप भी किसान परिवार से हैं और मैं भी सौ-दो सौ एकड़ की जमीन जोतने वाले किसान का पुत्र रहा हूं। जहां हमारे यहां 10-10 बैल और 10-10, 20-20 भैंस रहती थीं। आज मेरे दरवाजे पर जाएं तो एक पशु नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रैक्टर से खेती हो रही है इसलिए पशु रखने का कोई मतलब नहीं है। आखिर किसान जब मशीन से खेती करने लगा तो उसी अनुपात में पशु सम्पदा का भी ह्रास होता चला गया, क्योंकि पशुपालन करने वाले कम होते गए। यह एक अलग विषय है। उन्नत खेती के कारण, सघन खेती के कारण, अधिक उत्पादन के कारण, व्यावसायिक खेती के कारण आज हमारी मानसिकता भौतिकतावादी वाली बन गई है। पशुओं के प्रति, गोवंश के प्रति हमारा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक लगाव था, उसके प्रति जो ह्रास हो रहा है, उसके कई कारण हैं। यह अलग विषय है और इस पर लम्बी बहस हो सकती है, वह होनी चाहिए।

गढ़वी साहब ने नस्ल सुधार की बात कही, जो सही बात है। दो तरह की नस्ल सुधार है, एक तो संकृत नस्ल और दूसरी है देशी नस्ल। संकृत नस्ल के बारे में रघुवंश बाबू भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। संकृत नस्ल जहां बड़े-बड़े डेयरी फार्म बनाए गए हैं, जहां मेकेनाइज्ड डेयरी फार्म हैं, जहां आधुनिक, वैज्ञानिक तरीके से दूध का उत्पादन होता है, पशु पालन होता है, चारा खिलाया जाता है, वहां संकृत नस्ल काफी सफल रही है और दूध उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। लेकिन सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां लोग कम हैं, वहां यह सफल नहीं हो पाई है। अगर हम अमेरिका से तुलना करें तो वहां एक किसान औसत रूप से 177 हेक्टेयर जमीन का मालिक है। जो यूरोपियन ग्रुप समूह के देश हैं, वहां एक किसान औसत रूप से 18 हेक्टेयर जमीन का मालिक है और इंग्लैंड में एक किसान 50 हेक्टेयर जमीन का मालिक है। हिन्दुस्तान में सारी जमीन का ,जमाबंदी का बंटवारा करते हैं तो औसत रूप से एक किसान डेढ़ हेक्टेयर जमीन का मालिक बनता है। अगर हम अपनी तकनीक को विकसित करेंगे, तो पशुपालन को भी विकसित करेंगे। ऐसी नस्ल को वहां ले जाएंगे जहां हिन्दुस्तान के गरीब, मजदूर, दलित लोग झोंपड़ियों में रहते हैं, जो पशुओं को अच्छी तरह से खिला नहीं सकते, वहां सुधार करेंगे, तो हम हिन्दुस्तानी नस्ल को उन्नत कर सकेंगे। इसलिए अगर उसको आगे बढ़ाना है तो वहां की प्राकृतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से उनके लिए ऐसी तकनीक लानी होगी जो सहज भी हो, सुलभ भी हो और पशुपालन के लिए भी हो। इस तरफ भारत सरकार का ध्यान है और हमारी कई योजनाएं इस पर चल रही हैं। हिन्दुस्तान के अंदर जो उन्नत नस्ल की गाय और भैंस हैं, जैसे मुर्रा भैंस है, गायों में जैसे साहिवाल है, रेड सिंधी है या गीड़ है या गुजरात की, राजस्थान की गाय हैं, केरल की बेचूर नस्ल की गाय देखने में छोटी है, लेकिन विश्व में सबसे अच्छी नस्ल की गाय है। वह दूध कम देती है, लेकिन उसके दूध की उपयोगिता ज्यादा है। उसको बचाने के लिए भारत सरकार ने केरल यूनिवर्सिटी के सहयोग से एक परियोजना भी चलायी है। इस पर भारत सरकार प्रयत्नशील है कि ऐसी योजनाएं चलाई जाएं।

जैसा अभी रघुवंश बाबू जी कह रहे थे कि गांव-गांव तक किसानों के पास इसको ले जाएं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारत सरकार अगर कोई योजना चलाती है तो वह राज्य सरकारों के माध्यम से चलाती है। रिसर्च का काम हम करते हैं, प्रयोग का काम हम करते हैं, परीक्षण का काम हम करते हैं, हम फ्रंट लाइन डेमोंस्ट्रेशन दे सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन का काम राज्य सरकारों

[श्री हुक्मदेव नारायण यादव]

के माध्यम से होगा। हमारे जितने दुग्ध उत्पादन के लिए ट्रेनिंग सेंटर हैं या झांसी में आई.सी.ए.आर. चारा अनुसंधान केन्द्र हैं, वहां राज्य सरकारों से सम्बन्धित विभागों के चाहे वह हार्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, फिशरी हो, गोटरी हो, पिगरी हो, उन सभी विभागों के अधिकारियों को इस संस्थान में बुलाकर उनको अत्याधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण देकर भेजते हैं। इसको टी.टी.सी. भी कहते हैं यानी टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर। इन ट्रेनिंग सेंटर में जो हम ट्रेनिंग देते हैं, वहां से प्रशिक्षण लेकर राज्य सरकारों के अधिकारी चले जाते हैं। अगर राज्य सरकारें उस प्रशिक्षण का लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंचा सके तो इसमें केन्द्र सरकार क्या कर सकती है। हम कोई विज्ञान केन्द्रों के जरिए, पशुपालक प्रशिक्षण शिविरों को चलाकर भारत सरकार के द्वारा जितना हो सकता है, उतना हम करते हैं और राज्य सरकारों से आग्रह करते हैं।

बहुत दिनों के बाद, शायद पहली बार पशुपालन मंत्रियों का सम्मेलन हमारे केन्द्रीय मंत्री जी ने बुलाया था। उस पर हमने चर्चा की और वह चर्चा काफी सफल रही। उस चर्चा के आधार पर हम आगे क्या करने वाले हैं, यह मैं अभी नहीं बता सकता। क्योंकि उनके सथ जो चर्चा हुई वह आज के आर्थिक और विश्व के वातावरण के आधार पर हुई है। जहां तक पशु नीति की घोषणा की बात है, पशु नीति बनाने में हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं और पशु धन के संवर्धन के लिए, उन्नति के लिए काफी प्रयत्नशील है। उसमें हमारी कई योजनाएं हैं। यदि मैं उन योजनाओं को सुनाने लगूं तो मुझे इन योजनाओं का विवरण देने में एक घंटा लग जाएगा।

माननीय सदस्य ने राजस्थान के बारे में प्रश्न उठाया। राजस्थान सरकार के लिए भी हमने योजना चलायी है। चारा कितना देते हैं? उनको 11.66 करोड़ रुपया दिया जा चुका है। जो चारा पीड़ित हैं उनको 50 करोड़ रुपए एनसीआरएफ से दिए हैं जहां तक चारा बैंक बनाने की बात है या दूसरी कोई चीज करने की बात है, मैं माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि हमें इस बार चारा बैंक बनाने के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना में इसकी मंजूरी मिल गई है और हम इस क्षेत्र में काम करने वाले हैं। जहां राज्य सरकारें चारा बैंक बनाना चाहें, हम उनको पूरा सहयोग देने के लिए तत्पर हैं। हम कोशिश करते हैं और अपेक्षा रखते हैं कि इसे राज्य सरकारें करें।

यूरिया ट्रीटमैंट के द्वारा चारे की गुणवत्ता बढ़ाने की भी बात है। केन्द्र सरकार इसके लिए 100 फीसदी राशि देने के लिए तैयार है। इसमें राज्य सरकारें सहयोग करके, इस राशि का उपयोग कर सकें तो अच्छा होगा। हम इसमें सौ फीसदी राशि देंगे। जहां तक संवेदनशील क्षेत्रों में चारा बैंक स्थापित करने की बात है, हम उसमें 75 प्रतिशत देंगे और 25 प्रतिशत राज्य सरकारें देंगी।

श्री लक्ष्मण सिंह: जो सूखा प्रभावित प्रदेश हैं क्या वहां के लिए चारे की योजना बना रहे हैं? आप उनकी सहायता करेंगे लेकिन राज्य सरकारें 25 परसैंट पैसा जमा नहीं कर सकती हैं। राजस्थान में पिछले 5 साल से सूखा पड़ा है।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: यह एक अलग विषय है। जो राज्य आपके साथ हैं, उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कृषि मंत्रियों के साथ इस संबंध में परस्पर संवाद होते हैं। उनकी बातें योजना आयोग तक जाती है। वे योजना आयोग से वित्त मंत्रालय होकर जाती है। आप जानते हैं कि योजना आयोग और वित्त मंत्रालय होकर हमें जो राशि मिलती है, हम उनका उपयोग योजनाओं का अमल करने पर करते हैं। हमारे प्रधान मंत्री इस बारे में काफी संवेदनशील हैं। हम राज्य सरकारों से इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पशु धन के लिए राज्य सरकारों को सहायता की जरूरत होती है तो हम उन्हें हिस्सेदारी देने का काम करते हैं। हमने रेल गाड़ी के डिब्बे मुफ्त देने का काम किया है। हमने उनको कहा कि वे जितना चारा ले जा सकते हैं, ले जाएं। हमने उनको कहा कि वह एक जोन बना दें कि जो ज्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं, सभी पशुओं को वहां एक जगह इकट्ठा करके रख लीजिए। वह अगर चाहें तो पशुओं के लिए राहत शिविर चला सकते हैं। जितनी सहायता चाहिए, केन्द्र सरकार देने के लिए तैयार है। हम कहीं कोई कमजोरी आने नहीं देंगे, लेकिन हम राज्य सरकारों के सहयोग से ही इसे कर सकते हैं।

सभी सदस्यों ने यह बात उठायी कि हम बीमारी रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? बीमारी रोकने के लिए, पशुओं के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए हम जो कुछ कर रहे हैं, उसमें राष्ट्रीय प्लेग उन्मूलन परियोजना पिछले दिनों से चल रही है। हम उसमें सौ फीसदी पैसे दे रहे हैं। वह आज से नहीं दे रहे हैं, 1952 से इस योजना के बारे में सोचा गया तब से यह योजना चल रही है। हम इसमें सौ फीसदी पैसा देते हैं। इसमें खर्च नहीं हो तो हम क्या करें? माननीय रघुवंश बाबू दुखी न हों। मैं भी बिहार का हूं, माननीय सभापति महोदय भी बिहार के हैं। रघुवंश बाबू केवल बिहार के नहीं है। जब बिहार की पीड़ा, दर्द और वेदना की चर्चा होती है तो आप से कम हमारे शरीर के रोएं नहीं सिहरते हैं। हम भी सिहर जाते हैं। इस योजना के तहत हमने बिहार को 1997 से 2002 तक राष्ट्रीय प्लेग उन्मूलन कार्यक्रम में जितनी राशि दी, उसमें से एक पैसा बिहार सरकार ने खर्च नहीं किया। हम इसका क्या जवाब देंगे? हमें कहिए कि क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं कृषि मंत्री होकर, पशु पालन मंत्री होकर इंजैक्शन लेकर गांव-गांव नहीं जाऊंगा, सभी पशुओं को वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। इसे करना किस का काम है? इस काम में जिस राज्य के लोग तत्पर हुए हैं, जिन को इस काम के लिए पैसे दिए गए हैं, उनके मेरे पास आंकड़े हैं, लेकिन उन्हें बताने में लंबा समय लगेगा।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): आपकी बिहार का सुधार करने की इच्छा नहीं है। बिहार के खिलाफ बोलने वाले उधर जो लोग बैठे हैं, उन्हें मैं सब बातें बताने के लिए तैयार हूं। बिहार में ब्रीड इम्प्रूवमैंट की अलग से परियोजना थी। क्या आपने उसे दुश्मनी से खत्म नहीं किया?

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। यदि आप चाहें तो अलग से मांग कर लीजिए। मैं सभापति जी से आग्रह करूंगा कि केवल बिहार के ऊपर सदन में चर्चा की जाए। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने बिहार के लिए जितनी परियोजनाएं दी हैं, पिछले पचास वर्षों में अगर देश की किसी सरकार ने दी होंगी तो हम इस सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। *...(व्यवधान)* लेकिन यह कहने के बजाय की इस पर बहस कराइये, आप सीधे खड़े हो जाते हैं।

...(व्यवधान) *

सभापति महोदय: डा. रघुवंश प्रसाद जी, आपकी कोई बात प्रोसिडिंग में नहीं जा रही है। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय मंत्री जी आप अपना भाषण जारी रखें, टोका-टाकी में न फंसे।

...(व्यवधान) *

सभापति महोदय: रघुवंश प्रसाद जी, आपकी कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जायेगी। केवल माननीय मंत्री जी का जवाब प्रोसीडिंग में जायेगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब माननीय मंत्री के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाए।

...(व्यवधान) *

[हिन्दी]

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: रघुवंश बाबू, यह लोक सभा है, लोक सभा में डा. लोहिया ने कहा था कि दुनिया में शासन दो तरीके से चलता है-एक हथियार के बल पर और दूसरा तर्क के बल पर। लोक सभा में, सदन में बहस के बल पर चलेगा, तर्क के बल पर चलेगा। यहां अगर लाठी में तेल लगाकर बहस करने लगेंगे तो नहीं चल सकता है। यहां तर्क से बहस करिये, सवाल करिये, जवाब लीजिए। इसलिए कृपा करके सुनिये।

...(व्यवधान) *

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी यील्ड नहीं कर रहे हैं। आपकी कोई बात रिकार्ड पर नहीं जा रही है। माननीय मंत्री जी अपना भाषण जारी रखें।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: रघुवंश बाबू, आपने जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब माननीय मंत्री जी को देने दीजिए। आप माननीय मंत्री जी का जवाब सुनिये।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री विजयपाल सिंह जी, आप अपना स्थान ग्रहण करें। रघुवंश बाबू, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करें।

...(व्यवधान) *

सभापति महोदय: कृपया कोई असंगत शब्द न लिखें, इनकी कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जा रही है।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: सभापति महोदय, जो खुरपका और मुंहपका, फुट एंड माउथ डिसीज का मामला है।*...(व्यवधान)* हमने तीन जोन बनाये हैं।*...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: रघुवंश बाबू, आपने जो प्रश्न पूछा है, उसका जवाब आने दीजिए।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: इन तीन जोन्स में अभी सम्पूर्ण देश के 54 जिलों में खुरपका एवं मुंहपका नियंत्रण कार्यक्रम की गहन शुरूआत की जायेगी, जिसमें हमने देश के 54 जिलों को आइडेन्टीफाई किया है, जहां सबसे ज्यादा बीमारी थी। इसे हमने तीन जोन्स में विभक्त किया और बाकी जो राज्य बचे हुए हैं, उनमें फिर हम आगे आयेंगे। लेकिन तात्कालिक तौर पर हमने तीन जोन में इन राज्यों को लिया है-प्रथम जोन में आठ जिले हैं, दूसरी जोन में 33 जिले हैं और तीसरी जोन में 13 जिले हैं। इस प्रकार 54 जिलों में हम पूरी तौर पर अपनी तरफ से पैसा देता हैं। इसमें पहले योजनाओं में जो पैसा दिया जाता था, उसमें 25 प्रतिशत केन्द्र सरकार, 25 प्रतिशत राज्य सरकार और 50 प्रतिशत पैसा किसान देता था। यह योजना पहले से चली आ रही थी। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी का पशुओं के प्रति और इस देश के किसानों के प्रति प्रेम है, इसलिए उन्होंने कहा कि 75 प्रतिशत पैसा केन्द्र देगा और और 25 प्रतिशत राज्य सरकारें दे या किसान से लेकर दे, लेकिन 25 प्रतिशत राज्य सरकारें दें। आपके समय में 25 प्रतिशत केन्द्र, 25 प्रतिशत राज्य और 50 प्रतिशत गरीब किसान देता था, जिस दलित, पिछड़े, निर्धन, निर्बल, भेड़-बकरी वाले किसानों की आप बात करते हो, उससे आप 50 प्रतिशत पैसा लेते थे। इस सरकार ने 75 प्रतिशत पैसा अपनी तरफ से दिया है और केवल 25 प्रतिशत राज्य सरकारों को देना है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता*...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: रघुवंश बाबू, आप सीनियर मैम्बर है, आप माननीय मंत्री जी जवाब होने दीजिए।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: सभापति महोदय, डा. रामजीलाल सुमन ने जो प्रश्न उठाये हैं, उसमें काफी आंकड़े भी देने हैं। मैं

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सुमन जी से यह आग्रह जरूर करूंगा कि उन्होंने जिस स्तर से, जिस तरह से केवल अपने प्रश्न तक सीमित रहकर अपनी बात यहां रखी है एक राजनीतिक पार्टी के नेता की हैसियत से नहीं, बल्कि देश के एक किसान परिवार के सदस्य के नाते उन्होंने प्रश्न उठाया है। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इस संबंध में अगर वह विशेष जानकारी चाहेंगे तो मैं उन्हें अपने मंत्रालय में आमंत्रित करता हूं। मैं उनका साथी हूं, आप मेरे मंत्रालय में आइये और बैठिये, हम आपको योजनाओं की जानकारी देंगे। नहीं तो मैं आपके सामने पशुपालन विभाग के सभी पदाधिकारियों को बैठा दूंगा और सम्मान के साथ आपको जो जानकारी चाहिए, हम आपको वह जानकारी भी देंगे और जिस योजना के तहत कोई एन.जी.ओ. के थ्रू या राज्य सरकार के थ्रू, व्यक्तिगत तौर पर भी अगर उस क्षेत्र के किसानों के कल्याण के लिए आप भी कुछ कर सकते हैं, मैं माननीय सदस्यों को आमंत्रित करता हूं कि कृषि, सहकारिता और पशुपालन मंत्रालय आपके लिए खुला हुआ है। आप आइए और हमारे साथ बैठकर उन योजनाओं का लाभ उठाइए। भारत सरकार की योजनाएं काफी हैं और हमारे पैसे पड़े रह जाते हैं। हमारा विनम्र प्रार्थना होगी सभी माननीय सदस्यों से कि हमारा पैसा जो राज्यों से लौटकर क्यों आ रहा है। उस समय हम सोचते हैं कि यह पैसा किसी गरीब किसान और किसी भेड़-बकरी वालों पर खर्च हो जाता तो अच्छा होता।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि रामजीलाल सुमन जी ने और अन्य माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न उठाए हैं। ...*(व्यवधान)*

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर): खाली पड़ी जमीन का कैसा उपयोग करेंगे? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: रावत जी, आप बैठ जाइए।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: वह हम करने वाले हैं। आप जानते हैं कि उसके संबंध में भारत सरकार काफी सोच रही है और राज्य सरकारों के साथ मिलकर वार्ता कर रही है। उन पर भी हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अंतिम प्रार्थना मैं माननीय रघुवंश बाबू से हाथ जोड़कर करूंगा कि वह प्रोफेसर भी हैं और यह कहते हैं कि बंधुआ मजदूर मंत्री बनते हैं। रघुवंश बाबू से मैं कहना चाहता हूं कि सभापति जी आसन पर बैठे हुए हैं। अगर हम बंधुआ मजदूरी वाले होते, अगर हम किसी की गुलामी कुबूल करते तो लालू यादव के पैरों के नीचे बैठे होते। हम किसी के गुलाम नहीं है, हम विद्रोही हैं। अन्याय का विरोध करना और विद्रोही बनना मेरा स्वाभाव है। इसलिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग सदन में करना उचित नहीं है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कोई भी असंगत और असंसदीय बात रिकार्ड पर नहीं जाएगी।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी का जवाब हो गया है। माननीय मंत्री जी, एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा चूंकि विषय बहुत गंभीर था। रासा सिंह रावत जी पूछ रहे थे तो हमने उनको परमीशन नहीं दी। रावत जी ने अपने प्रश्न में स्पष्ट कहा था कि जो जमीन खाली पड़ी है, ऐसी जमीनों पर उपयुक्त चारा उत्पादन हो, उस दिशा में सरकार की क्या योजना है। इस संबंध में वे जानना चाहते थे।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: सभापति महोदय, जो हमारी चारा विकास के लिए योजनाएं है, उन योजनाओं में एक योजना यह भी है, कि सूखा प्रभावित तथा अन्य क्षेत्रों में चारा घास उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकों की समुचित सहायता करेंगे और जो जमीन उपलब्ध है, वहां राज्य सरकारों का सहयोग लेंगे। आप भी जानते हैं कि जो पहले गांवों के अंदर गैर मुजरवा या आम, घास, कैसरहीन सरकारी जमीन थी, उन जमीनों को धीरे-धीरे अतिक्रमण करके लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया, चाहे वह कब्जा किसी तरह से किया हो। उसके कारण जो गरीब लोगों के पशु उसमें चरते थे, उसका ह्रास हुआ है। हरियाणा, पंजाब में जोहड़ होते थे जहां पशुओं को नहलाते थे, धुलाते थे, पानी पिलाते थे, धीरे-धीरे वह भी मिट्टी से भर गए हैं और सूखते जा रहे हैं। हम इन सब पर राज्य सरकारों की ओर से चर्चा करते है कि पशुओं को स्वच्छ पानी मिले, उनके स्नान करने की व्यवस्था हो, उनकी नस्ल में सुधार हो और ऐसी जमीन जो पड़ती जमीन है या जंगल में है, उनमें नये किस्म की घास को हमने झांसी में और अन्य जगहों पर आई.सी.ए.आर. के माध्यम से डैवलप किया है। बीकानेर में भी हम इसको डैवलप करके प्रयोग कर रहे हैं कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों में, कम पानी में, रेगिस्तानी इलाकों में, बंजर भूमि में, बलुवाई भूमि में भी उन प्रजातियों की घास काफी पैमाने पर लगा दें जिससे पशु चर सकें, नहीं तो उनको काटकर और सुखाकर भी रख सकें। अगर हम सड़क पर भूसा लेकर चलते हैं तो बहुत ज्यादा अवरोध पैदा होता है। इसके लिए हमने ऐसी मशीन निकाली है कि जिससे हरे चारे को काटकर उसका केक बना दें, उनको ईंट जैसे पैक कर दें और जो भूसा पांच ट्रक पर ले जाते हैं, उतना एक ट्रक पर ले जा सकेंगे। यह सारी तकनीक हमारे पास है और चारा विकास के लिए हम यह सब करना चाहते हैं। मैं माननीय सदस्यों से भी निवेदन करूंगा कि वे अपने राज्यों की सरकारों के साथ, पशुपालन मंत्री के साथ वार्ता करें और वह भी उसमें सहायक बनकर अपनी-अपनी राज्य सरकारों से योजना मेरे पास लाएं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि राज्य सरकारों की तरफ से वह जो भी योजना लाएंगे, उसमें अपनी तरफ से कहीं भी धन का अभाव नहीं होने देंगे। भारत सरकार के पास धन की कमी नहीं है।

सभापति महोदय: अब सदन सहमत हो तो आइटम नं. 16 श्री शरद यादव जी आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2003 सदन में विचार हेतु रखें।

[अनुवाद]

श्री सी. श्रीनिवासन (डिंडीगुल): हम और अधिक समय नहीं बैठना चाहते हैं। कृपया सभा की बैठक स्थगित कीजिए। जब पर्याप्त संख्या में सदस्य उपस्थित नहीं हैं तो हम इस पर किस प्रकार चर्चा कर सकते हैं?

सभापति महोदय: अब यह आधे घंटे की चर्चा समाप्त हो गई है।

[हिन्दी]

सांय 6.50 बजे

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक–*विचाराधीन*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अगर सभा की सहमति हो, तो कार्य-सूची की अगली मद संख्या 16 ली जाए।

[अनुवाद]

श्री सी. श्रीनिवासन (डिंडीगुल): महोदय, अगली मद अभी किस प्रकार ले सकते है? ...*(व्यवधान)* कृपया सभा की बैठक स्थगित कीजिए। ...*(व्यवधान)* बेहतर होगा यदि इसे कल के लिए स्थगित किया जाए। ...*(व्यवधान)*

[हिंन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): आप आसन पर बैठकर इस प्रकार कैसे कर सकते हैं। आप अगले आयटम पर कैसे चले गए, हम आपसे सहमत नहीं हैं।

सभापति महोदय: रघुवंश बाबू बैठिए। आप भी चेयरमैन हैं। आप इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। मैं सदन की सहमति ले रहा हूं। आप कृपया अपने आसन पर बैठिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): नहीं। मैं सदन से बाहर जा रहा हूं।

सांय 6.51 बजे

(तत्पश्चात् डा. रघुवंश प्रसाद सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गए।)

सभापति महोदय: क्या सदन सहमत है कि माननीय शरद यादव जी सदन में बिल प्रस्तुत करें?

कुछ माननीय सदस्य: हां।

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी बिल प्रस्तुत करें।

[अनुवाद]

उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आज यह बिल मूव हो गया। सदन इससे सहमत है। इस पर डिस्कशन बाद में हो जाएगा।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): सभापति महोदय, आज यह बिल मूव हो गया, यह तो ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस पर चर्चा बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कल इस पर चर्चा कराइए।

सभापति महोदय: इस पर चर्चा होगी। अब सभा कल पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.52 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरूवार, 8 मई 2003/18 वैशाख, 1925 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48.34.35/2003 (एन०)
280

© 2003 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (दसवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।